दशम माला, खंड 6, अंक 8

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1991
11 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जावेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 2 दिसम्बर, 1991 / 11 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
19	नीचे से पंक्ति 10	"मन्त्र" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये।
24	5	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ख)" पढ़िये।
28	16	"गुरदास" के स्थान पर "गुरुदास" पढ़िये।
34	12	"(ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
51	नीचे से पंक्ति 1, 2	"(ख)" के स्थान पर "(क) तथा "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
52	12	"श्री सन्त कुमार" के स्थान पर "श्री सनत कुमार" पढ़िये।
62	1	शीर्षक में "सनुसूचित" के स्थान पर "अनुसूचित" पढ़िये।
63	5	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
65	11	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
66	नीचे से पंक्ति 8	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
72	14	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
92	16	"श्री ए॰डेनिस" के स्थान पर "श्री एन॰डेनिस" पढ़िये।
111	7	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
117	5	"(क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
200	नीचे से पंक्ति 8	"(ख) यदि हाँ तो क्या इस संबंध में कोई जाँच की गई है; और पढ़िये ।
214	नीचे से पंक्ति 1	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
267	7	"(क)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये ।
285	नीचे से पंक्ति 2	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
307	15	"श्री विन्नाकोटास्वामीश्रीनिवासन" के स्थान पर "श्री विन्नासामी श्रीनिवासन" पढ़िये ।
310 तथा 311	नीचे से पंक्ति 9 तथा 5	"श्री सानीपल्ली गंगाधरा" के स्थान पर "श्री गंगाधरा सानीपल्ली" पढ़िये ।
315	18	"श्री भुवनचन्द्र खान्डुडी" के स्थान पर "श्री भुवनचन्द्र खंन्डुरी" पढ़िये ।

"ख" यदि हो तो क्या इस संबंध में कोई जाँच की गई है; और पढ़िये ।

"ग" के स्थान पर "ख" पढ़िये ।

"क" के स्थान पर "क से ग" पढ़िये ।

"घ" के स्थान पर "ख" पढ़िये ।

"श्री विन्नाल्लामी श्रीनिवासन" के स्थान पर "श्री विन्नासामी श्रीनिवासन" पढ़िये ।

"श्री सानीपल्ली गंगाधरा" के स्थान पर "श्री गंगाधरा सानीपल्ली" पढ़िये ।

"श्री भुवनचन्द्र खान्डुडी" के स्थान पर "श्री भुवनचन्द्र खंन्डुरी" पढ़िये ।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 8, सोमवार, 2 दिसम्बर, 1991/11 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 142 से 146	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—311
तारांकित प्रश्न संख्या : 147 से 161	22—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1582 से 1648, 1650 से 1669, 1671 से 1740, 1742 से 1799 और 1801 से 1817	40—311
सभा पटल पर रखे गए पत्र	311—313
नियम 377 के अधीन मामले	313—315
(एक) गुजरात के सूरत, भरूच और वालिया क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए वहां अतिरिक्त वाणिज्यिक औद्योगिक पाईप गैस आवंटित करने की आवश्यकता	
श्री काशी राम राणा	313
(दो) बिहार में धनहा में चीनी मिल लगाने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्र बैठा	314
(तीन) केरल तट रेखा के बारे में समुद्र-कटाव रोधी परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री थाइल जॉन अंजलोज	314

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(चार) तमिलनाडु में उत्पादित टैपियोका का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 120-150 रुपए प्रति बोरा निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री के० वी० तंगकाबालु 315

(पांच) सेवा काल के दौरान विकलांग होने वाले सशस्त्र सेना कर्मियों के मामले में निवृत्ति लाभों के लिए पात्रता की शर्तों में ढील देने की आवश्यकता

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी 315

मेघालय के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प और प्रस्ताव के बारे में 316—318

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक 318—353 और 355—361

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री रामेश्वर ठाकुर 318

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड 320

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 320

श्री मुमताज अंसारी 323

श्री गुमान मल लोढा 325

श्री आर० जीवरत्नम 327

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती 329

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या 331

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण 332

श्री चित्त बसु 336

श्री राम नाईक 338

श्री लोकनाथ चौधरी 342

श्री ए० चार्ल्स 344

श्री मोहन सिंह 346

श्री शरत चन्द्र पटनायक 347

श्री हरि किशोर सिंह 348

प्रो० रासा सिंह रावत 349

श्री हरीश नारायण प्रभू झांट्ये 350

श्री अन्ना जोशी 351

श्री तेज नारायण सिंह 352

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री रामेश्वर ठाकुर 352 और 355

मन्त्री द्वारा वक्तव्य 354—355

दिल्ली हवाई अड्डे पर 1-12-1991 को एयर इण्डिया उड़ान 111 में पाया गया विस्फोटक यंत्र

श्री माधव राव सिंधिया 354

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक 361—371

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह 361

श्री जसवन्त सिंह 362

लोक सभा

सोमवार, दिसम्बर, 1991/11 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कैमरा उन पर फोकस किया जाने वाला है जो प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर देंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, हमें आपका पहला प्रश्न पूछने के लिए श्री शरद दिघे को बधाई देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद दिघे।

सोवियत सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

+

*142 **श्री शरद दिघे :**
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत सहायता-प्राप्त उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस समय लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या सोवियत संघ में घटी घटनाओं के पश्चात, जिससे उस देश का औद्योगिक उत्पादन अस्त-व्यस्त हो गया है, इन परियोजनाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) इस समय विद्युत क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग के अंतर्गत, सोवियत तकनीकी एवं वित्तीय

सहायता से 12 परियोजनाओं को या तो क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा उनका क्रियान्वयन किया जाना है। सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह बात सामने आई है कि यू० एस० एस० आर० भारत के साथ की गई सभी वचनबद्धताओं पर कायम है। अतः भारत में उक्त ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के अवरोध की सभावना नहीं है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। मेरे प्रश्न का भाग (क) यह है : वे 12 परियोजनाएं कौनसी हैं जिन्हें सोवियत प्रौद्योगिकी या आर्थिक सहायता से क्रियान्वित किया गया है या क्रियान्वित किया जाना है; और वे किस चरण तक पहुंची हैं ? उन्होंने यह भी कहा है कि सोवियत रूस से विचार-विमर्श किया गया है। ये विचार-विमर्श कब किए गए और किसके साथ किए गए ? मेरे प्रश्न का भाग (ख) है : एक समूह है जिसे ऊर्जा सम्बन्धी भारतीय-सोवियत कार्य समूह के नाम से जाना जाता है, यह मैंने ऊर्जा विभाग की 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट में पढ़ा है। उस ऊर्जा सम्बन्धी भारतीय-सोवियत कार्य समूह की 13वीं बैठक 18-25 सितम्बर, 1990 को मास्को में हुई थी और इन सभी परियोजनाओं की पुनरीक्षा की गई थी। मैं जानना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं की पुनरीक्षा के लिए इस बैठक के पश्चात कोई और बैठक हुई थी और उन बैठकों में क्या निर्णय लिया गया था ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा है, ये 12 परियोजनाएं हैं :

1. विन्ध्याचल उच्च तापीय ऊर्जा परियोजनाएं;
2. विंध्याचल चरण-एक, संप्रेषण लाइन;
3. कहलगांव उच्च तापीय ऊर्जा परियोजना;
4. टिहरी जल ऊर्जा काम्प्लेक्स;
5. विंध्याचल उच्च तापीय ऊर्जा परियोजना;
6. विंध्याचल चरण-द्वितीय संप्रेषण लाइन;
7. मैथान तापीय ऊर्जा परियोजना;
8. कयमकुलम तापीय ऊर्जा परियोजना;
9. मंगलौर तापीय ऊर्जा परियोजना;
10. कोल डैम जल विद्युत परियोजना;
11. बकरेश्वर तापीय ऊर्जा परियोजना; और
12. दुलहस्ती-किशनपुर-श्रीनगर संप्रेषण लाइन।

महोदय, विदेश मन्त्री, श्री माधवराव सोलंकी अभी हाल ही में सोवियत संघ गए थे। उन्होंने राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव और श्री बोरिस येल्तसिन से विचार-विमर्श किया था। उन्होंने वचन दिया है कि जिन परियोजनाओं पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, उन सभी वचनबद्धताओं पर सोवियत संघ कायम है, और वे उन्हें पूरा करेंगे।

श्री शरद दिघे : महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि श्री गोर्बाचोव और श्री बोरिस येल्तसिन ने आश्वासन दिया है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पिछले वर्ष से रुपए-रूबल व्यापार को निर्देशित करने वाले पंचवर्षीय समझौते का सोवियत संघ ने नवीनीकरण क्यों नहीं किया है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋणों का इससे संबंध है। उदाहरण के लिए अन्य द्विपक्षीय सहायता के तुलना में, ऊर्जा क्षेत्र के लिए सोवियत सहायता 2.5 प्रतिशत की दर पर आसान शर्तों पर दी गई थी। 840 मैगावट कहलगांव तापीय परियोजना के लिए सोवियत संघ ने 219 मिलियन रूबल का ऋण देने का वचन दिया था। इसी प्रकार 1,260 मैगावाट विंध्याचल-I परियोजना के लिए भी सोवियत संघ ने लगभग 360 मिलियन रूबल का ऋण देने का वचन दिया है। 1,426 करोड़ रुपए का एक और बड़ा ऋण···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए, आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री शरद दिघे : ऊर्जा क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे बड़े ऋणों का वचन दिया गया है और ये ऋण भी 2.5 प्रतिशत की कम दर पर है। तब से रुपए-रूबल व्यापार समझौते का नवीनीकरण नहीं किया गया है और तब से हुई। विभिन्न बैठकों में सरकारी अधिकारियों ने दुलर्भ मुद्रा में व्यापार करने की संभावना का संकेत दिया है। क्या उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है और जहां तक रुपए-रूबल व्यापार का सम्बन्ध है, अगर दुलर्भ मुद्रा में व्यापार हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, विदेश मन्त्री और सोवियत राष्ट्रपति तथा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों ने 16 नवम्बर से 20 नवम्बर तक विचार-विमर्श किया था और उन्होंने वचन दिया था और विदेश मन्त्री से अनुरोध किया कि भारतीय शिष्टमण्डल को मास्को आना चाहिए और समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी हों, वो पूरी की जाएं और भारतीय शिष्टमण्डल मास्को जाए।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मन्त्री की आशावादिता के बावजूद हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ एक गहन आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां दुलर्भ मुद्रा की काफी समस्या है। सोवियत संघ ने यह निश्चित संकेत दिया है कि वे इन परियोजनाओं को रुपए में जारी नहीं रखेंगे और सम्पूर्ण रुपए-रूबल व्यापार समझौते की समीक्षा की जा रही है। इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के कम दर के ऋण शामिल हैं और लगभग 5,900 मैगावाट की क्षमता भी इसमें शामिल है। यदि सोवियत संघ रुपए में व्यापार करने और आसान शर्तों को जारी रखने से मना कर दे तो क्या भारत सरकार के पास कोई आकस्मिक योजना या कोई वैकल्पिक योजना है?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं इसे माननीय सदस्य को दे सकता हूं। रूस के राजदूत अभी मुझे मिले थे और मैंने उनसे विशेष रूप से पूछा कि उनके देश की वचनबद्धता क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सरकार भारत से किए गए वचनों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

श्री हरि किशोर सिंह : यहां कोई रूसी राजदूत नहीं है। सोवियत संघ का राजदूत है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई। आपको उनके प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। हां, श्री हरि किशोर सिंह। आप अब बोल सकते हैं। मैं अब आपको पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता था कि सोवियत संघ का यहां राजदूत है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न से बाहर है। आप कृपया विषय पर बोलें।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री जी को मालूम है कि सोवियत संघ की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इस महीने की तनख्वाह देने के लिए भी वहां पैसा नहीं है, अगर वह अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं तो यह आवश्यक है कि सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों से इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा की जाए। क्या आपने चर्चा की है? अगर की है, तो कब की है और उन गणराज्यों से चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकला है? मैंने समाचार देखा है जब विदेश मन्त्री वहां गए थे। अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने राज्य बिहार में कई परियोजनाएं···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह प्रश्न से बाहर है। मन्त्री महोदय, आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

क्या आपने गणराज्यों से चर्चा की है?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अखबारों में क्या पढ़ा है और रेडियो में क्या सुना है, किन-किन अखबारों को पढ़ा है, उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। मेरे जो हिन्दुस्तान और रूस के बीच बातें हुई हैं तथा जो इंफार्मेशन मेरे पास है, उसका मैं उत्तर दे सकता हूं। मुझे एक ही बात कहनी है—

हम करें क्या, दरिया अगर लबरेज मयखाने में है,
हम तो उतनी जानते हैं, जितनी पैमाने में है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है माननीय मन्त्री हमारे ऊर्जा परियोजनाओं के समयानुसार क्रियान्वयन के महत्व को समझते है, क्योंकि जहां तक औद्योगिक उत्पादन

और कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है इस देश का भविष्य इससे जुड़ा है। जहां तक बक्रेश्वर परियोजना—बारह परियोजनाओं में से एक—का सम्बन्ध है, सोवियत संघ के साथ फरवरी, 1990 को समझौता हुआ था। उन्होंने स्व-परिचालित आधार पर तीन पवनचक्कियों की आपूर्ति करनी थी। और इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हमें देनी थी। पिछले नौ महीनों में पश्चिम बंगाल की सरकार—और मेरे विचार में भारत सरकार द्वारा भी—द्वारा बार-बार प्रयासों के बावजूद मार्च, 1991 से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि सोवियत रूस में जो संस्था, टी० पी० ई०- जो वहां पर एक शक्तिशाली संस्था है—जो इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही थी, वह शायद भंग हो गई है क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो दो अवसर वहां पर हैं, वे लगता है जैसे गायब हो गए हैं, या कम से कम वे अब इस स्थिति में नहीं हैं। अतः, क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बारे में जानते हैं और क्या माननीय मन्त्री महोदय प्रत्येक एकक की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, विशेष तौर पर बक्रेश्वर के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या माननीय मन्त्री महोदय पश्चिम बंगाल सरकार के इस निवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि इस परियोजना को सोवियत सहायता से अलग कर दिया जाए क्योंकि अब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और इसे जापान के 'ओवरसीज इकानोमिक कापरेशन फण्ट' (ओ० ई० सी० एफ०) में शामिल कर लिया जाए जिसके लिए जुलाई, 1991 में निवेदन किया गया था ? मैं इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : बक्रेश्वर तापीय विद्युत परियोजना के अतिरिक्त अन्य सभी परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में हैं और केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत निगम इसका संचालन कर रहे हैं। बक्रेश्वर परियोजना का संचालन पश्चिम बंगाल विद्युत विकास द्वारा किया जा रहा है और यह राज्य क्षेत्र में है। श्री ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री, ने केन्द्रिय सरकार को पत्र लिखा है कि बक्रेश्वर परियोजना को रूस से सम्बन्धित नहीं रखना चाहिए और इसे अब जापानी ओ० ई० सी० एफ० से जोड़ देना चाहिए। उस पत्र पर विचार किया जा रहा है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तीन पत्र लिखे गए हैं। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : हमें वह पत्र मिला है और केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है। मुख्य मन्त्री, श्री ज्योति बसु के निवेदन के अनुसार हम सहायता कोष का स्रोत बदल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा।

झारखंड राज्य की स्थापना

[हिन्दी]

+

*143. **श्री साईमन मरांडी**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के तेजी से विकास एवं इन क्षेत्रों की अनेक परियोजनाओं को तेजी से

कार्यान्वित करने हेतु बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड राज्य की स्थापना करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाइयां हैं, तो वे क्या हैं; और

(घ) झारखण्ड राज्य के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम लाल राही) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने झारखण्ड मामलों पर अगस्त, 1989 में एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट मई, 1990 में प्राप्त हो गई थी। तथापि, समिति किसी सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच सकी। उसके बाद नवम्बर, 1990 में एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई लेकिन यह समिति भी अपने फैसले पर पहुंचने में कोई विशेष प्रगति नहीं कर सकी। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री साईमन मरान्डी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह अधूरा जवाब दिया है। इन्होंने अपने समय का एक आंकड़ा दिया है कि एक समिति बनी हुई थी। जहां तक झारखंड से सम्बन्धित बात है, उसका एक कमीशन था और 1954 से कमेटी बनती रही हैं। इस बार भी जो सरकार ने समिति बनाई थी और इसकी घोषणा यहां पर सदन में की, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्योंकि आपने अधूरा उत्तर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइएगा। जब मैं प्रश्न पर आइएगा कहता हूं तो उतना ही सब रिकार्ड में जाएगा।

श्री साईमन मरान्डी : मेरे प्रश्न का इन्होंने 3 और 4 का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा है कि सरकार कब तक झारखंड राज्य बनाने का विचार रखती है और इस बारे में सरकार क्या सोचती है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट अधूरी रही। उसके बाद रिव्यू कमेटी मुकर्रर हुई, स्टेट गवर्नमेंट आफ बिहार की तरफ से एक बिल वहां पर पेश किया गया और उसके बारे में झारखंड मूवमेंट चलाने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना इनिशियल रिएक्शन यह दिया है कि···

[अनुवाद]

यह सही दिशा में एक सही कदम है।

[हिन्दी]

लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इसके अन्दर स्टेटहुड की जो हमारी डिमाण्ड है उस डिमाण्ड को वे पूरा नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत

छानबीन की है कि यह कमेटी कांस्टीट्यूट करने से पहले, जो 4 स्टेट इससे सम्बन्धित हैं उस स्टेट से मशविरा करने के बाद यह कमेटी मुकर्रर की गई है। लेकिन जहां तक मेरे पास प्राइमाफेसी इनफोरमेशन आई है वह इस बात की है कि यह कमेटी कांस्टीट्यूट होने के बाद जो 4 स्टेट इसके अन्दर इन्वाल्वड हैं उनके साथ कोई कंसलटेशन नहीं हुआ है, तो इसमें मेजर हिस्सा बिहार का 13 डिस्ट्रिक का होने के कारण शायद बिहार में कुछ इस तरह की कोशिश की गई है और उसको भी जैसे दार्जिलिंग पैटर्न है, उसके ऊपर इसको किया जा सकता है, इसके बारे में छानबीन हो रही है। जब तक सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में चर्चा न हो, उस समय तक इस बात का जवाब देना मुश्किल है।

श्री साईमन मरान्डी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दिया है कि सब-समिति पर फैसला नहीं हो सका। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किन लोगों ने इस समिति का विरोध किया और जिन लोगों ने सब-समिति में आने के लिए बाधक के रूप में काम किया है, तो इस बारे में मैं जानना चाहता हूं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इसके विरोध करने का सवाल नहीं है, जब कांस्टीट्यूशन के अन्दर स्टेट बनाने की बात होगी तो आर्टीकल 3 कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट लाना जरूरी होता है और जब तक सारे स्टेट गवर्नमेंट, जो इससे सम्बन्ध रखते हों उनके साथ बातचीत न करके भी अगर यह समिति कांस्टीट्यूट न की जाए, तो फिर हर स्टेट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जब तक अपनी राय न दे तब तक आगे कदम बढ़ाना मुश्किल होगा। इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। पहले जो एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर की गई थी वह कमेटी कलकत्ता और भुवनेश्वर गई थी लेकिन उनको कोई खास रेसपोंस वहां से नहीं मिला। बिहार और मध्य प्रदेश के अन्दर उन्होंने जो जानकारी लेने की कोशिश की है उसमें से ज्यादा दिलचस्पी बिहार के अन्दर बताई गई है, इसके लिए बिहार स्टेट तक उन्होंने शुरूआत करने की कोशिश की है। इसके बारे में क्या करना है, आदरणीय सदस्य से बातचीत करने के बाद इस बारे में क्या आखिरी नतीजा लेना है, इसके बाद इसके बारे में चर्चा की जाए।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी ने बताया कि राज्य सरकार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया, मैं भी उस समिति का सदस्य था। मैं जानना चाहूंगा बिहार सरकार से, गृह मन्त्रालय के द्वारा बिहार सरकार, बंगाल सरकार और मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा सरकार से, उस रिपोर्ट पर जो रिएक्शन मांगा गया था, वह रिएक्शन राज्य सरकारों का क्या है? वह जो रिएक्शन आया है मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। राज्य सरकार ने अपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि सरकार के विचाराधीन है। इनका कहना है कि इनकी सहमति नहीं हुई। उस रिपोर्ट के पैरा को प्रकाशित करने से पहले हम मांग करेंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सूरज मंडल . मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और स्थिति की जानकारी दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी देने की बजाय आपको प्रश्न पूछना है।

श्री सूरज मंडल : मन्त्री जी को शायद नहीं मालूम, वे छिपाना चाहते हैं, इसलिए बता रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री सूरज मंडल : उस समिति ने पैरा-34 में सर्वसम्मति से लिखा है, उसमें क्या लिखा गया है। जब श्री चन्द्रशेखर जी प्रधानमन्त्री थे तो सर्वसम्मति नहीं होने के कारण उन्होंने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के एम० एल० एज० और एम० पीज० से दो-तीन दिन बातचीत की·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है नहीं तो मैं डिस-अलाऊ कर दूंगा ।

श्री सूरज मंडल : उस बैठक में सभी लोगों ने श्री चन्द्रशेखर जी से राय बनाने की मांग की थी । उस रिपोर्ट पर तीनों सरकारों का रिएक्शन क्या है । सरकार उस रिपोर्ट को प्रकाशित करना चाहती है या नहीं और प्रकाशित करके उसे कब तक लागू करना चाहती हैं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट प्रकाशित करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है । इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि जो अलग-अलग स्टेट की मांग है, लेकिन कन्सर्न स्टेट गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है, जहां तक मेरी जानकारी है वह केन्द्र सरकार के पास नहीं आया है । बिहार सरकार की तरफ से जो बिल मूव हुआ है तो हमने उनसे बिल की कापी मांगी है कि आपने क्या बिल पेश किया है । वहां के लोअर हाऊस के अन्दर बिल पेश किया है, अपर हाऊस में नहीं हो पाया है, उस बिल की कापी हमें मिलनी चाहिए । बिल की कापी हमें नहीं मिल पाई है, कोशिश करेंगे कि वह जल्दी ही हमारे पास आ जाए । यह सारी बातचीत राज्य सरकार के साथ होने के बाद ही इसका नतीजा निकल सकता है, उससे पहले कोई नहीं निकल सकता है ।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, सूचना का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई सूचना का प्रश्न नहीं है । सभी प्रश्न सूचना के प्रश्न हैं । कृपया बैठ जाइए ।

श्री इन्द्रजीत : मेरे पास दो छोटे अनुपूरक प्रश्न हैं । पहला अनुपूरक प्रश्न है, कि गृह मन्त्री ने कहा है कि झारखंड के लोगों के लम्बे समय के कष्टों को देखते हुये, राष्ट्रपति जी की दार्जिलिंग की हाल ही की यात्रा के दौरान उनके द्वारा जिस दार्जिलिंग मॉडल की प्रशंसा की गई थी उसी के अनुसार झारखंड को एक सम्पूर्ण राज्य के लगभग एक स्वायत्तशासी परिषद् बनाने का प्रस्ताव केन्द्र के विचाराधीन है । यदि प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाता है, तो क्या गृह मन्त्री जी इस सभा को एक आश्वासन देंगे कि उस दार्जिलिंग प्रतिरूप को पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा और इसे दार्जिलिंग प्रतिरूप, जोकि मेरे चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, की तरह मजाक नहीं बनाया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप दार्जिलिंग के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो कृपया इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत : मैं पूछ रहा हूं कि यदि वे दार्जिलिंग मॉडल के समान झारखंड को स्वायत्तशासी परिषद् बनाने का विचार रखते हैं तो क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वह हर तरह से पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाएगा ? माननीय गृह मन्त्री ने अभी कहा है कि उनके पास दार्जिलिंग माडल पर झारखंड क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य के लगभग एक स्वायत्तशासी परिषद् बनाने का प्रस्ताव है। यदि इस विचार को बढ़ावा दिया जाए तथा कार्यान्वित किया जाए तो क्या माननीय गृह मन्त्री सभा आश्वासन देंगे कि इस माडल, दार्जिलिंग माडल जैसाकि इसे झारखंड पर लागू किया जा रहा है, को ईमानदारी के साथ पूरी तरह से लागू किया जाएगा ताकि लोगों के कष्टों का निवारण हो सके तथा उनके साथ न्याय हो सके।

मुरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन तथा उत्तर प्रदेश राज्य से एक अलग राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर ध्यान दिया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति है, तो प्रश्न का पहला भाग सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इस समय मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। यदि केवल समिति की अनुशंसा है और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा इसे स्वीकार कर लेने के पश्चात इसे कार्यान्वित करने का प्रश्न उठेगा और जो भी निर्णय होगा, सरकार उसे पूरी ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करेगी। माननीय सदस्य को इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, जो मैंने अभी पढ़ा है, राज्य के विभाजन के बारे में मुझे यू० पी० सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो झारखण्ड के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसने अपना निर्णय दे दिया है कि जो उसकी आवश्यक मांगें हैं उसको झारखण्ड पूर्ण नहीं करता है इसलिए उसे स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ इलाका है, जहां से मैं आता हूं वहां बीस-पच्चीस वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग उठ रही है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइये।

श्री पवन दीवान : जहां स्टेटहुड के लिए जो मांगें हैं, जो आवश्यकतायें हैं उसको पूरा करने की वह कोशिश करता है तो उसे क्या स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जो सवाल पूछा था मैंने उसके जवाब में यह कहा है कि जो सारे राज्य हैं वह इस बात के लिए सम्मति देंगे तो केन्द्र सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है यह बात तब पैदा होगी, आज यह बात पैदा नहीं होती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इस समस्या के मूल में छोटा नागपुर, सन्थाल परगना क्षेत्र के 13 जिलों में जो पिछड़ापन है और वहां की जो समस्यायें हैं इसी के कारण वहां आंदोलन प्रबल हुआ है। उस आंदोलन के बाद यह समिति बनी और उसने कुछ सिफारिशें कीं। मैं सरकार की इस

रूप से सहमत हूं अगर कोई मांग है कि तीन प्रदेशों के हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए तो जब तक उन प्रदेशों को इन्वाल्व नहीं किया जाएगा तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता। जो मूल समस्या है उसके बारे में सरकार का क्या चिंतन है कि छोटा नागपुर-संथाल परगना के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह सरकार क्या सोच रही है और जब तक उसके बारे में कोई पोजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तब तक यह आंदोलन शांत नहीं होगा और हमारी अपनी मांग है कि प्रदेश को ही दो हिस्सों में बांटना चाहिए और यह जो 13 जिले हैं उनका एक वनांचल प्रदेश के रूप में बनना चाहिए। उसके बारे में सरकार का क्या चिंतन है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इस पर मैं कोई राय नहीं देना चाहूंगा। जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है सरकार इस बात से एक राय रखती है कि राज्य सरकार को और उस एरिया में भी जहां ट्राइबल रहते हैं उनके लिए जितने भी कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका पूरा लाभ उन ट्राइब्ल्स को मिलना चाहिए, यह कन्द्र शासन की भी राय है। लेकिन जहां तक स्टेटहुड बनाने की बात है और कई अलग स्टेट बनाई जाए, वह भी इस बात पर निर्भर करता है कि जब तक राज्य सरकार अपनी राय न दे केन्द्र शासन कोई आगे कदम नहीं उठा पाएगा।

श्री राम विलास पासवान : जब उड़ीसा, बिहार बंगाल एक राज्य था उसको अलग किया जा सकता है, पंजाब और हरियाणा को अलग किया जा सकता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को अलग किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में आदिवासियों की जो समस्यायें हैं और आजादी के 45 साल के बाद भी वे मुख्य धारा से कटे-छटे हुए हैं, तीन राज्यों का मामला है और अलग-अलग सरकारें वहां पर हैं तो क्या भारत सरकार इसके पक्ष में है या नहीं कि आदिवासियों के लिए अलग झारखण्ड राज्य की स्थापना हो ? और विभिन्न जगहों पर भारत में अलग-अलग राज्य की मांग चल रही है। इसको देखते हुए क्या सरकार राज्यों को पुनर्गठन करने पर विचार रखती है कि जो बड़े-बड़े राज्य हैं, उनको छोटा किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इस झारखण्ड को स्टेटहुड देने की मांग से अब सारे देश के अंदर अलग-अलग मांग हो रही है, अगर उससे जोड़ने की कोशिश की जाए तो इसका जवाब मैं आज नहीं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भाग को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : लेकिन जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि यह बात सत्य है कि यह पूर्णतः उपेक्षित क्षेत्र रहा है। जनजातीय लोगों को वह न्याय नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन मैं अपना निर्णय तब तक नहीं दे सकता जब तक सम्बद्ध राज्य सरकारों के स्पष्ट विचार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। यदि राज्य सरकारें सहमत हैं तब केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लेने की बात उत्पन्न होती है। लेकिन मैं माननीय सभा को यह आश्वासन देता हूं कि केन्द्र सरकार इस निर्णय से पीछे नहीं हटेगी।

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा है राज्य सरकार की कोई

सिफारिश नहीं है, शायद उनको पता नहीं है, या ध्यान से नहीं देखा होगा या ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो 29 नवम्बर, 1990 को राज्य सरकार ने मन्त्रालय को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, यह सभी पार्टी के लोग जानते हैं, सरकारी भी जानती है कि झारखण्ड की सबसे पुरानी मांग है। आप जानते हैं कि असम को 7 राज्यों में बांटा गया। आप यह भी जानते हैं कि बिहार और बंगाल के बीच में झारखण्ड राज्य हरियाणा से दुगुना और पंजाब से तीन गुना है। मन्त्री जी का जवाब है कि आदिवासी जिलों का विकास करने के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। ऐसा तो आजादी के बहुत पहले सोचा गया, लिखा गया और कागजों पर भी रहा लेकिन अब आंदोलन चल रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह रिपोर्ट लागू करेगी और वैसी घटनायें पंजाब और कश्मीर में हो रही हैं, असम में हो रही हैं, उस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है या झारखण्ड में भी वह इस प्रकार की घटनायें चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य सरकार से किस प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति बिगड़ रही है। क्या आप कुछ कर सकते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन साथ ही सभा में जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है वह माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न से भिन्न है। क्या अब मैं यह मानूं कि माननीय सदस्य ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह बिहार के सम्बन्ध में ही अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे और अन्य क्षेत्रों को छोड़ देंगे ? यदि यही स्थिति है तब निश्चित रूप से हम बिहार सरकार से यह बात करेंगे और यह पता लगायेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि मेरी यह जानकारी है, अनौपचारिक रूप से हमें विधेयक की प्रति मिल गई है जिसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उसके लिए राज्य स्तर पर नहीं केन्द्र स्तर पर विधान बनाने की आवश्यकता होगी। जैसाकि पहले कहा गया है कि यह वही स्वायत्त परिषद का नमूना है अथवा दार्जिलिंग का नमूना है जिसका पालन करने का प्रस्ताव है। लेकिन यदि यह राज्य के लिए मांग है तब मैं नहीं समझता कि बिहार ने इसे स्वीकार कर लिया है। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि बिहार सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है तब उसे भारत सरकार को इस बारे में लिखने दें। निश्चित रूप से हम उनके सुझाव पर विचार करेंगे। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, झारखण्ड मामले के ऊपर बहुत दिनों के बाद होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं पर एक बात कहना चाहूंगा कि कांस्टीट्यूशन के 6वें शेड्यूल पर आजादी के बाद भी बहुत से स्टेट बने पर 5वां शेड्यूल जो सेन्ट्रर से सम्बन्धित है, इसी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ढंग से जो डिमांड है, 6वें शेड्यूल में होती रही लेकिन 5वें शेड्यूल में आज तक एक भी डिमांड पर विचार नहीं किया गया। इसमें भारत सरकार ने क्यों देरी की है? मैं जानना चाहूंगा कि जो 5वें शेड्यूल में डेवलेपमेंट का सवाल है, आज भी ट्राईब्ल एरिया···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब मुद्दे पर बात कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : क्या भारत सरकार इस समस्या में पहल करने के लिए कोई स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस पर अलग से कोई विचार करेगी या पहल करेगी?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं ऑनरेबल मैंबर की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जहां तक हो सके आदिवासी लोगों के सवालात के ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और उनकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो स्कीम्स उनके लिए बनायी गयी हैं, उनका पूरा लाभ आदिवासियों तक पहुंच नहीं पाया है, इस बारे में कोई दो रायें नहीं हैं। अब प्रश्न है कि इसका सौल्यूशन स्टेटहुड देने से हो सकता है या कोई दूसरा आल्टरनेटिव है, इस सम्बन्ध में जब तक सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ हम बातचीत नहीं कर लेते हैं, उस वक्त तक, आज की स्थिति में, मेरे लिए यह कहना मुनासिब नहीं है कि इसमें से कौन से आल्टरनेटिव को केन्द्रीय शासन मंजूर करेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय गृह मन्त्री जी बार-बार यह कह रहे हैं कि जब तक सम्बन्धित राज्यों से उनकी राय मालूम नहीं हो जाती, तब तक कुछ निर्णय लेना मुश्किल है। यह भी कह रहे हैं कि आदिवासियों की समस्याओं पर पूरी हमदर्दी के साथ विचार करना चाहिए। जब वे ऐसा मान रहे हैं कि केन्द्र को इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, कोई फैसला केन्द्र को ही करना पड़ेगा तो इस सवाल पर राज्य सरकारों की अब तक राय क्यों नहीं ली गयी। इसलिए बजाए इसके कि आप उन्हें पत्र लिखें और उनके जवाब की प्रतीक्षा करें, अगर आपको इतने दिनों तक विधेयक की कॉपी नहीं मिल पायी तो क्या चारों स्टेट्स के मुख्यमन्त्रियों की, इस प्रश्न के ऊपर, बैठक बुलाने की कृपा करेंगे क्योंकि अब यह प्रश्न आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। उससे बचने के लिए क्या आप मुख्य-मन्त्रियों की बैठक बुलाकर कोई निर्णय करेंगे, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : केन्द्र सरकार इस बारे में कोई प्रैस्टिज ईश्यू नहीं बनायेगी। चारों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाने के लिए केन्द्र सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

कोयम्बटूर में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

*144. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह संचार व्यवस्था के माध्यम से दिल्ली और बम्बई में अंतर्राष्ट्रीय एस० टी० डी० सुविधाओं की व्यवस्था कराई गई है;

(ख) क्या कोयम्बटूर तमिलनाडु में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोयम्बटूर में यह सुविधान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) कोयम्बटूर में अन्तर्राष्ट्रीय एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है ।

(ग) और (घ) भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : तिरुपुर 700 करोड़ रुपए का होजरी का सामान और सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करता है और वहां कोई पत्तन नहीं है । महोदय, आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है न कि मुझे जानकारी देनी है ।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : वहां टेलीफोन और टेलेक्स की सुविधाएं बहुत कम हैं । सरकार इसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? कोयम्बटूर में जो सुविधा दी गई है वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है । कोयम्बटूर में व्यापारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तत्काल इस समस्या की ओर ध्यान देगी ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि कोयम्बटूर और मद्रास के बीच सेवा खराब हो गई है । इसके कुछ कारण हैं । सर्किट पर्याप्त नहीं थे और टेलीफोन लाइनें भी अधिक थी । वर्तमान समय में वहां सात आंतरिक और चार बाहरी सर्किट हैं । जैसाकि माननीत सदस्य ने कहा है कि एक माह पहले ही विभाग को यह जानकारी मिली थी और हमने तत्काल उस पर कार्यवाही की थी । हमने और सर्किट खोल दिए हैं । इस समय 13+10 सर्किट हैं । यह पिछले माह की 29 तारीख तक पूरे कर दिए गए थे । अब हमारे पास अतिरिक्त सर्किट उपलब्ध हैं । अनालॉग और डिजिटल की इस समस्या की इस सर्किट में जांच की जा रही है । हम आशा करते हैं कि मार्च 1992 में हमारे पास 30 सर्किट होंगे और हम डिजिटल प्रणाली अपना लेंगे । इसके लिए कोयम्बटूर और मद्रास के बीच सेवा की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : सरकार तिरुपुर को और टेलेक्स तथा टेलीफोन सुविधाएं देने के लिए क्या कर रही है जोकि प्रति वर्ष 700 करोड़ रुपए का होजरी का सामान और सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात करता है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस जानकारी की आवश्यकता नहीं है । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । अब प्रश्न यह है : "सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?"

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि सेवाएं पर्याप्त नहीं थीं। हमारे पास अतिरिक्त सर्किट है और कोयम्बटूर में आज लगभग 17,000 नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य ने सही कहा है कि यह दक्षिण में एक वाणिज्यिक केन्द्र है। इस समस्या को जानते हुए हमने मार्च 1992 तक 10,000 अतिरिक्त लाइनें देने का निर्णय लिया है। इससे प्रतीक्षा सूची निश्चित रूप से कम होंगी। जहां तक टेलेक्स का सम्बन्ध है, जब भी वहां अतिरिक्त उपस्कर और सुविधायें उपलब्ध हो जाएंगी तब मैं नहीं समझता कि वहां टेलेक्स समस्या रहेगी। यदि समस्या तब भी रहती है तब मैं माननीय सदस्य के साथ इस बारे में बात करूंगा और इसका समाधान करूंगा।

दूरदर्शन धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाने की अनुमति देने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

*145. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाने की अनुमति देने सम्बन्धी दिशा-निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाने की अनुमति दी गई; और प्रत्येक म मले में कितनी अतिरिक्त कड़ियों की अनुमति दी गई; और

(ग) ऐसा किए जाने के क्या कारण रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सिरिजा व्यास) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) किसी धारावाहिक की आंतरिक गुणवत्ता तथा लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उसकी कड़ियां बढ़ाई जाती हैं/उसका पुनः प्रसारण किया जाता है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के 22 धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाई गईं/उनका पुनः प्रसारण किया गया :

धारावाहिक का नाम	निर्माता का नाम	बढ़ाई गई/पुनः प्रसारित की गई कड़ियों की संख्या
1	2	3
रामायण	श्री रामानन्द सागर	26 (उत्तर रामायण के लिए 39 अतिरिक्त कड़ियां)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1	2	3
महाभारत	श्री बी० आर० चोपड़ा	39
कर्मभूमि	श्री रिजवान सिराज	4
कहां गए वो लोग	श्री धीरज कुमार	13
जिंदगी	श्री सुनील मेहता	13
मनोरंजन	श्री कुन्दन शाह	7
और भी हैं राहें	सुश्री सरिता सेठी	6
बहादुर शाह जफर	श्री बी० आर० चोपड़ा	1
चुनौती	श्री राकेश चौधरी	9
कथा सागर	श्री सुनील मेहता	13
मालगुड़ी डेज	श्री टी० एस० नरसिम्हन	13
बिजनेस टाइम	मैसर्ज आई० टी० वी०, नई दिल्ली	21
हिमालय दर्शन	श्री सर्बजीत सिंह	13
अदालत	श्री धीरज कुमार	13
सुनील गावस्कर प्रेजेन्टस	श्री सुनील गावस्कर	13
उड़ान	सुश्री कविता चौधरी	19
कशमकश	सुश्री मंजु असरानी	13
एक कहानी	मंजु सिंह	13
मैला आंचल	मैसर्ज छाया ध्वनि	12
गुल गुलशन गुलफाम	मैसर्ज सिनेविस्टा एडस	19
टीपू सुल्तान की तलवार	श्री संजय खान	20
बागले की दुनिया	दुर्गा खोटे पोडक्शन्ज	13

अध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या आप विवरण का सार देंगी ?

कुमारी गिरिजा व्यास : किसी धारावाहिक की आन्तरिक गुणवत्ता तथा लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उसकी कड़ियां बढ़ाई जाती हैं । उसका पुनः प्रसारण किया जाता है । दिए गए ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के 22 धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाई गईं उनका पुनः प्रसारण किया गया ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या "रामायण" और "महाभारत" के सीरियल को पुनः दिखाने पर विचार किया जाएगा, एवं क्या "रामायण" व "महाभारत" के अन्तिम एपिसोड को रोक दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या यह सत्य है कि "महाभारत" अब तक का सबसे प्रसिद्ध सीरियल है परन्तु उसके रिवाइवल के लिए अनुमति नहीं दी गई। एक और प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय'''।

अध्यक्ष महोदय : एक ही पूछना है।

श्री गुमान मल लोढा : '''कि यह रिवाइवल, यह एक्सटेंशन करने का अधिकार किसको है ? मन्त्री महोदय को है या आफिसर्स को है ? * आफिसर्स को है तो उनके क्या नाम हैं ? क्या ऐसा कुछ बना हुआ है कि कुछ सुविधा शुल्क लेकर एक्सटेंशन दिए जाते हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के अन्तिम भाग को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक "रामायण" और "महाभारत" का प्रश्न है, पहले मैं यह निवेदन करना चाहती हूं हाउस को कि कोई भी सीरियल दिखाने से पहले पांच स्तरों में गुजरता है। पहले वह सेलेक्शन कमेंटी के पास जाता है। सेलेक्शन कमेंटी उस पर विचार करती है, स्क्रीनिंग करती है और उसके बाद उसके साथ चार एपिसोड जाते हैं। उसके बाद जब वह पास हो जाता है तो प्रोड्यूसर को पायलट देने को कहा जाता है। जब पायलट या एक एपिसोड आ जाता है, उसके बाद उसको दिखाया जाता है और यदि उसका भी सेलेक्शन हो जाता है तब चार एपिसोड्ज के लिए कहा जाता है। जब चार एपिसोड्ज भी एप्रूव हो जाते हैं तब उसको टाइम स्लॉट दिया जाता है और उसके बाद पूरी तरह से दिखाने से पहले उसका प्रिव्यू होता है लेकिन सेलेक्शन कमेटी पहले ही उसकी थीम को देखती है। वैसे तो 13 एपीसोड हमारी नयी दूरदर्शन नीति के अनुसार किसी सीरियल के लिए, लिए जाते हैं लेकिन कहानी के मुताबिक, प्लाट के मुताबिक यदि लगता है कि 13 में पूरा नहीं होगा तो प्रारम्भ में ही उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है।

जहां तक "महाभारत" और "रामायण" का प्रश्न है, सेलेक्शन कमेटी ने प्रारम्भ में ही 52-52 एपीसोड्स इनके लिए मंजूर कर दिए थे और बाद में जब लगा कि इनसे भी पूर्ति नहीं होती तो उसके बाद जैसा मैंने कहा, उत्तर में भी दिया है कि उनके सीरियल के एपीसोड्स की संख्या बढ़ा दी गई। इसलिए जैसा कि हमने कहा है कि गुणवत्ता के आधार पर, प्लाट के आधार पर और लोगों की चाहना के आधार पर सीरियल की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसका अन्तिम निर्णय सेलेक्शन कमेटी पहले तो कर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देती है 13+13 एपीसोड यदि करना है, लेकिन अन्तिम निर्णय सेक्रेटरी, आई एण्ड बी करते हैं और इस बात का फैसला 1987 में श्री सिन्हा * जो उस समय के सेक्रेटरी थे···

अध्यक्ष महोदय : नाम नहीं लिए जाएंगे ।

[अनुवाद]

अधिकारियों के नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या यह सच है कि भगवान कृष्ण के सीरियल को आपकी सेलेक्शन कमेटी ने रोक दिया है ? और यदि रोक दिया है, तो इसके क्या कारण हैं । मेरा अनुपूरक प्रश्न वी यह है कि क्या वीर सावरकर पर जो सीरियल बनाया गया या फिल्म बनाई गई, उसको आपने अनुमति दी है या नहीं, यदि नहीं दी है, तो क्यों नहीं दी और मेरा अनुपूरक प्रश्न सी यह है कि डा० अम्बेडकर के जीवन पर फिल्म बनाने का ठेका या आज्ञा किसको दी है और इसको कब तक दिखाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी ऐसे नहीं ।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : जहां तक 'कृष्ण' धारावाहिक का सम्बन्ध है यह जमा किया जा चुका है । यह उन 3000 धारावाहिकों में से एक है जिसे पिछली सरकार ने मंगवाया था । यह जांचाधीन है और इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जहां तक वीर सावरकर और डा० अम्बेडकर का सम्बन्ध है, उन पर कोई धारावाहिक नहीं बनाया जा रहा है । लेकिन डा० अम्बेडकर की याद में एक फिल्म बनाई जा रही है और उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका पूर्ण विवरण मेरे पास नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, चयन समिति में अच्छे चयनकर्ता न होने के कारण अच्छे सीरियल नहीं आ रहे हैं क्या यह सही नहीं है ? जो चयन समिति बनाई जाए, उसमें अच्छे-अच्छे विचारों और विचारधारा के लोग हों, तो अच्छे सीरियलों का चयन हो सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लेखक और देश के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालने वाले लोग लिए जाएं ताकि अच्छे सीरियल आ सकें । अक्सर यही हो रहा है कि जो सीरियल दिखाए जा रहे हैं उनमें कुछ खास ही मामले होते हैं जिन पर जोर दिया जा रहा है । इसलिए चयन समिति में जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे, जब तक विविध प्रकार के लोगों को नहीं रखा जाएगा तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है, तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि चयन समिति में अच्छे चुनकर लोग रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : चयन समिति में अच्छे लोग लेंगे क्या ? बस यही बताएं ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : सरकार की गलती से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जैसे ही इस सरकार ने 3000 प्रस्तावों की जांच का कार्य शुरू किया मद्रास उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया गया। हमें न्यायालय के आदेशों को मानना है क्योंकि यह आदेश न केवल धारावाहिकों के लिए है बल्कि किसी भी प्रकार के प्रायोजित कार्यक्रम पर स्थगन आदेश लगा दिया गया। हाल ही में एक सप्ताह पहले निर्णय दिया गया है। जहां तक धारावाहिकों का सम्बन्ध है स्थगन आदेश वापिस ले लिया गया है लेकिन अन्य प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए न्यायालय ने मार्गनिर्देश बताने के लिए कहा है। यद्यपि हमारे पास मार्गनिर्देश हैं फिर भी हमें तीन माह के भीतर उन्हें उचित प्रकार से निर्धारित करना है। हम न्यायालय के निदेशानुसार मार्गनिर्देश बना रहे हैं। हमने यह जानने के लिए कि क्या हम प्रायोजित कार्यक्रमों के बारे में न्यायालय के आदेशों के लिए कोई याचिका दायर कर सकते हैं, विधि विभाग से सम्पर्क किया।

जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है, लगभग 40 व्यक्ति हैं जो मुख्यत: गैर-सरकारी हैं। ये व्यक्ति फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं जैसे सुप्रसिद्ध निदेशक, प्रस्तुतकर्ता, अभिनेता और अभिनेत्रियां तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताएं और मातायें। चूंकि फिल्म 85 करोड़ जनसंख्या के 72 प्रतिशत को दिखाई जानी है अत: हम जितने व्यक्ति इसमें शामिल कर सकें करने चाहिए। मेरे सहयोगी ने भी इसकी जांच की है और अब हमने सौ तक यह संख्या बढ़ा दी है क्योंकि यदि 3000 धारावाहिकों का निपटान करना है तब उसमें समय लगेगा। यदि कोई माननीय सदस्य नाम जानना चाहता है तब हम इन व्यक्तियों के नाम दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्राय: सीरियल की स्वीकृति और सीरियलों को बढ़ाने, उनके एपीसोड बढ़ाने के सम्बन्ध में आम चर्चा उठती है,...

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, यह सब कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए, वही जाएगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावना के बिना प्रश्न पूछिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कुछ खास लोग ऐसे हैं, जिनकी पैरवी से सीरियल मन्जूर होते हैं। और सीरियलों का ऐपीसोड बढ़ाया जाता है। इसमें भारी कदाचार होता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सत्य है कि इस किस्म के खास लोग दूरदर्शन को घेरे रहते हैं और उन्हीं की पैरवी से सीरियलों की संख्या बढ़ाई जाती है और सीरियल मन्जूर किए जाते हैं? डा० अम्बेडकर के सम्बन्ध में आपको याद होगा कि इसी हाउस में आपने जवाब दिया था कि डा० अम्बेडकर के बारे में हमारे पास प्रपोजल आए हैं जिसमें हम अच्छा सीरियल बनवा रहे हैं। आज भी मन्त्री जी ने कहा है कि डा० अम्बेडकर पर सरकार फिल्म बना रही है न कि सीरियल। मन्त्री जी स्पष्ट करें कि

उनके पास सीरियल के लिए कोई प्रपोजल है या नहीं और यदि आपके पास कोई सीरियल भेजा जाए तो उसे स्वीकृत करेंगे या नहीं ?

श्रीमती गिरिजा व्यास : जैसाकि मन्त्री महोदय ने स्पष्ट किया था कि नई गाईडलाइन के अनुसार तीन नान-आफिशियल्स और एक आफिशियल किसी भी सीरियल को स्क्रीनिंग करने के लिए होता है। अभी मन्त्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सौ मैम्बर्स हैं जिनकी करीब 13-14 कमेटीज काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य है कि कभी कहीं पर लीक हो सकता हो। बिना प्रूफ के यह सम्भव नहीं है कि हम इस प्रकार के आन्सर दें। दूसरी बात यह कतई सम्भव नहीं है कि सौ लोगों में, जोकि विभिन्न समितियों में बैठे हुए हैं, इत प्रकार का कार्य होता है। जहां तक डा० अम्बेडकर की फिल्म का प्रश्न है, एक फिल्म बम्बई से बन रही है और सीरियल के बारे में हम चैक करके बताएंगे।

भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का अवैध रूप से बसना

+

*146. **श्री बलराज पासी :**
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अवैध रूप से बसने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) इस सम्बन्ध में तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने विदेशियों को स्वदेश वापस जाने के आदेश दे दिए गए हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्र (श्री एम० एम० जैकब) : (क) देश में अवैध रूप से ठहरे विदेशी राष्ट्रिकों की गम्भीर और जटिल समस्या से सरकार अवगत है। निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है और अवैध घुसपैठ और निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरने की समस्या से निपटने के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं। पहले उठाए गए उपायों में, अतिरिक्त सीमा चौकियों की स्थापना करना, अधिक निगरानी बुर्जों का निर्माण करना, सीमा पर गश्त लगाने की गतिविधियों को सुदृढ़ करना और घुसपैठियों का पता लगाने पर अधिक ध्यान देना, इत्यादि सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : दिल्ली में अवैध रूप से कितने बंगलादेशी नागरिक रहते हैं ? क्या उन्हें बाहर निकाला गया है, कितने लोग फिर वापिस लौट आए हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : हमने सभी राज्यों से जानकारी मांगी है । लेकिन केवल दिल्ली में ही बंगलादेश के एक लाख राष्ट्रिक रह रहे हैं । हमें केवल यही जानकारी मिली है ।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों की बीसा अवधि समाप्त हो गयी है उनकी संख्या पूरे देश में कितनी है ? उन्हें वापिस भेजने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? ऐसे कितने पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : हमारे देश में विभिन्न देशों के राष्ट्रिक रहते हैं । पाकिस्तान के राष्ट्रिक भी यहां रहते हैं । लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक यहां रहते हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31-3-1991 तक 9561 पाकिस्तानी राष्ट्रिक यहां समय समाप्त होने के बाद भी रह रहे थे ।

श्री प्रफुल पटेल : यदि अन्य देशों में भारतीय राष्ट्रिक समय समाप्त होने के बाद भी रहते हैं तब उन देशों के अधिकारी उनका पता लगाने में सफल हो जाते हैं और उनको निकालने के लिए उचित कार्यवाही करते हैं । क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई हुई है जिससे विदेशी राष्ट्रिकों जिनके पास वैध वीजा हैं; को समय समाप्त होने के बाद निकाला जा सके ।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यह संविधान की सातवीं अनुसूचि के अन्तर्गत आती हैं। परन्तु ऐसे विदेशी लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने के लिए, यह सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी गई है ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, समयसीमा से अधिक ठहरना—अवैध प्रवास की राजस्थान में गम्भीर समस्या है पश्चिमी बंगाल में अतिगंभीर है तथा असम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में यह भयावह है । पश्चिमी बंगाल में वास्तव में अवैध प्रवासियों का एक उदाहरण है जो कि कलकत्ता शहर में एक जलूस निकाल रहे थे और स्टेट्स की मांग कर रहे थे । सम्भवतः विश्व में और कहीं भी आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए, सरकार से मैं यह जानना चाहूंगा कि पूरे भारत की बजाय देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे राजस्थान हो, पश्चिमी बंगाल अथवा असम, आज कितने विदेशी रह रहे हैं । ऐसा इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि किसी भी उत्तर में सरकार ने विशिष्ट आंकड़े नहीं दिए हैं ।

दूसरे, बांग्लादेश और भारत के बीच यात्रा करने के विशेष प्रावधानों से बांग्लादेश के नागरिक भारत में आ जाते हैं, समयसीमा से अधिक यहां रुकते हैं और फिर बाद में भारत की ही आबादी में

घुलमिल जाते हैं। क्या भारत सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रा करने के विशेष प्रावधानों को पूरी तरह बदलने पर विचार करेगी ?

श्री एम० एम० जैकब : राजस्थान में इन लोगों की संख्या 2710 है।

श्री जसवन्त सिंह : यह गलत आंकड़ा है।

श्री एम० एम० जैकब : राजस्थान राज्य की सरकार ने यह आंकड़ा उपलब्ध कराया है। (**व्यवधान**) पश्चिमी बंगाल में यह संख्या 5,87,848 जोकि पश्चिमी बंगाल ने भेजा है। (**व्यवधान**)

सरकार सचेत है कि हमें उनको बाहर निकालना है। आजकल जब कभी लोग सीमापार करते हैं तो सीमा सुरक्षा बल यथासंभव उन्हें बाहर धकेल रहे हैं। दूसरे, जो यहां रह रहे हैं, उनके लिए हमने एक अलग नीति अपनाई है। उदारणार्थ, भारत में आए बांग्लादेशियों के लिए अलग नीति है। पाकिस्तानियों के लिए अलग नीति है। इस तरह से राज्य सरकारें यह सुझाव दे सकती हैं कि उचित तरीके क्या होने चाहिएं। (**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान से घुसपैठिए सीमापार कर भारतीय क्षेत्र में आ गए हैं जिससे पंजाब में हिंसा में वृद्धि हुई है।

श्री एम० एम० जैकब : सरकार यह जानती है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए सीमापार कर भारत में घुस रहे हैं। सरकार को इसका पता है। हम उन्हें न घुसने देने के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : क्या मैं भी इसका कुछ जवाब दूं? वास्तव में कुछ पाकिस्तानी उचित पासपोर्ट के आधार पर आए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जोकि अवैध रूप से आए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना पासपोर्ट के भारत में आए हुए हैं। जब तक उनके इरादे शांतिपरक थे, हमने उस पर कभी आपत्ति नहीं की। आखिरकार हम भी तो उन्हीं में से हैं (**व्यवधान**) यह आप क्या बात कर रहे हैं? (**व्यवधान**) बातों को समझने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए। बिना इन्हें समझे आप केवल है-है-है चिल्ला रहे हैं। (**व्यवधान**) आपको इसे समझना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : जैसाकि मैं अभी कह रहा था, जहां तक कि उनके इरादे अधिक शांतिपरक थे, हमने इसे कभी भी गम्भीरता से नहीं लिया। राज्य सरकारों को सभी शक्तियां प्रदान की गईं। लेकिन अब हमने यह महसूस किया है कि उनके इरादे निश्चित रूप से देशों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रखने के लिए विश्वसनीय नहीं हैं। राज्य सरकारें भी इस मामले में कार्यवाही करने के लिए अधिक हिचकिचा रही हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार अब राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध करेगी कि इसे एक प्रकार का प्रोजेक्ट मानकर इसका अनुकरण करें जिसके अन्तर्गत वे इस मामले को वरीयता के आधार पर ले सकें। अन्यथा हमें यह शक्तियां वापस लेने और केन्द्र सरकार द्वारा ही इनके प्रयोग करने की बात सोचनी होगी। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर को सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। मैं यह समझता हूं कि देश में अवैध प्रवास या उत्प्रवास के मामले में, इरादों वाली बात पूर्णतया असंगत है। लेकिन मेरा प्रश्न राज्य मन्त्री जी के अभी दिए गए उत्तर से संबंधित है। सभी को पहली बार यह सूचना दी गई है कि दिल्ली में, जोकि संघशासित क्षेत्र है, लगभग एक लाख बांग्लादेशी ऐसे हैं जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। सरकार द्वारा उनका पता लगाने तथा इन अवैध प्रवासियों को वापस भेजना सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, अभी भी भारत में बांग्लादेशियों की कुल संख्या वास्तव में अस्पष्ट है क्योंकि बांग्लादेशियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण अधिक उदार है। 1972 के बांग्लादेशियों के बारे में विशेष समझौते में बीजे तक को भी नियमों के अन्तर्गत रखा गया था। ऐसे लोगों का पता लगाने में, जोकि अवैध रूप से रह रहे हैं, हम उन्हीं मानदण्डों को अपना रहे हैं जोकि अन्य स्थानों पर अपनाए जाते हैं। हमारा इरादा यह देखने का है कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। हमारा इरादा उन्हें वापस भेजने का है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब में चुनाव

[अनुवाद]

*147. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या अकाली दल और आतंकवादियों के विभिन्न गुटों द्वारा प्रस्तावित चुनावों में भाग लिए जाने की सम्भावना है;

(ग) सरकार द्वारा उन संगठनों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है जो खुले रूप से देश से अलग होने का अधिकार मांग रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पंजाब समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनके साथ कोई बातचीत करने का है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पंजाब में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ और शस्त्रों की तस्करी को रोकने के लिए सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, सिविल

प्राधिकारियों को सहायता उपलब्ध कराना, सभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उनके मन से अभित्राम तथा भय को दूर करना शामिल है ।

(ख) चुनाव में भाग लेने और न लेने के बारे में निर्णय करना राजनैतिक दलों का काम है। तथापि, उम्मीद की जाती है कि सभी प्रजातांत्रिक विचारों वाले दल इसमें भाग लेंगे ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) सरकार, शांतिपूर्ण तरीकों से, बातचीत से और विचार-विमर्श के जरिए सभी समस्याओं का सद्भावपूर्ण हल निकालने में विश्वास रखती है ।

बोडो समस्या

*148. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के बोडो बहुल क्षेत्रों में बोडो उग्रवाद के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हाल ही में सेना को तैनात करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो बोडो हिंसा के कारण कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए और सेना द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बोडो विवाद का बातचीत द्वारा कोई हल ढूंढने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बोडो समस्या किन मुद्दों के कारण उत्पन्न हुई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) बोडो हिंसा के कारण 1 जनवरी, 1991 से 28-11-1991 तक 76 व्यक्ति हताहत हुए। सैनिक कार्रवाई में छः व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सरकार ने एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है जिसे अपनी रिपोर्ट 31-1-1992 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ।

(ङ) बोडो की समस्याओं में, विकास कार्य में असमानता, उनकी भाषा तथा संस्कृति का दमन, उनकी भूमि का हस्तांतरण, सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और उनके कार्य प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों के बारे में उनमें गैर-भागीदारी की भावना उत्पन्न होना शामिल हैं ।

बिजली की कमी

*149. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बिजली की अनुमानत: कितनी कमी है; और

(ख) इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 1991-अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा की कमी लगभग 8.0% थी।

विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने में तेजी लाना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण करना।

आकाशवाणी केन्द्र औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की क्षमता

*150 **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र स्थित आकाशवाणी केन्द्र औरंगाबाद की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षमता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य संभवतः कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) औरंगाबाद में 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर और टाइप 2 स्टूडियोज के अलावा इस जिले को जलगांव के 20 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर और पुणे के 100 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर से रेडियो कवरेज प्राप्त होती है।

(ख) और (ग) इस समय आकाशवाणी केन्द्र औरंगाबाद की क्षमता बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(घ) कवरेज की दृष्टि से औरंगाबाद जिले की मीडियम वेव प्रादेशिक ट्रांसमीटरों से बहुत अच्छी सेवा प्राप्त होती है।

फिल्म सेंसरशिप सम्बन्धी विनियम

*151. **श्री रवि राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसरशिप विनियमों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ संशोधन किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी सिरिमा भण्डारनायके): (क) और (ख) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम 1952 (1952-का 37) बनाया गया है जिससे इस विषय पर पहले के कानून रद्द हो गए। इस प्रयोजन के लिए एक सांविधिक निकाय का गठन किया गया है जिसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सेंसरशिप तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। अधिनियम में 1981 तथा 1984 में व्यापक संशोधन किए गए। इन संशोधन अधिनियमों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजन से नियम बनाए हैं जिन्हें चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नाम से जाना जाता है। इन नियमों से इस विषय पर पहले के नियम रद्द हो गए।

अधिनियम की धारा 5ख के अनुसार केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को "सार्वजनिक प्रदर्शन" के लिए फिल्मों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए सिद्धान्तों को निर्दिष्ट करते हुए निर्देश जारी कर सकती है।

फिल्मों के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांतों की केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं। वीडियो चोरी पर काबू पाने के लिए 1984 में वीडियो फिल्मों का प्रमाणन शुरू करना नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में 1979, 1983, 1984 और 1989 में संशोधन किया गया है। अद्यतन रूप से यथासंशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति विवरण 2 के रूप में संलग्न है।

विवरण-1

चलचित्र (संशोधन) अधिनियम 1981 तथा चलचित्र (संशोधन) अधिनियम 1984 में शामिल महत्वपूर्ण परिवर्तन

1981 अधिनियम

1. "फिल्म सेंसर बोर्ड" का नाम बदलकर "फिल्म प्रमाणन बोर्ड" कर दिया।

2. बोर्ड के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर कम से कम 12 और अधिक से अधिक 25 कर दी गई है।

3. प्रमाणपत्रों की दो नई श्रेणियां आरम्भ कर दी गई। नामतः "यू ए" "अनिबंन्धित" सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन और "एस" डाक्टर इत्यादि जैसे विशिष्ट दर्शकों के लिए सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु।

4. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए स्वायत्त अपीलीय अधिकरण की स्थापना जिसे "फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण" नाम से जाना जाता है।

5. अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए फिल्मों के मामले में सेंसर प्रमाणन निलम्बित करने या निरस्त करने की केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करना।

6. फिल्मों के प्रमाणन से सम्बन्धित अपराध जो अब तक दण्डनीय नहीं हैं, दण्डनीय बना दिए गए।

7. अप्रमाणित फिल्म दिखाने, अवयस्कों को "ए" फिल्म दिखाने और "एस" फिल्म अन्य श्रेणियों के दर्शकों को दिखाने, फिल्मों में जोड़े गए दृश्य दिखाने और सरकार अधिकरण/बोर्ड के आदेशों का पालन न करने जैसे अपराधों के लिए दण्ड 1000 रुपए तक जुर्माने के साथ तीन माह तक की कैद या दोनों और निरन्तर अपराध के मामले में 1000 रुपए प्रतिदिन के जुर्माने के स्थान पर और बढ़ाकर 2 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों और निरन्तर अपराध के लिए 5000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना कर दिया गया है।

1984 का अधिनियम

अपराधों के लिए दण्ड में और बढ़ोतरी कर दी गई जैसे तीन वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों एक साथ और निरन्तर अपराध मामले में 20,000 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना।

वीडियो फिल्म के मामले में अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड 3 माह की कैद और 20,000 रुपए जुर्माना होगा।

विवरण-2

(दिनांक 11-8-1989 तक यथासंशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (2), दिनांक 7-1-78 में प्रकाशनार्थ
(सूचना और प्रसारण मन्त्रालय)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी, 1978

अधिसूचना

का० आ० सं० (ई) केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5-ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि लोक-प्रदर्शन के लिए फिल्मों की मंजूरी देने में, फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार होगा :—

1. फिल्म प्रमाणन व्यवस्था के उद्देश्य यह सुनिश्चित करने होंगे कि :

(क) फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतन्त्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए; और

(ग) प्रमाणन-व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो।

2. उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म-प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि :

(1) हिंसा जैसे समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों या अन्य दुश्यों या शब्दों की ऐसी कार्य-प्रणाली, जिससे किसी अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

****(1-क) बच्चों के हिंसा का शिकार होने के रूप में या अपराधों में शामिल होने के रूप में प्रदर्शित करने वाले दृश्यों अथवा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार के कृत्य इस ढंग से प्रदर्शित न किए जाएं जो अनावश्यक रूप से लम्बे हों, या शोषण करने की किस्म के हों।

(3) हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जाएं;

**(3-क) वे दृश्य, जो मद्यपान को उचित ठहराते हैं या उसकी प्रशंसा करते है, नहीं दिखाएं जाएं;

(4) अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए;

***(4-क) स्त्रियों में पुरुषों के प्रति नीच दासता को चित्रित करने वाले या ऐसी दासता को स्त्रियों के प्रशंसनीय गुण के रूप में उत्कृष्ट ठहराने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए।

****(4-ख) महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या अथवा अन्य किसी प्रकार की छेड़छाड़ जैसी लैंगिक, हिंसा वाले दृश्यों या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाए तथा यदि किसी कारणवश चित्रवस्तु के दृश्यों के लिए ऐसे दृश्यों को दिखाना अपरिहार्य हो तो उसकी सीक्ष्ण ढंग से संवीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दर्शकों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और ऐसे दृश्यों की अवधि घटाकर कम से कम की जाए।

(5) जातीय, धार्मिक या अन्य समूहों के अवहेलक दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए;

*****(5-क) साम्प्रदायिक, दकियानूसी, वैज्ञानिक विरुद्ध या राष्ट्र विरोधी मनोवृत्ति के दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए।

(6) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता प्रश्नगत न की जाए;

(7) देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में न डाली जाए;

(8) विदेशों से मित्रता सम्बन्धों में मनोमालिन्य न आए;

(9) लोक व्यवस्था खतरे में न पड़े; और

(10) न्यायालय की मानहानि या अवमान वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए।

3. फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह भी सुनिश्चित करे कि फिल्म :

(1) अपने समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से अपने पूर्ण रूप में निर्णीत की जाए; और

(2) उस देश और उन लोगों के, जिनसे फिल्म सम्बन्धित है, तत्कालीन मानकों के प्रकाश में परीक्षित की जाए।

4. ऐसी फिल्में, जो ऊपर उल्लिखित मापदण्ड को पूरा करती है, किन्तु अवयस्कों को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त समझी जाती हैं, केवल वयस्क, दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

5. भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-सा० का० नि० 168, तारीख 6 फरवरी, 1960 को अधिक्रांत किया जाता है।

फाइल संख्या 5/5/77-एफ (सी)

(आर० के० शास्त्री)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

श्रीनगर में अल्पसंख्यक समुदाय के मकानों को आग लगाया जाना

*152. **श्री मुरदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में पिछले एक वर्ष के दौरान उग्रवादियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के कितने मकानों को आग लगाई;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मकानों के मालिकों को मुआवजा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि :

** दिनांक 17-2-76 के भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-3 उपखण्ड (2) में का० आ० 618 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 5/7/77-एफ (सी), दिनांक 27-1-76 द्वारा जोड़ा गया।

*** दिनांक 7-5-83 के भारत असाधारण राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (2) में का० आ० 356(ई) के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ (सी), दिनांक 7-5-83 द्वारा जोड़ा गया।

**** भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के दिनांक 11-7-1986 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ (सी) द्वारा जोड़ा गया।

(क) यह सन्देह है कि घाटी में 1991 के दौरान (31 अक्तूबर तक) आतंकवादियों द्वारा श्रीनगर अल्पसंख्यक समुदाय के 147 मकानों को आग लगा दी गई।

(ख) ऐसे मामलों में अनुमानित नुकसान का 50 प्रतिशत अनुग्रहपूर्वक सहायता के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए।

(ग) 37 मामलों में 28,73,650 रु० की मंजूरी दी गई है और अन्य मामले प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं।

अम्बेडकर ग्राम

[हिन्दी]

*153. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० भीमराव अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोहों के अन्तर्गत, देश में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की प्रधानता वाले ग्रामों का विकास करने और उनके मूल नाम बदलकर उनके नाम "अम्बेडकर ग्राम" रखने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अब तक विकसित किए गए ऐसे ग्रामों की संख्या कितनी है और कितने गांवों के इस प्रकार विकसित किए जाने की संभावना है; और

(ग) उन पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने समेकित विकास के लिए अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य वाले 315 गांवों का चयन किया। 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य वाले 392 गांवों को समेकित विकास करने का प्रस्ताव किया है।

1990-91 में केरल सरकार ने बुनियादी सुविधाएं और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करते हुए 212 अनुसूचित जाति/जनजाति के आवासों के व्यापक विकास के लिए एक योजना कार्यान्वित की। इन अनुसूचित जाति/जनजाति आवासों को अम्बेडकर ग्रामों का नाम दिया गया। अम्बेडकर ग्राम कार्यक्रम 114 ग्रामों में पूरा किया जा चुका है। शेष ग्रामों में विकासात्मक कार्यकलाप, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अम्बेडकर ग्राम कार्यक्रम मार्च, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) 1990-91 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 547.67 लाख रु० व्यय किए हैं। केरल सरकार ने 31-7-1991 तक 13.98 करोड़ रु० व्यय किए हैं।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

[अनुवाद]

*154. **डा० विश्वनाथ कैनिथी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आदिवासीय उपयोजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि और परिवार लाभोन्मुखी कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवार की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	आदिवासी योजना के अंतर्गत व्यय (रु० लाख में)	अनुसूचित जनजाति परिवारों की सं० जिन्हें सहायता दी गई
1988-89	18000.00	11,61,483
1989-90	20550.00	10,25,204
1990-91	22546.118	8,92,747
1988-89 से 1990-91	61096.118	30,79,434

दिसम्बर, 1989 के अन्त तक देश के रोजगार केन्द्रों के चालू रजिस्टर में अनुसूचित जनजाति के शिक्षित राज्यवार रोजगार के लिए इच्छुकों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम विद्यालयों आदि की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उन्हें शिक्षित करने की दृष्टि से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग तथा प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। स्वरोजगार के लिए तैयार करने हेतु उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विवरण

देश में रोजगार केन्द्रों में चालू रजिस्टार में रोजगार चाहने वालों शिक्षित अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या (31-12-1989 की स्थिति के अनुसार)

(हजार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.2
3.	असम	46.6
4.	बिहार	94.7
5.	गोवा	@
6.	गुजरात	44.0
7.	हरियाणा	0.3
8.	हिमाचल प्रदेश	7.9
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.6
10.	कर्नाटक	7.5
11.	केरल	5.2
12.	मध्य प्रदेश	76.2
13.	महाराष्ट्र	50.6
14.	मणिपुर	25.5
15.	मेघालय	7.5
16.	मिजोरम	11.0
17.	नागालैंड	14.5
18.	उड़ीसा	22.5
19.	पंजाब	@
20.	राजस्थान	26.4
21.	सिक्किम	*

1	2	3
22.	तमिलनाडु	2.8
23.	त्रिपुरा	2.1
24.	उत्तर प्रदेश	4.0
25.	पश्चिम बंगाल	31.5
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.1
27.	चंडीगढ़	0.1
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.5
29.	दिल्ली	3.4
30.	दमन एवं दीव	**
31.	लक्षद्वीप	1.7
32.	पांडिचेरी	0.1
	कुल :	510.5

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है ।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

3. @संख्या 50 से कम है ।

4. पूर्णांक के कारण संख्या कुल संख्या में नहीं जोड़ी गई ।

राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति

[अनुवाद]

*155. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विद्युत और गैर-पम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नए उपाय लागू करते समय राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-पम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों के नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी निकाय हैं। तथापि, भारत

सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

राज्य सरकारों को समय-समय पर और सितम्बर, 1990, फरवरी 1991 एवं सितम्बर, 91 में आयोजित विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलनों में भी कहा गया है कि राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-कलापों की प्रबन्ध-व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि उनके द्वारा न्यूनतम 3 प्रतिशत का सांविधिक अधिशेष प्राप्त किया जा सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित जैसे उपाय किए जाएं—इक्विटी भागी-दारी की व्यवस्था करना, कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों को पूरा करने हेतु विशिष्ट अनुदानों का प्रावधान करना, टैरिफ में निर्धारित समय पर एवं आवधिक रूप से समीक्षा करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना आदि।

विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलनों में जिन बातों पर सहमति थी, उनमें ये शामिल हैं—क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्डों का गठन करना, प्रत्येक युटिलिटी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं से एल टी प्वाइण्ट पर विद्युत सप्लाई की लागत के आधार पर वसूल किए जाने वाले प्रभारों की गणना करना और सम्बन्धित राज्य सरकार को सिफारिशें करना जिसके द्वारा प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली विद्युत सम्बन्धी लागत के बारे में निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा, हाल ही में राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र के लिए 50 पैसे/किलोवाट आवर का न्यूनतम विद्युत टैरिफ निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्डों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य यूनिट बनाने हेतु विद्युत वित्त निगम द्वारा अपने संस्थागत विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कई राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार-विमर्श करके प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

नक्सलवादियों के आतंक का सामना करने के लिए कार्यवाही योजना

*156. **श्री चित्त बसु :**
श्री धर्मलिंगम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सलवादियों के आतंक का सामना करने के लिए हाल ही में कोई कार्य-वाही-योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) हाल ही में गृह मन्त्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा के मुख्यमन्त्रियों ने भाग लिया था। इस बैठक में किए गए विचार-विमर्श में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई कि राज्य सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी, जिनमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विकासो-न्मुख उपायों को समाविष्ट किया जाएगा जो नक्सलवाद की समस्या के मूल कारणों से निपटने के लिए आवश्यक हैं।

चूंकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र सटे हुए हैं, अतः यह महसूस किया गया कि इन चार राज्यों के नक्सलवाद विरोधी उपायों को समन्वित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस दिशा में चार राज्यों की सरकारी स्तर की अनुवर्ती बैठकें की गई और पुलिस कार्रवाई और विकास और प्रशासनिक उपायों के समन्वयन के बारे में निर्णय लिए गए।

घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी

*157. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घने जंगलों में रह रहे नागरिक सुविधाओं से सर्वथा वंचित आदिवासियों का पता लगाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचार

*158. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचार के परिरक्षण हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : भारत सरकार ने आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचारों के परिरक्षण हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में राज्यों से आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना करना, आदिवासी उत्सवों/आदिवासी मेलों का आयोजन करना, आदिवासी जीवन और संस्कृति पर वृत्त चित्रों का निर्माण करना, आदिवासी कला और संस्कृति के उन्नयन तथा परिरक्षण में उनको प्रोत्साहित करने के लिए पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों, संस्थानों तथा व्यक्तियों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक लोकाचारों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार की जाती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियां

*159. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए कोई क्षेत्रीय रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रणनीति पर 3 अक्तूबर, 1991 को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विद्रोह/आतंकवाद की समस्या से, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निपटा जा रहा है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सभी मदद और सहायता दी जा रही है। 3-10-1991 को नई दिल्ली में असम भवन में, असम के मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागालैंड के अलावा सिक्किम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने भाग लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस समस्या पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमन्त्रियों ने महसूस किया कि विद्रोह की समस्या को नियन्त्रित और समाप्त करने के लिए समन्वित और सतत प्रयास आवश्यक है। उसका यह मत भी था कि केन्द्र सरकार को इस विषय पर बैठक बुलानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में छोटी तथा बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं

[हिन्दी]

*160. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में उन छोटी तथा बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की जिलावार, कुल संख्या क्या है जिनका निर्माण हो चुका है, जो निर्माणाधीन हैं और जिनका निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) निर्माणाधीन तथा निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलो में पहले से निर्मित, निर्माणाधीन एवं निर्माण किए जाने हेतु प्रस्तावित छोटी तथा बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में निर्माणाधीन एवं निर्माण किए जाने हेतु प्रस्तावित छोटी तथा बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

क्रम सं०	जिले का नाम	निर्मित एवं प्रचालनाधीन परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या	के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृत स्कीमों की सं०	के० वि० प्रा० की टिप्पणियों सहित राज्य सरकार को लौटाई गई स्कीमों की संख्या	जोड़
1.	देहरादून	5	1	1	3	10
2.	पौड़ी गढ़वाल	2	1	—	—	3
3.	टिहरी गढ़वाल	—	1	2	1	4
4.	उत्तरकाशी	1	1	—	2	4
5.	नैनीताल	1	1	—	—	2
6.	चमोली	—	1	—	2	3
7.	पिथौरागढ़	—	2	—	2	4

विवरण-2

क्रम सं०	परियोजना का नाम	जिला	प्रगति सम्बन्धी स्थिति
1	2	3	4
(एक) स्वीकृत तथा निर्माणाधीन स्कीमें			
1.	टनकपुर जल विद्युत परियोजना (3×40=120 मे०वा०)	नैनीताल	परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन एच पी सी) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी तीनों यूनिटों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
2.	टिहरी चरण-I (2×250=1000 मे०वा०)	टिहरी गढ़वाल	600 मे०वा० (4×150 मे०वा०) की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली टिहरी चरण-I परियोजना को योजना आयोग द्वारा जून, 1972 में स्वीकृत किया गया था। योजना आयोग द्वारा संशोधित प्रतिष्ठापित क्षमता के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की जानी है। विद्युत घर को 1996-97 में चालू किए जाने की सम्भावना है।
3.	मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना चरण-2 (4×76=304 मे०वा०)	उत्तरकाशी	इस परियोजना को योजना आयोग ने 156 मे०वा० (3×52 मे०वा०) क्षमता की प्रतिष्ठापना हेतु जनवरी, 1991 में स्वीकृत किया था। परियोजना की संशोधित प्रतिष्ठापित क्षमता 304 मे०वा० (4×76 मे०वा०) है जिसके सम्बन्ध में (योजना आयोग द्वारा पुनः स्वीकृति दी जानी अपेक्षित है। परियोजना के सिविल कार्य प्रगति पर हैं।)

1	2	3	4
4.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (6×55=330 मे०वा०)	पौड़ी गढ़वाल	इस परियोजना को योजना आयोग ने 330 मे०वा० (5×55 मे० वा०) की कुल क्षमता की प्रतिष्ठापना हेतु जनवरी, 1988 में स्वीकृत किया था। निधियों की कमी के कारण इस परियोजना के सिविल कार्यों को रोक दिया गया है। यूनिटों को 1997-98 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
5.	लखवार व्यासी जल विद्युत परियोजना (3×100+2×60=420 मे०वा०)	देहरादून	इस परियोजना को योजना आयोग ने 540 मे०वा० क्षमता की प्रतिष्ठापना हेतु जनवरी, 1976 में स्वीकृत किया था। संशोधित प्रतिष्ठापित क्षमता 420 मे०वा० है। संशोधित प्रतिष्ठापित क्षमता के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास निधियों की कमी होने के कारण इस परि-योजना के सिविल कार्यों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। परियोजना को 1996-97 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
6.	विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना (4×120=480 मे०वा०)	चमोली	इस परियोजना को योजना आयोग ने 262 मे०वा० (4×65.5 मे०वा०) की क्षमता की प्रतिष्ठापना हेतु जनवरी, 1978 में स्वीकृत किया था। परियोजना की संशोधित क्षमता 480 मे०वा० (4× 120 मे०वा०) है जिसके सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है। निधियों की कमी के कारण परियोजना के निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके हैं। परियोजना को 9वीं योजना के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

1	2	3	4
	7. धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (4×70=280 मे०वा०)	पिथौरागढ़	अप्रैल, 1991 में स्वीकृत इस परियोजना का क्रियान्वयन, केन्द्रीय क्षेत्र में एन एच पी सी द्वारा किया जा रहा है। आधारभूत निर्माण-कार्य एवं निर्माण-पूर्व अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। परियोजना को 1998-99 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
	8. सोबला जल विद्युत परियोजना (2×3=6 मे०वा०)	पिथौरागढ़	6 मे०वा० (2×3 मे०वा०) क्षमता की प्रतिष्ठापना हेतु योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1988 में स्वीकृत इस परियोजना का क्रियान्वयन, राज्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के सिविल कार्य प्रगति पर हैं। टी० जी० सैटों के लिए कुमार उद्योग, वाराणसी को आर्डर दिया गया है। परियोजना को 1993-94 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
(दो)	के० वि० प्रा० द्वारा स्वीकृत स्कीमें		
	1. टिहरी चरण-2 (4×250=1000 मे०वा०)	टिहरी गढ़वाल	इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन, केन्द्रीय क्षेत्र में टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है। इन्हें 1996-97 मे चालू किए जाने का कार्यक्रम है।
	2. कोटेश्वर बांध (4×100=400 मे०वा०)		
	3. खारा जल विद्युत परियोजना (3×24=72 मे०वा०)	देहरादून	इस परियोजना के तीनों यूनिटों के उत्थापन सहित सभी सिविल कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यूनिटों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू किए जाने की सम्भावना है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए चैकोस्लोवाकिया से सहायता

[अनुवाद]

*161. **श्री पी० सी० थामस** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चैकोस्लोवाकिया द्वारा दी गयी सहायता से, राज्य-वार, कितनी विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : चैकोस्लोवाकिया की सहायता से भारत में कोई विद्युत परियोजना स्थापित नहीं की गई है ।

पश्चिमी बंगाल में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

1582. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में किन-किन स्वयंसेवी संगठनों ने कल्याण गतिविधियों हेतु वर्ष वार अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन द्वारा कितनी राशि वर्षवार प्राप्त की गयी;

(ग) क्या इन संस्थाओं ने सरकार को अपने लेखे और प्रतिवेदन नियमित रूप से भेजे थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

हावड़ा जिले में स्वयंसेवी संगठनों को कल्याण मंत्रालय द्वारा सीधे प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के बारे में विवरण

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठन का नाम व पता	निर्मुक्त अनुदान			अभ्युक्ति
		1988-89	1989-90 (आंकड़े रुपयों में)	1990-91	
1	2	3	4	5	6
1.	आनन्द भवन, ग्राम—जगतपुरी, डा०—वृन्दावनपुरी, जिला—हावड़ा				
	(क) विकलांगों हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	1,62,598	1,74,423	2,07,691	परीक्षित लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र नियमित रूप से प्राप्त होते हैं।
	(ख) स्वयंसेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता सम्बन्धी योजना	25,832	—	—	—वही—
2.	हरिजन सेवक संघ, जिला—हावड़ा				
	(क) स्वयंसेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता की योजना	25,688	—	—	—वही—

1	2	3	4	5	6
	(ख) अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी योजना	3,12,861	4,60,947	4,27,393	—वही—
3.	आबन्द विकेतन, डा० बगनान, जिला—हावड़ा				
	(क) अनुसूचित जाति के कल्याण सम्बन्धी योजना	इस संगठन को 1991-92 के दौरान 2,32,560/- रु० के अनुदान मंजूर किए गए ।			परीक्षित लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र अगले वित्त वर्ष अर्थात् 1992-93 में प्राप्त होंगे ।

देश में केवल टी० वी० नेटवर्क

1583. श्री के० वी० तंग्कावालू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत केवल टी० वी० नेटवर्कों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनायें मन्जूर की गयी हैं; और

(ग) देश में केवल टी० वी० नेटवर्कों को मन्जूरी देने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, निजी परिसर में केवल टी० वी० नेटवर्क लगाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है । अतः देश में कार्यरत इस प्रकार के नेटवर्क का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

कोयल-कारो पन-बिजली परियोजना

1584. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कोयल-कारो पन-बिजली परियोजना के कार्यान्वयन की लागत के नवीनतम अनुमान का विदेशी मुद्रा में ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अब तक इस परियोजना पर कुल कितनी धन-राशि का निवेश किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द राय) : (क) इस परियोजना का क्रियान्वयन स्वदेशी स्रोतों से किए जाने का प्रस्ताव है । तथापि, इसमें कुछ उपस्कर एवं सामग्री का आयात किए जाने के लिए लगभग 1872.00 लाख रुपए का विदेशी मुद्रा व्यय निहित है ।

(ख) विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत 229.27 पैसे/यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन० एच० पी० सी०) द्वारा अक्तूबर, 1991 तक इस परियोजना पर 9.64 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(घ) परियोजना के नवम्बर, 1991 से 8 वर्ष में अर्थात् नवम्बर, 1999 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

दहेज सम्बन्धी मौतें

1585. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :**
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में और वर्ष 1991 के सितम्बर माह तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से दहेज सम्बन्धी मौतों के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) इस प्रकार की मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1990 के दौरान दहेज-मृत्यु के सूचित मामलों की संख्या के बारे में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण एवं सितम्बर, 1991 तक उपलब्ध सूचना संलग्न है।

(ख) दहेज मृत्यु के मामलों सहित किसी अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना तथा उनको रोकना, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। तथापि भारत सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने हेतु अनेक उपाय किए हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961, 1984 तथा 1986 में संशोधित किया गया था ताकि कानून को और कठोर बनाया जा सके। इसके अलावा, दहेज मृत्यु के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता, दन्ड प्रक्रिया सहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में संशोधन किए गए थे।

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाने तथा अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक बनाने के लिए सरकार के अलावा महिला स्वयंसेवी संगठनों के जरिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों के जरिए दहेज रूपी सामाजिक बुराई के विरुद्ध प्रचार माध्यमों की सहायता से अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, जिसमें दहेज मृत्यु से सम्बन्धित अपराध भी शामिल हैं, से सम्बन्धित विधायनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

विवरण

1990 तथा 1991 के दौरान "बहेज मृत्यु" के रूप में दर्ज मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990	1991	केवल 1991 के अभ्युक्त तक के आंकड़े
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	344	305	सितम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	अगस्त
3.	असम	24	9	जून
4.	बिहार	243	153	जुलाई
5.	गोवा	शून्य	शून्य	
6.	गुजरात	125	49	जून मई को छोड़कर
7.	हरियाणा	126	99	जुलाई
8.	हिमाचल प्रदेश	21	24	सितम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	8	6	अगस्त
10.	कर्नाटक	216	170	सितम्बर
11.	केरल	11	7	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	397	246	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	858	568	सितम्बर
14.	मणिपुर	1	शून्य	सितम्बर
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	अगस्त
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	सितम्बर
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	अगस्त
18.	उड़ीसा	64	35	जुलाई
19.	पंजाब	103	76	सितम्बर
20.	राजस्थान	166	36	मार्च

1 2	3	4	5
21. सिक्किम	शून्य	शून्य	सितम्बर
22. तमिलनाडु	86	76	सितम्बर
23. त्रिपुरा	5	शून्य	सितम्बर
24. उत्तर प्रदेश	1516	1152	अगस्त
25. पश्चिम बंगाल	420	329	अगस्त
संघ-शासित क्षेत्र			
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	सितम्बर
2. चण्डीगढ़	शून्य	2	सितम्बर
3. दमन और दीव	शून्य	शून्य	अगस्त
4. दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	अक्तूबर
5. दिल्ली	102	103	सितम्बर
6. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	सितम्बर
7. पांडिचेरी	शून्य	4	अक्तूबर

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं तथा इन्हें अस्थाई समझा जाए ।

मयूर विहार में स्ट्रीट लाइटें लगाना

1586. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मयूर विहार, एक्सटेंशन फेज-I (नौएडा रोड) स्थित सहकारी आवास समितियों की बस्तियों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के कार्य में दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान ने कितनी प्रगति की है; और

(ख) इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार यथोक्त क्षेत्र की चारों ओर की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराने का लगभग 40% कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, तथा शेष कार्य को मार्च, 1992 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है । किन्हीं विशेष ग्रुप हाउसिंग कालोनियों से सम्बन्धित विद्युतीकरण/स्ट्रीट लाइटिंग

की स्कीमें समय-समय पर जब कभी भी सम्बन्धित कालोनाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित/वित पोषण किया जाता है, तो डेसू द्वारा इन स्कीमों को भी हाथ में लिया जाता है।

महाराष्ट्र में रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज सुविधाएं

[हिन्दी]

1587. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में 69 रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन गांवों में उपरोक्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी;

(ग) अब तक कितने गांवों में यह सेवा आरम्भ हो चुकी है; और

(घ) अन्य स्थानों में कब तक टेलीफोन सेवा आरम्भ हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में 5 रेडियो शेयरिंग प्रणालियां (69 रेडियो टेलीफोन एक्सचेंज नहीं) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उपरोक्त रेडियो शेयरिंग प्रणालियों से 75 ग्राम पंचायतों की टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इन ग्रामों के नाम तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर निर्धारित किए जायेंगे।

(ग) शून्य।

(घ) उत्तरोत्तर रूप से मार्च 1993 तक।

महाराष्ट्र के शहरों में एस० टी० डी० सुविधाएं

[अनुवाद]

1588. **श्री अशोक आलम्बराव देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वित्त वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र के कुछ शहरों में एस० टी० डी० सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने गए शहरों के नाम क्या हैं; और

(ग) अन्य राज्यों में उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-91 से आज की तारीख तक नवापुर, बदनापुर पाटस, बेल्याचीपेठ नागेथाने, भुन्ज और बुल्ढाना को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 91-91 के शेष भाग के

दौरान महाराष्ट्र के निम्नलिखित 22 और केन्द्रों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

शीरवाल, मुर्तिजापुर, चालीसगांव सवादा, गोकुलशीर गांव, विराड़, कुमरेड़ कोटोल, किन्वाट, इगतपुरी, त्रिंबक, भोर डिंगोली पेन, बाडा, जिंतूर, पंढारपुर, दाहानू, पालघर, मुरबाड़, कारजट, चिपलुन।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र के अलावा कस्बों की राज्यवार सूची जहां 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है

राज्य का नाम	91-92 के दौरान एस० टी० डी० के लिए प्रस्तावित कुल कस्बे	1-4-91 से आज तक प्रदान की गई एस०टी०डी०	मार्च, 92 तक प्रदान करने की संभावना
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	24	8	16
असम	6	—	6
बिहार	10	2	8
गुजरात	16	—	16
हरियाणा	7	—	7
हिमाचल प्रदेश	3	1	2
जम्मू व कश्मीर	7	—	7
कर्नाटक	38	7	31
केरल	45	—	45
मध्य प्रदेश	12	2	10
महाराष्ट्र	30	3	27
गोवा	2	—	2
उत्तर पूर्व	4	1	3
पंजाब	20	—	20

1	2	3	4
उड़ीसा	43	3	40
राजस्थान	13	—	13
तमिलनाडु	38	3	35
उत्तर प्रदेश	45	3	42
पश्चिम बंगाल	22	3	19
जोड़ :	385	36	349

पत्रों की पावती

1589. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से सितम्बर, 1991 के दौरान उन्हें लोगों के कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने पत्रों की पावती भेजकर उत्तर दिए गए;

(ग) शेष पत्रों की पावती तथा उत्तर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) अभी तक कार्यवाही हेतु बकाया पत्रों की संख्या कितनी है और उन पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० जी० रंगय्या नायडु) : (क) 9909 ।

(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट संख्या में से 6909 मामलों में अन्तिम रूप से उत्तर दे दिया गया और 2447 मामलों में पावतियां भेज दी गई ।

(ग) कुछ पत्र पावती तथा अन्तिम रूप से सीधे उत्तर देने के लिए फील्ड यूनिटों को भेज दिए गए हैं । जिन मामलों में दूरसंचार आयोग द्वारा अन्तिम रूप से उत्तर दिया जाना है उनके संबंध में फील्ड यूनिटों से रिपोर्ट/जानकारी मांगी गई है ।

(घ) 3000 । इन मामलों में अन्तिम रूप से उत्तर देने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है ।

गोविन्दपुरी झुग्गी बस्ती में अग्निकांड

1590. **श्री जीवन शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोविन्दपुरी झुग्गी बस्ती में हुए अग्निकांड के कारण का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (सी० एफ० एस० एल०) के विशेषज्ञों की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है जिन्होंने घटना स्थल का दौरा किया था।

कटक में जाजपुर सब-डिवीजन में दूरसंचार का विकास

1591. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटक जिले में जाजपुर सब-डिवीजन में दूरसंचार के विकास हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है जिसमें (एक) जाजपुर में टी-43 ट्रंक बोर स्थापित करना, (दो) जाजपुर में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराना और (तीन) हस्तचालित तथा स्वचालित एक्सचेन्जों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदलने के अलावा गांवों में 137 लम्बी दूरी टेलीफोन प्रदान करना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक क्या प्रगति हुई है, कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कार्य पूरा करने की लक्षित तिथि क्या है;

(ग) जाजपुर टेलीफोन एक्सचेन्ज के लिए अपेक्षित भूमि खरीदने तथा सब-डिवीजन मुख्यालय में डी० ई० टी० का कार्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दूरसंचार का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां, जाजपुर में मार्च, 1992 तक एक टी-43 ट्रंक बोर्ड और एस० टी० डी० सुविधा चालू किए जाने की योजना है।

(ii) लम्बी दूरी के टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने और मैनुअल और आटो एक्सचेंजों में बदलने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जाजपुर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन के लिए उड़ीसा सरकार ने 2.15 एकड़ का एक भूखंड आबंटित किया है।

इस समय जाजपुर के लिए दूरसंचार मंडलीय इन्जीनियर का पद औचित्यपूर्ण नहीं है। बहरहाल जाजपुर में एक सहायक इनैनियर की तैनाती की गई है।

(घ) उत्तरोत्तर रूप से सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने और सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना बनाई गई है।

औरंगाबाद में प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्यालय

1592. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में औरंगाबाद में प्रेस सूचना ब्यूरो का एक नया कार्यालय स्थापित करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है और कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पत्र सूचना कार्यालय के नए कार्यालयों का खोला जाना आठवीं योजना के आकार तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

1593. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गम क्षेत्रों, जैसे पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई व्यापक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है अथवा करने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने देश के दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है । 1991-92 के दौरान ऐसे 12000 गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ।

(ग) 31-10-91 की स्थिति के अनुसार कुल 228,920 ग्राम पंचायतों में से 47167 को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है । शेष ग्राम पंचायतों को 31 मार्च, 1995 तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ।

प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सहायता

[हिन्दी]

1594. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या कल्याण मन्त्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या-4411 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	विभिन्न परीक्षाओं हेतु विमुक्त की गई वर्षवार राशि (रु० लाखों में)	सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रशिक्षित किए गए उम्मीदवारों की संख्या	सिविल सेवा में अंतिम रूप से चयन किए गए उम्मीदवारी की संख्या
1987-88	51.31	528	44
1988-89	68.38	574	48
1989-90	62.76	562	46
	योग : 182.45	1664	138

अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यबल की रिपोर्ट

[अनुवाद]

1595. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण सम्बन्धी कार्यदल द्वारा योजना आयोग के संचालक दल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार और अनुसूचित जाति परिवार की जमींदार पर आर्थिक निर्भरता के बीच सम्बन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बुराई को समाप्त करने और अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक शोषण तथा सामाजिक उत्पीड़न से रक्षा करने का विचार है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) अत्याचारों से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उपबन्ध किए गए हैं। अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान के अनेक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा कार्य की निगरानी

1596. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) को संचार मन्त्रालय की निगरानी के लिए निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों की गतिविधियों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निगरानी और जांच पड़ताल की जाती है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो हेराफेरी के मालों की जांच पड़ताल करती है और उन्हें दर्ज करती है और प्रथम दृष्टया आरोप साबित होने पर कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल दूरसंचार विभाग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष हेराफेरी के मामलों को, जिससे टेलीफोन राजस्व का घाटा होता है, जांच-पड़ताल करने के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग में गबन

1597. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश मंडल में लगभग 25 लाख रुपए के गबन के आरोप में हाल ही में डाक सेवाओं के कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दिए गए थे और क्या जांच रिपोर्ट आ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे गबन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी ब्यौरा देना उचित नहीं होगा क्योंकि सी० बी० आई० द्वारा मुख्य अभियुक्त के खिलाफ जांच की जा रही है।

(घ) इन सभी के खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने धोखाधड़ी की है एवं उसमें सहयोग दिया है।

(ङ) ऐसे छोटे डाकघरों में जिनमें भारी राशि जमा होती है, उनकी कार्य प्रणाली पर उच्च अधिकारियों की निगरानी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जमा धनराशि का उचित हिसाब-किताब सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग प्रणाली में सुधार करने के उपाय किए गए हैं।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन रिले केन्द्रों का विस्तार

1598. **श्री धर्मण्णा मोडम्या साधुल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 और 1992-93 के दौरान सरकार का महाराष्ट्र, विशेषत: पश्चिमी महाराष्ट्र में दूरदर्शन रिले केन्द्रों का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में खामगांव, हिंगनघाट, अकोट, अकलुज, कांकौली, हाथीखम्बा और जलगांव में टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करके राज्य में टी० वी० सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव है। तथापि, यह साधनों की वास्तविक उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

गुजरात में डाकघरों का विस्तार करना

1599. **कु० दीपिका चिखलिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में इस समय कितने डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ डाकघरों का दर्जा बढ़ाया था; और

(ग) यदि हां, तो वडोदरा जिले के विशेष उल्लेख सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात में कुल डाकघरों की संख्या 8818 है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वडोदरा पोस्टल रीजन के सूरत जिले में केवल एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अर्थात् भेसतान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का ही दर्जा बढ़ाया गया था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का बकाया

1600. **श्री कुल्य दत्त सुलतानपुरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण मन्त्रालय में इस वर्ष के आरम्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकारियों और अन्य संवर्गों में आरक्षित पदों की कितनी रिक्तियां बकाया थीं;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान इन आरक्षित पदों को भरने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) शेष आरक्षित पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मन्त्रालय में रिक्त पदों की संख्या की सूचना समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जाती है। ये पद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं योजना के अन्तर्गत भरे जाते हैं; जो ऐसे पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के काम को भी मानीटर करता है। केवल कुछ ही ऐसे पद हैं जिनके लिए कल्याण मन्त्रालय द्वारा

सीधी भर्ती की जाती है। कल्याण मन्त्रालय में ऐसे पदों के सम्बन्ध में पीछे से चले आ रहे कोई बकाया रिक्त पद नहीं हैं।

केरल में डाक और तार कार्यालय के लक्ष्य/उपलब्धियां

1601. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान केरल के अल्लेपी और पथनमथिट्टा जिलों में डाक और तार कार्यालय स्थापित करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले डाक और तार कार्यालयों की संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० जी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान केरल डाक सर्किल में 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे प्राप्त कर लिया गया है। 1990-91 के दौरान इन दो जिलों में डाकघर और तारघर खोलने के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि वर्ष के दौरान अल्लेपी जिले में दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और पटनमथिट्टा जिले में 8 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए।

(ग) उपर्युक्त "क" और "ख" को मद्देनजर रखते हुए हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल डाक सर्किल में 55 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में 5 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 1991-92 के दौरान पटनमथिट्टा जिले में 4 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अल्लेपी जिले में 2 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इन्हें खोलने का औचित्य हो और ये केरल डाक सर्किल के लिए इस बारे में निर्धारित कुल लक्ष्य के भीतर हों। तथापि, 1991-92 के दौरान अल्लेपी और पटनमथिट्टा जिलों में तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र में बायोगैस संयंत्र

1602. **श्री जी० देवराजन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं और चालू हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डिजाइन और प्रौद्योगिकी में कोई प्रमुख सुधार किए गए हैं;

(ग) इन बायोगैस संयंत्रों के कारण प्रत्येक वर्ष कितनी जालवन लकड़ी की बचत की गई; और

(घ) सरकार का देश में बायोगैस संयंत्रों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) "बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से 1990-91 के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। बायोगैस संयंत्रों को चलाने का कार्य उनके मालिकों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है और इनका प्रचालन गोबर और जल की उपलब्धता और मौसम जैसी कई बातों पर निर्भर करता है।

(ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों के दो नए डिजाइन, एक डिजाइन वनस्पति अपशिष्ट और हरित बायोमास की प्रोसेसिंग के लिए और दूसरा उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों पर कोटिंग करने के लिए समृद्ध पाचित गोबर घोल के इस्तेमाल के लिए, विकसित किए गए हैं।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि देश में अब तक स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों से प्रतिवर्ष 50 लाख टन जलावन लकड़ी के बराबर ईंधन गैस का उत्पादन हो रहा है।

(घ) सरकार ने देश में बायोगैस संयंत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना में वर्ष 1991-92 के दौरान 1.47 लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है और इसमें वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों का प्रावधान है जिसमें केन्द्रीय आर्थिक सहायता, टर्नकी जॉब फीस, मरम्मत एव अनुरक्षण प्रभार, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता, प्रचार और विस्तार शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से 1990-91 के दौरान लगाए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार कुल संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए कुल संयंत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	97905
2.	अरुणाचल प्रदेश	52

1 2	3
3. असम	9748
4. बिहार	62866
5. गोवा एवं दमन और दीव	1664
6. गुजरात	119445
7. हरियाणा	20077
8. हिमाचल प्रदेश	24490
9. जम्मू एवं कश्मीर	893
10. कर्नाटक	72554
11. केरल	27171
12. मध्य प्रदेश	40969
13. महाराष्ट्र	421046
14. मणिपुर	416
15. मेघालय	219
16. मिजोरम	711
17. नागालैंड	124
18. उड़ीसा	61429
19. पंजाब	17195
20. राजस्थान	38382
21. सिक्किम	539
22. तमिलनाडु	137079
23. त्रिपुरा	164
24. उत्तर प्रदेश	197869
25. पश्चिम बंगाल	49176
26. अंडमान एवं निकोबार	98
27. चंडीगढ़	78
28. दादर एवं नगर हवेली	143
29. दिल्ली	600
30. पांडिचेरी	472
कुल :	14,03,574

उड़ीसा के विभिन्न जिलों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर

1603. **श्री के० प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर तथा राउरकेला के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्चतर शक्ति सम्पन्न बनाने तथा कोरापुट जिले के गुरुपुर, मलकानगिरि, लक्ष्मीपुर, नवरंगपुर, सुनाबेड़ा तथा उमरकोट में निम्न शक्ति के और ज्यादा ट्रांसमीटर लगाने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) भवानी पटना में लगाए गए उच्च शक्ति 10 कि० वा० ट्रांसमीटर को चालू किए जाने पर कोरापुट जिले में दूरदर्शन कवरेज में सुधार होने की आशा है। इसके अलावा इस प्रयोजन के लिए साधन उपलब्ध होने पर कोरापुट जिले के मलकानगिरी में एक अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांससीटर स्थापित करने का कार्यक्रम है। तथापि, इस समय सम्बलपुर और राउरकेला के मौजूदा ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण किए गए गांव

1604. **कु० विमला वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में छठी और सातवीं योजनावधि तथा 1990-91 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 7वीं योजना अवधि के दौरान 19,552 गांवों का विद्युतीकरण किया, गया था। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में 2980 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश में 1620 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

लड़कियों की विवाह के लिए आयु

1605. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लड़कियों के विवाह की उम्र के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में उस राज्य का नाम क्या है जहां सबसे अधिक है और देश के ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1981 और 1991 दोनों ही जनगणनाओं में कभी भी विवाहित सभी महिलाओं के लिए विवाह के समय उनकी आयु से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया था।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार मिजोरम और नागालैंड राज्यों में विवाह के समय माध्य आयु सबसे अधिक अर्थात विवाहित महिलाओ की 20.2 वर्ष थी। मिजोरम मे विवाह के समय ग्रामीण क्षेत्रों में माध्य आयु 20.1 वर्ष और नगरीय क्षेत्रों में 20.5 वर्ष थी। नागालैंड में विवाह के समय ग्रामीण क्षेत्रों मे माध्य आयु 20.4 वर्ष और नगरीय क्षेत्रों में 19.2 वर्ष थी। 1991 की जनगणना के परिणाम को अभी सारणीबद्ध किया जाना है।

अखबार उद्योग की समस्याओं के लिए अलग निकाय की स्थापना

1606. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबार उद्योग की समस्याओं को जानने के लिए तथा उनकी सहायता के लिए एक अलग निकाय की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सीमा पर हथियारों का जब्त किया जाना

1607. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर पिछले छह महीनों के दौरान हथियार जब्त किए जाने की कोई घटना हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तिथि-वार तथा क्षेत्र-वार क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अवैध हथियारों पर नियन्त्रण के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) विगत 6 माह के दौरान जब्त किए गए हथियारो का तिथि-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सीमा पर तैनात बलों को, बल, उपस्कर तथा हथियारों की दृष्टि से मजबूत बनाया गया है ताकि तस्करी को रोका जा सके। विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। सीमा बलों के आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाया गया है और सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए इसे और मजबूत बनाया गया है।

विवरण

राजस्थान सीमा पर विगत 6 माह (मई—अक्तूबर, 1991) के दौरान जब्त किए गए हथियारों का तिथि-वार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

दिनांक	क्षेत्र	जब्त किए गए हथियार का प्रकार					
		ए० के०-56 राइफल	जी पी एम जी	पिस्तौल	·303 राइफल	देशी बंदूक	ग्रेनेड लांचर
1	2	3	4	5	6	7	8
21-05-91	बाड़मेर	—	—	1	—	—	—
23-05-91	श्रीगंगानगर	6	1	4	—	—	—
25-05-91	बाड़मेर	—	—	—	—	1	—
19-06-91	श्रीगंगानगर	18	—	6	—	—	—
05-07-91	जैसलमेर	—	—	—	1	—	—
05-07-91	श्रीगंगानगर	2	—	—	—	—	—
10-07-91	बाड़मेर	—	—	—	—	1	—
17-07-91	श्रीगंगानगर	12	—	—	—	—	—
21-07-91	श्रीगंगानगर	6	1	6	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
22-07-91	श्रीगंगानगर	14	1	9	—	—	—
03-08-91	श्रीगंगानगर	6	—	2	—	—	—
08-10-91	जैसलमेर	—	—	—	1	—	—
28-10-91	श्रीगंगानगर	3	—	—	—	—	—
31-10-91	श्रीगंगानगर	25	—	3	—	—	1
	जोड़ :	92	3	31	2	2	1

अनुसूचित जनजाति के कारीगरों के लिए नई योजना

1608. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातिय और पिछड़े क्षेत्रों के 1500 खण्डों में गहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने का विचार है जिसके तहत खण्डों के प्रत्येक गांव में कम से कम एक उचित मूल्य की दुकान होगी;

(ख) क्या इस सुझाव पर राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रभारी सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों के कारीगरों के लिए एक नई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा और ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कहां तक नवीयन किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रमों (आई० टी० डी० पी०) मरुस्थल विकास कार्यक्रमों (डी० डी० पी०) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा निर्दिष्ट कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विशेष ध्यान देने हेतु इन क्षेत्रों में लगभग 1700 खण्डों की पहचान की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आदिवासी शिल्पकारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनन्य रूप से कोई विशिष्ट योजना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक और दूरसंचार विभागों में विकलांगों के लिए रोजगार

1609. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार विभागों में विकलांगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विभागों के नाम क्या हैं जहां विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में डाक और दूरसंचार विभागों में विकलांग कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 48 ।

केरल में टेलीफोन केन्द्रों के लिए भवन

1610. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनलूर और अटूर टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार और विकास के लिए योजना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अटूर और पुनलूर टेलीफोन केन्द्रों के लिए नया भवन बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण के लिए कितना आवंटित किया जाएगा; और

(ङ) यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) (i) पुनालूर—2.5 के० एल० मुख्य—आवंटित

(ii) अडूर—2.0 के० एल० मुख्य—आवंटित

(ग) जी हां।

(घ) 1.5 करोड़ रुपया प्रति।

(ङ) (i) पुनालूर – भवन निर्माण पूरा होने की लक्ष्य तारीख जून, 1993 है।

(ii) अडूर के लिए फिलहाल भूमि उपलब्ध नहीं है। आवंटन/भूमि अधिग्रहण के पश्चात भवन निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा।

गोवा में डाक बचत खाते में जमा-राशि

1611. श्री हरीश नारायण प्रभु शांट्ये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 को गोवा में डाक बचत खातों में कुल कितनी राशि जमा थी; और

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में, वर्ष-वार तत्सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार गोवा में डाक बचत खातों में कुल 25,15,39,258/- रुपए (तेईस करोड़ पन्द्रह लाख उनतालीस हजार दो सौ अठावन रुपए) जमा हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के तदनुरूपी आंकड़े निम्नानुसार

हैं :—

(i) 1988-89
19,26,07,660/- रुपये
(उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख सात हजार छः सौ साठ रुपए)।

(ii) 1989-90
20,09,62,356/- रुपए
(बीस करोड़ नौ लाख बासठ हजार तीन सौ छप्पन रुपए)।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

1612. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दूरदर्शन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) एटा जिला के कुछ भाग आगरा में कार्य कर रहे उच्च शक्ति शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०) से टी० वी० सेवा प्राप्त करते हैं और कुछ भाग बरेली में कार्यान्वियनाधीन उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर से टी० वी० सेवा प्राप्त करेंगे। इस समय जिले में टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिले में टी० वी० सेवा का और विस्तार इस उद्देश्य के लिए भावी साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1613. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इन विद्युतीकृत गांवों में हरिजन बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 में गाजीपुर जिले के और गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 721 हरिजन बस्तियों सहित सभी आबाद गांवों का अक्तूबर, 1991 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है।

रामेश्वरम् के नजदीक समुद्र से मछुआरों का गायब होना

1614. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1991 में रामेश्वरम के नजदीक समुद्र से कुछ मछुआरे लापता हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी खोज करने के लिए कौन से कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जंकव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

मुंबई टेलीफोन प्रयोक्ता एसोशिएशन से अभ्यावेदन

[अनुवाद]

1615. **श्री राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मुंबई टेलीफोन प्रयोक्ता एसोसिएशन, मुंबई से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) एसोसिएशन ने भारतीय तार अधिनियम की समीक्षा के लिए विभाग द्वारा गठित समिति के सम्बन्ध में प्रयोक्ताओं के संगठन को अभ्यावेदन देने का अनुरोध किया है।

(ग) इस समिति के सम्बन्ध में इस प्रकार के संगठनों के पूर्णकालिक अभ्यावेदन की आवश्यकता नहीं समझा गया क्योंकि समिति विचार करने के लिए सदैव सुविख्यात व्यक्तियों/संगठनों से विचार/सुझाव आमन्त्रित कर सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था सम्मेलन

1616. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था सम्मेलन अपना विश्व समागम भारत में आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का विचार है; और

(ग) भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था सम्मेलन को सहायता देने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारतीय वृद्ध परिसंघ ने 30 सितम्बर, 1991 से 2 अक्तूबर, 1992 तक "वृद्धों की परिवर्तनशील स्थिति तथा प्रत्यक्ष भूमिका" पर एक विश्व सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) वृद्धों के कल्याण में लगे कतिपय स्वयंसेवी संगठनों को भारत सरकार सहायता दे रही है ।

(ग) इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए एक लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित पेंशन के मामले

1617. **श्री के० वी० उन्नीकृष्णन :**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पेंशन के लिए आवेदन करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 सितम्बर, 1991 तक की स्थिति के अनुसार स्वतन्त्रता सेनानियों के अस्वीकृत दावों, सत्यापन के बाद स्वीकृत दावों तथा लम्बित दावों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों के दावों के निपटान में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित दावों को निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और वे कब तक निपटाए जा सकेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सारणीबद्ध विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) निर्धारित तिथि, अर्थात 31-3-82 से पूर्व स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन सम्बन्धी सभी मामलों का निपटान कर दिया गया है। हाल में प्राप्त आवेदनों से सम्बन्धित दावे ही लम्बित हैं । इनका यथाशीघ्र निपटान करने के प्रयास किए जाते हैं ।

विवरण

31-9-91 के अनुसार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत, अस्वीकृत पेंशन तथा लम्बित आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य के नाम	प्राप्त आवेदन	उन मामलों की संख्या जिनमें पेंशन स्वीकृत की गई	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन
1	2	3	4	5	6
1.	असम	26,886	4319	22494	73
2.	आंध्र प्रदेश	29,133	10271	23259	5603
3.	बिहार	1,15,171	24228	90590	353
4.	गुजरात	6,838	3525	3195	118
5.	गोवा	3,357	876	2470	11
6.	हरियाणा	6,287	4327	1918	42
7.	हिमाचल प्रदेश	4,179	1838	2292	49
8.	जम्मू व कश्मीर	10,735	2136	8573	26
9.	कर्नाटक	20,448	9984	8799	1665
10.	केरल	52,470	4346	48066	58
11.	मध्य प्रदेश	4,747	3397	1350	—
12.	महाराष्ट्र	39,748	17053	21964	731
13.	मणिपुर	688	230	458	—
14.	मेघालय	159	91	68	—
15.	मिजोरम	8	8	—	—
16.	नागालैण्ड	22	4	18	—
17.	उड़ीसा	15,936	4629	11249	58
18.	पंजाब	29,764	10881	18845	38
19.	राजस्थान	5,097	1315	3749	33
20.	तमिलनाडु	22,521	8126	14300	95

1 2	3	4	5	6
21. त्रिपुरा	3,463	882	2565	16
22. उत्तर प्रदेश	40,181	21689	18393	99
23. पश्चिम बंगाल	79, 35	21932	57193	10
24. चंडीगढ़	152	86	55	11
25. दिल्ली	5,321	2759	2514	48
26. पांडिचेरी	1,918	307	1594	17
27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98	44	47	7
28. अरुणाचल प्रदेश	41	2	39	—
	5,34,503	159285	366057	9161

विद्युत परियोजनाओं से हिस्से के सम्बन्ध में समझौता

[हिन्दी]

1618. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार पर पंजाब में स्थित विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से के सम्बन्ध में 1984 के समझौते को निरस्त करने हेतु दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पंजाब सरकार ने यह अनुरोध किया है कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब राज्यों के बीच 10 मई, 1984 को हुए समझौते के सन्दर्भ में पंजाब की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत में हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा है, अथवा नहीं है। इसके निर्धारण के बारे में भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा जाए। राजस्थान सरकार ने 10 मई, 1984 के अंतर्राज्यीय समझौते के क्रियान्वयन के लिए अपने अनुरोध को दोहराते हुए पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है

(ख) मामला विचाराधीन है।

लाटरियों को नियमित करने हेतु विधेयक

[अनुवाद]

1619. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन को लाटरी के माध्यम से सफेद धन में बदलने को रोकने के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाली लाटरियों को नियमित करने हेतु कोई कानून बनाया गया है अथवा संसद में पेश किया जाने वाला है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्रीय सूची की प्रविष्ट संख्या 40 के अधीन आने वाली लाटरियों को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विधायन नहीं बनाया गया है । संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 34 के अधीन आने वाली केवल प्राइवेट लाटरियों को ही राज्य सरकारों द्वारा उनके नियम और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाती है ।

(ख) राज्यों की लाटरियों तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमति दी जाने वाली लाटरियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

मंत्रियों द्वारा विदेशी यात्राएं

[हिन्दी]

1620. **श्री मोहन सिंह :**
श्री तपन कुमार मंडल

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1991 के समाचार पत्र "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित शीर्षक "गवर्नमेंट आफ इण्डिया गोज आन ए होलीडे" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं लोक सभा के पहले सत्र के बाद विभिन्न मंत्रियों और उनके निजी स्टाफ की विदेशी यात्राओं पर अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग उन्होंने किन-किन देशों की यात्राएं की और उनका क्या उद्देश्य था ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) समाचार देख लिया गया है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

घरेलू ईंधन में बढ़ोत्तरी

[अनुवाद]

1621. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलू** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों प्रकार के घरेलू ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : सरकार ने परम्परागत और अपरम्परागत ईंधन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ईंधन की उपलब्धता और संरक्षण को बढ़ाने की दृष्टि से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, उन्नत चूल्हा आदि क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार प्रयास किए जा रहे हैं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के अन्तर्गत देशभर में 107.30 लाख उन्नत चूल्हे, 14.53 लाख बायोगैस संयंत्र, 1.99 लाख सौर कुकर और 0.20 लाख विभिन्न प्रकार की सौर तापीय प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

हरित क्षेत्र और जलावन लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण का कार्यक्रम आरम्भ किया है और केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ही 8.8 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर वन रोपण किया गया है। दी गई कृषि जलवायु दशाओं के अंतर्गत वनरोपण के लिए उपयुक्त संभावित तेजी से बढ़ने वाली वृक्षों की किस्मों की पैकेज के विकास के उद्देश्य से प्रति यूनिट क्षेत्र प्रतियूनिट समय जलावन लकड़ी किस्मों की उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयास भी किए जा रहे हैं।

घरेलू ईंधन जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने कोयले पर आधारित 1000 विशेष धुएं रहित ईंधन यूनिट/ब्रिकेटिंग संयंत्र प्रति जिला 2 की दर से स्थापित करने का अभियान शुरू किया है। इन यूनिटो के लिए कोयला सप्लाई करने की व्यवस्था कोयला कम्पनियो द्वारा की जाएगी। घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं के लिए कुल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 100 कोयले के खत्तों को लगाने का भी प्रस्ताव है।

देश में ही कच्चे तेल के लगभग 33 मिलियन टन प्रतिवर्ष के वर्तमान उत्पादन की तुलना में वर्ष 1996-97 तक इसे बढ़ाकर लगभग 47 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस के लगभग 49 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1996-97 तक 83 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन करने का भी प्रस्ताव है।

सरकारी प्रचार माध्यम से बस्तकारी के लिए निःशुल्क विज्ञापन

[हिन्दी]

1622. **श्री काशीराम राणा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित मदों के लिए दूरदर्शन जैसे सरकारी प्रचार माध्यम से निःशुल्क विज्ञापन सुविधा प्रदान कराने का है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सरकार की नीति के अनुसार, लघु उद्योगों द्वारा अपने विज्ञापन, विज्ञापन ऐजेंसियों के बजाए सीधे दूरदर्शन के पास बुक करने पर दरों में 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। दूरदर्शन की यह भी नीति है कि वह लघु उद्योगों के विज्ञापनों की बुकिंग को तरजीह देता है।

"बंगलादेशी नागरिकों को लेकर सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस में तनाव" शीर्षक समाचार

1623. श्री राम बदन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1991 के हिन्दी "दैनिक जागरण" में "बंगलादेशी नागरिकों को लेकर सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस में तनाव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार "समझौता एक्सप्रेस" से अभारतीयों के बलपूर्वक निष्कासन के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है; और

(ग) "समझौता एक्सप्रेस" में पाकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों की छानबीन करने के लिए सरकार किस प्रक्रिया को अपना रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारत सरकार की चिन्ता तथा गैर-भारतीयों को भारत में वापस धकेलने से सम्बन्धित आपत्ति के बारे में पाकिस्तान सरकार को उचित रूप से बता दिया गया है।

(ग) विदेशियों से सम्बन्धित कानून के तहत, भारतीय बीजा प्राप्त व्यक्तियों सहित वैध यात्रा दस्तावेज प्राप्त विदेशियों को ही "समझौता एक्सप्रेस" के द्वारा पाकिस्तान से भारत आने दिया जाता है । जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं होते उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता । सम्बन्धित एजेंसियों को सीमा पर पता लगते ही अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ तुरन्त प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।

केबल टी० वी० और सैटेलाइट प्रसारण द्वारा संस्कृति पर अतिक्रमण

[अनुवाद]

1624. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी० वी० और विदेश से आने वाले दिन-रात चलने वाले उपग्रहचालित कार्यक्रमों के कारण भारत का सांस्कृतिक अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) क्या महानगर क्षेत्रों में दर्शकों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है;

(ग) क्या दर्शकों की संख्या में आई वास्तविक कमी का पता लगाने के लिए दूरदर्शन ने कुछ स्वतन्त्र श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षणों का प्रयोजन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी चिरिका व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दूरदर्शन के कार्यक्रम फार्मेट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं ताकि दर्शकों की कार्यक्रमों में रुचि बनी रहे।

भारत में भाषाएं तथा बोलियां

1625. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना करने वाले अधिकारियों को विशेष रूप से ये निर्देश दिए गए थे कि वे लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों को रिकार्ड करें;

(ख) यदि हां, तो 1951, 1961, 1971 और 1981 में किए गए रिकार्ड के अनुसार मैथिली भाषा बोलने वालों की कुल संख्या क्या थी;

(ग) क्या इस प्रकार के कोई गोपनीय निदेश जारी किए गए थे कि मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी और अन्य कुछ भाषाएं बोलने वालों की जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित न किए जाएं;

(घ) यदि हां, तो पिछले सभी आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, हां।

(ख) जिन व्यक्तियों ने 1951 और 1961 की जनगणनाओं में अपनी मातृभाषा "मैथिली" बताई, उनकी संख्या देश में क्रमश: 97,757 और 4,984,811 थी। 1971 और 1981 की जनगणनाओं में "मैथिली" के अलग आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने अपनी मातृ-भाषा "मैथिली" बताई, उन्हें "हिन्दी" भाषा के अन्तर्गत समूह-बद्ध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त "ग" में दिए गए उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) सुलभ तौर पर उपलब्ध भाषा सम्बन्धी जानकारी के आधार पर या पहले किए गए अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, कुछ मातृ-भाषाओं को सुसंगत भाषाओं के अन्तर्गत समूह-बद्ध करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार के समूहीकरण के बारे में 1971 और 1981 की जनगणनाओं के संबंध में प्रकाशित मातृ-भाषा विषयक सारणियों की परिचयात्मक टिप्पणी में बताया गया है। सुसंगत भाषा के अन्तर्गत ऐसा समूहीकरण उन मामलों में किया गया है जहां सुविदित मातृभाषाओं को बोलने वालों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर 10,000 अथवा उससे अधिक है। इस समूहीकरण के अनुसार मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी और कुछ अन्य मातृभाषाओं को "हिन्दी" भाषा के अन्तर्गत समूहबद्ध किया गया है।

"प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो" द्वारा प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना

[हिन्दी]

1626. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो" अंग्रेजी के अतिरिक्त किन-किन भाषाओं में प्रेस विज्ञप्ति और अन्य प्रेस सामग्री तैयार करता है;

(ख) क्या हिन्दी में प्रेस सामग्री कई दिन विलम्ब से तैयार की जाती है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है। प्रादेशिक/शाखा कार्यालय प्रेस विज्ञप्तियां अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में जारी करते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। पत्र सूचना कार्यालय सायंकाल और छुट्टियों में जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों को छोड़कर सामान्यत: प्रेस विज्ञप्तियां साथ-साथ जारी करता है। ऐसी प्रेस विज्ञप्तियों के हिन्दी पाठ सामान्यत: अगले कार्यदिवस को जारी किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों को जलाया जाना

[अनुवाद]

1627. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अनेक केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों जैसे टेलीफोन एक्सचेंजों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों को नक्सलवादियों ने जला डाला था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई;

(ग) इससे सरकारी सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे कानून तथा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाएं और ठोस कदम उठायें। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सभी संभव सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित संलग्न क्षेत्रों

के बारे में केन्द्रीय सरकार ने नक्सल विरोधी उपायों के लिए अन्तर्राज्य समन्वय में सुधार लाने के लिए उपाय किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में ताप बिजलीघर

1628. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में कोयले पर आधारित ताप बिजलीघर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इस सम्बन्ध में आज तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विशाखापत्तनम में 1560.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 मे० वा०) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग की पुष्टि अभी प्राप्त की जानी है।

दूरदर्शन द्वारा विज्ञापित निर्माताओं की सूची

1629. **डा० ए० के० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने ऐसे निर्माताओं की सूची विज्ञापित की है जिनके धारावाहिक/कार्यक्रम उसके द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किए जा चुके हैं जिससे कि वाणिज्यिक प्रयोजक उन फिल्म निर्माताओं तक पहुंच सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी सूची का आवधिक प्रकाशन होता रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बिहार में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का सुपरग्रिड

1630. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में बिहारशरीफ में स्थित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का सुपरग्रिड काम कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बिहारशरीफ में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के सुपरग्रिड के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार के नालन्दा जिले में बिहारशरीफ स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की पारेषण प्रणाली में सितम्बर, 91 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सप्लाई की गई विद्युत की सुविधा के लिए बिहारशरीफ में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पास पहले से ही 220/132 के० वी० उपकेन्द्र विद्यमान हैं।

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिक डाक सुविधा

1631. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने एक आधुनिकतम इलेक्ट्रानिक डाक सुविधाओं की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के किन-किन शहरों में यह सुविधा आरम्भ की गई है;

(घ) क्या सरकार का सभी राज्यों की राजधानियों में इस सुविधा को आरम्भ करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी० एस० एन० एल०) ने 2 अक्तूबर, 1991 से अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक डाक सेवा आरम्भ की है। यह सेवा इस समय, वी० एस० एन० एल० के बम्बई स्थित गेटवे पैकेट स्विच एक्सचेंज के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया के लिए उपलब्ध है। यह सेवा, इस सेवा से जुड़े उपभोक्ताओं से यू० के०, यू० एस० ए० और आस्ट्रेलिया के इसी प्रकार की प्रणालियों से जुड़े उपभोक्ताओं को संदेश प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है।

(ग) से (च) यह सुविधा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, पुणे और त्रिवेन्द्रम में स्थित पैकेट एसेम्बलर और डिसएसेम्बलरों (पी० ए० डी०) के माध्यम से उपलब्ध

है । यह एन० आई० सी० नेट कहे जाने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नेटवर्क के साथ-साथ, डोमेस्टिक डाटा नेटवर्क (आई-नेट) रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क (आर० ए० बी० एम० एल०), कंप्यूटर अनुरक्षण निगम की इण्डो-नेट से भी उपलब्ध है । यह सुविधा, निकटतम पी० ए० डी० को डायल करके भारत के सभी स्थानों के उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध है जहां एस० टी०डी० सुविधा है । यह राज्य की राजधानियों में पहले से ही उपलब्ध है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, मुख्यत: फ्रेंचाइल आधार पर 5 लाख और अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में भी राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक मेल सर्विस प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

1632. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता बहुत अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं ।

विवरण-1

1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.46	69.82
2.	आंध्र प्रदेश	14.87	5.93
3.	असम	6.24*	9.41*
4.	बिहार	14.51	8.31
5.	गुजरात	7.15	14.22

1 2	3	4
6. गोवा (दमन और दीव)	2.16	0.99
7. हरियाणा	19.07	—
8. हिमाचल प्रदेश	24.62	4.61
9. जम्मू और कश्मीर	8.51	9.92
10. कर्नाटक	15.07	4.91
11. केरल	10.02	1.05
12. मध्य प्रदेश	14.10	22.97
13. महाराष्ट्र	7.14	9.19
14. मणिपुर	1.25	27.30
15. मेघालय	0.41	80.85
16. मिजोरम	0.05	93.55
17. नागालैंड	—	83.99
18. उड़ीसा	14.46	22.43
19 पंजाब	26.87	—
20. राजस्थान	17.04	12.21
21. सिक्किम	5.78	23.27
22. तमिलनाडु	18.35	1.07
23. त्रिपुरा	15.12	28.44
24. उत्तर प्रदेश	21.16	0.2 :
25. पश्चिम बंगाल	21.99	5.63
संघ शासित राज्य		
1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	11.85
2. चण्डीगढ़	14.09	—
3. दादरा एवं नगर हवेली	1.97	78.82
4. दिल्ली	18.03	—
5. लक्षद्वीप	—	93.82
6. पांडिचेरी	15.99	—

*1971 की जनगणना के अनुसार (असम में 1981 में अशांत स्थिति के कारण जनगणना नहीं हो सकी थी)।

विवरण-2

1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम की प्रतिशतता वाला विवरण

अनुसूचित जातियों के सामाजार्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए विशेष संघटक योजना की कार्यनीति छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में तैयार की गई थी और तब से ही यह कार्यान्वयनाधीन है। इस समय 21 राज्य तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस कार्यनीति को कार्यान्वित कर रहे हैं।

इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना की कार्यनीति 17 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वयनाधीन है। अनुसूचित जातियों को विभिन्न प्रकार के शोषणों की प्रथाओं से बचाव के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षात्मक विधान को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट समाजार्थिक विकास के लिए 193 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं, 259 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) पाकिटों तथा 77 आदिवासी बाहुल्य समूहों में आदिवासी उपयोजना कार्यनीति के क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है। जम्मू और कश्मीर में जहां 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 10 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है वहीं राज्य सरकार ने आई० टी० डी० पी० तथा माडा क्षेत्रों के पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदिवासी बाहुल्य राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में राज्यों की समस्त योजनाएं प्राथमिक तौर पर अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित योजनाएं भी चलाई जा रही हैं :—

(1) विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(3) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना।

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक।

(5) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति।

(6) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास।

(7) आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(8) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड।

(9) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास (नई योजना)।

(10) आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों तथा तेल मूल के वृक्षों का विकास ।

(11) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता ।

(12) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

(13) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ।

(14) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अन्तर्गत योजनाएं ।

(15) राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में समान भागीदारी ।

(16) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ।

(17) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड को मूल्य समर्थन ।

(18) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड को सहायतानुदान ।

(19) आदिवासी उपयोजना में आश्रम विद्यालय ।

देश में सागर विद्युत केन्द्र

[हिन्दी]

1633. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसी सागर-विद्युत केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक संख्या में विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां । महासागर विकास विभाग द्वारा 150 किलोवाट की लहर ऊर्जा युक्ति के विकास के लिए एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना 1987 में 1.06 करोड़ रुपए की लागत पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को मंजूर की गई थी जिसकी लागत संशोधित करके लगभग 2.4 करोड़ रुपए कर दी गई है । इसके आदि प्रारूप का डिजाइन तैयार किया गया और इसका निर्माण किया गया तथा इसे समुद्र तट से दूर त्रिवेन्द्रम में स्थापित किया गया है और 21 अक्तूबर, 1991 से इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) इस समय और अधिक लहर विद्युत युक्तियां स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि त्रिवेन्द्रम में समुद्र तट से दूर लहर विद्युत युक्ति का विस्तारपूर्वक परीक्षण हो जाने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस समय गुजरात की कच्छ खाड़ी में एक ज्वार-भाटा विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

[अनुवाद]

1634. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की वर्तमान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति के लिए निर्णयाधीन विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्णयाधीन परियोजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश की वर्तमान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(I) प्रचालनाधीन विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा :

केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)
1	2
ताप विद्युत	
1. सतपुड़ा	1142.5
2. पूर्वी कोरबा	440.0
3. पश्चिमी कोरबा	840.0
4. अमरकंटक	60.0
5. अमरकंटक एक्सटेंशन	240.0
जल-विद्युत	
1. गांधी सागर	115.0

1	2
2. बारगी	90.0
3. पेन्च	160.0
4. बानसागर-टौन्स पावर हाऊस नं० 1—यूनिट नं० 1	105.0
5. बीरसिंगपुर	20.0

(2) निर्माणाधीन विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत	
1. संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र	4×210
2. कोरबा पश्चिमी तट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट 5 एवं 6	2×210
3. पेन्च ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1 एवं 2	2×210
जल विद्युत	
1. हसिदिओ बांगो	3×40
2. राजघाट जल विद्युत केन्द्र	3×15
3. बानसागर टौन्स पावर हाऊस नं० 1 यूनिट 2 एवं 3	2×105
4. बानसागर टौन्स पावर हाऊस नं० 2	2×15
5. बानसागर टौन्स पावर हाऊस नं० 3	3×20
6. टावा जल विद्युत परियोजना	12

(ख) स्वीकृति के लिए लम्बित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :—

ताप विद्युत	
1. पेन्च चरण-2 यूनिट 3 एवं 4	2×250
2. गोपद	4×500
3. संजय गांधी विस्तार	1×500
4. ग्वालियर गैस आधारित संयुक्त साइकिल संयंत्र	817
5. कोरबा (पूर्वी) विस्तार चरण-5	1×250
6. बीना	4×250

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को जहां तक सम्भव होता है, शीघ्रातिशीघ्र तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भरसक प्रयास किए जाते हैं। के० वि० प्रा० की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के पश्चात् परियोजना पर निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए योजना आयोग में कार्यवाही की जाती है।

विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेना

1635. **कुमारी उमा भारती** : क्या कल्याण मंत्री 25 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों और विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में डाक सेवाओं में सुधार

[हिन्दी]

1636. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के छोटे शहरों और गांवों में डाक सेवाओं को चलाने में घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में डाक सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) गांवों में खोले जाने वाले नए डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है और इन्हें खोलने के मानदण्ड क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी, हां। डाकघर मौजूदा मानदण्डों के अनुसार खोले जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33⅓ प्रतिशत तथा पहाड़ी/जनजातीय/रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों के मामले में 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

(ग) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में जितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, उनका विवरण नीचे

दिया गया है । लेकिन इन डाकघरों का खोला जाना इनका औचित्य पाए जाने पर निर्भर करेगा ।

जिला झांसी	6
जिला ललितपुर	4
जिला जालौन	5
जिला बांदा	6
जिला हमीरपुर	5

नए डाकघर खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए 1-4-1991 से प्रभावी मानदण्ड/मानक

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1-4-1991 से लागू हुए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए हैं :—

(i) **जनसंख्या :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (पी पी ओ ग्रामों सहित) ।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :**

किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000 ।

(ii) **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० होगी ।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :**

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में छूट होगी, उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है । प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(iii) **अनुमानित आय :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत होगी ।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी ।

विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवम्बर, 1987 से प्लान स्कीम के अन्तर्गत विभागीय उप डाकघर भी मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों/नगर-क्षेत्रों/शहरों की सीमाओं पर बसी बस्तियों/शहरी घनी बस्तियों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों के रूप में बसी ऐसी ही अन्य बस्तियों में विभागीय उप डाकघर खोलना शामिल है । दूसरे शब्दों में पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा को उस हद तक बढ़ाया जाना है जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधाएं प्रदान की जा सके ।

(ii) प्रस्तावित उप डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घण्टे प्रतिदिन होना चाहिए ।

(iii) हालांकि विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा होती है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400 रु० तक के घाटे की अनुमति दी जाती है (पहाड़ी/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में 4800 रु०) ।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

1637. **डा० सी० सिलवेरा :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :
श्री सूर्य नारायण यादव :
कुमारी दीपिका चिखलिया :
श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अभी भी लोग भारी संख्या में प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1991 को तत्सम्बन्धी श्रेणीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बड़ी प्रतीक्षा सूची को कम करने हेतु कुछ कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) 31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का श्रेणीवार और राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया है ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के प्रस्तावों के मसौदे के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर विस्तार के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ।

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना ।

— अन्य स्थानों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो अत: यह आशा की जाती है कि आठवीं योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम पूरे होने पर प्रतीक्षा सूची की स्थिति में सुधार होगा ।

विवरण

31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	ओवाईटी	गैर-ओवाईटी	विशेष	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	7818	105885	9475	123198
2.	असम	484	10745	1181	12410
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	160	—	160
4.	बिहार	772	20625	1980	23377
5.	गुजरात	16407	156820	8597	181824
6.	गोवा	2130	8413	999	11441
7.	हरियाणा	2524	51012	3766	57302
8.	हिमाचल प्रदेश	606	12552	279	13437
9.	जम्मू व कश्मीर	1339	15471	1530	18340
10.	कर्नाटक	7511	116443	7368	131322
11.	केरल	12658	180862	10650	204170
12.	मध्य प्रदेश	5775	81619	6589	93983

1	2	3	4	5	6
13.	मणिपुर	104	1778	256	2138
14.	मेघालय	320	1375	140	1835
15.	महाराष्ट्र (बम्बई सहित)	43232	393631	13357	450220
16.	मिजोरम	167	776	136	1079
17.	नागालैण्ड	178	888	125	1191
18.	उड़ीसा	18	6471	120	6609
19.	पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	9407	119097	10458	138962
20.	राजस्थान	6672	103153	9111	118936
21.	तमिलनाडु (मद्रास सहित)	16778	173174	13957	203909
22.	त्रिपुरा	82	925	130	1137
23.	उत्तर प्रदेश	4291	103916	1854	115061
24.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित)	2302	54586	2150	59038
25.	सिक्किम	59	301	25	385
26.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	15022	3206	303894	322122
27.	संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	383	4279	445	5107
28.	संघ शासित क्षेत्र लक्यद्वीप	—	394	1	395
29.	संघ शासित क्षेत्र अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह	19	405	19	443

उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र पर जनजातीय भाषा कार्यक्रम

1638. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में दूरदर्शन द्वारा आदिवासी भाषा कार्यक्रमों के लिए दिए गए समयों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : ऐसे कार्यक्रमों के आबंटन के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया है।

बिहार में चतरा में स्वचालित एस० टी० डी० टेलीफोन केन्द्र

[हिन्दी]

1639. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में चतरा जिले के मुख्यालय चतरा में स्वचालित एस० टी० डी० टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) इसकी स्थापना कब तक की जाएगी;

(ग) क्या वर्तमान टेलीफोन सुविधाएं बिलकुल अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां । इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहा है ।

(ख) चतरा जिला मुख्यालय अभी हाल में बना है । यहां 1992-93 में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के जामनगर जिले में डाकघर

[अनुवाद]

1640. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय गुजरात के जामनगर जिले में अनेक गांवों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सभी गांवों में यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जामनगर जिले के किन-किन स्थानों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जी हां । जामनगर जिले में 369 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी डाकघर नहीं हैं । विभागीय मानदण्डों के अनुसार इन गांवों में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जामनगर जिले के मोजाप, वेह, जुवानगढ़ नामक गांवों में डाकघर खोले गए ।

जम्मू और कश्मीर समस्या पर सर्वदलीय बैठक

1641. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर समस्या पर 13 नवम्बर, 1991 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य के राजनीतिक नेताओं तथा प्रख्यात राजनीतिक व्यक्तियों की 13-11-91 को एक बैठक हुई। देश की एकता और अखण्डता को उत्पन्न चुनौती का दृढ़संकल्प से सामना करने के लिए लोगों द्वारा किए गए संकल्प को बैठक में दोहराया गया। बैठक में जम्मू और कश्मीर पुलिस सहित सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में अत्यन्त कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में आतंकवाद का सामना करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई तथा सुरक्षा बलों के उन सभी सदस्यों के परिवारों प्रशासन, तथा उन नागरिकों के प्रति शोक व्यक्त किया गया जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया।

अन्तर्ग्रस्त बाहरी पहलुओं सहित, राजनीतिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुझाव दिए गए हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत करना जारी रहेगा ताकि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को बहाल किया जा सके। बैठक में राज्य के सभी गुमराह हुए युवकों से पतन की राह पर ले जाने वाले हिंसा के रास्ते को त्यागने तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में राजनीतिक मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया गया है।

पारित प्रस्ताव की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अनेक प्रमुख राजनैतिक व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए और प्रशिक्षित किए गए उग्रवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में लगातार की जा रही गतिविधियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की जिन गतिविधियों से राज्य के लोगों को व्यापक पीड़ा पहुंची, निर्दोष लोगों की जानें गयीं, सम्पत्ति को नुकसान हुआ, वे आजीविका के साधनों से वंचित हुए, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां अस्त-व्यस्त हुई, हजारों परिवारों को अपने घरों तथा गांवों को छोड़ना पड़ा, इस प्रकार से वे हमारे धर्म-निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्यों को गम्भीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

कश्मीर मे धर्म-निरपेक्षवाद की शानदार प्रथाएं हैं। राज्य में धर्म-निरपेक्ष ताकतों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में देश की एकता और अखण्डता को उत्पन्न चुनौती का दृढ़ संकल्प से सामना करने के लिए लोगों और उनके प्रतिनिधियों के संकल्प को दोहराया गया बैठक में जम्मू और कश्मीर पुलिस सहित सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में अत्यन्त कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में आतंकवाद का सामना करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई तथा सुरक्षा बलों के उन सभी सदस्यों के परिवारों, प्रशासन तथा उन नागरिकों के प्रति शोक व्यक्त किया गया जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया।

उग्रवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरे का मुकाबला अधिक से अधिक लोगों को एक जुट करके ही किया जा सकता है। बैठक में जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों से इस कठिन समय में संगठित होने के लिए अपील की गई है ताकि शांति बहाल हो सके।

अन्तर्ग्रस्त बाहरी पहलुओं सहित, राजनीतिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय समस्याओं से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुझाव दिए गए हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत करना जारी रहेगा ताकि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को बहाल किया जा सके। बैठक में राज्य के सभी गुमराह हुए युवकों से पतन की राह पर ले जाने वाले हिंसा के रास्ते को त्यागने तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया गया।

बिहार में छोटानागपुर के गांवों में टेलीफोन सुविधायुक्त डाकघर

1642. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में छोटानागपुर के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधायुक्त डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) बिहार के छोटानागपुर में 10725 गांव हैं। इनमें से केवल 1767 में ही डाकघर हैं। डाकघरों को, विभागीय मानदण्डों के अनुसार उनका औचित्य पाए जाने पर तथा साथ ही डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखकर खोला जाता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक गांव में डाकघर खोलना सम्भव नहीं है। इस वर्ष अर्थात 1991-92 के दौरान छोटानागपुर में 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, प्रत्येक पंचायत ग्राम में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए ठेका देने हेतु मानदण्ड

1643. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें बिछाने हेतु ठेके देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में प्राप्त निविदाओं की संख्या कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रम सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर ठेके देने का है, यदि हां, तो इसकी कार्य प्रणाली क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ठेकेदारों की कमी के कारण राजपुर, सिंधुदुर्ग और रत्नगिरी जिलों में लाइनें बिछाने का काम प्रभावित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए खुली निविदा के जरिए ठेके दिए जाते हैं।

(ख) कभी-कभी, आतंकवाद ग्रस्त दूरदराज के क्षेत्रों में उपयुक्त ठेकेदार मिलने में कठिनाइयां होती हैं और निविदा देने वालों की संख्या कभी-कभी कम होती है।

(ग) श्रमिक सहकारी समितियों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रमिक सहकारी समितियों को भी खुली निविदा में भाग लेना पड़ता है और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल के एर्नाकुलम जिले में टेलीफोन के लिए आवेदन पत्र

1644. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के एर्नाकुलम जिले में टेलीफोनों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) एर्नाकुलम राजस्व जिले में 30-9-91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 30396 आवेदन दर्ज हैं।

(ख) 8वीं योजना के मसौदा प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्यों के आधार पर विस्तार कार्यक्रम तैयार किया गया है :

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहार्यतः मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना।

— अन्य स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न होना।

तदनुसार, प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को 8वीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

इन्दौर में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज

[हिन्दी]

1645. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय इन्दौर में कितने इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, कितने निर्माणधीन हैं और इन एक्सचेंजों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) क्या भविष्य में और इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 5 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। मौजूदा एक्सचेंजों का 7500 लाइनों से विस्तार करने का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 1992 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) जी हां।

(ग) निकट भविष्य में 1992-93 के दौरान नेहरू पार्क में 10000 लाइनों के एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की योजना बनाई गई है।

बिहार में सुपर ताप बिजलीघर

1646. **श्री छेदी पासवान** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिला हजारीबाग मे उत्तर कर्मपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2×500 मे० वा०) की स्थापना के सम्बन्ध में एन० टी० पी० सी० से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना, जल की उपलब्धता की पुष्टि किया जाना आदि शामिल हैं। इन मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय किए जाने के बाद परियोजना के सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा

[अनुवाद]

1647. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री एच० के० मुनियप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों,

विधान-परिषद के सदस्यों, राज्य सभा के सदस्यों और राजदूतों के कुछ पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के संबंधित उपबंधों की शर्तों पर की जाती है जिनमें किसी भी जाति अथवा वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 334 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केवल लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में ही आरक्षण की व्यवस्था करता है। तथापि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के सुप्रसिद्ध व्यक्ति राज्य सभा अथवा विधान परिषदों के सदस्य बन सकते हैं।

भारतीय विदेश सेवा में भर्ती हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है।

महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं है।

अनाथों का कल्याण

1648. **श्री ए० डेनिस** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनाथों के कल्याण संबंधी उपायों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनाथ और निराश्रित बच्चों के समग्र विकास के लिए देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याणार्थ केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता, आदिवादी क्षेत्रों की छोड़कर जहां यह 95% है, अनुमानित लागत के 90% तक अथवा वास्तविक व्यय तक, जो भी कम हो, सीमित की जाती है। वित्तीय सहायता पर व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, भारत सरकार की सहायता 90% और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 95% है। स्वयंसेवी संगठनों को व्यय का 10% अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 5%, जैसा भी मामला हो, अंशदान करना होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि निम्नानुसार

है :—

वर्ष	राशि रु० में
1988-89	2,88,98,319/-
1989-90	3,39,88,978/-
1990-91	5,00,86,087/-

डेसू प्रणाली का नवीकरण

1650. **श्री तारा चंद खण्डेलवाल :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान की कार्य प्रणाली का नवीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू द्वारा अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए की गई कार्यवाही में विभिन्न क्रिया-कलापों से संबंधित पद्धतियों को सरल/युक्तिसंगत बनाना, विद्युत की चोरी/दुरुपयोग को रोकने के लिए छापे मारने के कार्य को तेज करना, पारेषण और वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए "बिजली अदालतों" का गठन करना, बिल बनाने से संबंधित आंकड़ों के स्पीडी फीडिंग/सुधार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित करना, विद्युत फेल होने की शिकायतें आदि की रिपोर्ट करने के लिए केन्द्रीय शिकायत केन्द्र स्थापित करना आदि शामिल हैं ।

डेसू को हुई हानि

1651. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से अक्तूबर, 1991 तक डेसू को हुई हानि का (वर्ष-वार) ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) हानि को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान डेसू के कितने कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई और उसके क्या कारण थे;

(ङ) पिछले 12 महीनों के दौरान डेसू के कितने कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए, निलम्बित किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(च) डेसू कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय मामलों की संख्या का पूरा ब्यौरा दें और इन मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा लेखे वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किए जाते हैं, तदनुसार, संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए में)
1989-90	233.29 (अनन्तिम)
1990-91	239.76 (अनन्तिम)
1991-92 (अक्तूबर, 91 तक)	70.00 (अनुमानित)

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन/इसकी खरीद संबंधी लागत सहित विभिन्न निवेशों की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने और अप्रैल, 1985 से इसके टैरिफ में संगत वृद्धि न किए जाने के परिणामस्वरूप डेसू को काफी अधिक राजस्व की हानि हो रही है। हानियों को कम करने के उद्देश्य से 1-3-1991 से टैरिफ में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, डेसू द्वारा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने और बिजली की चोरी/इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु उपाय किए गए हैं।

(घ) नवम्बर, 1990 से अक्तूबर, 1991 के दौरान बिजली के करंट, सड़क दुर्घटनाओं, बिजली के खम्भों/सीढ़ी से नीचे गिरने अथवा इलेक्ट्रिक फ्लैश-ओवर में जलने आदि के कारण डेसू के 15 कर्मचारियों की मृत्यु हुई।

(ङ) और (च) पिछले वर्ष के दौरान अपराधिक कार्यकलापों, दुर्व्यवहार एवं अन्य अनियमितताओं के दोषी 181 डेसू कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए थे एवं 47 को निलम्बित किया गया था। अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार डेसू कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 494 विभागीय मामले लम्बित हैं। इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए डेसू द्वारा अपने सतर्कता विभाग को और अधिक कारगर बनाया गया है/सुदृढ़ किया गया है तथा दो अभियोजन सैल स्थापित किए गए हैं।

रजिस्टर्ड डाक सेवा के लिए कम्प्यूटर

[हिन्दी]

1652. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डाक मण्डल के अन्तर्गत आने वाले डाकघरों में रजिस्टर्ड डाक सेवा के लिए कुल कितने कम्प्यूटर लगाए गए हैं तथा ये कम्प्यूटर किस-किस समय से लगाए गए हैं;

(ख) कम्प्यूटर स्थापित किए जाने से पहले तथा इसके बाद इस कार्य में लगाए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या कम्प्यूटरीकरण के कारण रजिस्टर्ड डाक पर सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कंप्यूटर स्थापित करने का क्या उद्देश्य है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिल्ली डाक सर्किल में जनवरी से अगस्त, 91 तक पी० सी० पर आधारित 16 काउंटर मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों से काउंटरों पर रजिस्टर्ड डाक सहित डाक संबंधी विभिन्न लेन-देन सम्पन्न किए जाते हैं।

(ख) कम्प्यूटर स्थापित किए जाने से पहले तथा इसके बाद इस कार्य में लगे कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 22 और 17 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कम्प्यूटर स्थापित करने का उद्देश्य उपभोक्ता—संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाना है।

बदायूं में टेलीफोन एक्सचेंजों का बदलना

1653. श्री राजवीर सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बदायूं टेलीफोन एक्सचेंज का इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1992-93 में बदायूं में 1400 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है और यह एक्सचेंज मौजूदा इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंज के स्थान पर लगाया जाएगा।

विस्तार योग्य सी-डॉट टाइप का एक 1500 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज भी बदायूं जिले में आठवीं योजना के दौरान चालू किए जाने की योजना है ताकि यहां की काफी दिनों से लम्बित मांग पूरी की जा सके।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में लम्बित बिजली परियोजनाएं

1654. श्री भगवान शंकर रावत : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई बिजली परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कितनी यूनिटें हैं और वे बिजली का कितना उत्पादन करती हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में बिजली की कुल मांग कितनी है और उसकी वस्तुतः कितनी पूर्ति की जाती है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां । ब्यौरा निम्नवत है :

परियोजना का नाम	क्षमता	के० वि० प्रा० में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1. बिलथरस रोड़	3×250 =750 (संशोधित)	12/88(1) 5/90(2)	ईंधन लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली की अभी पुष्टि की जानी है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है । 3×250 मे० वा० क्षमता के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट के० वि० प्रा० में 25-11-91 को प्राप्त हुई थी ।
जल-विद्युत			
1. खारा	24×3 =72	उपलब्ध नहीं	के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से 18-3-85 की स्वीकृति प्रदान की गई थी । हरियाणा के साथ अन्तर्राज्जीय पहलुओं का समाधान किया जाना है । वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति भी प्रतीक्षित है। (निर्माणाधीन परियोजना)
2. बसौली	5×0.956 =4.780	10/90	केन्द्रीय जल आयोग और पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की टिप्पणियों के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों से उत्तर भी प्रतीक्षित है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की भी अनुपालना की जानी है।

1	2	3	4
3. बाबेल	3	—	योजना आयोग के पास निवेश संबंधी अनु-
4. बेल्का	3	—	मोदन के लिए लम्बित हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रचालनाधीन केन्द्रों का ब्यौरा निम्नवत है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट) (अप्रैल से अक्तूबर, 1991)
1. सिंगरौली एस० टी० पी० पी०	5 × 200 + 2 × 500 = 2000	7707.7
2. रिहन्द एस० टी० पी० पी०	2 × 500 = 1000	3768.6
3. औरैया जी० पी० पी०	4 × 112 + 2 × 102 = 652	3498.0

(घ) उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक विद्युत की कुल मांग 18175 (मिलियन यूनिट) थी तथा इस अवधि के दौरान 16325 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध थी।

चण्डीगढ़ के गांवों में डाकघरों का खोला जाना

[अनुवाद]

1655. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के किन-किन गांवों में डाकघर नहीं हैं; और

(ख) इन गांवों को डाकघर सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, उनके नाम हैं अटवा, बटेरला, बैर माजरा, चोहर पुर, चाहर, तरक, बुरैल, दरिया, झुमरू, कैम्बवाला, खुदालीशेर, खुर्दा जस्सू, लोहारा, काभेरी, बिजानपुर, कुमरा, निजामपुर बुर्रैल, करसन मौली, जातरां, रायपुर खुर्द, सारंगपुर, शाहपुर, पालसोरा और तारापुर।

(ख) खुर्दा, लोहारा और दरिया गांवों को छोड़कर, जिनके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, उक्त सभी गांवों में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं है।

धाराबाहिक "आमने सामने" की पुनरीक्षा करने के लिए गठित समिति से दो विशेषज्ञों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना

1656. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक "आमने सामने" की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने फरवरी 1990 में 15 गैर-सरकारी सदस्यों का एक पैनल बनाया था जिनमें से दो सदस्यों ने बाद में सरकार को सूचित किया कि वे उक्त पैनल से अपने आप को अलग कर रहे हैं।

(ख) सरकार ने इस तथ्य को नोट कर लिया है।

बुल्डाना जिला, महाराष्ट्र के नगरों में एस० टी० डी० सुविधा

1657. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 के दौरान बुल्डाना जिला, महाराष्ट्र के नगरों, विशेष-कर मल्कपुर में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) (i) खामगांव में एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। बुल्ढाना के लिए एस० टी० डी० 30-11-91 को चालू किए जाने की योजना है।

(ii) मलकापुर में 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

(iii) बुल्ढाना जिले के अन्य सभी स्थानों पर 8वीं योजना के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर और ऊना में फैक्स सेवा

1658. **श्री प्रेम धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर तथा ऊना में फैक्स सेवा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) तारघरों में यह सेवा 1992 में प्रदान की जाएगी।

(ग) लागू नहीं।

पुलिस संचार में "माइक्रो-वेव" प्रणाली की व्यवस्था

[हिन्दी]

1659. **श्री राम नारायण बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य पुलिस बलों को चुस्त बनाने के लिए उन्हें "माइक्रो-वेव" प्रणाली की संचार सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक शुरू कर दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन राज्य, जिला तथा पुलिस स्टेशन स्तरों पर वायरलैस संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिए पहले से एक कार्यक्रम है । संचार उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

भारतीय प्रसारण सेवा का सृजन

1660. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्यासूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रसारण सेवा के सृजन की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा पहले ही 5-11-1990 को अधिसूचित की जा चुकी है ।

गुजरात के हरिजन

[अनुवाद]

1661. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के चित्रोदीपुर मेहसाना गांव के सभी हरिजन गांव छोड़ चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है; और

(ग) उन व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) गांव चित्रोदीपुर, मेहसाना, गुजरात से

अनुसूचित जातियों के कल्याण पलायन के बारे में एक रिपोर्ट गुजरात राज्य सरकार से मांगी गयी है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अन्य देशों के लिए होम डायरेक्ट सेवा

1662. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अन्य देशों के लिए "होम डायरेक्ट सेवा" आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा किन-किन देशों के लिए आरम्भ की गयी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लोक सभा में श्री वी० एस० विजयराघवन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1662 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिनांक 2-12-1991 को सभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण

1. यह सेवा दिनांक 1-11-91 से 8 देशों के लिए शुरू की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

	सम्पर्क कोड		
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	000	111	7
2. ब्रिटेन	000	441	7
3. जापान	000	811	7
4. इटली	000	391	7
5. स्पेन	000	341	7
6. सिंगापुर	000	651	7
7. नीदरलैंड	000	311	7
8. कनाडा	000	16	7

एस० टी० डी०/आई० एस० डी० सुविधा युक्त किसी भी टेलीफोन से उपर्युक्त सम्पर्क कोड

डायल, करके इन 8 में से किसी भी देश को काल की जा सकती है यह सेवा पर्यटन स्थलों, हवाई अड्डों, पांच सितारा होटलों तथा टेलीफोन ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर संस्थापित समर्पित (डेडिकेटेड) टेलीफोनों पर भी उपलब्ध है।

2. अपेक्षित कोड डायल करने पर दूर बैठे आपरेटर द्वारा काल का उत्तर दिया जाएगा और फिर वह काल किए गए नम्बर का पुष्टिकरण करने के बाद (कनेक्ट काल) के आधार पर अपेक्षित नम्बर पर काल करवा देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को की गयी कालों के लिए ए टी एण्ड टी कोडों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. डेडिकेटेड फोन से की गयी प्रत्येक प्रभावी काल के लिए 20/- रुपए शुल्क लिया जाएगा और की गयी काल के प्रभार प्रति प्रभावी काल के लिए एक मीटरिंग यूनिट होगा।

उत्तरी बंगाल क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार

1663. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तरी बंगाल क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उत्तर बंगाल के, बड़े और मध्यम क्षमताओं के टेलीफोन एक्सचेंजों को आठवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है। इनमें एस० टी० डी० सुविधा का भी प्रावधान होगा। इसके अलावा अधिकांश छोटे एक्सचेंजों को भी आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में किए गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, कूचबिहार, कलिंगपोंग, कुरसियांग, बागडोगरा, मालदा, रानीगंज और बलुरघाट में एस० टी० डी० सुविधाएं शुरू की गई हैं।

(ii) कूचबिहार, सिलीगुडी, कलिंगपोंग कुरसियांग, बागडोगरा मालदा और बलुरघाट के एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि की गयी है ताकि पिछले कुछ वर्षों की मांग पूरी की जा सके।

(iii) रानीगंज में मैनुअल एक्सचेंज को हटाकर 600 लाइनों का एक स्वचालित एक्सचेंज चालू किया गया है।

(iv) 19 छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए गए हैं।

विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों को पेंशन

[हिन्दी]

1664. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों को पेंशन दिए जाने की सिफारिश के सम्बन्ध में संसदों का कोटा जनसंख्या में अन्तर का ध्यान दिए बिना समान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनसंख्या के अनुसार कोटा को बढ़ाने या घटाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के सामने दिए गए उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में डाक और तारघरों की स्थापना करने सम्बन्धी लक्ष्य

[अनुवाद]

1665. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में वर्ष 1990-91 के दौरान डाक और तारघर स्थापित करने सम्बन्धी लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1991-92 हेतु जिलेवार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) डाकघर :

वर्ष 1990-91 में डाकघर खोलने के निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :—

जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1. विशाखापटनम	2
2. विजिनगरम्	2
3. श्रीकाकुलम्	1

तारघर :

विशाखापटनम, विजिनगरम और श्रीकाकुलम में तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) डाकघर :

विशाखापटनम जिले के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किया गया क्योंकि वर्ष 1990-91 के दौरान इन जिलों के लिए कोई औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) तारघर :

उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में खोले जाने वाले डाकघरों और तारघरों का जिला-वार लक्ष्य

क्रम सं०	जिला	डाकघर	तारघर
1	2	3	4
1.	अदीलाबाद	1	1
2.	अनन्तपुर	5	3
3.	चित्तूर	2	—
4.	कुडापेह	3	—
5.	पूर्वी गोदावरी	5	2
6.	गंटूर	2	1
7.	हैदराबाद	4	1
8.	करीमनगर	5	—
9.	खम्माम	3	2
10.	कृष्णा	—	3
11.	कुर्नूल	2	2
12.	महबूब नगर	1	—
13.	मेडक	2	—
14.	नलगौंडा	1	1
15.	निजामाबाद	2	1
16.	प्रकाशम	2	—
17.	श्रीकाकुलम	3	1

1 2	3	4
18. विशाखापटनम	5	—
19. वारंगल	3	—
20. पश्चिमी गोदावरी	2	—
21. नेल्लोर	3	—
22. विजिनगरम	4	—
23. रंगा रेड्डी	2	—

बिहार में बिजली की कमी के कारण बन्द उद्योग

[हिन्दी]

1666. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या विद्युत और गैर-पम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार में बिजली की कमी से पटना, रोहतास और भोजपुर जिलों में काफी संख्या में उद्योग बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे लघु उद्योगों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) सरकार द्वारा बिहार के पटना, रोहतास और भोजपुर जिलों में पर्याप्त बिजली देने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार के पटना, रोहतास तथा भोजपुर जिलों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई, राज्य की वितरण प्रणाली द्वारा की जाती है और यह राज्य सरकार/रा० बि० बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में है । अप्रैल-अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान, बिहार में ऊर्जा की कमी 31.8% थी । बिहार में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां लागू नहीं हैं और विद्युत की कमी की पूर्ति, विद्युत की दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता के आधार पर प्रतिबन्धों/लोड शैडिंग के माध्यम से की जाती है ।

(ग) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उत्पादन को अधिकतम करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी लोड प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था करना और ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपाय करना । विद्युत प्रणाली में विद्युत के अन्तरण सम्बन्धी अनुकूल परिस्थितियां होने पर पूर्वी क्षेत्र की पड़ौसी प्रणालियों और उत्तरी ग्रिड से भी बिहार को सहायता प्रदान की जाती है ।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण

1667. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा विगत एक वर्ष के दौरान कुल कितने घंटे कार्यक्रम प्रसारित किए तथा भाषावार कितना समय आवंटित किया गया;

(ख) क्या दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी भाषा में जितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए वे अंग्रेजी भाषा जानने वालों की संख्या के अनुपात से कहीं अधिक थे;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी भाषा जानने वालों की संख्या अधिक होने को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी से हिन्दी कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऊर्जा ग्राम योजना

1668. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में रांची के गांवों को ऊर्जा ग्राम योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी हां, रांची जिले के विकास खंड ओरमांझी के गांव रुक्का में एक ऊर्जा ग्राम परियोजना की स्थापना की गई है । इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई है : उन्नत चूल्हे, सौर सड़क रोशनियां, सौर पम्प, सौर टेलीविजन, सौर सामुदायिक रोशनी प्रणाली, सौर कुकर, पारिवारिक आकार बायोगैस संयंत्र और पवन चक्कियां ।

चुनाव के पहले हरियाणा और पंजाब के बीच क्षेत्रीय विवादों का निपटान

1669. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार का फरवरी, 1991 में होने वाले पंजाब विधान सभा चुनाव के पहले हरियाणा और पंजाब के बीच भाषा के प्रश्न पर और चण्डीगढ़ के मुद्दे पर क्षेत्रीय विवाद का हल ढूंढने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मुद्दों पर निर्णय लेने के पूर्व सम्बन्धित राज्यों को विश्वास में लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"राजीव हत्याकाण्ड पहली सुनवाई पर एक भी वकील उपस्थित नहीं हुआ" शीर्षक सम्बन्धी समाचार

1671. **श्री राम शरण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्टूबर, 1991 के पंजाब केसरी में "राजीव हत्याकाण्ड पहली सुनवाई पर एक भी वकील उपस्थित नहीं हुआ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्मा आयोग ने राजीव गांधी हत्याकाण्ड की पूछताछ के दौरान केन्द्रीय सरकार के सभी वकीलों की अनुपस्थिति के प्रति घोर आपत्ति प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान सभी वकीलों की अनुपस्थिति के कारणों की जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) आयोग की प्रथम प्रारम्भिक सुनवाई 7 अक्तूबर, 1991 को हुई । इस बारे में समाचार पत्रों में नोट्स प्रकाशित किया गया था । क्योंकि भारत सरकार को, कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कोई विशिष्ट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, अत: सरकार की ओर से कोई वकील उस दिन आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ । फिर भी, इसके उपरांत हुई सुनवाईयों में महान्यायवादी, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं ।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करना

[अनुवाद]

1672. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की धारा 341(2) तथा 342(2) के अंतर्गत सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो संसद के समक्ष संवैधानिक संशोधन के कब तक लाए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

संपत्ति कर से बचने के लिए झूठे शपथ पत्र

1673. **श्री एस० एन० बेकारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे सम्पत्ति मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कानून के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए जो अपनी सम्पत्तियों पर लगने वाले दिल्ली नगर निगम सम्पत्ति कर से बचने लिए झूठे शपथपत्र दाखिल करते हैं; और

(ख) क्या ऐसे मामलों में कोई आपराधिक कार्यवाही की जाती है, यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत दो वर्षों के दौरान कार्यवाही की गई थी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि झूठे शपथ पत्र दाखिल करने वाले सम्पत्ति के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। झूठे शपथ पत्र दाखिल करने के लिए भारतीय दंड संहिता के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जानी है। पिछले दो वर्षों के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई।

उड़ीसा में बालासोर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

1674. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० टी० ओ० भवन तथा टेलीफोन/डाक कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों की निर्माण योजना तथा बालासोर (उड़ीसा) में टेलीफोन एक्सचेंज भवन निर्माण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भवनों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रगय्या नायडु) : (क) (i) विभागीय भवन में विभागीय तारघर पहले ही कार्य कर रहे हैं।

(ii) विभागीय भवन में टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही कार्य कर रहा है। भवन में वर्तमान टेलीफोन प्रणाली का विस्तार किया जा सकता है।

(iii) **दूरसंचार** : 21 स्टाफ क्वार्टर पहले ही उपलब्ध हैं।

डाक : डाक विभाग ने निधि उपलब्ध होने पर बालासोर में डाक कर्मचारियों के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 33 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण को मंजूरी दी है।

(ख) दूरसंचार : निकट भविष्य में भूमि के अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है। फिर भी लम्बी अवधि की योजना की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार को भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

डाक : स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए डाक विभाग ने अलग से एक भूखण्ड पहले ही प्राप्त कर लिया है।

(ग) दूरसंचार : लागू नहीं।

डाक : अधिग्रहित भूमि पर विवाद के कारण क्वार्टरों के निर्माण में विलम्ब है और यह मामला न्यायाधीन है।

तमिलनाडु में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

1675. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां 1991-92 के दौरान दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या तमिलनाडु में इरोड या तिरूचेनगोडू में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि चालू वित्त वर्ष (1991-92) की शेष अवधि के दौरान तमिलनाडु में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्यक्रम नहीं है। किन्तु, नागपट्टिनम में एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है और इस ट्रांसमीटर को 1992-93 के दौरान चालू किए जाने की उम्मीद है। राज्य के आरकोट, मयूरम, राजपलायम और कुंबकोणम में, साधनों की वास्तविक उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता को देखते हुए एक-एक अर्थात् कुल चार और ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी कार्यक्रम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

धारावाहिकों के लिए दूरदर्शन द्वारा नए निर्माताओं को अवसर प्रदान करना

[हिन्दी]

1676. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारावाहिक और लघु फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए केवल उन्हीं निर्माताओं को वरीयता दी जाती है जो इस क्षेत्र में काफी समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) धारावाहिक अथवा लघु फीचर फिल्मों का निर्माण करने हेतु कितने नए निर्माताओं ने दूरदर्शन के पास आवेदन भेजे हैं; और

(ग) अस्वीकार/स्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या कितनी है तथा उन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन, निर्माताओं की ऐसी सूची नहीं रखता है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान टेली फिल्मों तथा टेली सीरियल के लिए 51 प्रस्ताव अस्वीकृत तथा 26 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	शीर्षक	निर्माता	(राशि रु० में)
1	2	3	4
टेली सीरियल			
1.	दिशा	श्री प्रीक्षित साहनी	32,50,000
2.	फरमान	श्री गुल आनन्द	26,00,000
3.	सोनेजाल (10 गीत)	मैसर्स मीर आर्ट फिल्म्स	2,50,000
4.	सफर-ए-नेका	मैसर्स बीटास्टा विजन	3,50,000
5.	एक्सपेरीमेंटल क्वीज	मैसर्स पी० टी० यू० इंटरनेशनल	4,00,000
6.	फोकटेल्स आफ कश्मीर	मैसर्स वीडियो फ्रेम	2,80,000
7.	फोकटेल्स आफ जम्मू	मैसर्स जम्मू फिल्मस्	2,80,000
8.	सकन्दर पूर्णम	मैसर्स मनियन क्रिएशन्स	22,75,000
9.	इन्थारो महानू मबुलू	मैसर्स नाटकरास	4,00,000
10.	अरूगामपुल	मैसर्स थामाराय मनालन	2,50,000
11.	आर एक जगत	मैसर्स एक्स विजन	2,10,000
12.	कथा-ओ-रूप	मैसर्स पी० गांगुली प्रोडक्शन्स	2,10,000
13.	कुलीन प्रासान	मैसर्स एस० मजूमदार	3,50,000
14.	पश्चिम बेंगा—एडेरो	श्री डी० डे०	1,65,000
15.	मस्या वि रात	श्री केसर	19,50,000

1	2	3	4
टेली फिल्में			
1.	गंगा लहरी	श्री पी० भद्रव्रत	9,00,000
2.	धनथेर	मैसर्स सिटीला फिल्मस्	2,75,000
3.	बहेतु चिराग	मैसर्स स्कोप कम्युनिकेशन्स	2,50,000
4.	एहसास	मैसर्स एम० एस० एन० फिल्मस्	1,50,000
5.	सौदागर	मैसर्स प्राइवेट टेलीविजन यूनिट	2,50,000
6.	कुंजो बूरीर गाल्पो (10 कार्यक्रम)	श्री जयन्ती सेन	1,35,000
7.	भालो भालो	श्री चिनमय राय	4,25,000
8.	मुखुंगुली	श्री राजादास गुप्ता	4,25,000
9.	ईधाया चुरंगम	मैसर्स कवितालय प्रोडक्शन्स	14,35,000
10.	दि आंसर	श्री के० एस० सेतुमाधवन	15,00,000
11.	ए रिपोर्ट ऑन चक्र (संगीत कार्यक्रम)	मैसर्स अनिता रत्नम राज	1,50,000

केरल में त्रिचूर जिले में विभागेतर डाकघर

[अनुवाद]

1677. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के त्रिचूर जिले में, विशेषरूप से पश्चिम कोरट्टी में विभागेत्तर डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विभागेत्तर डाकघर कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) 1991-92 के दौरान त्रिचूर जिले में तीन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । ये हैं :—

(i) अदुरत्रिचूर

(ii) मुलक्कादन; और

(iii) तालविल्लम

तथापि, चालू वर्ष के दौरान पश्चिमी कोरस्ती में अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाल सुरक्षा निकाय

1678. डा० जी० एल० कनौजिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए बाल सुरक्षा निकाय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के बच्चों को सहायता देने के लिए सरकार का एक साम्प्रदायिक सद्भावना राष्ट्रीय फाऊंडेशन गठित करने का विचार है।

1990-91 के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

[हिन्दी]

1679. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना विद्युत-उत्पादन किया गया है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या उक्त लक्ष्य देश की मांग के अनुरूप है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य 271.25 बिलियन यूनिट रखा गया था, जिसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन 264.23 बिलियन यूनिट रहा।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 283.45 बिलियन यूनिट रखा गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए प्रत्याशित निवल ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य 261668 मिलियन यूनिट (283450 मि० यू० सकल) रखा गया है जबकि प्रत्याशित ऊर्जा आवश्यकता 286000 मि० यू० है।

कर्नाटक में अरासिकेरे और मान्ड्या लघु क्षमता वाले प्रसारण स्टेशन

[अनुवाद]

1680. श्री जी० माडेगौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में अरासिकेरे और मान्ड्या जिले में लोग बंगलौर के दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अरासिकेरे और मान्ड्या में लघु क्षमता वाले प्रसारण स्टेशन स्थापित करना का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय हासन में एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है। हासन जिले में अरासिकेरे इस ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के बाहर पड़ता है। मान्ड्या जिले के भागों को बंगलौर में कार्यरत उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है।

(ख) इस समय अरासिकेरे और मान्ड्या में अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए देश में दूरदर्शन सेवा का चरणों में विस्तार किया जा रहा है। मैसूर में साधनों की वास्तविक उपलब्धता और सम्बन्धित प्राथमिकताओं के अनुसार लगाए जाने के लिए परिकल्पित दूरदर्शन ट्रान्समीटर के कार्यान्वित हो जाने से मान्ड्या और हासन जिलों में दूरदर्शन कवरेज ने सुधार होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

1681. **श्री राम सागर** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कितने गांवों को बिजली की सप्लाई आरम्भ की गयी है; और

(ख) चालू वर्ष के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 33 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चालू वर्ष के दौरान बाराबंकी जिले में 45 गांवों के विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

"डाक टिकट का प्रकाशन" तथा "पलाक्कड मणि अय्यर संगीत समारोह" धारावाहिक का दूरदर्शन से प्रसारण

[अनुवाद]

1682. श्री पलाई के० एम० सैय्यू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यंग्य-चित्रकार स्वर्गीय शंकर पर "डाक टिकट का प्रकाशन" तथा "पलाक्कड़ मणि अय्यर संगीत समारोह" का दूरदर्शन पर प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इन धारावाहिकों के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि उक्त समारोहों को क्रमशः 31-7-91 और 4-11-91 को प्रसारित समाचारों में कवर किया गया था। दिल्ली से 10-11-91 को चैनल-2 पर प्रसारित कार्यक्रम "राजधानी से" में संगीत समारोह के बारे में भी कार्यक्रम दिया गया।

नंदीकुर में तापीय विद्युत संयंत्र

1683. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के नन्दीकुर में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मन्जूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को मन्जूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कर्नाटक के नन्दीकुर में मंगलौर सुपर ताप विद्युत परियोजना (2×210 मेगावाट) की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव के लिए उड़न राख समुपयोजन, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना और राख निपटान सम्बन्धी जैसे विशेष मुख्य मुद्दों के साथ-साथ पर्यावरण/वन सम्बन्धी दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।

कोट्टायम जिले में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

1684. श्री रमेश चेन्निथला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम जिले के अन्दर इलैक्ट्रॉनिक ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) 1991-92 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए 12 ग्रामीण इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज यूनिटों की योजना बनाई गई है ।

गुजरात में डाकघरों के लिए भवन

[हिन्दी]

1685. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में ऐसे स्थानों पर डाकघरों के लिए भवनों के निर्माण का विचार है, जहां पर डाकघर नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) गुजरात के सभी डाकघरों के लिए भवन बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, आवश्यकता के आधार पर एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, बशर्ते कि इसके लिए भूमि और निधि उपलब्ध हो ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

गुजरात के उन डाकघरों की सूची जिनके लिए भवन बनाने का प्रस्ताव है

क्रम सं०	डाकघर का नाम
1	2
1.	चलोदा डाकघर
2.	नरडीपुर डाकघर
3.	डेरवाम डाकघर
4.	अमलसाद डाकघर
5.	चनसामा डाकघर
6.	वसाई-डाबला डाकघर
7.	भावनगर प्रधान डाकघर
8.	नानपुरा प्रधान डाकघर
9.	अम्बावाड़ी डाकघर

1	2
10.	सेक्टर-16, गांधी नगर डाकघर
11.	सेक्टर-21, गांधी नगर डाकघर
12.	सेक्टर-22, गांधी नगर डाकघर
13.	कापड़वंज डाकघर
14.	कत्थलाल डाकघर
15.	बीरावल प्रधान डाकघर
16.	इदर डाकघर
17.	दांता बी० गढ़ डाकघर
18.	उकई डैम डाकघर
19.	पालनपुर प्रधान डाकघर
20.	मोदासा प्रधान डाकघर एक्टेंशन काउन्टर
21.	मांडवी डाकघर

अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में दूरदर्शन रिले केन्द्र

[अनुवाद]

1686. **श्री गंगाधरा सालीपल्ली** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में स्थापित किए गए दूरदर्शन रिले केन्द्र से दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस रिले केन्द्र से कार्यक्रमों के सम्प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"कर्पूर आसव सुरा" की बिना लाइसेंस के बिक्री

[हिन्दी]

1687. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कर्पूर आसव सुरा", जिससे दिल्ली में दीपावली के दिन सैकड़ों आने चली गयीं, को बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो यह कैसे हुआ और क्या यह प्रशासन तथा पुलिस की लापरवाही का परिणाम था; और

(ग) यह सुरा गाजियाबाद स्थित कारखाने से दिल्ली कैसे लायी गयी जिसकी कानूनन इजाजत नहीं है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि औषधि व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के उपबंधों के अधीन आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री करने हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। दिल्ली में मौतें एक विशाक्त औषधि के सेवन करने से हुई, जिसका विश्लेषण करने पर उसमें मिथाईल अल-कोहल नामक एक विषैला पदार्थ पाया गया था। विषैली औषधि को चोरी-छुपे गाजियाबाद से दिल्ली लाया गया।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन प्रणाली में सुधार करना

[अनुवाद]

1688. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में बगनान केन्द्र पर और उलबेरिया में टेलीफोन सेवा के सुधार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) यह अभ्यावेदन, बगनान और उलूबेरिया के टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्य-निष्पादन और कलकत्ता तथा बगनान के बीच ट्रंक सेवाओं तथा एस० टी० डी० सुविधाओं के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित है।

(ग) 30-9-91 को बगनान में 100 लाइनों के मैक्स-111 के स्थान पर 128 पोर्ट सी-डॉट किस्म का एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू कर दिया गया है। एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है और यह 1992 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है। कलकत्ता और बगनान के बीच का अधिकांश ट्रंक परिवात, कालाघाट के रास्ते भेजा जा रहा है। उलुबेरिया में एक इलेक्ट्रो-मकेनिकल एक्सचेंज है जिसे, सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से 1993-94 के दौरान एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज में बदलने का प्रस्ताव है।

उलुबेरिया में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

1689. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उलुबेरिया की मानव चालित टेलीफोन एक्सचेन्ज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक बदल दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उलुबेरिया में एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल आटोमैटिक एक्सचेन्ज है न कि मैनुअल एक्सचेन्ज । इसे अभी इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में नहीं बदला गया है ।

(ग) इस एक्सचेन्ज को 1993-94 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज में बदले जाने की संभावना है ।

आकाशवाणी के लाभ से वंचित तमिलनाडु के क्षेत्र

1690. श्री के० वी० तंगकाबालु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु की कुल कितनी आबादी अभी तक आकाशवाणी नैटवर्क के अन्तर्गत आ पाई है।

(ख) आकाशवाणी नैटवर्क के लाभ से वंचित तमिलनाडु के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ से वंचित क्षेत्रों को आकाशवाणी नैटवर्क के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) इस समय तमिलनाडु के 98 प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या को रेडियो कवरेज प्राप्त होती है ।

आकाशवाणी की तूतीकोरिन (200 कि० वा० मी० वे०), कोडाईकनाल (2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर) तथा ऊटकमण्ड (1 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर) के रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने तथा मद्रास के 10 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 50 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर करने तथा 2.5 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 10 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर करने सम्बन्धी, परियोजनायें कार्यान्वयनाधीन है ।

हिरासत में मृत्यु

1691. श्री संयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में हिरासत में हुई मौतों के सम्बन्ध में पी० यू० डी० आर० रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) हिरासत में हुई कुछ मौतों के मामले में कानून में प्रावधानानुसार न्यायिक जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) कुछ मामलों में न्यायिक जांच रिपोर्टों पर कोई परिणामोन्मुख कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) कुछ मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकट सम्बन्धियों को न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(च) कुछ मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) कुछ मामलों में निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (छ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पी० यू० डी० आर० रिपोर्ट में उल्लिखित चार मौतें पुलिस हिरासत में नहीं हुई हैं।

जब प्रथम दृष्या मामला बनाया जाता है तो एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तीन आपराधिक मामले पहले ही दर्ज कर दिए गए हैं। एक मामले को छोड़कर उसमें शव का अन्तिम संस्कार कर दिया गया था, अन्य में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच शुरू की गई। दिल्ली प्रशासन को अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन सभी मामलों में, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस हिरासत में होती है, मजिस्ट्रेट द्वारा अवश्यक जांच कराई जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आगे सूचित किया है कि मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मांगने पर उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है। दिल्ली प्रकाशन ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों में अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

कश्मीर के बंगजुओं की रिहाई

1692. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक जम्मू और कश्मीर में बन्धक व्यक्तियों के बदले में कितने बंगजुओं को रिहा किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जनवरी, 1991 से अक्तूबर 1991 के दौरान बंधक व्यक्तियों के बदले में कुल 10 व्यक्ति रिहा किए गए।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अव्यवस्था

1693. **श्री इन्द्रजित गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहरी व्यक्तियों ने नवम्बर, 1991 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के परिसर में अव्यवस्था फैलाई थी जिसके फलस्वरूप तीन छात्र घायल हो गए थे;

(ख) क्या बाहरी व्यक्तियों ने गोलियां चलायीं तथा छात्रों पर राइफल के हत्थे से भी प्रहार किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि ओखला गांव के एक निवासी द्वारा तेज रफ्तार तथा लापरवाही से कार चलाने के कारण तीन छात्र मामूली रूप से घायल हुए और इसके परिणामस्वरूप हुई हाथापाई में दो अन्य व्यक्तियों ने छात्रों पर हमला किया। सभी तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी छात्र पर राइफल के हत्थे से प्रहार नहीं किया गया और न ही उन पर गोली चलाई गई।

आंध्र प्रदेश में निर्णयाधीन विद्युत परियोजनाएं

1694. श्री धर्मभिक्षम :
श्री राम कृष्ण कोम्माला :

क्या विद्युत और गैर-पम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की वर्तमान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति के लिए निर्णयाधीन आंध्र प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) आंध्र प्रदेश में प्रचालनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	क्षमता (यूनिट सं० × मेगावाट)
1	2	3
(क)	जल-विद्युत परियोजनाएं	
1.	मचकुंद	3 × 17
2.	टी० बी० डैम एण्ड हाम्पी	3 × 21.7
3.	निजामसागर	2 × 5
4.	अपर सिलेरू चरण-एक	2 × 60
5.	लोअर सिलेरू	4 × 115
6.	नागर्जुन सागर	1 × 110
		1 × 100

1	2	3
7. नागार्जुन सागर राइट कैनाल पी० एच०		3×30
श्रीसैलम		7×110
8. डोंकारी कैनाल पी० एच०		1×25
9. डोंकारी कैनाल पी० एच०		1×25
10. पोचमपड़		3×9
11. मिनी हाइडल स्टेशन्स		6×0.22
		3×0.23
		2×0.50
(ख) ताप विद्युत परियोजनाएं		
1. कोठागुडम "ए"		4×60
2. कोठागुडम "बी"		2×110
3. कोठागुडम "सी"		2×110
4. रामागुंडम "बी"		2×62.5
5. विजयवाड़ा चरण-एक		2×210
6. विजयवाड़ा चरण-दो		2×210
7. नैलोर		1×30
(ग) गैस परियोजनाएं		
1. विजेश्वरम चरण-एक		2×33

(2) आंध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)
1	2	3
जल विद्युत परियोजनाएं		
1. बालीमेला में आन्ध्र प्रदेश विद्युत घर		2×30
2. पेन्ना अहोबिलम		2×10

1	2	3
3.	नागार्जुन सागर बांया कैनाल बिजली घर	2×30
4.	अपर सिलेरू चरण-दो	2×60
5.	सिंगूर एच० ई० एस०	2×7.5
6.	श्रीसेलम बांया तट बिजली घर	6×150
ताप विद्युत परियोजनाएं		
1.	महानूर चरण-एक के निकट रायलसीमा टी० पी० एस०	2×210
2.	विजयवाड़ा टी० पी० एस० चरण-तीन	2×210
गैस परियोजनाएं		
1.	विजयवाड़ा चरण-एक के निकट गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशन	3×33

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	के० वि० प्रा० में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1. विजेश्वरम में दूसरा गैस आधारित संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन संयंत्र	3×100 = 300	9/88	नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृति को छोड़कर सभी लिंकेज तथा स्वीकृतियां सुनिश्चित की जानी हैं। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की भी अनुपालना की जानी है।
2. कोठागुडम चरण-पांच (यूनिट 9 एवं 10)	2×119 =420	7/89	नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृति को छोड़कर सभी लिंकेज तथा स्वीकृतियां सुनि-

1	2	3	4
			श्चित की जानी हैं। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 के प्रावधानों की भी अनुपालना की जानी हैं।
3. कोस्टल टी० पी० एस० एट विशाखापटनम	2×500 =1000	8/89	उड़न राख समुपयोजन प्रबन्ध योजना प्रस्तुत किए जाने, जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की स्वीकृति के अधीन के० वि० प्रा० द्वारा 23-10-90 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इनको सुनिश्चित किया जाना है।
4. रामागुंडम विस्तार	2×210 =420	9/89	सभी लिंकेज सुनिश्चित किए जाने हैं तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाना है।
5. काकीनाड़ा में गैस आधारित संयुक्त साइकिल	300	12/89	ईंधन लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली पर्यावरण की दृष्टि तथा नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृति परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।
6. अमलापुरम में गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र	375	9/90	सभी लिंकेज सुनिश्चित किए जाने हैं तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है। चूंकि गैस लिंकेज की पुष्टि नहीं की गई थी इसलिए 8/91 में लौटा दी गई हैं।

1	2	3	4
7. महानूर में रायलसीमा ताप विद्युत केन्द्र चरण-2	2×210 =420	9/90	सभी लिंकेज सुनिश्चित किए जाने हैं तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालन परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है।
8. जेगरुपाडु में गैस आधारित संयुक्त साइकिल ताप वि० केन्द्र	400	10×90	के० वि० प्रा० द्वारा सिद्धान्त रूप में 14-3-91 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा नागर विमानन की स्वीकृति और जल/भूमि की उपलब्धता परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।
9. लिंगाला में मोबाइल जी० टी० सैट	5×3.3 =16.5	5/91	सभी लिंकेज एवं स्वीकृतियां सुनिश्चित की जानी हैं। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया जाना है।
10. रेनीगुंटा में एल० एस० एच० एस०/एफ० ओ० आधारित ताप विद्युत केन्द्र	100	3/90	ईंधन तेल की उपलब्धता से सम्बन्धित कठिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए स्कीम को 14-1-91 को आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दिया गया है। बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि ईंधन तेल लिंकेज की व्यवहारिकता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात स्कीम की पुनः जांच करें।
जल विद्युत			
11. जालापुट	3×6 =18	10/87	के० वि० प्रा० द्वारा 16-5-88 को स्कीम को तकनीकी-आर्थिक

1	2	3	4
			दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई थी। अन्तर्राज्जीय पहलुओं का अभी समाधान किया जाना है।
12. सिंधूर	2×7.5 =15	2/89	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 19 को अनुपालन किए जाने परियोजना की लागत एवं लाभों का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच बंटवारे का समाधान किए जाने तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के अधीन के० वि० प्रा० द्वारा स्कीम को 30-10-89 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य प्राधिकारियों द्वारा इन शर्तों को पूरा किया जाना है।
13. बालुगुडू शाखा	2×5	6/89	स्कीम के सम्बन्ध में के० वि० प्रा०/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों के उत्तर प्रतीक्षित हैं।
14. काकातिया कैनाल (संशोधित)	1×3 =3	7/89(1) 1/91(2)	हाल ही में प्राप्त हुई संशोधित रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति तथा विद्युत (प्रदाय) 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की प्रतीक्षा है।
15. प्रियदर्शिनी जूराला (संशोधित)	6×30.9 =221	8/89(1) 2/91(2)	स्कीम के सम्बन्ध में के० वि० प्रा० और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
16. नागार्जुन सागर पी० एस० एस० (टेल पौंड डैम) (संशोधित)	2×15 =30	4/90(1) 2/91(2)	स्कीम के पारेषण सम्बन्धी पहलुओं के बारे में के० वि० प्रा० की टिप्पणियों के लिए परियोजना प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।
17. सोमासिला	2×5 =10	4/90	स्कीम के बारे में के० वि० प्रा०/ केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षित हैं।

(ग) जहां तक संभव होता है राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए के० वि० प्रा० द्वारा भरसक प्रयास किए जाते हैं। के० वि० प्रा० से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात परियोजना पर निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए योजना आयोग में कार्यवाही की जाती है।

डाक्टरों में "पे फोन कार्ड सिस्टम"

[हिन्दी]

1695. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थानीय और एस० टी० डी० टेलीफोन करने के लिए "पे फोन कार्ड सिस्टम" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रत्येक डाकघर में और सार्वजनिक स्थानों पर यह सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव में बड़े डाकघरों सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्ड आपरेटिड पे-फोन की व्यवस्था करना शामिल है।

साम्प्रदायिक दंगे

[अनुवाद]

1696. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान देश में कितनी बार दंगे हुए हैं; और

(ख) इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 मई, 1991 से 31 अक्तूबर, 1991 तक देश में हुए मुख्य सांप्रदायिक दंगों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

स्थान का नाम	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	
हैदराबाद (सितम्बर, 22-28)	5
बिहार	
चक्रधरपुर (जिला सिंहभूम) (8-8-91)	5
गुजरात	
भड़ोच कस्बा (जुलाई 23-24)	4
जम्बुसार (जुलाई 23-24)	3
बड़ोदरा शहर (जुलाई 23-28)	9
मध्य प्रदेश	
खरगोंन (मई 16-18)	6
उत्तर प्रदेश	
वाराणसी (मई 18-22)	10
कानपुर (मई 19-23)	18
मेरठ (मई 20-23)	30
सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर) (मई 20-22)	11

पाक द्वारा प्रशिक्षित कश्मीरी उग्रवादी

1697. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पाक द्वारा प्रशिक्षित कितने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में और कदम उठाए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1989, 1900 और 10 नवम्बर, 1991 तक क्रमश: 299, 2360 तथा 1963 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए।

सीमा से इस पार/उस पार होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने सीमा पर सतर्कता पहले ही बढ़ा दी है, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान की है तथा आतंकवादियों और घन ऐंठने वालों के संदिग्ध छिपने के स्थानों पर छापे मारना गहन कर दिया गया है। आसूचना को भी मजबूत किया गया है।

महाराष्ट्र में डाकघर, तारघर और टेलीफोन केन्द्र

1698. श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1991-92 के दौरान जिलेवार कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) इस कार्य के लिए जिलेवार कितने धन का आबंटन किया गया है; और

(ग) गत वर्ष महाराष्ट्र में सांगली जिले में एस० टी० डी० और आई० टी० डी० के कितने कनेक्शन स्वीकृत किए गए?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में जिला-वार खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या, इस उद्देश्य के लिए आबंटित रकम और पिछले वर्ष महाराष्ट्र के सांगली जिले में मंजूर किए गए एस० टी० डी० और आई० टी० डी० कनेक्शनों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। जहां तक 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में जिला-वार, खोले जाने के लिए प्रस्तावित तारघरों की संख्या का सम्बन्ध है, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि टेलीफोन की कार्यप्रणाली फोनोकोम आधार पर होगी, अत: टेलीग्राफ सेवाओं के लिए रकम का आबंटन अलग से नहीं किया जाता है। यह खर्चा दूरसंचार के लिए आबंटित कुल बजट से पूरा किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में खोले जाने के लिए प्रस्तावित तारघरों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिला का नाम	तारघरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	2

1	2	3
2.	अकोला	1
3.	औरंगाबाद	1
4.	अमरावती	1
5.	बीड़	1
6.	भंडारा	—
7.	बम्बई	—
8.	बुलढ़ाना	1
9.	चन्द्रपुर	1
10.	धुले	3
11.	गोआ	1
12.	गढ़चिरोली	—
13.	जालना	1
14.	जलगांव	1
15.	कोल्हापुर	2
16.	लाटूर	—
17.	नागपुर	—
18.	नान्देड़	1
19.	नासिक	2
20.	ओस्मानाबाद	1
21.	परभनी	1
22.	पुणे	3
23.	रतनागिरि	1
24.	रायगढ़	3
25.	सांगली	1
26.	सतारा	2
27.	सिंधुदुर्ग	1

1 2	3
28. शोलापुर	3
29. ठाणे	3
30. वर्धा	1
31. यवतमाल	1
कुल :	40

खराब पड़े टेलीफोनों का किराया वसूलना

1699. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं से, जितने दिन टेलीफोन खराब रहता है, उतने दिन का किराया नहीं लेने तथा टेलीफोन की खराबियों को 24 घंटे में ठीक करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में किराया वसूले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रविवार और छुट्टी के दिनों में खराबी दूर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, और क्या रविवार और छुट्टियों के दिनों में टेलीफोन संख्या 198 पर सेवाएं उपलब्ध होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सभी कार्य दिवसों पर यह सुविधा प्रदान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० जी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) टेलीफोन किराए में छूट तभी दी जाती है जबकि टेलीफोन विभागीय कारणों से 7 अथवा उससे अधिक दिन तक खराब पड़ा रहता है। फील्ड यूनिटों को यह आदेश दे दिए गए हैं कि टेलीफोन के दोषों को चौबीस घंटे के भीतर यथासंभव सुचारू रूप से ठीक कर दें।

(ग) जी नहीं। यह सुविधा अवकाश के दिनों सहित सभी दिनों में सीमित आधार पर उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दूरदर्शन रिले स्टेशनों की स्थापना

1700. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चालू वित्त वर्ष के दौरान दूरदर्शन के कितने रिले स्टेशन स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ख) बिहार राज्य के जिला-केन्द्रों में कहां-कहां पर दूरदर्शन के रिले स्टेशनों की स्थापना की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) यद्यपि चालू वित्त वर्ष (1991-92) की शेष अवधि के दौरान कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू करने का कार्यक्रम नहीं है। फिर भी, राज्य के हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और औरंगाबाद के जिला मुख्यालय नगरों में एक-एक अर्थात् कुल पांच अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है। साधनों की वास्तविक उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता को देखते हुए राज्य के नवादा, स्वसौल और गया में एक-एक अर्थात् तीन और ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी कार्यक्रम है।

"घोस्ट काल्स एण्ड डेड फोन्स" शीर्षक से समाचार

1701. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1991 के स्टेट्समैन में "घोस्ट काल्स एण्ड डेड फोन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रयोक्ताओं से प्राप्त टेलीफोनों के कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में दिए गए तथ्य सामान्य प्रकृति के हैं।

(i) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के टेलीफोन उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों से पहले ही से परिचित हैं। टेलीफोन सेवाएं सामान्यत: संतोषप्रद हैं लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और भूमिगत केबलों की चोरी के कारण हुई आम खराबियों के समय सेवाएं पुनः चालू करने में देरी होती है।

(ii) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से जुड़े हुए सभी उपभोक्ताओं को डायनेमिक एसटीडी सुविधा प्रदान की जाती है और उन्हें एसटीडी कालों के लिए विस्तृत बिल भी दिए जाते हैं। अत: ऐसे मामलों में "घोस्ट-काल" का प्रश्न नहीं उठता है। अधिक बिल आने की शिकायतों के सभी मामलों में, जो जारी किए बिलों के प्रतिशत से काफी कम होती है, शिकायतकर्त्ता की शिकायत को दूर करने के लिए नियमित निर्धारित प्रक्रिया विद्यमान है।

(iii) समाचार में बताया गया—यंत्र भारत को आने वाली काल के लिए विदेश में मीटरिंग को दबाने के काम आता है। इसे तकनीकी सुधारों के माध्यम से बेकार कर दिया गया है।

(iv) सार्वजनिक टेलीफोन की शिकायतों के लिए समाचार-पत्रों में विशेष नम्बर प्रकाशित किए गए हैं ताकि खराबी को तत्काल दूर किया जा सके।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

1702. **श्री जीवन शर्मा** : क्या गृह मंत्री 2 अगस्त, 1990 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2444 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकार के मामले में सरकारी गोपनीयता अधिनियम तथा केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जानकारी सम्बन्धी अधिकार के बारे में समूचे प्रश्न का अध्ययन करने के लिए गठित अन्तर-मन्त्रालय टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

इसकी सिफारिशों में जहां एक ओर जानकारी के प्रसारण के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा, वर्गीकरण और गोपनीयता सम्बन्धी मुद्दों की विस्तारपूर्वक बारीकी से जांच करने पर बल दिया गया है ।

पुणे में "फिल्म थियेटर"

1703. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दिनांक 14-8-91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3034 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे में "फिल्म थियेटर" कब तक बन जाने और उसे भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के सौंपे जाने की सम्भावना है;

(ख) प्रोजेक्टर को कब तक आयात कर लिए जाने की आशा है तथा निर्धारित तिथि तक उसकी खरीद के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या वातानुकूलन संयन्त्र और बैठने की व्यवस्था आदि के बारे में प्रबन्ध पूरे हो गए हैं और यदि नहीं, तो इनके कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) फिल्म थियेटर अब हस्तांतरण के लिए तैयार है । भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करेगा और थियेटर को एक माह के भीतर ले लेगा ।

(ख) जापान से आयातित प्रोजेक्टर 22 अक्तूबर, 1991 को पुणे में पहुंच चुका है । संस्थापना कार्य प्रगति पर है और 31 दिसम्बर, 1991 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) वातानुकूलन संयंत्र और बैठने की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य पूरा है ।

(घ) इस परियोजना पर अब तक 260 लाख रुपए खर्च हुए हैं ।

विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास

1704. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री 26 अगस्त, 1991 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या, 4391 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के सन्दर्भ में सभी सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

[हिन्दी]

1705. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या कल्याण मंत्री 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में निर्दिष्ट जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं॰	वर्ष	पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें न्यायालयों में चालान दायर किए गए	सिद्धदोष मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
1.	1988	3712	2822	303	1233
2.	1989	3740	2911	410	1321
3.	1990	3730	2609	128	1248

दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली फिल्में

1706. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन महीनों के शुक्रवारों, शनिवारों तथा रविवारों को दूरदर्शन पर प्रसारित की जाने वाली फिल्मों के नाम क्या हैं; और

(ख) फिल्मों के चयन का मापदण्ड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन द्वारा अगली तिमाही में दिखाई जाने वाली फिल्मों की कोई अग्रिम सूची तैयार नहीं की जाती ।

(ख) दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए फिल्मों के चयन स्थूल मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त ।

(ख) विषयपरक मूल्य ।

(ग) सिनेमेटिक मूल्य ।

(घ) मनोरंजन मूल्य ।

(ङ) परिवार के साथ देखने योग्य ।

(च) निर्माण वर्ष ।

(छ) फिल्म का वाणिज्यिक तौर पर कितना फायदा पहले ही उठाया जा चुका है ।

(ज) फिल्म दूरदर्शन पर कितनी बार और किन केन्द्रों से दिखाई जा चुकी है ।

लेह में स्वायत्तशासी जिला परिषद के गठन का प्रस्ताव

[अनुवाद]

1707. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख के लेह जिले में स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन करने का है जिसके सम्बन्ध में अत्यधिक मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार का लेह में एक स्वायत्तशासी पर्वतीय जिला परिषद गठित करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, लेह में 25-10-1989 को हुई बैठक में यह सहमति हुई थी कि लद्दाख बुद्धिष्ट एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को देखते हुए, जिसमें स्वायत्तशासी पर्वतीय जिला परिषद की मंजूरी की मांग शामिल है, लद्दाख क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए आगे और बैठकें की जाएंगी ।

2. तारीख 10 जनवरी, 1990 को जम्मू में और विचार-विमर्श किया गया।

3. हाल ही में, तारीख 19-11-1991 को राज्यपाल द्वारा लद्दाख बुद्धिष्ट एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ आगे एक और बैठक की गई तथा प्रतिनिधियों ने एक स्वायत्तशासी पर्वतीय जिला परिषद गठित करने के लिए अपना प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया। लद्दाख क्षेत्र के व्यक्तियों की कठिनाइयों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल इस बात पर सहमत हुए कि इस मामले की समग्र रूप से जांच की जाएगी और जनवरी, 1992 के शुरू में होने वाली वार्ता के अगले दौर में इससे सम्बन्धित विकल्पों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंज स्थापित करना

1708. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों को कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 के दौरान 5128 इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की छोटी यूनिटों की स्थापना करने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित किए गए छोटे एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	519
2.	असम	150
3.	बिहार	159

1	2	3
4.	गुजरात	296
5.	हरियाणा	131
6.	हिमाचल प्रदेश	144
7.	जम्मू व कश्मीर	45
8.	कर्नाटक	424
9.	केरल	226
10.	मध्य प्रदेश	684
11.	महाराष्ट्र एवं गोवा	456
12.	उत्तर पूर्व**	122
13.	उड़ीसा	121
14.	पंजाब	378
15.	राजस्थान	210
16.	तमिलनाडु	391
17.	उत्तर प्रदेश	314
18.	पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम	358
	कुल :	5128

**अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा ।

अखबारी कागज आयात नीति के अन्तर्गत समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आबंटन

1709. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज आयात नीति के अन्तर्गत ऐसे समाचारपत्रों को, जिनकी खपत 200 मीट्रिक टन से अधिक है, 56 प्रतिशत देशी कागज तथा 35 प्रतिशत आयातित कागज आबंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये शर्तें सरकारी प्रकाशनों सहित सभी प्रकाशनों पर लागू होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो साप्ताहिक रोजगार समाचार जिसकी वार्षिक खपत 200 मीट्रिक टन से

अधिक है, को निर्धारित सीमा से अधिक आयातित अखबारी कागज आबंटित करने के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार समाचारपत्रों को अखबारी कागज आबंटित किया जाता है। घरेलू अखबारी कागज की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष देशी तथा आयातित अखबारी कागज का अनुपात भिन्न-भिन्न होता है। 1991-92 के दौरान यह अनुपात 65:35 है।

(ख) जी, हां।

(ग) रोजगार समाचारपत्र सरकार द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं की सहायता करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है। इसकी कीमत इमदादी है।

"प्रातः कालीन आलर्म" सुविधा

[हिन्दी]

1710. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रातः कालीन अलार्म" जो टेलीफोन नम्बर "173" पर बुक किया जाता है, वह या तो काम नहीं करता अथवा देर में काम करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का नियमित प्रातः कालीन अलार्म सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं। ई-10 बी तथा फेरेक्स किस्म के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में उपभोक्ता स्वयं अलार्म सेट कर सकते हैं और अलार्म की घंटी उपभोक्ता द्वारा समय रजिस्टर करते समय टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा स्वतः सेट हो जाती है। गैर इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में उपभोक्ता को यह सुविधा 173 नम्बर पर मैनुअल आपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाती है। कुछेक, विशेष अवसरों को छोड़कर जबकि एक ही समय पर बहुत सारे उपभोक्ताओं को बात करनी पड़ जाती है, यह सुविधा सामान्यतः सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) मैनुअल प्रातः कालीन अलार्म सेवा में दिए गए एक ही समय पर बहुत अधिक उपभोक्ताओं को काल करना व्यवहार्य नहीं होता है और कई बार इसके लिए 30 मिनट तक की अपरिहार्य देरी भी हो जाती है।

(ग) मैनुअल प्रातः कालीन अलार्म सेवा को उत्तरोत्तर रूप से "इलेक्ट्रॉनिक-सेवा" के स्थान पर लगाया जा रहा है।

केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आई० पी० एस० अधिकारी

[अनुवाद]

1711. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को कितने आई० पी० एस० अधिकारियों की राज्यवार कैडर संख्या कितनी थी;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 को कितने आई० पी० एस० अधिकारी राज्यवार केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे;

(ग) क्या ऐसी प्रतिनियुक्तियों के लिए कैडर संख्या का एक निर्धारित अनुपात में आरक्षण होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में पैदा होने वाले किसी भी असंतुलन को सही करने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिनांक 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या तथा राज्य-वार संवर्ग की संख्या दर्शाता एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पदो का 40% कोटा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व कोटा है ।

(घ) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का अधिक से अधिक सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे अपने अधिकारियों को स्वेच्छा से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए प्रेरित करें ।

विवरण

1-4-1991 की स्थिति के अनुसार प्राधिकृत संवर्ग तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए भा० पु० सेवा के अधिकारियों की संख्या का विवरण

संवर्ग	प्राधिकृत संख्या	वरिष्ठ ड्यूटी अधिकारी	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व पर तैनात अधिकारी
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	194	99	23

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित क्षेत्र (ए० जी० एम० यू०)	170	87	22
असम-मेघालय	142	43	22
बिहार	230	118	22
गुजरात	141	72	24
हरियाणा	116	59	16
हिमाचल प्रदेश	77	39	16
जम्मू और कश्मीर	84	43	5
कर्नाटक	138	71	14
केरल	117	60	10
मध्य प्रदेश	293	150	46
महाराष्ट्र	203	104	29
मणिपुर-त्रिपुरा	99	51	26
नागालैण्ड	45	23	शून्य
उड़ीसा	131	67	25
पंजाब	142	73	20
राजस्थान	147	75	24
सिक्किम	24	12	2
तमिलनाडु	180	92	24
उत्तर प्रदेश	396	203	44
पश्चिम बंगाल	258	132	49
जोड़ :	3327	1703	463

अन्धे व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

1712. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकारी सेवाओं और सरकारी उपक्रमों में कितने दृष्टिहीन व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्धे व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों में से कितने पदों को नहीं भरा गया;

(घ) क्या सरकार का दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षित किन्तु न भरे जा सके पदों को भरने हेतु विशेष अभियान चलाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार के अधीन समूह "ग" तथा "घ" के अभिज्ञात पदों में 1 प्रतिशत पद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समतुल्य पद दृष्टिहीन व्यक्तियों से भरे जाने के लिए आरक्षित हैं।

(ख) लाभप्रद रोजगारों में विकलांग व्यक्तियों की भर्ती रोजगार कार्यालयों, विशेष रोजगार कार्यालयों तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों के विशेष कक्षों, श्रम मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रहे शारीरिक विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों एवं खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा की गयी दृष्टिहीनों की भर्ती इस प्रकार हैं :—

विशेष रोजगार कार्यालय (विशेष रोजगार कार्यालयों तथा विशेष कक्षों सहित)

वर्ष	भर्ती किए गए दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या
1988	384
1989	230
1990	150

शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

वर्ष	पुनर्वासित दृष्टिबाधितों की संख्या
1988	493
1989	468
1990	643

(ग) दृष्टिबाधितों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में समूह "ग" तथा "घ" पदों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समतुल्य पदों में पीछे से चली आ रही आरक्षित रिक्तियों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) से (च) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए समूह "ग" और "घ" में पीछे से चली आ रही आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए 1987 के दौरान दिल्ली में तथा दिल्ली के आपस पास स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चरणबद्ध ढंग से नियुक्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया गया । तदनन्तर इस अभियान के दूसरे और तीसरे चरण में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के लिए नियुक्तियां की गई । दृष्टिहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विशेष भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई और मन्त्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के लिए निम्नलिखित संख्या में दृष्टिहीन व्यक्तियों को नामित किया गया :—

वर्ष	नामित किए गए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की संख्या
1987	269
1988-89	158
1990-91	136

पीछे से चली आ रहीं आरक्षित रिक्तियां भरने की प्रक्रिया अभी जारी है ।

स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को नशीली औषधों के प्रयोग को रोकने के लिए सहायता दिया जाना

[हिन्दी]

1713. **श्री साईमन मरांडी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में नशीली औषधियों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था/संगठन को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने इसके परिणामों का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) इन संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

निम्नानुसार है :—

राज्य	लाभग्राहियों की संख्या
1. बिहार	33201
2. उड़ीसा	30859
3. उत्तर प्रदेश	27018
4. पश्चिम बंगाल	32766

विवरण

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठन का नाम	के दौरान स्वीकृत अनुदान सहायता		
		1988-89	1989-90	1990-91 (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
I.	बिहार			
1.	होम फार मेंटली रिटारडेड एण्ड साइकोलॉजिकल सफरर्स, अशोक राज पथ, मुरादपुर, पटना	0.48	—	—
2.	यूथ मोबीलाइजेशन फार नेशनल एडवांसमेंट, प्रभायन, बुद्ध कलोनी, पटना	0.48	2.32	2.54
3.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इण्डिया, बिहार ब्रांच, चन्द्र निलायम बिल्डिंग, आर के एवेन्यू, पटना	—	4.10	2.01
4.	होम फार मेंटली रिटारडेड, एण्ड साइकोलॉजिकल सफरर्स, के-116, कंकरबाग, हुमायू नगर, पटना	—	7.74	10.27

1	2	3	4	5
	5. पंडित बच्चन पांडेय, महिला विकास संस्थान, बाहकला, पी० ओ० ढ़ाबा जिला गोपाल गंज	—	1.48	2.52
	6. बिहार रिहेबीलिटेशन एण्ड वेल्फेयर इंस्टीट्यूट, जगदम्बा भवन, जी-4, पीपल्स को-आप्रेटिव कालोनी, कंकरबाग, पटना	—	—	1.25
II. उड़ीसा				
	7. एसोसिएशन फार मोरल गाइड एण्ड लीगल ऐड सर्विसेज टू पूर, बी/एल-13, बी एस एस नगर, भुवनेश्वर-751004	1.24	8.10	8.43
	8. सेंटर फार यूथ एण्ड सोशल डेवलपमेंट, 65, सत्या नगर, भुवनेश्वर	3.88	1.63	2.46
	9. लोक नायक क्लब, पी० ओ० पतपुर, बाया बांकी, जिला कटक	0.23	—	—
	10. रिजनल ड्रग परिवेंशन सोशल रिफारमेशन एण्ड रिहेबीलिटेशन सेंटर, कुआरमुंडा, एफ एफ/17, राउरकेला-4, सुन्दरबाग	0.45	—	—
	11. गोपीनाथ जुबा संघ, आलिशान पी० ओ० दरदा बाया बालीपत्रा, जिला पुरी	0.2	0.15	—
	12. प्रोजेक्ट स्वराज्य, बोरिया साडी, कटक	0.28	—	—
	13. सिटीजन, तुलसीपुर, कटक	—	—	0.21
	14. गवर्नमेंट कालेज, अगुल	—	—	0.18

1	2	3	4	4
III.	उत्तर प्रदेश			
15.	काशी क्लब, बैंक्स भवन, डी-14/8, दशवादेश रोड, वाराणसी	20.10	18.69	10.25
16.	श्री राम बाबू वर्मा चारिटेबल सोसायटी, आगरा	9.13	3.30	7.04
17.	एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, नई दिल्ली (प्रोजेक्ट इन यू० पी०)	—	3.80	1.47
18.	अभिनव रिपारटरी थियेटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	—	2.35	3.02
19.	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	—	0.85	2.24
20.	श्री कांची लाल शास्त्री स्मारक संस्थान, कानपुर	—	0.43	0.94
	पश्चिम बंगाल			
21.	विकास भारती वेल्फेयर सोसायटी, कलकत्ता	1.34	1.94	1.57
22.	कलकत्ता समारितन्स. कलकत्ता	2.81	1.85	1.52
23.	सेंटर फार साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एण्ड रिसर्च, कलकत्ता	7.00	1.75	8.42
24.	इंस्टीट्यूट फार साइकोलॉजिकल एण्ड एजूकेशनल रिसर्च, कलकत्ता	3.74	1.73	2.19
25.	अग्रदूत संघ मनिश्यापरा खरधा, पश्चिम बंगाल	—	0.43	0.21
26.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद मिदनापुर	—	0.85	1.11

1	2	3	4	5
27.	ह्यूमन डेवल्पमेंट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बर्दवान	—	0.80	2.27
28.	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन वेल्फेयर, कलकत्ता	—	1.12	2.54
29.	इण्डियन माइमे थियेटर, कलकत्ता	2.70	1.35	1.35
30.	राम कृष्ण मिशन परगना (साउथ)	—	0.98	—
31.	सेंट जॉन एम्बूलेंस एसोसिएशन, वेस्ट दिनाजपुर	—	0.31	—
32.	सेंट जोस्फ्स रिहेबीलिटेशन सेंटरल रिलीफ सर्विसेज, कलकत्ता	—	0.87	—
33.	सर सैय्यद ग्रुप आफ स्कूल्स, कलकत्ता	—	2.12	5.59
34.	विवेकानन्द एजूकेशन सोसायटी, कलकत्ता	6.55	8.68	9.15
45.	वूमेन्स को-आरडिनेटिंग काउन्सिल, कलकत्ता	3.53	1.74	1.53
36.	सिटी हैल्थ एण्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, कलकत्ता	3.44	—	—
37.	महिशयापरा अग्रदूत संघ बारदाह 24, परगना (नार्थ)	0.19	—	—
38.	इण्डियन पुप्पेट थियेटर, कलकत्ता	0.28	—	—

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की क्षमता

[अनुवाद]

1714. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, वायु शक्ति तथा तरंगीय शक्ति के वैकल्पिक स्रोतों की क्षमता का पता लगाया गया है; और

(ख) इन वैकल्पिक स्रोतों में से प्रत्येक के द्वारा इस समय, राज्य-वार, कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सौर तापन, पवन शक्ति और ज्वार-भाटा शक्ति के माध्यम से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए सम्भावना का पता लगाने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, इस विभाग द्वारा शुरू किए गए एक सीमित पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के आधार पर, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा केरल राज्यों में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए अनुकूल संभावना होने का पता चला है।

(ख) इन वैकल्पिक स्रोतों की राज्यवार स्थापित क्षमता निम्न प्रकार से है :

ज्वार भाटा = शून्य

सौर तापन = हरियाणा—50 किलोवाट

पवन

राज्य का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट)
तमिलनाडु	19.24
गुजरात	14.19
महाराष्ट्र	1.19
उड़ीसा	1.19
मध्य प्रदेश	0.64
आंध्र प्रदेश	0.55
कर्नाटक	0.55
गोवा	0.11
केरल	0.10

लुधियाना में आगजनी की घटना

[हिन्दी]

1715. **श्री साईमन मरांडी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1991 के दौरान लुधियाना में आगजनी की घटना में मरने वालों तथा गम्भीर रूप से घायल लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) इस घटना के मुख्य कारण क्या हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मृतकों तथा घायल लोगों के आश्रितों को दी गई राहत/मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1991 में लुधियाना में आगजनी की घटना में 61 व्यक्ति मारे गए ।

(ख) यह आग एक पटाके के कारण लगी, जो अनेक दुकानों में फैल गई ।

(ग) पीड़ितों को राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासनों ने आवश्यक कदम उठाए हैं ।

आकाशवाणी द्वारा सामयिक मामलों पर बर्मी भाषा के प्रसारण को बन्द किया जाना

[अनुवाद]

1716. **श्री रवि राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी में सामयिक मामलों पर किए जा रहे बर्मी भाषा के प्रसारण को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार इसे रोक दिए जाने के क्या कारण हैं और इसे पुनः कब शुरू किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्य बिजली बोर्डों को घाटा

1717. **श्री शरद दिघे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन बोर्डों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता को शामिल करने के पश्चात विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को विगत के तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर हुए लगभग घाटे की राशि का ब्यौरा निम्नवत है :—

(मार्च में समाप्त वर्ष)		(करोड़ रुपए में)
1988	—	275.29
1989	—	343.07
1990	—	623.94

(ख) राज्य सरकारों से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन की इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कि वे 3% सांविधिक न्यूनतम अधिशेष अर्जित कर सकें। उनको यह भी सलाह दी गई है कि इक्विटी भागेदारी, कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई के कारण हुई हानियों की पूर्ति हेतु अनुदान के लिए प्रावधान करने, आवधिक रूप से टैरिफ में संशोधन करने, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने आदि के लिए उपाय करें।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी

1718. **श्री शरद दिघे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान ऐसे नजरबन्द लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सके है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है।

(ख) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण पूछताछ के लिए नजरबन्द रखे गए लोगों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों (9/88 से 9/91 तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति) के दौरान टी० ए० डी० ए० के अधीन नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1619*
2.	अरुणाचल प्रदेश	15*
3.	असम	7138*
4.	गुजरात	9569*
5.	हरियाणा	452
6.	हिमाचल प्रदेश	21
7.	जम्मू व कश्मीर	688@
8.	महाराष्ट्र	314*
9.	मध्य प्रदेश	22*
10.	मणिपुर (6/88 से प्रभावी)	363*
11.	पंजाब	6206*
12.	राजस्थान	297
13.	उत्तर प्रदेश	211

*6/91 तक के आंकड़े।

@ 3/91 तक के आंकड़े।

महाराष्ट्र में सांविधिक विकास बोर्ड का गठन

1719. श्री शरद दिघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र सरकार की शक्तियों में कटौती किए बिना विदर्भ मराठवाड़ा और राज्य के शेष भागों के लिए सांविधिक विकास बोर्ड का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) क्या सरकार का पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण के लिए भी ऐसे बोर्डों का गठन करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने, विभिन्न अवसरों पर, संविधान के अनुच्छेद 371(2) की शर्तों के अनुसार विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों के गठन और इस प्रयोजन के लिए इस अनुच्छेद को संशोधित करके, कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव भेजे हैं। अन्तिम निर्णय लेने से पहले इनकी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं सहित, विभिन्न दृष्टिकोणों से गहराई से जांच की जानी आवश्यक है।

डाक विभाग के राजस्व और व्यय खाते में घाटा

1720. श्री शरद दिघे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के राजस्व और व्यय खाते का घाटा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यय में कमी करने और आय बढ़ाने हेतु दीर्घ अवधि के जिन समायोजनों और परिवर्तनों की योजना बनाई गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। घाटा बराबर नहीं बढ़ रहा है वरन यह प्रतिवर्ष घटता-बढ़ता रहता है।

(ख) गत 5 वर्ष के घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1986-87	216.43
1987-88	190.87
1988-89	169.73
1989-90	262.99
1990-91	191.65

(ग) दीर्घावधि के कुछ उपायों की योजना बनाई गई है, ये हैं डाकघरों में कंप्यूटर लगाना, और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए "स्पीड पोस्ट" में सुधार लागत में कमी लाना और आय को बढ़ाना।

बिहार के जिलों में प्रधान डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1721. श्री साईमन मरान्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां प्रधान डाकघर खोले गए हैं;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां अभी प्रधान डाकघर नहीं खोले गए हैं; और

(ग) सभी जिला मुख्यालयों, विशेष रूप से साहिबगंज में प्रधान डाकघर कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) 1. औरंगाबाद
2. बांका
3. बेगुसराय
4. बेतिया
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बिहारशरीफ
8. बोकारो
9. बक्सर
10. चायबासा
11. डालटेनगंज
12. दरभंगा
13. देवघर
14. धनबाद
15. दुमका
16. गया
17. गिरिडीह
18. गोपालगंज
19. गुमला
20. हाजीपुर
21. हजारीबाग
22. जमशेदपुर
23. कटिहार
24. मधुबनी

25. मोतीहारी
26. मुन्गेर
27. मुजफ्फरपुर
28. नवादा
29. पटना
30. पुर्णिया
31. रांची
32. सासाराम
33. सारन
34. सहरसा
35. समस्तीपुर
36. सीतामढ़ी
37. सीवान

(ख) 1. अरारिया
2. झाबुआ
3. गडवा
4. गोड्डा
5. जमुई
6. जहानाबाद
7. खगड़िया
8. किशनगंज
9. लोहारदागा
10. मधेपुरा
11. साहिबगंज
12. सुपौल

(ग) विभागीय मानदण्डों के अनुसार साहिबगंज में हैड पोस्ट ऑफिस खोलने का कोई औचित्य नहीं है। शेष जिलों में हैड पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बिहार में बिजली की दोषपूर्ण सप्लाई

1722. श्री साईमन मराण्डी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केन्द्र से बिहार के साहिबगंज संथाल परगना को बिजली की सप्लाई की जाती है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों, पाकुर, साहिबगंज और बहरहवां में बिजली की सप्लाई दोषपूर्ण है तथा जनता को हर रोज बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में प्रतिदिन कम से कम पन्द्रह घंटे बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) फरक्का स्थित एन० टी० पी० सी० के विद्युत केन्द्र सहित विभिन्न केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से प्राप्त विद्युत को क्षेत्रीय ग्रिडों को सप्लाई किया जाता है, जहां से इसे विभिन्न लाभभोगी राज्यों/प्रणालियों को उनके सम्बन्धित हिस्से के अनुसार वितरित किया जाता है। जबकि विद्युत के अन्तरण सम्बन्धी उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान होने पर केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों एवं पूर्वी क्षेत्र की पड़ौसी प्रणालियों और उत्तरी ग्रिड से सहायता प्रदान किए जाने सहित बिहार के लिए विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु विभिन्न उपाय किए जाते हैं तथापि, बिहार के विभिन्न जिलों को विद्युत की सप्लाई राज्य की वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाती है जोकि बिहार राज्य सरकार/बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है।

तिरूपुर, तमिलनाडु में नये टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1723. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूपुर, तमिलनाडु में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सरकार के पास कितने आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ख) ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 31-10-91 के स्थिति के अनुसार तिरूपुर (तमिलनाडु) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या 9248 है।

(ख) 8वीं योजना प्रस्तावों में मसौदे के अनुसार विस्तार कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ तैयार किए जा रहे हैं कि बड़ी प्रणालियों के लिए टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा अवधि 2 वर्ष से अधिक न हो। तदनुसार तिरूपुर की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से 8वीं योजना के मध्य तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

तमिलनाडु में कोयम्बटूर में ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

1724. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोयम्बटूर में ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन आवेदकों को कब तक टेलीफोन दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 30-10-91 को कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में लम्बित ओ० वाई० टी० कनेक्शन के लिए आवेदकों की संख्या 2465 है ।

(ख) आठवीं योजना के प्रारूप के अनुसार बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में विस्तार कार्यक्रम इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा रहे हैं ताकि टेलीफोन, कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची का समय दो वर्ष से अधिक का न हो। तदनुसार, आठवीं योजना के मध्य तक लम्बित आवेदनों को उत्तरोत्तर निपटा दिया जाएगा ।

राजस्थान के पाली जिले के कस्बों में प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

1725. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के पाली जिले के बाली, देसुरी, फाल्ना, सुमेरपुर, जैतारन, सोजात, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन और अन्य महत्वपूर्ण कस्बों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पूरे पाली जिले को दूरदर्शन प्रसारण सुविधा के अन्तर्गत लाने की योजना का विवरण क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) यद्यपि इस समय पाली नगर के मुख्यालय में एक अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है, तथापि इस जिले के हिस्से में जोधपुर और अजमेर में लगाए जाने के लिए परिकल्पित उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से भी कवर होने की आशा है । इन ट्रांसमीटरों का लगाया जाना साधनों की वास्तविक उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

विज्ञापनों की दरों में वृद्धि

[हिन्दी]

1726. **श्री बलराज पासी** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विज्ञापनों की दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार ने 1 अगस्त, 1991 से विज्ञापनों की दरों में वृद्धि कर दी है।

(ख) अखबारी कागज की कीमतों में हुई वृद्धि को पाटने के लिए विज्ञापनों की दरों में वृद्धि की गयी थी।

(ग) 1 अगस्त, 1991 से पूर्व जो विज्ञापन दरें थी उन पर 18 प्रतिशत की वृद्धि अनुमति दी गई थी।

विदेशी डाक दरों में वृद्धि

1727. **श्री बलराज पासी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी डाक दरों में वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को इस बढ़ी हुई दर के परिणामस्वरूप कितने राजस्व की आय होगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिशत वृद्धि 22 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है। इस वृद्धि का सम्बन्ध एस० डी० आर० के मूल्य में वृद्धि होने से है जिसके आधार पर "फारेन मेल" के बारे में अन्य डाक प्रशासनों को भुगतान किया जाता है। एस० डी० आर० के बराबर रुपए में 1985 से 1990 की अवधि के दौरान लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) लगभग 55 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आय होने की सम्भावना है।

यातायात के नियमों का उल्लंघन

1728. **श्री बलराज पासी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में स्कूल बसों और डी० टी० सी० के नियन्त्रणाधीन चलने वाली बसों के कितने चालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार किया गया और उन पर कितनी धनराशि का जुर्माना किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा दिल्ली में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जारी किए गए अनिवार्य निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1-5-1991 से 31-10-1991 तक की अवधि के दौरान उन गिरफ्तार किए गए स्कूल बसों तथा

दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रणाधीन चलने वाली बसों के ड्राइवरों की संख्या तथा इसके परिणाम-स्वरूप उन पर किए गए जुर्माने के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार से है :

(i) स्कूल बसें	—1 ड्राइवर
(ii) दिल्ली परिवहन निगम से नियन्त्रणाधीन बसें	—14 ड्राइवर
(iii) किया गया जुर्माना/दण्ड	—3900/- रुपए

(ख) दिल्ली में यातायात को सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस ने अनेक स्थानों पर नयी यातायात परिवहन पद्धति शुरू की है, कुछ स्थानों पर धीमी गति के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाया है तथा कई स्ट्रीटों को एकतरफा (वन-वे) रास्ता घोषित किया है।

डाकियों द्वारा गबन

1729. **श्री बलराज पासी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न डाकघरों में डाकियों द्वारा धनादेश आदि के पैसे के गबन के कितने मामलों का पता लगाया गया है और उनमें कितना कितना पैसा फंसा है;

(ख) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मनीआर्डरों के गबन के 925 मामले हुए जिनमें 13,47,828/- रुपए की राशि का गबन किया गया।

(ख) गबन करने के लिए 776 कर्मचारी जिम्मेवार पाए गए जिसरे 4,83,?47/- रुपए वसूल किए गए और साथ ही उन्हें दण्डित किया गया।

(ग) (क) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मनीआर्डर पाने वालों से सम्पर्क कर भुगतान किए गए 5 प्रतिशत मनीआर्डरों की मासिक जांच निर्धारित की गयी है। इस जांच के परिणाम को सर्वोच्च स्तर पर मानीटर किया जाता है।

(ख) डाकियों को उनके द्वारा भुगतान किए गए सभी मनीआर्डरों का सही-सही दैनिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है।

(ग) मनीआर्डरों के भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों की सुपरवाइजरों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि उनका उचित भुगतान हुआ है या नहीं।

(घ) भुगतान किए मनीआर्डरों के जमा-बाकी की जांच करने के लिए भुगताए गए मनीआर्डरों का ब्यौरा प्रत्येक पखवाड़े में लेखा-परीक्षा कार्यालय को भेजा जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र औरंगाबाद महाराष्ट्र

[अनुवाद]

1730. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन केन्द्र औरंगाबाद महाराष्ट्र की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) औरंगाबाद में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (100 वाट) के स्थान पर 31-3-91 से उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०) पहले ही लगा दिया गया है ।

राजधानी में बिजली अदालतें

1731. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपने उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए राजधानी में छह बिजली अदालतें गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अदालत को कितनी संख्या में तथा किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्रत्येक अदालत में उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि के अनुसार कितने-कितने मामले निपटाए हैं;

(घ) कितने मामलों में उपभोक्ता फैसले से सन्तुष्ट नहीं हुए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य स्थानों पर भी ऐसी अदालतें आयोजित करने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) दोषपूर्ण बिलिंग, कनैक्शन मुहैया कराने में विलम्ब, प्रतिभूति जमाराशि को लौटाने, स्ट्रीट लाइटें खराब होने, निम्न वोल्टता परिस्थितियों से सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण के लिए डेसू ने सितंबर, 1991 में छः "बिजली अदालतें" गठित की थीं । इनमें से अब तक केवल दो अदालतों की बैठक आयोजित की गई हैं । बिजली अदालत-1 (पूर्वी मण्डल) को प्राप्त हुए 76 मामलों में से 10 मामले निबटाए गए थे तथा शेष 66 मामले जिला शिकायत सैल द्वारा निबटाए गए थे । बिजली अदालत-2 (केन्द्रीय मण्डल) को प्राप्त हुए 56 मामलों में से 51 मामले निबटाए गए थे । उपभोक्ता अपने निबटाए गए मामलों से सन्तुष्ट थे ।

(ङ) चूंकि आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए सम्बन्धित संगठनों द्वारा अपने तंत्र

के सम्पूरण हेतु स्वयं उनके द्वारा इस प्रकार की अदालतों का गठन किया जाता है, इसलिए विद्युत विभाग का अपना इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मुम्बई में पत्रकारों पर हमला

1732. **श्री रवि राय :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में अक्तूबर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में कुछ पत्रकारों पर हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान से मोहाजिरों को छिपाकर भेजना

1733. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले अधिकांश मोहाजिर अमृतसर सीमा से चोरी छिपे भारत में घुसने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या मोहाजिरों ने पहले भी भारत में चोरी छिपे घुसने की कोशिश की है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा किस तरफ से; और

(घ) मोहाजिरों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा मोहाजिरों को बलपूर्वक भारत में भेजने के कई प्रयास किए गए हैं ।

(ग) पिछले 3 महीनों के दौरान पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा जिन तिथियों तथा क्षेत्रों में मोहाजिरों को बलपूर्वक भेजने के लिए प्रयास किए गए उन्हें नीचे दिया गया है :

तारीख	क्षेत्र
1	2
22-8-1991	येखुला, खास और दावके (ए० एस० आर०) ।

1	2
3-9-1991	रोरानवाला (खास) ए० एस० आर०।
6-9-1991	टी० जे० सिंह (खेमकरन) ए० एस० आर०।
16-9-1991	रजातल (खास) ए० एस० आर।
17-9-1991	—तदैव—
18-9-1991	—तदैव—
22-9-1991	रोरानवाल (खास) ए० एस० आर०।
11-10-1991	येखुला (भिखीविन्द) ए० एस० आर०।
14-10-1991	रोरानवाला (खास) ए० एस० आर०।
20-10-1991	रजातल (खास) ए० एस० आर०।
6-11-1991	कर्मा (भिखीविन्द) ए० एस० आर०।
11-11-1991	हवेलियन (भिखीविन्द) ए० एस० आर०।
17-11-1991	नौशेरा ढल्ला (भिखीविन्द)।

(घ) घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा बलों की संख्या बढ़ाई गई है तथा उन्हें उपकरणों और हथियारों, दोनों से सुदृढ़ किया गया है। विशिष्ट क्षेत्रों में कांटेदार तार तथा तेज रोशनी लगाई जा रही है। सीमा बलों की सतर्कता को भी तेज कर दिया गया है और सीमा पर निकट से निगरानी रखने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है।

सुरा का उत्पादन

1734. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुरा उत्पादन हेतु अभी तक कितने लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) इस समय कितनी फैक्ट्रियां बिना लाइसेंस के चल रही हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में नकली सुरा की कितनी बोतलें, राज्यवार बरामद की गयी;

(घ) आयुर्वेदिक मिश्रण अथवा औषधियों के कारण गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) औषधि नियन्त्रण विभाग ने संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली में मृत संजीवनी सुरा के उत्पादन हेतु पांच उत्पादक ईकाइयों को औषधि और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया है। तथापि इन इकाइयों ने उत्पादन बन्द कर दिया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन की जानकारी में ऐसी कोई फैक्टरी नहीं है जो बिना लाइसेंस के हो।

(ग) यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली पुलिस द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान तथा 25 नवम्बर, 1991 तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जब्त की गई सुरा की बोतलों की संख्या निम्नानुसार है :—

1989	—	137750
1990	—	194739
1991	—	152142

(घ) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की एक फर्म द्वारा निर्मित "कपूर आसव" को पीने के कारण नवम्बर, 1991 में दिल्ली में 199 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी। 1-1-90 से 31-10-91 तक दिल्ली में इस वजह से कोई मौत नहीं हुई थी।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने राजधानी में व्यापक तलाशी तथा छापे मारे हैं जिसके परिणामस्वरूप अब तक 93 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दुखद घटना के बाद नवम्बर, 1991 में 337 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा "सुरा" की 73087 बोतलों को जब्त किया गया है। दिल्ली प्रशासन के आबकारी विभाग ने विभिन्न स्रोतों से 100 से अधिक नमूने एकत्र किए।

दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली प्रशासन के आबकारी विभाग ने आयुर्वेदिक दवाओं की 13 दुकानों को सील कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय ने 14-11-1991 को सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को अनुदेश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी औषधियों का उत्पादन निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप किए जाए तथा औषधि निरीक्षकों द्वारा सभी उत्पादक फर्मों का अच्छी तरह निरीक्षण किया जाए।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा हर संभव कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली प्रशासन के सभी सम्बन्धित विभागों को सलाह दी गयी है कि वे काफी सतर्कता बरतें तथा उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे आबकारी कानूनों को तत्परतापूर्वक लागू करें तथा इस विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के दिशा-निर्देशों को कड़ाई से कार्यान्वित करें।

"लैक आफ रेगुलेशन्स" शीर्षक से समाचार

1735. श्री जीवन शर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1991 के इंडियन एक्सप्रैस में "लैक आफ रेगुलेशन्स"—डेसू कांट्रेक्ट्स थ्रैटन टु लांच एजिटेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार रिपोर्ट में दिए गए प्रमुख मुद्दों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) ठेका देने सम्बन्धी नियमों एवं विनियमों का ब्यौरा क्या है; ठेकेदारों को भुगतान करने की क्या व्यवस्था है तथा वर्ष के दौरान कितनी बार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं; कितने निविदा देने वालों और कितनी निविदाएं दी थी और गत दो वर्षों की तुलना में इनकी संख्या कितनी है; और

(घ) सी० ए० जी० द्वारा विगत और में तथा अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ठेका देने के नियमों और विनियमों में अनियमितता बरतने की बात कितनी बार कही गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) डेसू के प्रबन्धकों ने ठेकेकारों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किए जाने के लिए विचार-विमर्श किया है। इस सम्बन्ध में एक समिति का भी गठन किया गया था जिसमें ठेकेदारों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था ताकि इनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर उपयुक्त सिफारिशें की जा सकें। समिति की सिफारिशों, विशेषरूप से ठेकों में मूल्यवृद्धि शर्त (क्लॉज) सम्बन्धी प्रावधानों को डेसू द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) निविदाएं आमंत्रित करने के लिए डेसू "जनरल कॉन्ट्रेक्ट एक्ट" और स्टोर्स एंड पर्चेज मैनुअल ऑफ डेसू" के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। ठेके देने के लिए डेसू ने ठेकेदारों का पंजीकरण करने की प्रणाली भी अपनाई है। ठेकेदारों द्वारा इजीनियरिंग प्राधिकारियों को बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात भुगतान किए जाने के लिए बिल को लेखा विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। डेसू के विभिन्न फील्ड डिविजनों द्वारा ठेके के आधार पर कराए गए कार्य की वृहद मात्रा को मद्देनजर रखते हुए डेसू द्वारा आमन्त्रित/फाइल की गई निविदाओं की संख्या के बारे में संकेन्द्रित ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) डेसू के अनुसार सी० एण्ड ए० जी० अथवा अन्य लेखा प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गम्भीर अनियमितता बरतने की बात नहीं कही गई है। तथापि, लेखा परीक्षा द्वारा समय-समय पर की गई टिप्पणी पर समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए डेसू द्वारा जांच की जाती है।

दिल्ली नगर निगम को देय राशियों की वसूली में अनियमितताएं

1736. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एम० सी० डी० रिकवरी आफ ड्यूज फाल्टी : सी० ए० जी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी रिपोर्ट में वाणिज्यिक एककों के आबंटियों से लाखों रुपये की देय राशि की वसूली में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम के भारी राजस्व की वसूली न करने के क्या कारण हैं; और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्रा की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बरेली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

1737. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**
श्री रामबीर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में कोई दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्थानीय रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन ट्रांसमीटर का सिविल निर्माण तथा संस्थापना कार्य पूरा कर लिया गया है । जबकि आकाशवाणी ट्रांसमीटर के परीक्षण का काम चल रहा है, एक 150 मीटर दूरदर्शन टावर बनाया जा रहा है । दोनों परियोजनाओं को वर्ष 1992 के दौरान चालू किए जाने की परिकल्पना है ।

(घ) स्थल पर रेतीली जमीन होने के कारण बुनियाद के डिजायन को परिवर्तित करने तथा राज्य सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति के कारण दूरदर्शन टावर की स्थापना करने में कुछ देरी हुई है ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

1738. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बन्धित शेष समस्याओं के बारे में सरकार को पिछले वर्ष जुलाई का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में किन मुद्दों को उठाया गया है और सरकार की (मुद्देवार) उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) पुनर्वास कार्य को बन्द करने के लिए कोई अन्तिम सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है । पुनर्वास कार्य की शेष मदों पर अभी कार्य किया जा रहा है ।

विवरण

जुलाई, 1990 के ज्ञापन में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे	केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2
(क) 1981 की आर० आर० समिति की रिपोर्ट	
भारत सरकार, आर० आर० समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर चुप थी तथा यहां तक कि वर्ष 1981 की आर० आर० समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित एक अथवा दो अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में तथा जिस प्रकार से अनुमोदन किया गया तथा दी गई सहायता की दरों में असमानता थी।	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्री समर मुखर्जी की अध्यक्षता में आर० आर० समिति को नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1981 में दे दी थी। आर० आर० समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। समिति द्वारा की गई 8 सिफारिशों में से भारत सरकार, गृह मन्त्रालय ने सन् 50 के बाद की स्क्वेटर कालोनियों को नियमित करने, शहरी क्षेत्र में फ्री होल्ड नाम के अन्तर्गत विलेखों के मुद्दों तथा भूतपूर्व शिविरों में रहने वाले परिवारों को दिए जाने वाले आवास ऋण की वित्तीय सीमा को बढ़ाने सम्बन्धी तीन सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से आवश्यक आदेश, भी जारी किए गए थे। विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों का विकास करने और की जब गृह परिवारों को वित्तीय सहायता बढ़ाने सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि यह मामला शहरी विकास और कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित है।

1	2
	शिविरों के बाहर रहने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु सहायता देने के सम्बन्ध में की गई सिफारिश के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि वे परिवार पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं तथा उनके मामले पुनः आरम्भ नहीं किए जा सके। समिति द्वारा आर्थिक पुनर्वास सहायता हेतु धन उपलब्ध कराने के बारे में की गई सिफारिश के बारे में राज्य सरकार से कहा गया कि विस्थापित व्यक्तियों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ समझा जाना चाहिए, अतः उनके उत्थान हेतु अन्य कोई सहायता राज्य सरकारों की क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए आवंटित धन से दी जानी चाहिए। हीरोमंगा योजना-II को पुनर्जीवित करने के बारे में की गई सिफारिश के बारे में राज्य सरकार से कहा गया था कि पुनर्वास के लिए प्रतीक्षागत अब कोई पात्र परिवार नहीं है, अतः योजना को पुनर्जीवित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
(ख) गृह परिवार को पुनर्वास सहायता सरकार द्वारा गृह परिवारों के बारे में लघु व्यापार तथा आवास और भूमि के विकास के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए आर० आर० समिति की सिफारिश स्वीकार की जाए।	राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि मामले को कल्याण मन्त्रालय के साथ उठाया जाए।
(ग) डी० पी० कालोनियों का विकास नागरिक सुविधाओं के अभाव के कारण सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं और केन्द्रीय सरकार को तुरन्त निम्नलिखित कार्य करने चाहिए :—	शहरी विकास मन्त्रालय ने पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के विकास के दो चरणों को पूरा कर दिया है राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि विशिष्ट मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें शहरी विकास मन्त्रालय के साथ उठाए।

1	2
(i) विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के विकास को "केन्द्रीय सेक्टर प्लान" के तौर पर जारी रहने दिया जाए ।	
(ii) ग्रामीण कालोनियों के विकास की मंजूरी की जानी चाहिए ।	
(iii) विकास के उच्चतम मूल्य का ऊपरी संशोधन करने और विकास के मानक विस्तार के बारे में 1980 में गठित तकनीकी समिति की सिफारिशें स्वीकार की जाएं ।	
(iv) नियुक्ति करने के लिए अनुमोदित 607 "स्क्वेटर" कालोनियों को विकास के लिए निर्धारित कालोनियों की सूची में शामिल किया जाए ।	
(घ) डी० पी० स्क्वेटर कालोनियों को नियमित करना	
(i) ग्रामीण स्क्वेटर कालोनियों में आवास प्लाटों का अधिकतम आकार 10 कोटाह तक बढ़ाया जाए।	भारत सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की स्क्वेटर कालोनियों को नियमित करने की स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि प्रति परिवार अधिकतम सीमा 5 कोटाह हो । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस सीमा में आगे वृद्धि नहीं की जा सकती है ।
(ii) खाका योजना के आधार पर तथा उन्हें पहले किए गए आवंटन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 1950 तथा 1960 में सरकार द्वारा यथा	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा प्रायोजित कालोनियों में आवास प्लाटों के आवंटन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा 10 कोटाह है और यदि वे कोई परिवर्तन करना चाहें तो विस्तृत जांच के लिए वे

1	2
निश्चित प्रयोजित ग्रामीण कालोनियों में आवास प्लाटों को विस्थापित परिवारों के पास रखने की अनुमति दी जाए ।	वित्तीय उलझनों को उल्लिखित करते हुए एक स्वत: पूर्ण स्वतन्त्र प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं ।
(iii) केन्द्र सरकार को कृषि स्क्वेटर कालोनियों के लिए भूमि की तीन एकड़ की अधिकतम सीमा स्वीकार करनी चाहिए ।	राज्य सरकार से कहा गया है कि स्क्वेटर कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी केवल घरेलू प्लाटों तक सीमित है तथा कृषकों की स्क्वेटर कालोनियों के सम्बन्ध में तीन एकड़ की भूमि को नियमित करने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।
(iv) वर्ष 1950 के बाद की 607 स्क्वेटर कालोनियों के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा देने की छूट देनी चाहिए ।	सरकार ने समय अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाने को स्वीकार करने के बारे में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं ।
(v) राज्य सरकार को "शेष बचे स्क्वेटर" कालोनियों को नियमित करने के लिए अनुपूरक सूची प्रस्तुत करने की छूट दी जानी चाहिए ।	607 स्क्वेटर कालोनियों को नियमित करने की योजना को अनुमोदित करते समय राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 607 कालोनियों की सूची को अन्तिम समझा जाएगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य सूची स्वीकार नहीं की जाएगी । इन विचारों को राज्य सरकार को पुन: बता दिया गया ।
(ङ) कमारहट्टी बांस संसाधन केन्द्र (के बी पी सी)	
चूंकि कमारहट्टी बांस संसाधन केन्द्र, पश्चिम ब ाल के नियन्त्रण में है, अत: केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार रक्षा विभाग को बांसों की आपूर्ति हेतु आदेश की दरों तथा शर्तों के बारे में राज्य सरकार के साथ विचार-विनिमय कर सकती है ।	राज्य सरकार को सलाह दी गई कि इस मामले को रक्षा मन्त्रालय के साथ उठाया जाए ।

राजभाषा उप-समिति द्वारा निरीक्षण

[हिन्दी]

1739. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा उपसमिति को यह सुनिश्चित करने के लिए कि समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है, संबंधित विभाग को निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) क्या उप-समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन न करने पर विभाग के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ मन्त्रालयों ने राजभाषा की पहली उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में राजभाषा से सम्बन्धित एक समिति, जिसमें 30 संसद सदस्य होंगे, द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने का प्रावधान है। अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में (i) केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि का निरीक्षण, (ii) उपर्युक्त (i) में इंगित कार्यालयों से सूचनाएं/विचार/सुझाव प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली उपलब्ध करवाना, तथा (iii) विभिन्न क्षेत्रों के गण-मान्य व्यक्तियों के विचार साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त करना, सम्मिलित हैं। निरीक्षण का कार्य करने के निमित्त समिति ने अपने सदस्यों में से 3 उप-समितियों का गठन किया है। उपसमितियों द्वारा निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए और स्थिति में सुधार करने के बारे में निरीक्षणाधीन कार्यालय द्वारा स्वैच्छिक आश्वासन दिए जाते हैं। समिति सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ पत्राचार द्वारा तथा बाद के निरीक्षणों के समय पिछले निरीक्षणों में दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करती है।

निरीक्षणों में की गई समीक्षा/विचार-विमर्श और साक्ष्यों से उभरने वाले निष्कर्षों तथा समय-समय पर मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से मंगवाई गई सूचनाओं के आधार पर समिति अपना प्रतिवेदन तैयार करती है तथा उन पर अपनी सिफारिशें देते हुए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अभी तक समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 खण्ड राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए हैं और ये संसद के दोनों सदनों में भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रतिवेदन का चौथा खण्ड केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति से सम्बन्धित है। इस पर राज्य सरकारों के मत प्राप्त किए जा रहे हैं, जिन पर विचार करने के पश्चात प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार राष्ट्रपति के निदेश जारी किए जाएंगे। समिति के प्रतिवेदन के शेष 3 खण्डों पर, जिनमें प्रथम खण्ड भी शामिल है, राष्ट्रपति के निदेश जारी किए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

[अनुवाद]

1740. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने डाकघर और तारघर हैं;

(ख) क्या सरकार का विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने डाकघर खोले गए?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उत्तर प्रदेश में डाकघरों और तारघरों की कुल संख्या निम्नानुसार है :—

डाकघर	:	19,588
तारघर		5,893

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित डाकघरों का ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :—

1988-89	1989-90	1990-91
275	254	430

विवरण

1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले जिला-वार डाकघरों का लक्ष्य बशर्ते कि औचित्य हो

क्रम सं०	जिले का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	बाराबंकी	12
2.	फैजाबाद	15
3.	राय बरेली	15

1	2	3
4.	सीतापुर	15
5.	सुल्तानपुर	18
6.	लखनऊ	25
7.	कानपुर सिटी	6
8.	कानपुर देहात	7
9.	उन्नाव	7
10.	फतेहपुर	6
11.	फर्रुखाबाद	6
12.	बांदा	6
13.	हमीरपुर	5
14.	इलाहाबाद	17
15.	गाजीपुर	10
16.	जौनपुर	10
17.	मिर्जापुर	15
18.	वाराणसी	25
19.	प्रतापगढ़	15
20.	बिजनौर	12
21.	मेरठ	12
22.	मुज्जफरनगर	12
23.	सहारनपुर	12
24.	गाजियाबाद	12
25.	देहरादून	3
26.	पौड़ी	2
27.	चमोली	2
28.	टिहरी	3
29.	आगरा	13
30.	मथुरा	10

1	2	3
31.	अलीगढ़	10
32.	झांसी	15
33.	बुलन्दशहर	6
34.	ऐटा	6
35.	इटावा	6
36.	मैनपुरी	5
37.	अल्मोड़ा	6
38.	बरेली	5
39.	बदायूं	5
40.	हरदोई	5
41.	खीरी	6
42.	मुरादाबाद	4
43.	रामपुर	4
44.	नैनीताल	3
45.	पीलीभीत	3
46.	पिथौरागढ़	7
47.	शाहजहांपुर	5
48.	गोरखपुर	11
49.	महाराजगंज	10
50.	देवरिया	15
51.	बंसी	5
52.	बलिया	10
53.	बहराइच	10
54.	गोंडा	10
55.	आजमगढ़	8
56.	मऊ	7
57.	बस्ती	5
		520*

*1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश सर्किल में खोले जाने वाले 520 डाकघरों में से 500 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे।

श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय मकान

[हिन्दी]

1742. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण करने हेतु भूमि खरीद/अधिग्रहण कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आवासीय मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) (क) को मद्देनजर रखते हुए (ख) और (ग) के बारे में प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों का खोला जाना

1743. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी, चमोली और देहरादून जिलों में उप-डाकघरों तथा शाखा-डाकघरों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन जिलों में किन्हीं अन्य स्थानों पर शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस समय इन जिलों में डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
(i)	पौड़ी	362	62
(ii)	चमोली	268	55
(iii)	देहरादून	156	68

(ख) और (ग) जी, हां। इन जिलों में निम्नलिखित स्थानों के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा

डाकघर और विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(i) पौड़ी—चौड़ीख, कंडियामल्ला ।

(ii) चमोली—जखनोली, देवपुरी, जोगीबादल ।

(iii) देहरादून—फतेहपुर टांडा/सैंज/केदरवाला ।

उप डाकघर

पौड़ी—जिला पौड़ी में बेस अस्पताल श्रीनगर ।

(ख) इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है ।

विशिष्ट व्यक्तियों की स्मृति में स्मारक डाक-टिकट

1744. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :**
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री जी० माडेगौडा :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस वर्ष विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य के अवसर पर उनकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) विख्यात चित्रकार, असित कुमार हलदर पर दिसम्बर, 1991 में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है जिसका 1990 में उनकी जन्मशती के अवसर पर अनुमोदन किया गया था ।

उत्तर प्रदेश में टी० वी० टावरों की स्थापना

1745. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत टी० वी० टावर स्थापित कर दिए गए हैं;

(ख) क्या इन जिलों में टी० वी० टावर संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या इन दो जिलों में और स्थानों में कम शक्ति के टी० वी० टावर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय पौड़ी में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, श्रीनगर में एक ट्रांसपोजर तथा गोपेश्वर में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से क्रमशः पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली जिलों को टी० वी० सेवा उपलब्ध हो रही है। ये ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) इन जिलों में टी० वी० सेवा सुदृढ़ करने के लिए पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर तथा चमोली जिले में जोशीमठ में एक अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का कार्यक्रम है।

केरल में डाइनेमिक एस० टी० डी०/आई० एस० डी० नियन्त्रण सुविधा

[अनुवाद]

1746. **श्री पी० सी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में डाइनेमिक एस० टी० डी०/आई० एस० डी० नियन्त्रण सुविधा (कम्प्यूटर लॉक) उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल के सभी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में यह सुविधा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) केरल के 6 ई-10 बी एक्सचेंजों तथा एक 512 पोर्ट आई एल टी एक्सचेंज में डायनेमिक एस० टी० डी०/आई० एस० डी० नियन्त्रण सुविधा (कंप्यूटर लॉक) उपलब्ध है।

(ख) 1. त्रिवेन्द्रम मेडिकल, कालेज टेलीफोन एक्सचेंज।

2. त्रिवेन्द्रम—अम्बालामुक्कु, आर० एल० यू० एक्सचेंज।

3. करयाक्तम आर० एल० यू० एक्सचेंज।

4. कोट्टायम टेलीफोन एक्सचेंज।

5. एर्नाकुलम—पालारिवत्तम टेलीफोन एक्सचेंज।

6. एर्नाकुलम—विलिंगडन आइलैंड टेलीफोन एक्सचेंज।

7. कोझीकोड आई० एल० टी० 512 पोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज।

(ग) जी, नहीं। तकनीकी दृष्टि से यह व्यवहार्य नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में नए डाकघर

[हिन्दी]

1747. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में सूरत और बड़ौदा जिलों में और अधिक संख्या में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन डाकघरों के किन-किन स्थानों पर खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी, हां । ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1.	सूरत	सूरत में कटारगाम जीआईडीसी में अधोडिया जीआईडीसी सचिन जीआई डीसी अलथानमरोली लिम्बायत और सिंगनापो	सूरत में उसकर, रामकुंड, हीराबाड़ी, असारमस, वडपाड़ा, शिवडी ।
2.	बडोदरा	अटचलमाली	बडोदरा में भरवाड़ा धानारोस, करोडिया, रांचोदेवला ।

गुजरात में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

1748. श्री काशीराम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए तथा किन स्थानों पर;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार किया गया; और

(ग) वर्ष 1991-92 में नए टेलीफोन एक्सचेंज किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और किन स्थानों पर एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) पिछले वर्ष (1990-91) के दौरान गुजरात में 35 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए । इस सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार किया गया, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) वर्ष 199 -92 के दौरान विस्तार किए जाने वाले वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम सहित उन स्थानों के नाम, जहां नए एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव हैं, संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

पिछले वर्ष (1990-91) के दौरान गुजरात में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्रम सं०	एक्सचेंजों के नाम
1	2
1.	वासना
2.	नाना-अंकेवलिया
3.	रानासान
4.	सुईगाम
5.	तुरखा
6.	जम्बावाला
7.	देशोत्तर
8.	अंकलाचा
9.	मोटा-अंकेवलिया
10.	मांडवी
11.	रिछवानी
12.	अदवाना
13.	गीर-माधवपुर
14.	उगेड़ी
15.	खामरा
16.	वानडीहा
17.	रामजी पटेल ना मुवादा
18.	वाडाबाल
19.	ओठा

1	2
20.	सिंदसार
21.	रान (जे एम एन)
22.	खाड-वनथाली
23.	सवीडाड
24.	तिशारा
25.	गोडावाडी
26.	ताड़केश्वर
27.	कैंटूमेंट (अहमदाबाद)
28.	चंचबेल
29.	नवसारी (साता)
30.	वापी (साता)
31.	घुवारन
32.	नारनपुरा-लाट
33.	गोलाना
34.	केशोड (साता)
35.	धेधुका (साता)

विवरण-2

इकाइयां	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
अहमदाबाद	गांधीनगर, नारनपुरा-11, वाटवा, बरवाला, ढोलका, नारनपुरा-1, नर नरोदा, बावला, कोठ, 39 एक्सचेंज रेलवेपुरा-1	बरेजा, भिरोली, ओधाव, नारनपुरा, वटता, रेलवेपुरा-4, नारनपुरा-11, नरोदा, 39-1, यूनिट (अहमदाबाद)	कोच, केलिया-वासना, बरवाला, हलीसा, बिनोडा, गुंडी, बातामान, गांधीधाम, ओधोव, साबरमती, नारनपुरा, वाटता, जमालपुरा, राधेजा, सानन्द।
बड़ौदा	फतेहगंज, डभोई, पादरा	डभोई, पादरा, बड़ौदा, वाडू	जनोद, सोखाडा, चंदाद, मासा रोड, रनिया, डेसार, समाल्या, केसनपुर, तुंडाव।
राजकोट	वीरपुर, कोटादसनघानी	जुबलीबांग (आरजे), भक्तिनगर	कोटादसनघानी, अटकोट, पंचमोती, कोवावाडा, टंकारा, मकानसार, वेगाडी।
सूरत	महीधारपुरा (एस आर), कवास, बाजीपुरा, सारभान, पालसाना, व्यारा, कोडोड्रा, ओलपाड	पोर्ट सोनगाध, मामरेज, मांडवी, सूरत, रानघेर, सचिव, कोसाम्बा, कडोड, मथुवा, वालोड, वराड, वंकानेर, माधी	वराड, अनुमाला, बाजीपुरा, कराचलिया, वराड, अनुमाला, बाजीपुरा, कराचलिया, सोआनपुरा, महुवा, अरेथ वानकानेर, व्यारा,

1	2	3	4
			पांजरापोले, कवास, उधाना, कोसाम्बा, सचिन, बोधान, सारभान।
नाडियाड	आनन्द, वी०वी० नगर, नाडियाड, सोजीतरा, उमरेठ, बालासिनोर, रास, संदेरसाल	आनन्द, वी०वी० नगर, डकोर, कपाडगंज, मेमदाबाद, धारमाज, लिचका, नेस, नापाड, अदास, अजरपुर, बोचासान, पाडवा, बोरासाद, सरसा, तारापुर	मोहलेल, बंकानेर, असोदर, बिल्ला, आस। अदास, हल्दाखाम, उमरेप, ओडे, महुध, कथलाल, दासी, मेहलोल, पेटलाड, कपाडवंज, सेवलिया, मतंरकंजारी, आनन्द-4, वी०वी० नगर, नाडियाड, छपाडी, वनोड़ा।
मेहसाना	अम्बालीयासन, सामी, खेरवा, डांगरवा, बिस्नागर, कालीसामा, सिद्धपुर, पाटन, भीलवेन	कादी, कलोल, पाटन, छंझा, खेरालू, महुदी, अगलोड, भन्ड, संच, मनासा, सिद्धपुर, बिजापुर	गोजरिया, लडोल, ककोशी, खेरालू, जागूदान, उमटा, थोज, मेडोहरोज, जमाले, लाघनेज, धिनोज, ट्रांसवाड़ा, सातेज, खेरवा, टाकरवादा, कामना, बलोल, फंतराल, डाबहाड, कुचेर, जसपुर, संखेश्वर, बादावाली, दसाज, बरसिल, उपेरा, फिन्पोल, पटना, कादी, कलोल, होडरा, भजमारासा, खोदडा, कमलवाडा, उमरापुर, महूदी, छतराल, नरदीपुर।

1	2	3	4
जूनागढ़	जूनागढ़, भटावा, केशोड, मेंदारदा, तलाला, वनकबारा, टिक्कर, लुन्साला, आदित्याना, पोरबन्दर, वेरावल, मानवादार, बिरनांवादर	ऊना, मंगरोल, मेनदी, जूनेगढ़, बामन्वो, भीलश्वर, चोरवाड, लिम्बन्डा, सरदारगढ़, विस्वादार, दीव, आदित्याना, वेनकाबारा	मंलियाहदीना, चोरवाड, अक्तियाना, शेरबॉग, मेसाण, रानाकानडारना, बागावाडार, केशोड, मंगरोल, तलाला, विसावादार, अडवाना, मोरासा ।
भावनगर	बोटाड, महुवा, चित्रा, घासा, गरिआधर	महुवा, सेवरकुन्डा, भावनगर, बोताड	पालियाड, त्रापाज, उमाराला, ताना, उगमाडी, भावनगर, लाथ-डाड, खोपाला, दिहार, वलूकाडी, पालीताना ।
भुज	विडादा, गांधीधाम, आदिपुर, कांडला, नखत्राना, रापर	भुज, आदीपुर, सुखपुर, भुजपुर, के० मांडवी	झाईसारा, पांढराव, केरा, सुखपुर, बदाला, आजापुर, भुजपुर, के० मांडवी, मुंधरा, नखत्राना, भचाऊ, झपर, तूना ।
भरूच	वलिया, राजपीपला, पलोज	भरूच नावीपुर, अमोद, झगड़िया	वागरा, नबीपुर, प्रतोनागर, राज-परदी, चन्दीरिया, सुकल तीरा, इलाव, सिसोदरा, हसोट, पनोली, पलेज, अंकलेश्वर ।
जामनगर	जीवेपुर, द्वारका, खम्भलिया, धायल	खम्भलिया, सलाया, भटिया, कला-वाड़	जोडिया, वादीवार, ओखा, भटिया, सापर, बलवा, जामनगर, भान-वाडा ।

1	2	3	4
पालनपुर	पाथनवाड़ा, ताकखाडा, लखनी, रघनपुर, दिसा	छाधी, डेटीवादा, हदाद, जूनी, सिद्धम, कानोगर, मीथा, टकरवाडा, भामरा, घनेरा, थारा	चांदीसर, वाद, मंथवाद, चित्रासानी, मेथा, मालन, जलोतरा, दिसा, संतलपुर, खीमट, वरमपुर, कानोदर, मिलडी, ओरैया, बपला, जर्दा, धीमा, पिलूदा, भोरदू, जेतपुर, अम्बा जी ।
सुरेन्द्रनगर	टीकर, सुरेन्द्रनगर, ह्रालवाड, चोटियाला	चाडवा, सरला, लिम्बडी, हलवाड	चुडा, जिजावाडिया, पतरी, धरनग्रधा, थानगढ़ ।
अमरेली	टिम्बी, वलीसा, कोडीनार, धारी, राजुलाज, चीतल, लिलियामोटा	धारी, जफराबाद, बाबापुर, हरमेडिया, अमरेली, टिम्बी, कोडीनार, राजुला, डामनगर, कुंकावाड	चलाला, अमरेली, दामनगर, लालासा, वाडिया ।
बुलसर	खानवाल, नारलू, सपुत्रा, सिलवासा, उम्बारगांव, किल्लापरदी	अतुल, चिखली, दमन, गुंडलाव, देगम, फंसा, मंसाडा, मिलाड	अनाराल, दादरा, उगट, नारोली, अचारी, खानवेल, संजार, सिलवासा, बिलीमोरा, उम्बरगांव, अतुल ।
गोधरा	हलाल, लुनावाडा	डेरोल, फतेहपुरा, गरहाडा, वरदाहारी, दोहाद	पिपलोड, फतेहपुरा, सन्तरोड, टिम्बारोड, पावागढ़, लुनावाडा, दहोदा, जलोद, गोचिव, जसवाडा, डिवाडा कलोनी, गोधम्बा, डेरोल, सुखपुर ।

1	2	3	4
हिम्मतनगर	बामना, प्रल्हीजी, हिम्मतनगर, खादवड्या, बादराम	मोदासा, प्रांतिज, तलोद, खेड, लिम्बोई, सरदोई, टाकाटुका, हिम्मतनगर, ईडर, पिलोदा, दमाई, मालपुर, मेघराज	शामलाजी, सिलोल, दावाद, कावा, लक्ष्मणपुरा, रेखाय, हंसोल, सरदोई, पिथोड, गम्बोई, जामला, रूपल, गधु, सलाल, पोसीया, मटोडा, हिम्मतनगर ।

विवरण-3

वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में जो नए एक्सचेंज संस्थापित किए जाते हैं और जिनका विस्तार किया जाना है, उनके स्थानों का नाम इस प्रकार से है :

(i) राजकोट

नए एक्सचेंज

1. मोरबी 3के आईसीपी
2. जासदान 2 इकाइयां सी-डाट की
3. सापर 512सी-डाट की 1 इकाई
4. पदधारी 200 लाइन ई-सैक्स
5. सुपेडी-128 सी-डाट
6. मोतीमरद-128 सी-डाट
7. वीरपुर 128 सी-डाट
8. देरदी 128 सी-डाट
9. भुनावा 1289 सी-डाट
10. वजाडी 128 सी-डाट
11. विनिचया 128 सी-डाट 2 यूनिटें
12. गोमता 64 एमआईएसटी
13. जातलसार —वही—
14. चित्रावाड —वही—
15. कोलीथाड —वही—
16. कोतकी —वही—
17. के० वी० धाम —वही—
18. मलिया (मियाना) —वही—
19. रतनपुर —वही—
20. कमालपुर —वही—

विस्तार

1. राजकोट में आरसी एक्सचेंज 1, 2, 5 से 3के आरएसयू

(ii) अहमदाबाद

नए एक्सचेंज

1. वासना-II 10,000 लाइनें (एम)
2. बाडोदरा 128 सी-डाट
3. शेरथा 64 एमआईएलटी

विस्तार

1. बरेजा 100 एल (300—400)
2. मिरोली 642 एमआईएलटी (50 मैक्स-11 से 64)
3. नवागाम्य 128 128 सी-डाट (100 मैक्स-111 128 सी-डाट)
4. नेआदेज 128 सी-डाट (150 मैक्स-111 128 सी-डाट)
5. कुहा 128 सी-डाट (50 मैक्स-111 128 सी-डाट)
6. अहमदाबाद (नारयणपुरा-11) 12000 एल (ई)
7. बोपाल 100 विस्तार (300—400 मैक्स-11)
8. धोलका 300 विस्तार (800—1100)
9. कौका 64 एमआईएलडी (25—64 एमआईएलटी)
10. बदरखा 128 सी-डाट (25 मैक्स-111 128 सी-डाट)
11. रंधेजा 100 विस्तार (200—300 मैक्स-11)
12. अडालाज 2 एक्स 128 सी-डाट (100 मैक्स-111 से 128 × 2 सी-डाट)
13. देहगम 900 मैक्स-1 120 सीबीएम 900 मैक्स-1
14. देवकरण मुवादा 64 एमआईएलटी 25 मैक्स-111 64 एमआईएलटी
15. इसानपुर मोटा 64 एमआईएलटी —वही—
16. सदारा 128 सी-डाट 50 मैक्स-11 128 सी-डाट
17. बहीआल 128 सी-डाट 100 मैक्स-111 128 सी-डाट
18. दबोधा 128 सी-डाट 50 मैक्स-111 128 सी-डाट
19. रखताल 128 × 3 × सी-डाट 200 सीबीएनएम 20
20. देतराउ 64 एमआईएलटी 50 मैक्स-11 से 64 एमआईएलटी
21. मणिपुर 64 एमआईएलटी —वही—
22. कोटासान रोड 128 सी-डाट 100 ए मैक्स-111 से 128 सी-डाट

23. जिन्दावा 128 सी-डाट 50 मैक्स-11 128 सी-डाट

24. मंडल 128 सी-डाट 100 मैक्स-11 से 128 सी-डाट

25. बिराम गांव 200 ईएसएएक्स विस्तार

26. धनधुका 128 × 4 सी-डाट (300 सीबीएनएम से 128 × 4 सी-डाट)2

27. रानपुर 200 एलईएसएएक्स (100 एल मैक्स-11 से 200 एलईएसएएक्स)

(iii) वालसाड

*नए एक्सचेंज

1. खडोली 64 एमआईएलटी

*विस्तार

1. चिखली मैक्स-11 500—600 लाइनें

2. वालसाड मैक्स-2 2200—2400 लाइनें

3. दमन मैक्स-11 800—900 लाइनें

4. किल्लापर्दी मैक्स-11 500—600 लाइनें

5. सिलवासा मैक्स-11 800—900 लाइनें

(iv) भुज

*नए एक्सचेंज

1. भरूदता 25 लाइन मैक्स-111

2. मतनामथ 25 लाइन मैक्स-111

*विस्तार

1. भुज मैक्स-1 4 से 5 ह०

2. गांधीधाम 384 लाइन ईपीआर

3. अंजार मैक्स-11 (600—700)

4. आदिपुर —वही— (700—900)

5. भचाऊ सीबीएनएम (240—360)

6. के० मांडवी सीबीएम (720—840)

(v) जूनागढ़

*नए एक्सचेंज

1. मोहार नवा 25 एल मैक्स-111

2. रनावाडा नया 25 एल मैक्स-111

3. छतरावा नया 25 एल मैक्स-111

4. अरनीवाला नया 25 एल मैक्स-111

विस्तार

1. बेरावाल ईपीआर 3 ह० से 4 ह०

2. जूनागढ़ एक्स बीपी 7 ह० से 8.5 ह०

3. ऊना 840 सीबीएम से आईएलटी 2048

4. वनथाली 200 सीबीएनएम से आईएलटी 510

5. विस्वादार 230 सीबीएनएम से आईएलटी 512

6. तलाला 220 सीबीएनएम से आईएलटी 512

7. भंगरोल 380 सीबीएनएम से सी-डाट 512

8. शाहपुर 100 मैक्स-111 से 128 पीसी-डाट

9. माधवपुर 100 मैक्स-111 से 128 पीसी-डाट

10. बदाल 50 एल एम-111 से "

11. मातेवाडी 50 एल एम-111 से "

12. मेनदारदा सीबीएनएम से 256 सी-डाट

13. मानवदार 600 एम-11 से 1000 सी-डाट

14. कुतियाना 200 से 300 एम-111

15. पांतवा 200 से 300 एम-11

16. अजाब 50 एल एम-111 से आईएलटी-64

17. बादाल " "

18. माजेवाडी " "

19. सीरासारा " "

20. सुतरापड़ा " "

21. गिरगाढ़ाडा " "

22. अकोलवाडी " "

23. मोती मोलपारी " "

24. टीकर " "

25. मोढ़ासा " "

(vi) भड़च

*नए एक्सचेंज

1. देरोल 128 पी सी-डॉट
2. भदभट 64 एम आई एल टी

विस्तार

1. भड़ूच 5000-6000 एल एक्स-बार
2. अंकलेश्वर 4000-5500 एल० एक्स-बार
3. "क" कावोनी 240 एल सीबीएनएम-522 पीआईएलटी
4. बलिया 150 एल मैक्स-111-512 पी आईएलटी
5. आमोद 200 एल सीबीएनएम-512 पी आईएलटी
6. जम्बूसार 300 एल सीबीएनएम-512 पी सी-डाट
7. राजपीपला 480 एल सीबीएम-2048 पी-आईएलटी
8. झगडिया 120 एल सीबीएम-200 ईएसएएक्स
9. नेतरंग 100 एल सीबीएनएम-300 ईएसएएक्स
10. देवीपाड़ा 50 एल मैक्स-111 128 पी सी-डाट
11. वहेज 50 एल मैक्स-111 128 पी सी-डाट
12. उमाला 50 एल मैक्स-111 128 पी सी-डाट
13. सजोद 55 एल मैक्स-111 64 एमआईएलटी
14. इलाव 50 एल मैक्स-111 64 एम-आईएलटी
15. शुक्लातीरथ 50 एल मैक्स-111 64 एम-आईएलटी
16. तनराड़िया मैक्स-111 128 पी सी-डाट

(vii) गोधरा

*नए एक्सचेंज

1. हलोल (एसटीई) 1000 पी सी-डाट 3 नीलामाना खड़खडिया 64 एमआईएलटी
2. गोधरा (एसएटीई) 100 पी सी-डाट 4 खानपुर 64 एमआईएलटी 5 रछरवा 64 एमआईएलटी

विस्तार

1. दाहोद 1800 लाइनें सीबीएम-3000 लाइनें पीआरएक्स

2. झालोद	200 लाइनें सीबीएनएम-512 पीआईएलटी
3. लूनावाड़ा	600 लाइनें सीबीएम-2048 पी-आईएलटी
4. संतरामपुर	120 लाइनें सीबीएनएम-200 लाइनें ईएसएएक्स
5. धनपुर	35 लाइनें एमएएक्स-111 128 पी सी-डाट
6. लिमादिया	50 लाइनें एमएएक्स-111 128 पी सी-डाट
7. कोठम्बा	50 एमएएक्स-111 128 पी सी-डाट
8. सुखसर	50 लाइनें एमएएक्स 111 128 पी सी-डाट
9. गरबादा	100 लाइनें एमएएक्स-111 256 पी सी-डाट
10. लिमखेड़ा	100 लाइनें एमएएक्स-111 256 पी सी-डाट
11. शेहरा	100 लाइनें एमएएक्स-111 256 पी सी-डाट
12. लिमदी	100 लाइनें एमएएक्स-111 256 पी सी-डाट
13. बीजलपुर	100 लाइनें एमएएक्स-111 256 पी सी-डाट
14. बरछारी	35 लाइनें एमएएक्स-111 64 एम-आई एलटी
15. बकोड़	25 लाइनें एमएएक्स-111 64 एम-आई एलटी
16. मालिकपुर	25 लाइनें एमएएक्स-111 64 एम-आई एलटी
17. भोखा	25 लाइनें एमएएक्स-111 64 एम-आई एलटी

(viii) हिम्मतनगर

*नए एक्सचेंज

1. इलोल	एमएएक्स-111
2. प्रतापगढ़	एमएएक्स-111
3. मोती इसरोल	एमएएक्स-111
4. खिरोल	एमएएक्स-111

विस्तार

1. हिम्मतनगर	2500-3000 आईसीपी
2. मोदसा	1200-1300 एमएएक्स-11-चालू हो गया है।
3. बैद	360-384 512 आईएलटी-परिवर्तित
4. मिलोदा	सीबीएनएम-384 512 आईएलटी
5. धनसुरा	360-384 512 आईएलटी
6. वेड़वहुा	480 सीबीएनएम-1052 सी डाट

7. ईदर	840-1400 512 सी-सी डाट
8. तिनतोई	100 एमएएक्स-111 200 ईएसएएक्स
9. मुदेती	150 एमएएक्स 200 पीसी डाट
10. अंबलिगारा	50 एसएएक्स 1280 पीसी डाट चालू हो गया है।
11. अतरसुबा	50 लाइनें एमएएक्स-111 128 पीसी डाट चालू हो गया है।
12. लिंबोई	100 एमएएक्स-111 128 पीसी डाट ,,
13. शिवराजपुरा कुम्पा	50 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
14. नवनगर	35 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
15. पोशिना	50 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
16. वमना	50 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
17. चाद	50 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
18. लिबाडिया	50 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
19. फेदेदा	50 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
20. अनियोर	35 एम-111 128 पी-सी डाट ,,
21. लक्ष्मीपुरा कंपा	50 एम-111 128 पी-सी डाट
22. अकरूंदा	100 एम-111 256 पी-सी डाट
23. बदोली	100 एम-111 256 ,,
24. गदाट	100 एम-111 256 ,,
25. सलाल	100 एम-111 256 ,,
26. चितरोंडा	100 एम-111 256 ,,
27. दिमई	200 सीबीएनएम 256 ,,
28. जादर	100 एम-111 256 ,,
29. विज्ञानविहार	100 एम-111 256 ,,
30. कदियादरा	100 एम-111 256 ,,
31. रनासन	100 एम-111 256 ,,
32. गडकन	100 एम-111 256 ,,
33. उमेदगढ़	35 एम-111 64 एमआईएलटी-चालू हो गया है।
34. विष्णुपुरा	35 एम-111 ,,
35. खिराड़ी	35 एम-111 ,,

36. खिरोज	35 एम-111 64 एमआईएलटी चालू हो गया है।
37. सतनगर	35 एसएएक्स ,,
38. तरकवाड़ा	35 एम-111 ,,
39. चंद्रानी	30 एम-111 ,,
40. भद्रासवर	35 एम-111 ,,
41. मटोदा	35 एम-111 ,,
42. रामपिरकुंपा	25 एम-111 ,,
43. दधलिया	35 एम-111 ,,

(ix) पालनपुर

*नए एक्सचेंज

1. रसना	64 एमआईएलटी
2. असेड़ा	,,
3. रविया	,,
4. समऊमोटा	,,
5. भदाच	,,
6. राह	128 पी-सी डाट
7. पालनपुर	1400 लाइन उपग्रह एक्सचेंज

*विस्तार

1. दंता	एमएएक्स-11 128 पी-सी डाट
2. गोला	एमएएक्स-111 64 एमआईएलटी
3. धीमल	एमएएक्स-111 64 एमआईएलटी
4. दंतीवाड़ा	एमएएक्स-111 256 पी-सी डाट
5. इकबालगढ़	एमएएक्स-111 256 ,,
6. अमीरगढ़	एमएएक्स-111 256 ,,
7. जीतपुर	एमएएक्स 64 एमआईएलटी
8. जूनीसेंधवी	एमएएक्स 64 एमआईएलटी-चालू हो गया है।
9. मालदी	एमएएक्स पी-सी डाट —वही—
10. हदाद	मैक्स-111 से 64 एमआईएलटी चालू हो गया है।

11. छापी	मैक्स-11 (300-400)	चालू हो गया है।
12. खीमत	मैक्स-11 से 64 एमआईएलटी	—वही—
13. गोरिय	,, ,,	—वही—
14. थराद	सीईएनएम (200-210)	—वही—
15. वीरमपुर	मैक्स-111 से 64 एमआईएलटी	—वही—
16. गध	मैक्स-111 से 128 पी सी-डाट	—वही—
17. संतालपुर	,, ,,	—वही—
18. पिलूचा	,, ,,	—वही—
19. वसना	50 मैक्स-11 100 मैक्स-111	—वही—
20. वडगम	मैक्स-111 से 200 लाइनें ई सैक्स	
21. कबीरपुरा	मैक्स-111 से 128 पी सी-डाट	
22. भाविसना	,, ,,	
23. धनेरा	सीइएनएफ-512 आईएलटी	
24. कनोदर	मैक्स-111 512 आईएलटी	
25. थराद	210 सीईएनएफ-512 आईएलटी	
26. भाभर	सीईएनएफ-512 आईएलटी	

(x) सुरेन्द्र नगर

*नए एक्सचेंज

1. धोली	25 लाइनें एम-111	चालू हो गया है।
2. धनवाड़ा	25 एम-111	
3. दूरापुर	25 एम-111	

*विस्तार

1. सारला	100 लाइनें 128 पी सी-डाट	चालू हो गया है।
2. मूली	50 एम-111 पी सी-डाट	—वही—
3. खाराचोडा	50 एम-111 128 सी-डाट	—वही—
4. सायला	25 एम-111 64 एमआईएलटी	—वही—
5. लखतर	100 एम-111 200 इएसएएक्स	
6. चरडवा	35 एम-111 64 एमआईएलडी	

7. निमकनगर	25 एम-111 64 एमआईएलटी
8. लिमडी	600 सीबीएम-800 पी सी-डाट
9. पाटदी	240 सीईएनएफ-384 आईएलटी

(xi) *मेहसाणा

*नए एक्सचेंज

1. सरियाद
2. दुखत
3. भादरा
4. सूरज
5. छतराल

*विस्तार

1. विसनगर	(1400-2000) मैक्स-11
2. कलोल	2000-2400 मैक्स-11
3. पाटन	2000-2200 मैक्स-11
4. ऊंझा	2300-2400 मैक्स-11
5. कुकरवाड़ा	500-600 मैक्स-11
6. सिधपुर	1320-1560 सीबीएम
7. बेचाराजी	120-140 सीबीएनएम
8. चानसमा	240-260 सीबीएनएम
9. काडी	1500-1600 मैक्स-11
10. डांगरवा	35-64 मैक्स-111
11. अम्बलिमासान	सीबीएनएम से इलेक्ट्रोनिक
12. जोताना	—वही—
13. रानुज	—वही—
14. सरदारपुरा	मैक्स 1 से 138 पी सी-डाट
15. मंदासन	—वही—
16. मूलासन	—वही—
17. लामी	—वही—

18. काडा	मैक्स-111 से 128 पी सी-डाट
19. बालम	—वही—
20. सुंदिया	—वही—
21. कमलीवाडा	—वही—
22. धिनोज	128 पी सी-डाट
23. खेखा	12 पी सी-डाट
24. अगलोद	—वही—
25. बालीसाना	—वही—
26. मीलवान	—वही—
27. उमटा	—वही—
28. कांमा	एमएएक्स-111 से 64 एमआईएलटी
29. माहुदी	—वही—
30. सुदासना	—वही—
31. संखेश्वर	—वही—
32. दासाज	—वही—
33. अमरपुर	—वही—
34. पूनासन	—वही—
35. सिपोर	—वही—

(xii) *भावनगर : शून्य

*विस्तार

1. महुवा	एमएएक्स-1 1 (1300-1400) चालू किया गया।
2. तालजा	सीईएम (4800-500)
3. गढाडा	512 आईएलटी
4. रोहिशाला	128 पी सी-डाट चालू किया गया।
5. आमराला	—वही—
6. वालूकाड	—वही—
7. वीजापाडी	—वही—
8. वल्लभीपुर	—वही—

9. घोघा	64 एमआईएलटी
10. लाठीदाद	—वही—
11. मांडवा	—वही—

(xiii) *जामनगर

*नए एक्सचेंज

1. शीतला	एमएएक्स-111 25 लाइनें
2. चंदागढ़	25 एलएमएएक्स-111
3. चोला	25 एलएमएएक्स-111
4. मोटाबाडला	25 एलएमएएक्स- 11
5. नानाबाडला	25 एलएमएएक्स-111
6. मोटा गुंडा	15 एलएमएएक्स-111
7. मेघदार	25 एलएमएएक्स-111

*विस्तार

1. जामनगर	एमएएक्स-1 (11,700-13,500)
2. खम्भालिया	एमएएक्स-11 (900-1100)
3. दवारका	एमएएक्स-11 (250-300)
4. जमालोधपुर	360 सीबीएम से 512 सी-डाट (एम)
5. कालावाड	280 सीबीएनएम से 412 आईएलटी
6. मोटा गुर्डा	एमएएक्स-111
7. सिक्का	150 एमएएक्स-111 से 200 ईएसएएक्स
8. सलाया	150 एमएएक्स-111 से 156 सी-डाट
9. लालपुर	120 बीसीएनएम से 250 सी-डाट
10. भेडा	120 सीबीएनएम से 256 सी-डाट
11. अलियावाडा	
12. तरसाई	100 एमएएक्स-111 से 128 सी-डाट (एक)
13. जीवापार	50 एमएएक्स-111 से 128 सी-डाट (एम)
14. मोटी बानगर	50 एमएएक्स-111 से 64 एमआईएलटी
15. जाम कल्यानपुर	25 एमएएक्स-111 से 64 एमआईएलटी

(xi) *बड़ोदा

*नए एक्सचेन्ज

1. बड़ोदा	डिजिटल टीएएक्स

*विस्तार

1. वागोदिया	180-500 एलआईएनईएस एमएएक्स

*प्रस्तावित

1. सिटी एक्सचेंज	5 केआरएलडीएनईएएक्स
2. अलकापुरी	5 केएचएआईएनएनईएएक्स
3. मकरपुटा	2 केआरएलडीएनईएएक्स
4. कोयाली	2 केआरएलयूएनईएएक्स
5. मियागम करजन	412 सी-डाट
6. छोटा उदयपुर	512 सी-डाट
7. सांखेड़ा	256 सी-डाट
8. पोर	256 सी-डाट
9. पावी जेतपुर	200 एलआईएनईएस ईएसएएक्स
10. नसवाडी	200 ईएसएएक्स
11. संधासल	128 सी-डाट

(x) सूरत

*नए एक्सचेन्ज	—शून्य
1. सूरत मार्केट एक्सचेन्ज	ई 10-बी 10,000 लाइनें (5000 लाइनें पहले ही चालू कर दी गई हैं।)
2. सूरत काटारगाम	एमएएक्स-111 600 से 1000 लाइनें
3. सूरत महिधारपुर	2×228 सी-डाट
4. सूरत उधना	2×128 सी-डाट
5. सूरत रानदेर	2×128 सी-डाट
6. सूरत पांडेसारा	1000 लाइनें
7. बालोर	512 आईएलटी (150 से 384)
8. किम	512 आईएलटी (100 से 384)

9. कडोदरा	2×412 सी-डाट (295 से 800)
10. मांडवी	512 सी-डाट (280 से 400)

राज्य बिजली बोर्डों में विद्युत पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियां

1749. **श्री कांशीराम राणा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य बिजली बोर्डों की संचालन लागत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पारेषण और वितरण में हुई क्षति के कारण कितनी राशि का घाटा हुआ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"सी० ए० जी० एक्यूजिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आफ ग्रास इररेगुलेरिटिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

[अनुवाद]

1750. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी० ए० जी० एक्यूजिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आफ ग्रास इररेगुलेरिटिज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो, दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभागों में समाचार रिपोर्ट में प्रकाशित विभिन्न अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है; और

(ग) इन अनियमितताओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा हिंसा

1751. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पुलिसकर्मी मारे गए;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों ने अनेक पुलिस चौकों तथा पुलिस स्टेशनों को बमों, विस्फोटकों तथा सुरंगों से उड़ा दिया था;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने विस्फोट हुए;

(घ) क्या नक्सलवादियों के पास पुलिस से कहीं अधिक उत्कृष्ट तथा आधुनिक कोटि के हथियार तथा गोला बारूद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे कानून तथा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाएं और ठोस कदम उठाएं । तथापि, आवश्यकता पड़ने पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सभी सम्भव सहायता प्रदान करती है । इसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित संलग्न क्षेत्रों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने नक्सल विरोधी उपायों के लिए अन्तर्राज्य समन्वयन में सुधार लाने के लिए उपाय किए हैं ।

लिट्टे और नक्सलियों के बीच सम्बन्ध

1752. श्री वत्साद्रय बंडारू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिट्टे और नक्सलियों के बीच कोई सम्बन्ध है;

(ख) क्या विभिन्न आतंकवादी संगठनों और खाड़कू संगठनों के बीच सम्बन्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार के पास इस आशय की रिपोर्टें हैं कि एल० टी० टी० ई० तथा पीपुल वार ग्रुप के बीच सम्पर्क है । नक्सलवादी हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले संगठनों द्वारा एल० टी० टी० ई० को समर्थन प्रदान करने के दृष्टांतों के बारे में भी जानकारी मिली है । नक्सलवादी संगठनों तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच सांठ-गांठ होने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं ।

(घ) सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है तथा आतंकवादी और उग्रवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता प्रदान कर रही है ।

1988 के समझौते का कार्यान्वयन

1753. श्री वत्साद्रय बंडारू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में सरकार और मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों के बीच कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौता पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार अपना वायदा कब तक पूर्णरूपेण पूरा करने का है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

देश में दूरदर्शन के नए प्रसारण केन्द्रों को चालू किया जाना

1754. **श्री राम कृष्ण कोम्मालाः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान देश में दूरदर्शन के नए प्रसारण केन्द्रों को चालू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर दूरदर्शन के नए प्रसारण केन्द्र खोले जाएंगे; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में दूरदर्शन का प्रसारण किया जाता है और वंचित क्षेत्रों को भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1991-92 की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित ट्रांसमीटरों को चालू करने का लक्ष्य है :

1. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर अनन्तपुर	(शक्ति बढ़ाकर 1 कि० वा० से 10 कि० वा० करना)
2. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, धारवाड़	(10 कि० वा०)
3. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, तिरुपति	(10 कि० वा०)
4. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, शिमोगा	(10 कि० वा०)
5. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, भवानी पटना	(10 कि० वा०)
6. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, बरेली	(10 कि० वा०)
7. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, जगदलपुर	(1 कि० वा०)
8. उच्चशक्ति ट्रांसमीटर, गंगटोक	(1 कि० वा०)
9. ट्रांसपोजर, नागरोता	
10. ट्रांसपोजर, मसूरी	

11. ट्रांसपोजर, टाइगरहिल

(ग) इस समय आन्ध्र प्रदेश की करीब 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है इसमें किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या (जहां सन्तोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एन्टीने और बुस्टरों की आवश्यकता होती है), भी शामिल है। विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में सम्बन्धित छाया क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराने के लिए पहले ही दो ट्रांसपोजर चालू कर दिए गए हैं। राज्य के छाया क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त ट्रांसपोजरों की स्थापना इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

महाराष्ट्र में कल्याण बिजलीघर का बन्द होना

1755. **श्री राम कापसे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कल्याण बिजलीघर, ठकुरली, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) बन्द हो गया है तथा इसी स्थान पर 60 मेगावाट क्षमता की प्रतिस्थापन परियोजना का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ठकुरली में गैस टर्बाइनों पर आधारित बिजलीघर पुनः चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) इस बिजलीघर के बन्द होने के कारण कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(च) उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक सेवाओं के वितरण में विलम्ब

1756. **श्री राम कापसे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक विभाग द्वारा डाक, तार आदि के वितरण में विलम्ब के बारे में शिकायतों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी सुपुर्दगी में ऐसी असाधारण देरियों को रोकने और डाक सेवाओं को त्वरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० जी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान

डाक के वितरण में विलम्ब से संबंधित शिकायतों का प्रतिशत निपटाई गयी डाक के परिमाण का 0.00071 प्रतिशत बैठता है। पिछले वर्ष प्राप्त शिकायतों की संख्या की तुलना में इस बार मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि, साथ ही साथ निपटाए गए परियात में भी वृद्धि हुई है।

तारों के वितरण में विलम्ब के बारे में शिकायतों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) हवाई/ट्रेन/परिवहन सेवाओं में विलम्ब और गड़बड़ी, शहरों में अक्सर मार्गावरोधों के साथ भारी भीड़भाड़ के कारण डाक लाने-ले जाने की गति धीमी हो जाने के फलस्वरूप अक्सर ऊपर उल्लिखित सेवाओं से मेल नहीं हो पाता, जिससे डाक भेजने और उसके वितरण में विलम्ब हो जाता है।

(ग) डाक भेजने और वितरण में विलम्ब से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) सुपरवाईजरों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी जांच।

(ii) परिवहन प्रणाली के साथ बेहतर तालमेल।

(iii) "लाइव मेल" का आकस्मिक नमूना सर्वेक्षण और परिणामस्वरूप पता चली अड़चनों को दूर करना।

(iv) डाक व्यवस्था की निरन्तर पुनरीक्षा;

(v) जनसम्पर्क निरीक्षक (डाक) द्वारा विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जहां से अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं या "बीट" के अन्तिम छोर पर रखने वाले डाक प्राप्तकर्ता से वितरण कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की गोपनीय जांच।

(vi) शहरी क्षेत्रों के कुछ डाकघरों में वितरण प्रणाली का पुनर्गठन।

लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम को धन शक्ति

1757. **श्री राम फापसे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1990 के "सन्डे टाइम्स" (मुम्बई) में "टाइगर्स मनी पावर रूल्स इन तमिलनाडु" शीर्षक से लिट्टे आतंकवादियों को संरक्षण तथा मदद देने में तमिलनाडु की भूमिका के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार को समाचार की जानकारी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

मुम्बई दूरदर्शन से मराठी फिल्में

1758. **श्री राम फापसे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रविवार को मुम्बई दूरदर्शन से दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु मराठी फिल्मों का चयन करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो चयन समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) मराठी फिल्मों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां। चयन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई	अध्यक्ष
(ii) सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र बम्बई	सदस्य
(iii) केन्द्र में फीचर फिल्मों के प्रभारी निर्माता	सदस्य
(iv) केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी बम्बई या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य
(v) फिल्म प्रभाग, बम्बई द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य
(vi) पत्र सूचना कार्यालय बम्बई द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य

(ग) दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए मराठी फिल्मों का चयन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त

(ख) विषय परक मूल्य

(ग) सिनेमेटिक मूल्य

(घ) मनोरंजन मूल्य

(ङ) निर्माण वर्ष

(च) परिवार के साथ देखने योग्य

(छ) फिल्म का वाणिज्यिक तौर पर पहले कितना फायदा उठाया जा चुका है।

(ज) फिल्म दूरदर्शन पर कितनी बार और किन-किन केन्द्रों से दिखाई जा चुकी है।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा गुजरात बिजली बोर्ड को अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई न किया जाना

1759. श्री चेतन चौ० एस० चौहान :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा गुजरात बिजली बोर्ड को अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति न करने तथा उसके द्वारा सप्लाई किए गए संयंत्रों की मरम्मत करने में की जाने वाली देरी की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा दिए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जी हां। उपस्करों की सप्लाई और विद्यमान उपस्करों की मरम्मत के लिए समय सूची का भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अनुपालन न किए जाने के बारे में 17-9-1991 को गुजरात सरकार ने पत्र लिखा था। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अनुसार 25-9-1991 को गुजरात सरकार के साथ ली गयी बैठक में उनके द्वारा अनेक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था तथा उपस्कर की सप्लाई और मरम्मत सम्बन्धी कार्य करने के लिए एक कार्य-योजना भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा तैयार की गयी थी।

दूरदर्शन द्वारा फिल्म निर्माताओं को दिया गया अग्रिम

1760. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं को वृत्तचित्रों, मनोरंजक धारावाहिकों और टेली-फिल्में बनाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान (31 अक्तूबर, तक), वर्ष-वार, कितनी अग्रिम राशि दी गयी है;

(ख) ऐसे कितने वृत्तचित्रों, मनोरंजक धारावाहिकों और टेली फिल्मों की संख्या कितनी है जो एक वर्ष से अधिक समय से तैयार है लेकिन उनका प्रसारण अभी तक नहीं हुआ है;

(ग) तैयार धारावाहिकों का दूरदर्शन पर प्रसारण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश के दुर्लभ संसाधनों को इस प्रकार व्यर्थ गंवाने को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क)

वर्ष	धनराशि
1	2
1988-89	13,76,79,745 रुपये

1	2
1989-90	3,65,82,000 रुपये
1990-91	9,'8,37,000 रुपये
1991-92	2,47,20,000 रुपए

(ख) और (ग) पूर्वावलोकन समिति के अनुमोदन के पश्चात कोई अन्तिम रूप से अनुमोदित वृत्तचित्र, धारावाहिक या टेली फिल्म एक वर्ष से अधिक समय से प्रसारण के लिए लम्बित नहीं है। दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों को अपने चालू प्रसारण कार्यक्रम में पहले उपलब्ध समय में खपाने का प्रयास करता है।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

महाराष्ट्र स्थित पवन चक्कियां

[हिन्दी]

1761. **श्री विलासराव नानाभराव गुंडेवार** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कितनी पवन चक्कियां चालू हैं;

(ख) महाराष्ट्र में जिन पवनचक्कियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य से महाराष्ट्र के लिए कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता मन्जूर की गयी है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1988 में देवगढ़ में 55 किलोवाट के बीस पवन विद्युत जनित्रों वाली 1.1 मेगावाट की एक पवन फार्म परियोजना स्थापित की गयी। 90 किलोवाट का एक पवन विद्युत जनित्र दहानु में भी लगाया गया है। ये दोनों परियोजना राज्य ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं। महाराष्ट्र में अन्य पवन चक्की संस्थापनाओं में 194 पवन पम्प और 3 पवन बैटरी चार्जर शामिल है।

(ख) राज्य में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में विजय दुर्ग में 1.5 मेगावाट का एक पवन फार्म तथा बीस पवन पम्प संस्थापनाएं शामिल हैं।

(ग) पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए 2.87 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया गया है; तथा अन्य पवन चक्की परियोजनाओं के लिए लगभग 20 लाख रुपये की राशि दी गयी है।

महाराष्ट्र में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

1762. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से गैस पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं :—

(1) डभोल गैस टर्बाइन संयुक्त साइकिल ताप विद्युत केन्द्र 760 मे० वा० (4×120 मे० वा० जी० टी+2×140 मे० वा० एस० टी०), जिला रत्नागिरी।

(2) नागोथाने गैस टर्बाइन संयुक्त साइकिल ताप विद्युत केन्द्र 860 मे० वा० (4×130 मे० वा० जी० सी०+2×150 मे50 मे० वा० एस० टी०)।

ये परियोजनाएं इस स्थिति में नहीं हैं कि इन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु विचार किया जा सके। गैस लिंकेज, जल की उपलब्धता जैसे सभी आवश्यक निवेश एवं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने और राज्य प्राधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही इन प्रस्तावों पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।

जनवरी, 1991 में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने ठकुराली में एक संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन केन्द्र (419 मे० वा०) स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव किया था। तथापि, फरवरी, 1991 में इस परियोजना को रेलवे द्वारा स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया था। तदनुसार, इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को भी अवगत करा दिया गया है।

स्मारकों के सम्बन्ध में स्मृति डाक टिकट जारी करना

1763. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिनके सम्बन्ध में सरकार चालू वर्ष के दौरान स्मृति डाक टिकट जारी करना चाहती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : चालू वर्ष के दौरान माम्यूमेंट्स पर कोई स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

आतंकवादियों द्वारा हत्याएं और लूटपाट

1764. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में आतंकवादी तथा अलगाववादी संगठनों ने कितने व्यक्तियों की हत्या की है और कितनी धनराशि को लूटा है;

(ख) क्या इन आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का प्रभाव पंजाब और कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी फैल रहा है; और

(ग) इन आतंकवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली हत्याओं और लूटपाट की बढ़ती घटनाओं को रोकने तथा उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रखी जाएगी ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान, पंजाब और कश्मीर के अलावा देश के अन्य कुछ राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां मिलने की सूचना मिली है । आतंकवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति से सरकार पूर्णतः अवगत है तथा इस बात के प्रति दृढ़संकल्प है कि समूचे देश में शांति, स्थिरता तथा विकास का स्थाई वातावरण बने । इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से कई कदम उठाए गए हैं ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मानदण्ड

1765. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राधिकरण तीन वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के सभी जिलों के अस्सी प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मानदंडों को शिथिल करने पर विचार करेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य यूटिलिटीज/राज्य

बिजली बोर्डों के क्षेत्राधिकार में आते हैं और विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड तदनुसार ग्राम विद्युतीकरण के लिए अपने मानदण्डों का निर्धारण करते हैं। ग्राम विद्युतीकरण कार्य से संबंधित स्कीमें जिनकी लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक होती है, मात्र ऐसी ही स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाना अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा राज्य के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा आबंटनों पर निर्भर करते हुए जिलेवार प्राथमिकताओं तथा आबंटनों को वार्षिक आधार पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है।

दिल्ली और राज्यों के बीच एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

1766. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बड़ी संख्या में जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा द्वारा दिल्ली से जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1991 को, राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार इन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या अभी बड़ी संख्या में जिलों को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाना है;

(घ) यदि हां, तो इन जिलों के, राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार नाम क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-1 संलग्न है।

(ग) जी नहीं, कुल 479 जिला मुख्यालयों में से 45 जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जाना बाकी है।

(घ) विवरण-2 संलग्न है।

(ङ) शेष 45 जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का काम प्रगति पर है।

विवरण-1

25-11-91 की स्थिति के अनुसार उन जिला मुख्यालयों की सूची जिन्हें दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा गया है

आंध्र प्रदेश

आदिलाबाद, अनंतापुर, चित्तूर, गुडुप्पा, एलरू, गुन्टूर, हैदराबाद, काकीनाडा, करीमनगर,

खम्माम, करनूल, मछलीपट्टनम, महबूबनगर, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, ओंगाले, रंगोरेड्डी (हैदराबाद), संगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, वारंगल, विजयनगरम। (23)

अरुणाचल प्रदेश

अलांग, अनीनी, बोमदिला, खोन्सा, पस्सीघाट, सेप्पा, तेजू, त्वांग, जीरी। (9)

असम

बरपेटा-टाउन, बोगाईगांव, ढबरी, डिब्रूगढ़, दीफू, गोलपाड़ा, गोलाघाट, गुवाहाटी, हफलांग, हैलाकंडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझर, मरिगांव, नॉर्थ-लखीमपुर, सिवसागर, सिलचर, तिनसुकिया, मंगलदोई, धेमाजी, नलबारी। (21)

बिहार

आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, चाईबासा, छपरा, डाल्टनगंज, दरभंगा, देवगढ़, धनबाद, दुमका, गया, गिरिहीड, गोड्डा, गोपालगंज, गुमला, हाजीपुर, हजीराबाग, जमशेदपुर, जहानाबाद, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, लोहरदंगा, माधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रांची, साहेबगंज, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, अररिया, बाढ़, बोकारो/बांका, सहरसा। (45)

गोवा

मरगाओ, पंजिम। (2)

गुजरात

अहमदाबाद, अहवा, अमरेली, बडोदरा, भड़ौंच, भावनगर, भुंज, बलसांड, गांधीनगर, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा (कैरा), महेसाणा, पालनपुर, पोरबंदर, सबरकुंडला, सूरत। (19)

हरियाणा

अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, नरनौल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर। (15)

हिमाचल प्रदेश

बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, नहान, शिमला, सोलन, उना, कुल्लू। (10)

जम्मू व कश्मीर

अनंतनाग, बारामुला, जम्मू, कथुआ, कुपवाड़ा, श्रीनगर, ऊधमपुर। (7)

कर्नाटक

बैंगलूर, बैंगलूर (ग्रामीण), बेलगांव, बेल्लारी, भटकल, बीदार, चिकमगलूर चितदुर्ग, धारवाड़,

गुलबर्ग हासन, कारवाड़, कोलार, मंडिया, मेंक्लूर, मरकारा, मैसूर, रामनूर, शिमोगा, तुमकर। (20)

केरल

अल्लेप्पी, केन्नानोर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कलपेट्टा, कासरगोड, कोट्टायम, कोझीकोड, कालीकट, मलप्पुरम, पालघाट, पाठमाथिट्टा, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम। (14)

मध्य प्रदेश

अंबिकापुर, बालाघाट, भिंड, भोपाल, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, दमोह, धार, दुर्ग, ग्वालियर होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, जगदलपुर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजनंदगांव, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, उज्जैन, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, शहडोल। (36)

महाराष्ट्र

अहमदनगर, अकोला, अलीबाग, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बीड, बम्बई, नई बम्बई, चंद्रपुर, धूले, गडचिरोली, जलगांव, जालना, ठाणे, कोल्हापुर, कुदाल, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नगिरि, सांगली, सतारा, शोलापुर, वर्धा, यवतमाल, बुल्थाना। (31)

मेघालय

जोवई, नांगस्टियन, शिलांग, तुरा, विलियमनगर। (5)

मिजोरम

आइजोल (एजाल), लुंगलेह। (2)

मणिपुर

इम्फाल, तमेंगलांग, चुरचांदपुर, बिशनपुर, थौबल, सेनापति, उखरूल, चंदेल। (8)

नागालैण्ड

कोहिमा। (1)

उड़ीसा

बालासोर, बरिपड़ा, भवानीपटना, बोलनगीर, छतरपुर (गंजाम), कटक, धेनकनाल, क्योंझर, कोरापुट, फूलबनी, पुरी, संबलपुर, सुन्दरगढ़। (13)

पंजाब

अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, शाहपुर। (12)

राजस्थान

अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बांदी-बारवाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़,

चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझनू, जोधपुर, कोटा, सवाइमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, अलवर, बारमेड़, बरन। (28)

सिक्किम

गंगतोक, गेजिंग, मंगन, नामची। (4)

तमिलनाडु

कोयम्बटूर, धरमपुरी, डिंडीगुल, गोपीचेट्टीपलायम, कांचीपुरम, मद्रास, मदुरै, नागरकोइल, उदगमंडलम, पुडूकोट्टई, रमन्तापुरम, सलेम, शिवगंगै, तंजवुर, तिरूनेलवेली, त्रिरूवन्नामलाय, त्रिची, ट्युटीकोरिन, वेल्लोर, विरधूनगर। (20)

त्रिपुरा

अगरतला, कैलाशहर। (2)

उत्तर प्रदेश

अलीगढ़, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, आगरा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोपेश्वर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हरिद्वार, जौनपुर, कानपुर, कानपुर (ग्रामीण), लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊनाथभंजन, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, उदई, पौड़ी, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, उत्तरकाशी, न्यू टिहरी। (60)

पश्चिम बंगाल

बलूरघाट, बराकड़, बर्दवान, कलकत्ता, कलकत्ता, (हावड़ा), चिनसुरा, कूचबिहार, दार्जिलिंग, कृष्णानगर, माल्दा, मिदनापुर, पुरूलिया, सूरी, बेरहामपुर, दक्षिण के 24 परगने। (15)

संघ राज्य क्षेत्र

अण्डमान निकोबार

कारनिकोबार, पोर्ट ब्लेयर। (2)

चंडीगढ़

चंडीगढ़। (1)

दादरा नगर हवेली

सिलवासा। (1)

दमन और दीव

दमन, दीव। (2)

दिल्ली

दिल्ली । (1)

लक्षद्वीप

कावारत्ती । (1)

पांडिचेरी

करैकाल, माहे, पांडिचेरी, यानम । (4)

विवरण-2

25-11-1991 की स्थिति के अनुसार उन जिला मुख्यालयों के नाम जिन्हें दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जाना है

अरुणाचल प्रदेश	दपोरिजो	नागालैंड	त्वेनसांग
	चंगलांग		वोखा
असम	नवगांव		मोन
	तेजपुर		जूनेबेटो
बिहार	भभूआ		मोकोकुचंग
	बक्सर		फेक
	छत्रा	राजस्थान	दौसा
	गढ़वा		राजसमंद
	जमूई	तमिलनाडु	कुड्डालोर
	सुपाल		
हरियाणा	कुरुक्षेत्र	त्रिपुरा	आर० के० पुर
हिमाचल प्रदेश	कल्पा	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद
	केलांग		सोनभद्र
			झांसी
जम्मू व कश्मीर	लेह		
	दवगाम		
	डोडा	पश्चिम बंगाल	बांकुरा

	जलपायगुड़ी
	कारगिल
	पुंछ
	पुलवामा
	राजौरी
मध्य प्रदेश	बैतुल
	मंडला
	सीधी
	छतरपुर
	नरसिंहपुर
	पन्ना
	राजगढ़
	शाहजापुर
	टीकमगढ़
मिजोरम	सैहा

राज्यों में क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं

1767. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में हाल ही में क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसी क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। उपग्रह से प्राप्त होने वाली प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में, हाल ही में प्रारम्भ की गयी थी ताकि इन राज्यों के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटर क्रमशः कटक और कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्रों की प्रादेशिक सेवा के कार्यक्रम रिले कर सकें।

(ग) और (च) इस समय, असम में, सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा 15 मिनट का असमिया

समाचार बुलेटिन उपग्रह के माध्यम से रिले किया जाता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में प्रादेशिक कार्यक्रमों को रिले करने के लिए उपग्रह से प्राप्त होने वाली प्रादेशिक सेवा अपेक्षित अन्तरिक्ष खण्ड की उपलब्धता और इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता के अनुसार आठवीं योजना के दौरान शुरू करने की योजना है।

(क) और (ख) जी, हां। अन्तरिक्ष खण्ड की पर्याप्त भावी उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा आवश्यक धनराशि के आबंटन पर निर्भर करते हुए, अन्य राज्यों में प्रादेशिक सेवा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है।

दूरसंचार नेटवर्क का गैर-सरकारीकरण

1768. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों में दूरदर्शन नेटवर्क का गैर-सरकारीकरण किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन नीति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-व्यापारिक ईंधनों की कमी

1769. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेरेलू क्षेत्र में खाना पकाने के ईंधन की मांग के कोई वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध हैं, तथा उसके उत्पादन और वितरण के लिए विशेष रूप से लकड़ी की कमी तथा पर्यावरण सम्बन्धी चिंता के संदर्भ में कोई नीति निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, जलाने की लकड़ी, कोयला और अन्य वनस्पतिगत कूड़ा-करकट से बने ईंधन की खपत सम्बन्धी आकलन उपलब्ध हैं;

(ग) क्या ग्रेरेलू क्षेत्र में प्रयुक्त इन गैर-व्यापारिक ईंधनों की अत्यन्त कमी है; और

(घ) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ऊर्जा के बारे में सलाहकार बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रेरेलू क्षेत्र में खाना पकाने और तापन के लिए ईंधन के रूप में एक परिवार प्रतिवर्ष औसत लगभग 3.5 टन बायोमास का इस्तेमाल

करता है। सरकार ने जलावन लकड़ी के पेड़ों को लगाकर उत्पादन में वृद्धि; अपेक्षाकृत उत्कृष्ट और कुशल युक्तियों आदि के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण जैसी कुछ नीतियां अपनाई हैं।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ऊर्जा उपभोग का बड़ा हिस्सा 68.5% भाग जलावन लकड़ी का, इसके बाद गोबर (8.3%), कोयला उत्पाद (2.3%) और अन्य (3.4%) आते हैं।

(ग) और (घ) घरेलू क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले गैर-वाणिज्यिक ईंधन की मांग और पूर्ति में अन्तर है। गैर-वाणिज्यिक ईंधन की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को मिटाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) जलावन लकड़ी के वृक्षों को लगाकर उत्पादन में वृद्धि।

(ii) चूल्हों की कुशलता में सुधार करके ईंधन की बचत करना।

(iii) सौर कुकर, बायोगैस, तरल पेट्रोलियम गैस आदि के द्वारा लकड़ी का स्थानापन्न।

बिहार में कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

1770. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता से बिहार के चतरा जिले में स्थित तन्डवा क्षेत्र में कर्णपुर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार के हजारीबाग जिले में उत्तरी कर्णपुरा (तन्डवा स्थित) (22 × 500 मेगावाट) कोयला आधारित सुपर ताप विद्युत परियोजना अधिष्ठापित किए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को कुछ शर्तों के अधीन जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति; जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं, तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। इन मुद्दों का समाधान किए जाने के पश्चात परियोजना के लिए निवेश सम्बन्धी अनुमोदन अपेक्षित होगा। इस परियोजना के लिए इस समय किसी प्रकार की आस्ट्रेलिया सहयोग की परिकल्पना नहीं की गई है।

दूरदर्शन पर संसद समाचार का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

1771. **श्री कृष्णचन्द्र नायक :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन पर ससद समाचार का समय बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सरकार का अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में लोगों को सूचित करने का सतत् प्रयास रहता है ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

1772. श्री मृत्युंजय नायक : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई और कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जानी बाकी है;

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार की विद्युतीकरण की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई सहायता देने का विचार नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 के दौरान उड़ीसा में 1385 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था । 30-9-91 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या 14,864 है ।

(ख) और (ग) उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए योजना आयोग द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित किए जाने के माध्यम से 39.96 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से बिजली

[अनुवाद]

1773. श्री काड़िया मुण्डा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय ग्रिड और अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त करके बिहार के छोटा नागपुर के और अधिक गांवों को बिजली प्रदान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों सहित विभिन्न विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की सप्लाई, क्षेत्रीय ग्रिडों को की जाती है, जहां से इसे लाभभोगी राज्यों/प्रणालियों को उनके हिस्से के अनुसार वितरित किया जाता है। छोटा नागपुर सहित बिहार के गांवों का विद्युतीकरण, राज्य के लिए विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी समग्र आबंटन में से राज्य सरकार द्वारा जिलों के लिए किए गए आबंटन पर निर्भर करता है।

दूरदर्शन द्वारा कयर (कॉइर) दूरदर्शन धारावाहिक को स्वीकृति दिया जाना

1774. श्री के० वी० थामस :
श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक "कयर" (कॉइर) के प्रसारण के लिए पूर्ण स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) क्या दूरदर्शन ने इस धारावाहिक के कुछ हिस्सों की कांट-छांट की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि दूरदर्शन की इस कार्यवाही से "कॉइर" उपन्यास की मूल भावना समाप्त न होने पाए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। प्रत्येक प्रकरण का अलग से पूर्वावलोकन किया जाता है और प्रसारण से पहले स्वीकृति दी जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। धारावाहिक के पहले के प्रकरणों के कुछ दृश्यों में, परिवार में देखने योग्य बनाने के लिए, कांट-छांट की गयी थी।

(घ) जी, हां।

बिहार के शहरों में "स्पीड पोस्ट" की सुविधा

[हिन्दी]

1775. श्री छेदी पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने शहरों में "स्पीड पोस्ट" की सुविधा है और कितने शहरों में यह सुविधा नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1991 और 1992 में कितने शहरों में "स्पीड पोस्ट" की सुविधा आरम्भ किए जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) बिहार के निम्नलिखित 4 शहरों में स्पीड पोस्ट राष्ट्रीय नेटवर्क और 3 शहरों में प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत

1. पटना
2. रांची
3. धनबाद
4. जमशेदपुर

प्वाइन्ट-टू-प्वाइन्ट स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत

1. पटना
2. गिरिडीह
3. दरभंगा

बिहार के अन्य शहरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) बिहार के किसी अन्य शहर/कस्बे में फिलहाल स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) अन्य शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू न करने की वजह उपयुक्त ट्रांसमीशन नेटवर्क की अनुपलब्धता तथा परियात की दृष्टि से व्यवहार्य न होना है ।

बिहार में नए टेलीफोन एक्सचेंज

1776. श्री छेदी पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बिहार में कितने टेलीफोन एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर लगाए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया; और

(ग) 1991-92 के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज कार्य करने लगेंगे और किन-किन स्थानों पर उनका विस्तार कर दिया जाएगा और उनमें कौन-सी प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

बिहार में नए टेलीफोन एक्सचेंज

(क) 13 (विवरण-1 में ब्यौरा संलग्न है) ।

(ख) 112 (विवरण-2 में ब्यौरा संलग्न है) ।

(ग) 60 (विवरण-3 में ब्यौरा संलग्न है) ।

विवरण-1

बिहार में 1990-91 में खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम

1. काजहां
2. मिर्जागंज
3. राहुई
4. जस्सीडीह
5. जमहौर
6. सोनुआ
7. टेहटा
8. सरैहत
9. जलालपुर
10. चम्पारन
11. टुंडी
12. जगपती
13. मैनाटॉड

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया उन स्थानों की सूची (अप्रैल, 1988 से मार्च, 1991 तक)

1. कटिहार
2. चक्रधरपुर
3. झींकपानी
4. सरायकेला
5. लखी सराय
6. बेतिया
7. बेगूसराय
8. मधुबानी
9. कोरहा
10. गया

11. छपरा
12. जमदहा
13. देवरी
14. बिन्दुपुर
15. सीवान
16. खूंटी
17. दुमका
18. रांची
19. तेजपुर
20. चास
21. सराय
22. सिंदरी
23. चिरकुंडा
24. टेलको
25. गुमला
26. धनबाद
27. बी० एस० सिटी
28. हजारीबाग
29. लहरियासराय
30. मुजफ्फरपुर
31. पुर्णिया
32. मेहसी
33. मोतीहारी
34. रामनगर
35. बिहारशरीफ
36. लोहरदगा
37. मुंगेर
38. बरही
39. आदित्यपुर
40. राजनगर

41. नरकटीयागंज
42. पटना
43. पाटिलीपुत्र
44. डालखागंज
45. देवघर
46. कटरासगढ़
47. लोयाबाद
48. बेनीपट्टी
49. जमशेदपुर
50. चाइबासा
51. टरसीडीह
52. सिकटा
53. पिरपैंटी
54. गिरीडीह
55. नागरोतरी
56. सहरसा
57. गोपालगंज
58. खगड़िया
59. शाहकुण्ड
60. कनक
61. घोरसहन
62. हरिहरगांव
63. रक्सौल
64. कामतौला
65. सोनपुर
66. परसाडीह
67. पटनां सिटी
68. जोगबानी
69. गनेड्डा
70. हटपुरैनी

71. महुआ
72. बाघा
73. रूनीसैदपुर
74. गरखा
75. राजधनवर
76. चटसिला
77. कहलगांव
78. राजगीर
79. बेनीपट्टी
80. महाराजगंज
81. बरौनी
82. मानसी
83. विक्रम
84. कस्बा
85. बालीदीह
86. दरभंगा
87. डाका
88. जादूगोडा
89. इसरी बाजार
90. घाटोटॉड
91. छतरा
92. नालंदा
93. गुस्वाजार
94. छनपटिआ
95. भगवानपुर
96. राजनगर
97. दोली
98. सिमरीबखटीयारपुर
99. जनकपुर रोड
100. सोनबर सराज

101. हरिपुर
102. बोरिआरपुर
103. हातीवाह
104. मोकामा
105. बाढ़
106. चानदील
107. टाटीतिलवाई
108. मनेर
109. शेखपुरा
110. गोमिया
111. भुरकुंडा
112. कुरू

विवरण-3

बिहार में 1991-92 के दौरान चालू होने वाले/बदले जाने वाले/विस्तार किए जाने वाले एक्सचेंजों के नाम

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रौद्योगिकी की किस्म	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	अरारीया कोर्ट	इलैक्ट्रानिक	चालू किए गए
2.	अरेरार	—वही—	
3.	गया	—वही—	
4.	बांका	—वही—	चालू किए गए
5.	बेरहवा	—वही—	
6.	बिहारी गंज	—वही—	
7.	बेरयो	—वही—	
8.	बीरपुर	—वही—	
9.	बक्सर	—वही—	
10.	चक्रधरपुर	—वही—	
11.	दलसिंह सराय	—वही—	

1	2	3	4
12.	टुमरौंध	इलैक्ट्रानिक	
13.	गरहवा	—वही—	
14.	घटसिला	—वही—	
15.	हतवा	—वही—	
16.	जयनगर	—वही—	
17.	जामुई	—वही—	
18.	झाझा	—वही—	
19.	झंझारपुर	—वही—	चालू किए गए
20.	कहाल गांव	—वही—	
21.	लखीसराय	—वही—	
22.	मधुपुर	—वही—	
23.	मनोहरपुर	—वही—	
24.	नौगछिआ	—वही—	
25.	दानापुर	—वही—	चालू किए गए
26.	रामगढ़ (गया)	—वही—	—वही—
27.	ठाकुरगंज	—वही—	—वही—
28.	बरौली	इलैक्ट्रो-मैकेनीकल	—वही—
29.	मधुबनी	इलैक्ट्रानिक	—वही—
30.	सीमामढ़ी	—वही—	—वही—
31.	गोविन्दपुर	—वही—	—वही—
32.	एक्सीहबीशन रोड (आरएनआर)	—वही—	—वही—
33.	सुल्तान गंज	मैनुअल	—वही—
34.	घोघरदीहा	इलैक्ट्रानिक	—वही—
35.	लहरिया सराय	इलैक्ट्रो मैकेनिकल	—वही—
36.	जयराम माधोपुर	—वही—	—वही—
37.	बनगांव	इलैक्ट्रोनिक	—वही—
38.	मुरलीगंज	—वही—	—वही—

1	2	3	4
39.	रक्सौल	इलैक्ट्रोनिक	चालू किए गए
40.	इटकी	—वही—	चालू किए गए
41.	पचगाचिया	—वही—	—वही—
42.	मल्लेपुर	—वही—	—वही—
43.	सीर बाजार	—वही—	—वही—
44.	बरकागांव	—वही—	—वही—
45.	गोला	—वही—	—वही—
46.	रांची	—वही—	—वही—
47.	लालगंज	—वही—	—वही—
48.	बांका	—वही—	—वही—
49.	रैयम	—वही—	—वही—
50.	पावापुरी	—वही—	—वही—
51.	मुजफ्फरपुर	इलैक्ट्रो मैकेनीकल और इलैक्ट्रानिक	—वही—
52.	जमशेदपुर	—वही—	—वही—
53.	काको	इलैक्ट्रो मैकेनिकल	—वही—
54.	मोबरा	इलैक्ट्रानिक	—वही—
55.	रामेश्वर	इलैक्ट्रो मैकेनिकल	—वही—
56.	पाकुर	इलैक्ट्रानिक	—वही—
57.	रामगढ़ (हजारीबाग)	—वही—	
58.	शेखपुरा	—वही—	
59.	सुपॉल	—वही—	
60.	सुरिया	—वही—	

त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियां

[अनुवाद]

1777. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रिपुरा में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आतंकवादियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) गत नौ महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) जनजातियों का एक भूमिगत सशस्त्र संगठन, दि आल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स (ए० टी० टी० एफ०) के जून 1990 में अस्तित्व में आने की सूचना प्राप्त हुई है और यह संगठन राज्य के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। यह हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेवार रहा है। चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

हिंसक घटनाओं की संख्या	48
उपयुक्त घटनाओं में हुई मौतों की संख्या	29

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध करा कर राज्य सरकार की सहायता की है।

(ङ) और (च) इन घटनाओं के शिकार सिविलियनों को मुआवजा प्रदान करने की राज्य सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा दुर्व्यवहार

1778. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सिलीगुड़ी के सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दिनांक 26-10-91 को सिलीगुड़ी शहर के करीब महानन्दा पुल पर यातायात को बन्द कर दिया था तथा यातायात को नियमित करने के लिए वहां गए एक अपर पुलिस अधीक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया।

(ग) मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं तथा दोषी पाए गए कार्मिकों पर सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

पुल सम्बन्धी उपकरणों की स्थापना

1779. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कावारती पर "पुल उपकरण" नामक उपकरण को स्थापित करने की एक योजना पर विचार कर रही है ताकि लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में जहां शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, छात्रों का मार्गदर्शन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपकरण को आयात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० पी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि

[हिन्दी]

1780. **श्री राजवीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से अब तक विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) ऐसे आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जा रहे हैं ।

(ख) भाषा विशेष में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए विशिष्ट समय का निर्धारण नहीं किया गया है ।

दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने सम्बन्धी नीति

1781. **श्री राजवीर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना के बारे में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना में सांस्कृतिक केन्द्रों, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और लोक कलाओं को वरीयता दी जाएगी; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) तथा (ख) दूरदर्शन द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार व्यापक तौर पर नियंत्रित होती है :—

(1) प्रत्येक राज्य की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना। ऐसा प्रत्येक राज्य में सम्बद्ध राज्य की भाषा में प्राथमिक (क्षेत्रीय) सेवा प्रदान करने के दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुसार किया जाता है।

(2) चुने हुए ग्राम समूहों के लाभ हेतु, विशिष्ट कार्यक्रमों के निर्माण के लिए "इन्सैट यूटी-लाइजेशन स्कीम" के तहत कुछ चुने हुए स्थानों पर।

(3) सांस्कृतिक महत्व के चुने हुए स्थानों पर।

(4) विशेष रूप से विशिष्ट जनसमूहों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुने हुए रिले केन्द्रों पर (राजधानी तथा सांस्कृतिक केन्द्रों को छोड़कर)।

(ग) गुवाहाटी, राजकोट, बम्बई, पटना, मद्रास, कलकत्ता, श्रीनगर तथा दिल्ली में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं में विस्तार के अलावा, इस समय निम्नलिखित स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना से सम्बद्ध परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं :—

1. डिब्रूगढ़
2. सिलचर
3. ईटानगर
4. मुजफ्फरपुर
5. डाल्टनगंज
6. शिमला
7. गुलबर्गा
8. भोपाल
9. रायपुर
10. इम्फाल
11. शिलांग
12. तुरा
13. कोहिमा
14. गंगटोक
15. भुवनेश्वर
16. अगरतला
17. बरेली
18. सिलीगुड़ी
19. ऐजवाल
20. पोर्टब्लेयर
21. चंडीगढ़
22. पांडिचेरी

चंडीगढ़ में इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज

[अनुवाद]

1782. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में मौजूदा "2 लेवल" टेलीफोन एक्सचेंज अपनी कार्यकरण की निर्धारित अवधि पूरा कर चुका है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) नया एक्सचेंज कब तक चालू हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी हां, "2 लेवल" एक्सचेंज अपनी कार्यकाल की निर्धारित अवधि लगभग पूरी कर चुका है। तथापि, एक्सचेंज का निर्धारित कार्यकाल इसके उन्नयन/आधुनिकीकरण तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से पूर्णरूप से पूरा नहीं हुआ है। इस एक्सचेंज को बदलने के लिए 10000 लाइनों वाले सी-डॉट किस्म के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का आबंटन किया गया है।

नए सी-डाट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के 8वीं योजना अवधि में ही चालू हो जाने की सम्भावना है।

चंडीगढ़ में बिजली की मांग और पूर्ति

1783. श्री पवन कुमार बंसल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में बिजली की वर्तमान मांग कितनी है;

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसकी मांग में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है;

(ग) इस मांग की कितनी पूर्ति की जा सकेगी;

(घ) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ को भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य का दर्जा नहीं दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान चण्डीगढ़ की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता 400 मिलियन यूनिट की थी। इसकी अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता भी 400 मिलियन यूनिट थी।

(ख) और (ग) विद्युत सम्बन्धी दल की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रत्याशा है कि आठवीं योजना

के अन्त अर्थात 1992-97 में, चण्डीगढ़ की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता 859 मिलियन यूनिट होगी। इसकी अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता लगभग 495 मिलियन यूनिट होगी।

(घ) और (ङ) यह निर्णय लिया गया है कि चण्डीगढ़ को सदस्य राज्य का दर्जा न दिया जाए अपितु भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड का इस समय यथावत दर्जा बनाए रखा जाए।

दिल्ली को राज्य का दर्जा देना

1784. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या राज्य का दर्जा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1990 को लोक सभा में 31-5-1990 को प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को "दिल्ली राजधानी राज्य" के रूप में परिवर्तित करना था। विधेयक को 6-9-1990 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। लोक सभा भंग हो जाने से विधेयक व्यपगत हो गया।

इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

1785. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) बिजली से सिंचाई के कितने पम्प चालू किए गए हैं;

(ग) कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों के दौरान विशेष अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सारे गांवों का विद्युतीकरण करने का है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों और विद्युतीकृत पम्पसैटों के

सम्बन्ध में 31-8-91 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :—

विद्युतीकृत गांव की संख्या	गांव जिनका विद्युतीकरण किया जाना है	विद्युतीकरण पम्पसैटों की संख्या
82,711	29,855	6,60,543

(घ) जी, नहीं। शेष गांवों को भविष्य में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने की आशा है बशर्ते निधियां एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय प्रसारण निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत कार्यालय

1786. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय प्रसारण निदेशालय के अन्तर्गत कितने कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसारण प्रभावकारी तरीके से नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान देश में कितने कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) इनके किन-किन स्थानों पर खोले जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश में क्षेत्रीय प्रसारण निदेशालय नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित समाचारपत्र

[अनुवाद]

1787. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से कितने-कितने पंजीकृत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं तथा इनमें से प्रत्येक समाचारपत्र और पत्रिका की कितनी-कितनी प्रतियां परिचालित की जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन पंजीकरण के पश्चात् बन्द कर दिया गया है और इनका प्रकाशन किस-किस तिथि से बन्द कर दिया गया है;

(ग) क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले इन समाचारपत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 3603 समाचारपत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत थीं जिसमें 407 दैनिक, 25 सप्ताह में तीन/दो बार प्रकाशित होने वाले पत्र, 1847 साप्ताहिक, 467 पाक्षिक तथा 857 मासिक पत्र शामिल हैं। इनमें 635 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं ने अपनी प्रसार संख्या बताई है। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के कार्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में (1988-90) के दौरान 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हो गया था, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रकाशक को अधिकार है कि वह किसी भी समय समाचारपत्र के प्रकाशन को निलम्बित अथवा बन्द कर सकता है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	समाचार-पत्रों का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रति प्रकाशन दिवस और प्रसार
1	2	3	4
अंग्रेजी दैनिक			
1.	हॉक	हरिद्वार	16,200
2.	हिमाचल टाइम्स	देहरादून	32,358
3.	नेशनल हैराल्ड	लखनऊ	33,980
4.	पानियर	लखनऊ	64,748
5.	दि पायोनियर	वाराणसी	30,871
6.	ऑफिसस कोटेशन्लीस्ट आफ उ० प्र० स्टाक एक्सचेंज	कानपुर	500
7.	टाइम्स आफ इण्डिया	लखनऊ	32,524
हिन्दी दैनिक			
8.	आदर्श ज्योति	सुलतानपुर	9,904
9.	आज	लखनऊ	43,349
10.	आज	वाराणसी	1,33,527

1 2	3	4
11. आज	गोरखपुर	44,774
12. आज	बरेली	23,208
13. आज	कानपुर	1,01,213
14. आज	आगरा	50,245
15. इलाहाबाद	इलाहाबाद	2,660
16. आज की आवाज	आगरा	12,099
17. आकाश मार्ग	देवरिया	12,464
18. अलार्म	उरई	17,400
19. अमर उजाला	मुरादाबाद	21,542
20. अमर भारत टाइम्स	सुलतानपुर	15,225
21. अमर उजाला	आगरा	82,612
22. अमर उजाला	बरेली	62,062
23. अमर उजाला	मेरठ	67,554
24. अमेठी खबर	कानपुर	32,920
25. आनन्द टाइम्स	रायबरेली	17,861
26. अमृत विचार	लखनऊ	5,672
27. अचाह	गाजियाबाद	5,157
28. अपने लोग	कानपुर	5,173
29. अवध एक्सप्रेस	उन्नाव	7,100
30. बद्री विशाल	हरिद्वार	16,865
31. बहराइच टाइम्स	बहराइच	5,690
32. बलीक्षेत्र	बलिया	15,567
33. भारत आत्मा	गाजियाबाद	7,850
34. भास्कर (दैनिक)	झांसी	20,929
35. ब्रजेश टाइम्स	अलीगढ़	16,499
36. चक्र गति	हरदोई	5,167
37. चमकता भारत	मेरठ	3,200
38. चिंगारी	बिजनौर	20,571

1 2	3	4
39. दैनिक जागरन	मेरठ	51,923
40. दैनिक जागरन	आगरा	37,263
41. दैनिक जनतंत्र	मैनपुरी	13,299
42. दैनिक प्रयालेकर	गाजियाबाद	12,937
43. दसानन (दैनिक)	नैनीताल	10,588
44. दैनिक राष्ट्र वेदना	बिजनौर	5,825
45. देहात	मु० नगर	18,461
46. देश धर्म	इटावा	23,298
47. दिन रात	इटावा	16,944
48. दुवावा वार्ता	फतेहपुर	10,490
49. दून द्वार	देहरादून	2,000
50. गोरखपुर केसरी	गोरखपुर	15,625
51. गोरखपुर मेल	गोरखपुर	5,166
52. गांडीव	वाराणसी	10,600
53. चर कुन्दर टाइम्स	झांसी	12,285
54. गौ गंगा	गाजियाबाद	12,970
55. गांव दूत	बस्ती	11,894
56. ग्राम स्वराज	देवरिया	15,194
57. हमारा युग	मेरठ	12,950
58. हिमाचल टाइम्स	देहरादून	33,225
59. हिमालय	मुरादाबाद	6,300
60. हिन्दी दैनिक	गोरखपुर	15,963
61. हिन्दू	मेरठ	18,717
62. हिन्दुस्तान का स्वरूप	देवरिया	15,990
63. हिन्द	गाजियाबाद	14,539
64. जगत टाइम्स	मथुरा	3,437
65. जागरण (दैनिक)	बरेली	35,349
66. जन प्रकाश	मिर्जापुर	20,333

1 2	3	4
67. जागरण	कानपुर	1,72,381
68. जागरण (दैनिक)	लखनऊ	65,154
69. जागरण	झांसी	28,259
70. जागरण	गोरखपुर	49,160
71. जय देश	वाराणसी	14,509
72. जनमोर्चा	फैजाबाद	28,414
73. जनमुख	वाराणसी	19,288
74. जनविश्वास	पीलीभीत	12,125
75. जनता एक्सप्रेस (दैनिक)	मेरठ	6,000
76. जनता युग	आगरा	11,196
77. जनता युग	अलीगढ़	21,862
78. कलियुग दर्पण	सहारनपुर	5,991
79. कानपुर उजाला	कानपुर	16,095
80. केसर खुशबू टाइम्स	मेरठ	6,725
81. कर्मयुग प्रकाश	जालौन	17,011
82. लगाम	कानपुर	6,574
83. लोक भारती	कानपुर	15,090
84. लोक इच्छा	वाराणसी	9,183
85. लोक जन समाचार	कानपुर	13,473
86. लखनऊ मेल	लखनऊ	12,538
87. लखनऊ मेल	बरेली	12,186
88. मधुर समाचार	मुरादाबाद	6,484
89. माई राष्ट्र	मेरठ	16,217
90. मान्यवर	जौनपुर	2,451
91. मौलिक अधिकार	झांसी	13,082
92. मौन दर्शन	गांधीनगर	14,489
93. मेरठ समाचार	मेरठ	19,442
94. मुजफ्फरनगर बुलैटिन	मु० नगर	22,547

1 2	3	4
95. मुजफ्फरनगर उजाला	मु० नगर	11,657
96. नारद चर्चा	बस्ती	10,889
97. नव कर्मयुग प्रकाशन	बांदा	17,623
98. नवभारत टाइम्स	लखनऊ	38,263
99. नवजीवन	लखनऊ	23,687
100. न्याय घीस	इलाहाबाद	19,000
101. निष्पक्ष जन एकता	बाराबंकी	5,441
102. निष्पक्ष प्रतिदिन	सीतापुर	16,882
103. निष्पक्ष प्रतिदिन	लखनऊ	21,025
104. प्रभात	मेरठ	24,828
105. पीड़ित वाणी	बुलन्दशहर	5,400
106. पश्चिम ज्योति	मु० नगर	8,640
107. प्रकाश	अलीगढ़	9,243
108. प्रावधा	अलीगढ़	22,000
109. प्रयाग राज टाइम्स	इलाहाबाद	19,590
110. पूरब पश्चिम ज्योति	मु० नगर	22,530
111. रनतुरीया	आजमगढ़	13,000
112. राकेश	इटावा	10,899
113. राष्ट्र चिन्ह	गोरखपुर	15,874
114. राष्ट्रीयता	देहरादून	6,500
115. सवेरा	इटावा	11,194
116. सदाशय	मु० नगर	14,164
117. संकेत दिशा	बदाऊ	5,026
118. सीमांत वार्ता	कोटद्वार	9,091
119. सनमार्ग	वाराणसी	13,957
120. सत्य संवाद	कानपुर	19,890
121. सेविका	इटावा	10,763
122. सोच समाज	जालौन	2,997

1	2	3	4
123.	सूरज केसरी	मु० नगर	8,157
124.	स्वराज्य टाइम्स	आगरा	22,873
125.	स्वतन्त्र भारत	लखनऊ	91,637
126.	स्वतन्त्र भारत	वाराणसी	28,251
127.	स्वतन्त्र प्रकाशन	रायबरेली	12,953
128.	तमसा श्रेष्ठ	आजमगढ़	4,988
129.	स्वतन्त्र वार्ता	गोरखपुर	12,177
130.	तरूण मित्रा	जौनपुर	15,177
131.	ट्रुड चैक अप	कानपुर	1,174
132.	त्रिगुट	गोंडा	10,803
133.	उन्नाव	उन्नाव	1,845
134.	उत्तम बुलैटिन	मु० नगर	7,235
135.	उत्तर उजाला	नैनीताल	40,953
136.	विश्व मानव	बरेली	32,568
137.	विश्व मित्र	कानपुर	22,051
138.	वर्क हैराल्ड	लखनऊ	12,938
139.	विश्व परिवार	झांसी	20,580
140.	व्यापार संदेश	कानपुर	16,619
141.	व्यापार समाचार	हापुड़	580
142.	व्यास भारती	सीतापुर	12,052
143.	युग बन्धु	मुरादाबाद	9,178
144.	युवा रिपोर्टर	मेरठ	5,850
पंजाबी			
145.	यू० पी० पंजाब समाचार	सहारनपुर	18,852
उर्दू			
146.	अल-तरजुमा	कानपुर	10.440
147.	आवामी तहरीक	कानपुर	1,335

1 2	3	4
148. बीनकयीसाफ	झांसी	5,317
149. चमने हासमती	कानपुर	12,400
150. आजाम	लखनऊ	11,723
151. फनकार-ए-जदीद	लखनऊ	1,293
152. गरज	मुरादाबाद	15,329
153. हमारी आवाज	कानपुर	2,468
154. जदीद अमल	लखनऊ	12,414
155. जवान दोस्त	जौनपुर	11,715
156. जदीद आवाज	लखनऊ	13,250
157. गरज	सहारनपुर	5,333
158. मसावत जदीद	कानपुर	15,042
159. कौमी मिशन	कानपुर	4,542
160. मसरीकी आवाज	अलीगढ़	10,499
161. कलाम-ए-कसरीक	कानपुर	10,755
162. मसरीकी आवाज	गोरखपुर	20,900
163. नया संसार	मुरादाबाद	6,250
164. मसरीकी आवाज	गोंडा	10,117
165. निजाम-ए-कुदरत	कानपुर	1,651
166. नुर-ए-बरेली	बरेली	22,266
166. पैगाम	कानपुर	11,970
168. पैगाम	लखनऊ	12,087
169. कौमी आवाज	लखनऊ	30,294
170. कौमी जंग	कानपुर	14,874
171. कौमी मोर्चा	वाराणसी	15,538
172. रोजआना खबरजदीद	बिजनौर	8,243
173. रोजनामा उर्दू	गोरखपुर	7,611
174. रोजनामा सफरीना	इलाहाबाद	12,919
175. सीयासत जदीद	कानपुर	10,906

1	2	3	4
176.	तारीख-ए-आवाम	कानपुर	13,137
177.	तीर और नस्तर	कानपुर	13,150
178.	अमल	कानपुर	13,306
179.	अमन वा आसती	कानपुर	8,203
180.	अनवर-ए-कौम	कानपुर	11,505
	हिन्दी द्विसाप्ताहिक		
181.	जगवाल	देहरादून	19,224
182.	देव प्रयाग	देहरादून	21,124
183.	गट्टा	देहरादून	19625

उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	समाचारपत्र का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रति प्रकाशन दिवस औसत प्रसार
1	2	3	4
	अंग्रेजी साप्ताहिक		
1.	फ्रन्टियर मेल	देहरादून	4,500
2.	हिंट	गाजियाबाद	13,840
3.	गार्डन प्लेस	देहरादून	13,961
	हिन्दी साप्ताहिक		
4.	आज की खोज	आगरा	2,000
5.	आज की सभा	देहरादून	1,808
6.	आज का पहर	पिथौरागढ़	1,950
7.	आवाज-ए-अवध	कानपुर	3,098
8.	अफीडेविट	गोरखपुर	6,999
9.	अग्नी नायाक	देहरादून	1,900

1 2	3	4
10. अफरो एसीयाई संदेश	खेरी	5,300
11. अगोना संदेश	बस्ती	14,261
12. अजय घोष	जालौन	1,601
13. आकाश दीप एक्सप्रेस	मेरठ	2,000
14. अकूल भारत	खीरी	33,604
15. आखरी शमा	बांदा	1,950
16. अलार्म	जालौन	15,866
17. अमृत सत्ता	मेरठ	2,766
18. अमोघ	कानपुर	1,943
19. आंधी पानी	मिर्जापुर	1,800
20. अनीकेत	चमोली	1,958
21. अनुप संदेश	देहरादून	2,000
22. अन्तर ज्वाला	नजीमाबाद	1,561
23. अपना अभियान	कानपुर	16,500
24. अपना नेता	सहारनपुर	1,500
25. अपराजित	कानपुर	1,900
26. अरुण बुलेटिन	मेरठ	1,700
27. अराजक	लखनऊ	5,973
28. आर्थिक संघर्ष	मुरादाबाद	1,808
29. आर्य भारत	गाजियाबाद	2,200
30. आशा पुष्प	हरदोई	5,572
31. अतल	लखनऊ	5,335
32. अगस्त	उरई	15,951
33. अवरोध	मुरादाबाद	2,000
34. आवाज दर्पण	बस्ती	15,467
35. बलिया टाइम्स	बलिया	10,059
36. बलिया समाचार	बलिया	10,050
37. भारती बस्ती	कानपुर	1,950

1 2	3	4
38. भौर वाणी	वाराणसी	5,000
39. भूमि पूजा	गाजियाबाद	2,000
40. भू-बिंब एक्सप्रेस	देहरादून	1,849
41. बिजनौर खबर	बिजनौर	1,800
42. बीर भारत टाइम्स	मेरठ	2,508
43. बीसमिल	गोरखपुर	12,394
44. बृज गरिमा	मथुरा	13,599
45. चमकता युग	गाजियाबाद	1,900
46. चौहान भारती	मेरठ	1,500
47. चरित्र विकास	लखनऊ	12,500
48. चौधरी दर्शन	जालौन	5,350
49. छात्र मिसाल	आगरा	5,497
50. चिता की लपटें	मेरठ	2,200
51. सीटी एण्ड सीटीजन	कानपुर	2,499
52. सीविल सर्विस न्यूज बुलेटिन	कानपुर	1,873
53. धड़कते स्वर	देहरादून	1,924
54. दधिचि	सीतापुर	5,500
55. दर्पण	दलीतपुर	3,829
56. देव भूमि	गढ़वाल	2,972
57. देश की आन	अलमोड़ा	8,498
58. धरती का पुत्र	अलीगढ़	5,634
59. धरती का रोशन	मेरठ	1,600
60. धरती की गोद	हापुड़	1,950
61. ध्वजा भारती	आगरा	1,967
62. डिगलिंग इण्डिया	कानपुर	10,000
63. दिक्षा	बुलन्दशहर	8,000
64. डिस्ट्रिक्ट गजेट	मैनपुरी	5,000
65. दीन दर्पण	देहरादून	2,128

1	2	3	4
66.	दीन जागृति	देहरादून	1,590
67.	दीन समाचार	देहरादून	1,000
68.	एकता हमारी प्राचीन परम्परा है	देवरीया	7,917
69.	फाइनेन्स दर्पण	मेरठ	2,515
70.	गंगा कन्नी	उन्नाव	1,650
71.	गंगौह समाचार	सहारनपुर	4,800
72.	गढ़वाल मण्डल	पौड़ी गढ़वाल	11,119
73.	गौरव की बात	गाजियाबाद	2,009
74.	घाटी के गरजते सवार	देहरादून	5,959
75.	घाटी का भारत	देहरादून	2,000
76.	गोरखपुर मेल	गोरखपुर	10,999
77.	गोरखनगरी	गोरखपुर	9,509
78.	ग्राम उत्थान	मुजफ्फरनगर	2,000
79.	ग्रामीण जनता	कड़की	15,116
80.	ग्रामवासी	मिर्जापुर	4,000
81.	गुरु देव	हाथरस	7,616
82.	हमारा लखनऊ	लखनऊ	7,000
83.	हरिद्वार एक्सप्रेस	सहारनपुर	2,015
84.	हरिद्वार दर्पण	कनखल	2,525
85.	हरदोई समाचार	हरदोई	2,000
86.	हिम सागर	देहरादून	1,672
87.	हिम प्रवक्ता	टेहरी गढ़वाल	2,000
88.	हिन्दु	हरिद्वार	2,406
89.	जगजीवन	बरेली	2,000
90.	जगत सुशील	कानपुर	7,500
91.	जय जय बजरंगबली	मुरादाबाद	6,978
92.	जय जलसा	झांसी	4,223
93.	जय मानव	बस्ती	24,872

1 2	3	4
94. जय प्रजा	कानपुर	2,499
95. जैन गजेट	लखनऊ	4,963
96. जन चक्षु	देवरिया	4,305
97. जन छाया	जौनपुर	7,987
98. जन लहर	देहरादून	5,900
99. जन प्रगति	मुरादाबाद	6,678
100. जन संप्रेषण	आजमगढ़	7,422
101. जन समाचार	झांसी	2,000
102. जनता की गुहार	झांसी	2,400
103. जन सेवक	खीरी	3,500
104. जनता	मिर्जापुर	2,000
105. जनता भारती टाइम्स	मथुरा	7,000
106. जन वाणी	मेरठ	9,954
107. जन युद्ध	कानपुर	11,000
108. जानी दुश्मन	फरोकाबाद	9,750
109. जय प्रवेश	लखनऊ	10,100
110. जोत से जोत जले	मेरठ	1,899
111. कबीर अर्चना	बस्ती	15,432
112. कब तक	मिर्जापुर	1,600
113. कबीर भूमि	गोरखपुर	7,100
114. कलम की बगावत	गोरखपुर	7,273
115. कलयुग दर्पण	सहारनपुर	3,500
116. कंघला गजेट	म० नगर	2,300
117. कानपुर	कानपुर	1,950
118. कानपुर देहात	कानपुर	6,768
119. कानपुर त्रिशूल	कानपुर	2,500
120. करुणा	मेरठ	1,250
121. कस्तुरी	सहारनपुर	3,450

1	2	3	4
122.	खास जागरण	गोरखपुर	11,249
123.	कीर्ति	हरिद्वार	1,994
124.	क्रांति चेतना	लखनऊ	7,500
125.	कृषक	सीतापुर	6,491
126.	क्षेत्रीय मेल	बस्ती	11,735
127.	कुंवरासन	पिथौरागढ़	1,554
128.	कुसभावनपुर संदेश	सुलतानपुर	4,356
129.	लक्ष्मनपुरी टाइम्स	लखनऊ	12,628
130.	ललीत एकता	ललीतपुर	23,925
131.	लखनपुरी	लखनऊ	16,050
132.	लंका दहन	वाराणसी	1,974
133.	लवीन्द्र टाइम्स	मेरठ कैन्ट	5,400
134.	लेखी और देखी	कानपुर	3,927
135.	लोक रथ	सहारनपुर	2,560
136.	लोक मित्र	प्रतापगढ़	2,750
137.	लोक तन्त्र	मेरठ	2,246
138.	महिला अवध टाइम्स	लखनऊ	5,936
139.	मंदाकीनी टाइम्स	मेरठ	1,750
140.	मानव सेवक	आजमगढ़	1,500
141.	मार्ग दर्शक	झांसी	10,375
142.	मौलिक अधिकार	झांसी	11,591
143.	मेकर	झांसी	11,785
144.	मुरादाबाद रेंक	मुरादाबाद	8,512
145.	मोरल	कानपुर	14,644
146.	मुक्ति दीप	गाजियाबाद	2,550
147.	नागरिक	कानपुर	2,200
148.	नायक	बरेली	2,908
149.	नाकारा	मुजफ्फरनगर	4,450

1	2	3	4
150.	नेशनल एक्सप्रेस	कानपुर देहात	1,585
151.	नाती प्रगति	गोरखपुर	1,900
152.	नव दिवस	कानपुर	3,558
153.	नया जमाना	देहरादून	1,850
154.	न्यूज स्टेडर्ड	प्रतापगढ़	2,000
155.	न्यूज पाइंट	देहरादून	14,392
156.	निर्मल स्वर	देवरिया	3,499
157.	नियामित वार्ते	गोरखपुर	1,899
158.	नूतन संदेश वार्ता	कानपुर	16,000
159.	ओघड़ नाथ	मेरठ कैन्ट	3,650
160.	पंचरत्न	फरोकाबाद	2,000
161.	पशंराम शक्ति	मथुरा	12,545
162.	पर्श्व सागर टाइम्स	झांसी	1,700
163.	पर्वत पीयुश	पिथौरागढ़	8,264
164.	पी० सी० टाइम्स	मेरठ	2,400
165.	पीड़ित मानव	बुलन्दशहर	2,000
166.	पीलीभीत समाज	पीलीभीत	2,332
167.	पीलीभीत टाइम्स	पीलीभीत	6,004
168.	पीड़ित वाणी	बुलन्दशहर	8,441
169.	प्रगति शील भारत	कानपुर	1,883
170.	प्रखण्ड	मेरठ	2,171
171.	प्रकाश	जौनपुर	2,000
172.	प्रलय	इटावा	13,625
173.	पब्लिक बुलेटिन	बुलन्दशहर	2,200
174.	प्रेम प्रचारक	आगरा	5,273
175.	प्रेस युग	फैजाबाद	2,111
176.	पूर्वांचल धारा	वाराणसी	5,500
177.	रचना चक्र	वाराणसी	11,201

1 2	3	4
178. पुण्य मित्र	बुलन्दशहर	2,100
179. राधा एक्सप्रेस	मुरादाबाद	9,900
180. राज मोर्चा	पीलीभीत	1,434
181. राम राज्य	कानपुर	2,000
182. रण नाद	उन्नाव	11,000
183. राष्ट्र मत	कानपुर	12,440
184. राष्ट्र सन्देश	सीतापुर	7,777
185. रोजगार खोजी	बांदा	1,750
186. रुद्राक्ष	हमीरपुर	10,971
187. रूहेलखेड	बरेली	2,603
188. सबरस	गाजियाबाद	1,745
189. सच्चाई आकांक्षा	कानपुर	3,580
190. रूहेलखण्ड सबतरफ	कानपुर	24,499
191. सहेत महेत	बहराइच	6,610
192. शहीद पथिक	सिकन्दराबाद	2,700
193. सहकारी युग	रामपुर	5,494
194. समाचार शिविर	मोती नगर	2,377
195. समयदूत	हरदोई	6,349
196. सामाजिक घटना चक्र	गोरखपुर	5,733
197. समता	अलमोड़ा	4,362
198. संयुक्त आवाज	मुरादाबाद	3,846
199. सनक	नैनीताल	1,975
200. सन्देश	हमीरपुर	1,530
201. सकेतदिशा	बदायूं	12,743
202. साप्ताहिक व्यापार समाचार	हापुड़	1,276
203. साप्ताहिक स्वतन्त्र प्रवाह	झांसी	7,150
204. सत्यपथ	गढ़वाल	220
205. सीमांचल	नैनीताल	2,093

1	2	3	4
206.	सीमांत प्रहरी साप्ताहिक	देहरादून	2,962
207.	शक्ति	अलमोड़ा	1,265
208.	शाकाहारी सदाचारी बालसंघ	लखनऊ	1,867
209.	शंकरी	मिर्जापुर	1,800
210.	शान्ति मित्रा	लखनऊ	11,257
211.	शयाला	गाजियाबाद	2,000
212.	शत्रुघन	हरिद्वार	3,129
213.	शिवालिक मेल	देहरादून	2,333
214.	श्रम भेरी	बिजनौर	8,420
215.	शुक्र शनि	मेरठ	2,816
216.	सीतापुर की रोशनी	सीतापुर	10,533
217.	शुक्राचार्या	लखी खीरी	1,200
218.	स्पूतनिक	लखनऊ	12,618
219.	साया दर्पण	मुजफ्फरनगर	2,000
220.	सुधा संधान	कानपुर	3,658
221.	सुगम समाचार	वाराणसी	5,391
222.	सुर्ख सूरज	ललितपुर	2,000
223.	सनराइज	जौनपुर	17,607
224.	सूरत सबत अभ्यास	बुलन्दशहर	4,711
225.	स्वाधीन प्रजा	अलमोड़ा	2,354
226.	स्वराज्य	आगरा	26,450
227.	स्वर समाज	गोरखपुर	4,080
228.	टंकार	कानपुर	2,444
229.	तारेश	हापुड़	650
230.	तरुण हिन्द	देहरादून	3,000
231.	तीसरी ताकत	गोरखपुर	5,909
232.	उज्जवल ज्योति	कानपुर	2,000
233.	उत्कृष्ट भारत	गाजियाबाद	7,000

1 2	3	4
234. उत्तर भारत	कानपुर	12,738
235. उत्तर खण्ड ज्योति	पिथौरागढ़	5,300
236. उत्तरांचल वीकली	देहरादून	5,615
237. उत्तर खण्ड टाइम्स	मुजफ्फरनगर	6,774
238. वर्तमान मुहिम	गाजियाबाद	2,250
239. वर्तमान	कानपुर	9,332
240. वातायन	नैनीताल	4,499
241. विचार	कानपुर	4,082
242. विडम्बना	हरिद्वार	2,428
243. विद्रोही भारत	कानपुर	10,508
244. विजयदूत	बस्ती	11,463
245. विप्लव	खीरी	1,975
246. विप्लवी मजदूर	हाथो हरदोई	5,405
247. वीरेन्द्र	लखनऊ	5,376
248. वीरेन्द्र तूफान	आजमगढ़	5,000
249. विश्व केतु	रायबरेली	10,480
250. वॉयस ऑफ मिर्जापुर	मिर्जापुर	2,000
251. व्यापार खुलासा	लखनऊ	10,250
252. व्यक्तित्व	कानपुर	2,483
253. वारूद	मेरठ	1,800
254. वतन का वफादार	बस्ती	14,390
255. वाटर ऑफ इण्डिया	कानपुर	8,425
256. व्हाइट न्यूज	हापुड़	2,380
257. यह समता राज	हरदोई	5,743
258. यूथ मिशन	कानपुर	10,832
259. युग गति	गोरखपुर	1,900
260. आर्य मित्र	लखनऊ	3,310
261. घर का सन्त	फर्रुखाबाद	3,593

1	2	3	4
	262. कमजोर की पुकार	मुरादाबाद	3,817
	263. खबरयार	आगरा	5,900
	264. कीर्ति प्रकाश	बुलन्दशहर	1,900
	265. युग सत्ता	गाजियाबाद	4,150
	266. युग वाणी	देहरादून	30,000
	267. युवा रिपोर्टर	मेरठ	1,643
संस्कृत			
	268. गांडीवन	वाराणसी	1,999
	269. युग गति	गोरखपुर	1,900
उर्दू			
	270. आखिरी मुगल	वाराणसी	5,424
	271. अमन का मसीहा	लखनऊ	10,306
	272. अथाह	गाजियाबाद	12,000
	273. अवामी तर्जुमन	लखनऊ	9,934
	274. एशिया-82	कानपुर	2,583
	275. आवाज-ए-आवाम	कानपुर	11,625
	276. बस्ती की आवाज	बस्ती	1,984
	277. दर्द-ए-कौम	कानपुर	1,944
	278. फैहदो सौद	कानपुर	1,940
	279. दुखती रग	कानपुर	14,656
	280. इदारत	कानपुर	7,538
	281. फरासत	सहारनपुर	1,250
	282. हफ्ता-ए-रफ्ता	कानपुर	1,964
	283. इन्साफ	झांसी	4,667
	284. इस्तारक	गोरखपुर	1,775
	285. खबरदार	सहारनपुर	1,250
	286. खुशनवा-ए-वतन	कानपुर	12,480

1	2	3	4
287.	मजदूर वाहिनी	कानपुर	21,950
288.	मेरठ माला	मेरठ	2,000
289.	मुराफिज-ए-कौम	मुरादाबाद	6,150
290.	नजारा	लखनऊ	3,000
291.	निशान-ए-आजादी	कानपुर	5,833
292.	निदा-ए-मिल्लत	लखनऊ	1,800
293.	पैगाम-ए-वफा	बरेली	8,583
294.	कौमी हमदर्द	बरेली	3,499
295.	कौमी मिशन	कानपुर	1,339
296.	कियादत	अलीगढ़	1,950
297.	रूह-ए-वतन	बरेली	1,730
298.	रूदाद-ए-चमन	पीलीभीत	16,581
299.	सदाकत	कानपुर	5,000
300.	सफीर-ए-मुल्क	फतहपुर	10,889
301.	सहारनपुर टाइम्स	सहारनपुर	1,100
302.	सरपंच	लखनऊ	700
303.	स्वाद-ए-आजम	कानपुर	10,842
304.	तहरीक-ए-अवाम	कानपुर	11,325
305.	ताजबर	गोरखपुर	1,600
306.	तामीर-ए-अदब	रामपुर	7,902
307.	तर्जुमन हिन्द	बाराबंकी	11,048
308.	तर्जुमन-ए-बरेली	बरेली	2,025
309.	तजकारा	बरेली	2,517
310.	तीर-ए-नश्तर	कानपुर	11,833
द्विभाषी			
311.	मर्दान	बदायूं	2,580
312.	मशरीक	गोरखपुर	1,850
313.	समाचार दर्शन	बुलन्दशहर	2,500
314.	विकास योजना	बुलन्दशहर	5,400

उत्तर प्रदेश (पाक्षिक)

क्रम सं०	समाचारपत्र का नाम	प्रकाशन स्थान	प्रति प्रकाशन दिवस औसत प्रसार
1	2	3	4
अंग्रेजी			
1.	सुप्रीम कोर्ट केसिस	लखनऊ	1,500
हिन्दी			
2.	1970	देहरादून	2,000
3.	अमेठी समाचार	इलाहाबाद	5,791
4.	ऐंगरी	गोरखपुर	7,925
5.	अनोखा संवाद	सहारनपुर	1,600
6.	अर्थ संसार	कानपुर	16,132
7.	एशिया टुमोरो	इलाहाबाद	17,750
8.	आयुर्वेद सन्देश	लखनऊ	1,800
9.	बरेली दर्शन	बरेली	2,000
10.	दहकती दुनिया	मुरादाबाद	1,599
11.	दहेज दानव	लखनऊ	2,000
12.	फाइव स्टार चेतना	बदायूं	5,600
13.	गाजियाबाद किंग	गाजियाबाद	2,000
14.	ग्राम मोर्चा	पीलीभीत	5,500
15.	हमारे आदमी	कानपुर	2,000
16.	हमारी तोहीद	लखनऊ	983
17.	हक की आवाज	मेरठ	1,478
18.	जगदीश स्वर	पीलीभीत	1,635
19.	जय पत्रा	गोरखपुर	6,190
20.	किसान मजदूर मोर्चा	कानपुर	4,067
21.	लोक संघ	कानपुर	2,493

1	2	3	4
	22. मायामंच	गाजियाबाद	2,000
	23. मनोरमा	इलाहाबाद	2,30,972
	24. माया	इलाहाबाद	2,35,003
	25. मेवातजहां	कानपुर	1,100
	26. मौन एक्सप्रेस	गाजियाबाद	2,000
	27. नया सन्देश नये विचार	बिसौली	5,450
	28. मंच सत्ता	गाजियाबाद	1,950
	29. परदेशी समाज	पीलीभीत	3,000
	30. प्रदीप वारता	कानपुर	22,000
	31. प्रेम माधुरी	पीलीभीत	2,129
	32. राष्ट्रभाषा सन्देश	प्रयाग	5,484
	33. सच का साया	गाजियाबाद	1,940
	34. सफाई मजदूर पीणा	कानपुर	2,000
	35. सार्वदीक	गोरखपुर	5,858
	36. सतरंग दुनिया	पीलीभीत	5,250
	37. सत्यांचल एक्सप्रेस	देहरादून	1,900
	38. सोसल विकास	देहरादून	7,416
	39. सुलहकुल	आगरा	2,875
	40. तरुणघोष	वाराणसी	3,208
	41. उभरता संसार	मेरठ	1,600
	42. उधोग अंकुर	गाजियाबाद	4,500
	43. उछोग प्रभात	गाजियाबाद	2,000
	44. यूनियन मेल	गोरखपुर	2,000
	45. उतरांचल वाणी	देहरादून	5,416
	46. उत्तरी मानसरोवर	चमोली	1,062
	47. वीरभूषण समाचार	गाजियाबाद	2,000
उर्दू			
	48. देवोबन्द टाइम्स	देवोबन्द	2,000

1	2	3	4
	49. गोशवाराह	बुलन्दशहर	4,791
	50. लब-ए-बहार	बरदोई	5,364
	51. नब्ज-ए-आलम	कानपुर	1,989
	52. कयादत-ए-हिन्द	कानपुर	8,726
	53. पन्द्रहवीं सदी हिजरी	कानपुर	1,364
	54. शिया	लखनऊ	1,800
	55. तामीर-ए-हयात	लखनऊ	5,200
द्विभाषी			
	56. जानवारी	मुरादाबाद	6,555
	57. रीजनल एक्सप्रेस	देहरादून	2,760
अन्य भाषा			
	58. अलरेड	लखनऊ	2,500

उत्तर प्रदेश (मासिक)

क्रम सं०	समाचार पत्रों के नाम	प्रकाशन स्थान	प्रति प्रकाशन दिव्य औसत प्रसार
1	2	3	4
अंग्रेजी मासिक			
	1. इलाहाबाद टैक्स जजमेंट्स	इलाहाबाद	1,050
	2. सिविल अफेयर्स	कानपुर	3,693
	3. इंडियन फामर्स डाइजेस्ट	नैनीताल	833
	4. इंटरनेशनल यूनिटी	कानपुर	1,000
	5. लेबर बुलेटिन	कानपुर	400
	6. लखनऊ सिटी मैगजीन	लखनऊ	6,133
	7. लखनऊ मॉ टाइम्स	लखनऊ	1,212
	8. प्रोब इंडिया	इलाहाबाद	38,385

1	2	3	4
9.	साइन्स गुडन्यूज	लखनऊ	2,499
10.	सुप्रीम कोर्ट केसेस (टैक्सेशन)	लखनऊ	227
हिन्दी मासिक			
11.	अखंड ज्योति	मथुरा	3,07,411
12.	अमिता	नजरतगंज	5,600
13.	अरुण	मुरादाबाद	12,193
14.	बाल दर्शन	कानपुर	2,000
15.	बाल साहित्य समीक्षा	कानपुर	14,905
16.	ब्रज गरिमा	मथुरा	4,441
17.	छमाछम	लखनऊ	350
18.	दौराला गन्ना पत्रिका	मेरठ	1,500
19.	दिशा डाइजेस्ट	मुरादाबाद	6,277
20.	धनवंतरी	अलीगढ़	8,838
21.	युग्म सहकारिता	लखनऊ	28,500
22.	एलाइट	लखनऊ	14,730
23.	गोस्वामी समाज	रुड़की	1,500
24.	हादी	रामपुर	1,299
25.	हास्य युग	बाराबंकी	2,197
26.	इरा इण्डिया	मथुरा	8,286
27.	जैन महिलादर्श	लखनऊ	1,694
28.	जैन प्रभात	आगरा	10,416
29.	कथा युग	कानपुर	10,224
30.	निशान भारती	नैनीताल	1,550
31.	क्रांति मैग्यू	मेरठ	1,060
32.	कुन्दन शील	मेरठ	7,740
33.	लव इण्डिया	कानपुर	1,900
34.	मनोहर कहानियां	इलाहाबाद	3,79,742
35.	मैजरमेंट	कानपुर	2,000

1 2	3	4
36. मृगपाल	झांसी	500
37. नन्हीं दुनिया	देहरादून	166
38. नया युग	मेरठ	1,600
39. निर्भीक भीम	कानपुर	1,999
40. नूतन कहानियां	इलाहाबाद	57,170
41. पूर्व उत्तर रेलवे सामयिकी	गोरखपुर	2,750
42. राम संदेश	गाजियाबाद	1,250
43. राष्ट्र धर्म	लखनऊ	14,405
44. रणनीति विज्ञ	कानपुर	4,445
45. रसनीकुंज	मथुरा	9,000
46. सामाजिक कल्याण संदेश	कानपुर	2,041
47. सत्यकथा	इलाहाबाद	1,48,270
48. स्काउट प्रभा	बरेली	4,084
49. शैलसुता	कानपुर	1,435
50. शिक्षण संस्था	आगरा	1,975
51. श्रम जीवी	कानपुर	500
52. श्रमिक अंदाज	लखनऊ	4,232
53. श्रीकृष्ण संदेश	मथुरा	1,391
54. सिम्भावली किसान पत्रिका	गाजियाबाद	3,500
55. सुपर ब्लेज	लखनऊ	15,203
56. वर्तमान साहित्य	इलाहाबाद	2,603
57. विकास मार्ग	बस्ती	468
58. वृन्दावन गरिमा	वृन्दावन	12,211
59. यथा शक्ति	गाजियाबाद	1,500
60. युवा सुरभि	मथुरा	1,995
अंग्रेजी मासिक		
61. मनोरमा	इलाहाबाद	70,166
62. प्रतिध्वनि	वाराणसी	18,750

1	2	3	4
उर्दू मासिक			
63.	अलफुरकान	लखनऊ	1,750
64.	आल्हासनत	रामपुर	2,232
65.	अनवर-ए-आलम	इलाहाबाद	22,400
66.	बच्चों का हिल्लाल	रामपुर	4,899
67.	हरीम	मुरादाबाद	1,825
68.	खवातेन का उर्दू डाइजेस्ट बातील	रामपुर	6,600
69.	खिराम	कानपुर	1,700
70.	माता-ए-अखिरात	कानपुर	1,000
71.	मोहकामत	लखनऊ	500
72.	मुस्लिम-ए-उर्दू	लखनऊ	5,800
73.	नूर	रामपुर	5,399
74.	उम्मीद की किरन	पीलीभीत	5,000
द्विभाषी मासिक			
75.	एडिटर	कानपुर	1,100
76.	गृह गौरव	गढ़वाल	1,816
77.	प्रेम प्रभाकर	मुजफ्फर नगर	425
78.	रेल पथ	गोरखपुर	5,000
79.	प्रवचन	मुजफ्फर नगर	990
अन्य भाषाएं मासिक			
80.	अलाबासुल इस्लामी	लखनऊ	4,000

विवरण-2

1988, 89 तथा 1990 की अवधि के दौरान बन्द किए गए समाचारपत्रों की सूची

1988

1. 13-9-88 से जन धारणा, हिन्दी/दैनिक, सहारनपुर।
2. 1-2-88 से श्री वाहेगुरू जी, पंजाबी/दैनिक, बरेली।

1989

1. 12-11-89 से कथा युग, हिन्दी मासिक, कानपुर।

2. 10-11-89 से नवयुग क्रोनिकल, हिन्दी/पाक्षिक।

1990

1. 10-11-89 से चेतना हिन्दी/साप्ताहिक, बदायूं।

कश्मीरी नागरिकों का राज्य से अन्यत्र जाना

1788. श्री अवध कुमार पटेल :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा अपहरण और शत्रुता की बढ़ती घटनाओं के कारण कश्मीर घाटी से नागरिकों के राज्य से बाहर जाने की कोई नई घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान घाटी से कितने लोग अन्य स्थानों में गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) पिछले तीन महीनों के दौरान घाटी से पलायन करने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है। बताया गया है कि आतंकवादियों की हिंसा जारी रहने के कारण बहुत से मुसलमान परिवार भी घाटी से बाहर चले आए हैं। घाटी में अभी भी रह रहे उनके सम्बन्धियों से बदला न ले लिया जाए, इस भय से वे लोग खुलकर बोलने और सामने आने से हिचकिचा रहे हैं। सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा उनके (आतंकवादियों) द्वारा उत्पन्न किए गए डर के माहौल को हटा देने के लिए वचनबद्ध है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्त्री-पुरुष का अनुपात

1789. श्री अवध कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कराई गई जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघराज्य क्षेत्र में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुष-महिला जनसंख्या का पृथक-पृथक अनुपात क्या है;

(ख) क्या जनगणना के दौरान जातिवार जनसंख्या के आंकड़े एकत्र किए जाने का कोई प्रयास किया गया था ताकि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में आरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या क्या है और इन जातियों तथा अन्य जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वांछित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आंकड़े राष्ट्रपति के आदेशों में दी गई सूची के अनुसार हैं। स्वतन्त्रता के बाद जनगणना में जाति की जनगणना नहीं की गई है।

विवरण

भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों को दर्शित करने वाला विवरण

(अनन्तिम)

क्रम सं०	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5
	भारत*	929	941	893
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	973	978	957
2.	अरुणाचल प्रदेश	861	877	753
3.	असम	925	937	839
4.	बिहार	912	923	846
5.	गोवा	969	994	933
6.	गुजरात	936	950	909
7.	हरियाणा	874	877	868
8.	हिमाचल प्रदेश	996	1,013	828
9.	कर्नाटक	961	975	930
10.	केरल	1,040	1,043	1,033
11.	मध्य प्रदेश	932	944	893
12.	महाराष्ट्र	935	975	876
13.	मणिपुर	961	957	970
14.	मेघालय	947	957	904

1 2	3	4	5
15. मिजोरम	924	916	934
16. नागालैंड	890	912	789
17. उड़ीसा	972	989	866
18. पंजाब	888	895	870
19. राजस्थान	913	923	881
20. सिक्किम	878	892	748
21. तमिलनाडु	972	983	951
22. त्रिपुरा	946	944	958
23. उत्तर प्रदेश	881	886	862
24. पश्चिम बंगाल	917	941	856
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	820	840	770
2. चंडीगढ़	793	633	813
3. दादरा और नागर हवेली	953	966	819
4. दमन और दीप	972	927	1,024
5. दिल्ली	830	821	831
6. लक्षद्वीप	944	961	931
7. पांडिचेरी	980	971	984

* इसमें जम्मू और कश्मीर के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि 1991 में वहां जनगणना नहीं कराई गई थी ।

प्रकाश प्रौद्योगिकी

1790. श्री अवध कुमार पटेल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 7 अक्तूबर, 1991 को सा-कं-प्रकाश 1991 हेतु प्रकाश प्रौद्योगिकी पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था जिसमें विशेष ध्यान ऊर्जा बचत पर था;

(ख) सम्मेलन में की गई प्रमुख टिप्पणियों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर-पारम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) (क) जी, हां । नई दिल्ली में 9 से 11 अक्तूबर, 1991 को इण्टरनेशनल लाइटिंग कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसकी व्यवस्था इण्डियन सोसायटी आफ लाइटिंग इन्जीनियर्स द्वारा की गई थी ।

(ख) सरकार को सम्मेलन की किसी प्रकार की औपचारिक सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, प्रकाश प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था तथा देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा के जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

1791. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मुख्यालयों में उपलब्ध कराई गई एस० टी० डी० सुविधा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सुविधा हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) सूची संलग्न विवरण में दी है ।

(ख) और (ग) कुरुक्षेत्र को छोड़कर हरियाणा के अन्य सभी 15 जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया गया है ।

विवरण

एस० टी० डी० सुविधा के बारे में जिला मुख्यालयों की राज्यवार स्थिति

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिला मुख्यालयों की कुल सं०	एस०टी०डी० सुविधा वाले जिला मुख्यालय	एस०टी०डी० सुविधा रहित जिला मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23	23	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	9	2
3.	असम	23	21	2

1 2	3	4	5
4. बिहार	51	45	6
5. गोवा	2	2	0
6. गुजरात	19	19	0
7. हरियाणा	16	15	1
8. हिमाचल प्रदेश	12	10	2
9. जम्मू व कश्मीर	14	7	7
10. कर्नाटक	20	20	0
11. केरल	14	14	0
12. मध्य प्रदेश	45	36	9
13. महाराष्ट्र	31	31	0
14. मणिपुर	8	8	0
15. मेघालय	5	5	0
16. मिजोरम	3	2	1
17. नागालैंड	7	1	6
18. उड़ीसा	13	13	0
19. पंजाब	12	12	0
20. राजस्थान	30	28	2
21. सिक्किम	4	4	0
22. तमिलनाडु	21	20	1
23. उत्तर प्रदेश	63	60	3
24. पश्चिम बंगाल	17	15	2
25. त्रिपुरा	3	2	1
संघ शासित राज्य			
1. अण्डमान-निकोबार	2	2	0
2. चण्डीगढ़	1	1	0
3. दादर नागर हवेली	1	1	0
4. दमन और दीयू	2	2	0

1 2	3	4	5
5. दिल्ली	1	1	0
6. लक्षद्वीप	1	1	0
7. पाण्डिचेरी	4	4	0
कुल :	479	434	45

जनजातीय उपयोजना

1792. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अनुसूचित जातियों के लिए योजनागत और गैर-योजनागत योजनाओं तथा जनजातीय उपयोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना पर व्यय	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा गैर-योजना स्कीम के अन्तर्गत व्यय विभाग हरियाणा (रु० करोड़ों में)
1988-89	54.65	1.83
1989-90	67.18	1.98
1990-91	70.45	2.62

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं की जाती है।

(2) हरियाणा में किसी जाति विशेष को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः राज्य की कोई आदिवासी उप-योजना नहीं है।

हरियाणा में डाक और दूरसंचार कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर

1793. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर आवंटित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) हरियाणा में कहां-कहां और कितने स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और क्या उनका निर्माण निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

(क) **डाक और दूर संचार विभाग :**

हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों मे स्टाफ क्वार्टर आवंटित करने के बारे में दोनों विभागों की कोई अलग-अलग नीति नहीं है । जैसा अन्यत्र है, स्टाफ क्वार्टर आवंटित करने के बारे में नीति सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों पर आधारित है ।

(ख) **डाक विभाग**

इस समय कोई भी स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन नहीं है ।

दूरसंचार विभाग

हरियाणा दूरसंचार सर्किल के कर्मचारियों के लिए हरियाणा में कुल 143 स्टाफ क्वार्टर बनाए जा रहे हैं । इनका स्थान-वार ब्योरा निम्नानुसार है :

यमुनानगर	19
फरीदाबाद एन० एच०-II	24
गुड़गांव	4
जींद	36
कैथल	18
कुरुक्षेत्र	18
कुण्डली	6
कलानौर	6
बहादुरगढ़	6
चरखीदादरी	6

उपर्युक्त क्वार्टरों का निर्माण कार्य 1992-93 के दौरान पूरा होने की संभावना है ।

इराडी आयोग की रिपोर्ट

[अनुवाद]

1794. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1990 की घटना की जांच कर रहे न्यायमूर्ति इराडी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जांच आयोग अधिनियम के अधीन "न्यायमूर्ति इराडी तथ्यों का पता लगाने वाला जांच आयोग" कोई न्यायिक जांच नहीं थी। राष्ट्रपति के निर्देश पर इसे केवल उन घटनाओं के आन्तरिक तथ्यों का पता लगाने के लिए गठित किया गया था जो 21 नवम्बर, 1990 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण और अशोक हाल में हुई थी। न्यायमूर्ति इराडी ने अपनी रिपोर्ट 22 अक्तूबर, 1991 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट में राष्ट्रपति भवन से सम्बन्धित उल्लिखित मुद्दों पर राष्ट्रपति भवन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। चूंकि मामले में प्रसार माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त है, अतः इस रिपोर्ट की प्रतियां प्रधान सूचना अधिकारी, भारत सरकार तथा भारतीय प्रैस परिषद को भेज दी गई है।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मदर कंप्यूटर

1795. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मदर कंप्यूटर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। दूरसंचार विभाग द्वारा।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।

(ग) लागू नहीं होता।

अम्बेडकर शताब्दी समारोह

[हिन्दी]

1796. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० अम्बेडकर के जन्म स्थान "महु" का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1797. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों की घटनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही है जैसा कि सांप्रदायिक दंगों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को प्रदान किया जाता है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में सूचना क्रमश: विवरण 1 तथा विवरण 2 में दी गई है।

(ख) अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को आवश्यक राहत तथा पुनर्वास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को विशानिर्देश जारी किए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जिसे 30 जनवरी, 1990 से लागू किया गया है, में अत्याचार से पीड़ितों को आवश्यक राहत तथा पुनर्वास का प्रावधान भी है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-1

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	424	511	602
2.	असम	03	17	27
3.	बिहार	1297	997	507
4.	गोवा	01	02	—
5.	गुजरात	665	593	788
6.	हरियाणा	87	77	81
7.	हिमाचल प्रदेश	180	79	63

1 2	3	4	5
8. जम्मू और कश्मीर	161	155	38
9. कर्नाटक	393	490	690
10. केरल	506	616	648
11. मध्य प्रदेश	4226	5210	5210
12. महाराष्ट्र	452	363	499
13. उड़ीसा	287	365	304
14. पंजाब	25	21	22
15. राजस्थान	1572	1588	1591
16. सिक्किम	06	03	15
17. तमिलनाडु	709	482	544
18. उत्तर प्रदेश	4755	5195	6096
19. पश्चिम बंगाल	09	13	05
20. दादरा एवं नगर हवेली	01	—	01
21. दिल्ली	—	05	05
22. पांडिचेरी	—	01	01
कुल :	15207	15799	17737

टिप्पणी—अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में विवरण शून्य है ।

विवरण-2

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े पर आधारित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान गैर-अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	77	79	108

1 2	3	4	5
2. असम	19	18	33
3. बिहार	106	102	18
4. गोवा	—	01	—
5. गुजरात	131	129	123
6. कर्नाटक	17	87	42
7. केरल	119	155	107
8. मध्य प्रदेश	2051	2163	2366
9. महाराष्ट्र	185	214	177
10. मणिपुर	02	—	06
11. नागालैंड	—	05	—
12. उड़ीसा	101	217	104
13. राजस्थान	457	420	450
14. सिक्किम	06	07	11
15. तमिलनाडु	03	01	03
16. पश्चिम बंगाल	17	09	10
17. अरुणाचल प्रदेश	15	09	—
18. दादर और नगर हवेली	13	07	11
19. दमन और द्वीव	—	—	03
कुल :	3364	3623	3512

नोट—अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में विवरण शून्य है ।

पुलिस बल में सुधार के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश

1798. श्री राम नारायण बेरवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनकी सिफारिश राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1978 ने पुलिस बलों में सुधार के लिए की थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस आशय के आवश्यक निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सभी आठ रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रथम रिपोर्ट तथा शेष सात रिपोर्टों की प्रतियां क्रमशः 1 फरवरी, 1980 और 30 मार्च, 1983 को सदन के पटल पर रख दी गई थी।

चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उन्होंने आयोग की रिपोर्टों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है तथा जिस हद तक उपयुक्त समझा गया है वहां तक काफी उपाय किए गए हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1799. श्री राम नारायण बैरवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) राजस्थान में पिछले 3 वर्षों के दौरान खोले गए सार्वजनिक टेलीफोनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या
1988-89	353
1989-90	79
1990-91	127
	559

(ख) जी हां।

(ग) 31 मार्च, 1995 तक।

पंजाब में उग्रवादियों को हथियार

[अनुवाद]

1801. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब के उग्रवादियों को अब हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान की बजाय कश्मीरी उग्रवादियों से मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कश्मीर और पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुप्त जांच कराने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को इस आशय के समाचारों की जानकारी है, जिनसे जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों तथा पंजाब के आतंकवादियों के बीच हथियारों आदि का आदान-प्रदान करने के बारे में एक दूसरे के साथ सम्पर्क होने का पता चलता है। स्थिति का सामना करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं।

कपूरथला के महाराजा के महजल हीरे की बिक्री

1802. श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह बहादुर द्वारा प्रयोग किए गए 239.38 कैरेट के प्रसिद्ध महजल हीरे को नवम्बर, 1983 में जनेवा में क्रिस्टी की अन्तर्राष्ट्रीय नीलामी में 4,12,500 पौण्ड में बेच दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन किया गया था;

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अयोध्या से मुस्लिम परिवारों का पलायन

[हिन्दी]

1803. श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हाल की घटनाओं के कारण भयवश मुस्लिम परिवारों ने अयोध्या छोड़कर राज्य के अन्य भागों में जाना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो फैजाबाद और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि

1804. श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971-81 और 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1971 और 1981 की जनगणनाओं के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित 1991 की जनगणना के आंकड़ों के संकलन के पश्चात 1992 के अन्त तक ही उपलब्ध होने की संभावना है ।

(ख) 1961-71 और 1971-81 के दशकों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । 1991 की जनगणना के आंकड़ों का संकलन होने के पश्चात 1981-91 के दशक के दौरान हुई प्रतिशत वृद्धि की जानकारी मिल पाएगी ।

विवरण

1961-71 और 1971-81 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शित करने वाला विवरण

भारत*@

दशक	अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि	अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि
1961-71	24.13	36.05
1971-81	32.45	31.01

* असम में अशान्त स्थिति होने के कारण उस समय उक्त राज्य 1981 की जनगणना नहीं हो सकी थी । अत: प्रतिशत वृद्धि का हिसाब लगाते समय असम की 1961 और 1971 की जनगणनाओं के आंकड़े उपलब्ध होने पर भी, इनमें शामिल नहीं किया गया है तथा 1981 की जनगणना के आंकड़ों के साथ इनकी तुलना की जा सके ।

@ पाकिस्तान और चीन के कब्जे में गैर-कानूनी क्षेत्र की जनसंख्या शामिल नहीं है ।

टिप्पणी : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (रूपांतरण) आदेश, 1956

और अन्य सुसंगत अधिनियमों तथा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की 1961-71 की जनसंख्या के आधार पर वृद्धि दर निकाली गई है और 1981 की जनसंख्या की वृद्धि दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (संशोधन) अधिनियम, 1976 और अन्य सुसंगत अधिनियमों तथा आदेशों के आधार पर निकाली गई है।

राष्ट्रीय नेताओं/स्वतन्त्रता सेनानियों पर दूरदर्शन को प्राप्त प्रारूप धारावाहिक

1805. **श्री मोहन सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय नेताओं और स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार को वर्ष 1991 में धारावाहिकों के प्रारूप प्राप्त हुए हैं;

(ख) दूरदर्शन पर इन धारावाहिकों को प्रसारण हेतु चुनने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या डा० राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डा० भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह और आचार्य जे० बी० कृपलानी पर दूरदर्शन पर धारावाहिक प्रसारित करने के बारे में आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित धारावाहिकों का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन को 1991 के दौरान निम्नलिखित नेताओं पर कमीशनड धारावाहिकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1) महात्मा गांधी
(2) लाल बहादुर शास्त्री
(3) डा० मदन मोहन मालवीय
(4) एम० जी० रामचन्द्रन

(ख) राष्ट्रीय नेताओं/स्वतन्त्रता सेनानियों पर धारावाहिकों, जिनके लिए दूरदर्शन द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है, के प्रस्ताव दूरदर्शन में इस प्रयोजन के लिए गठित उपयुक्त समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

(ग) डा० बी० आर० अम्बेडकर पर एक 8 भागों वाले टेली-धारावाहिक का काम एक निर्माता को सौंपा गया है। 1991 के दौरान, अन्य नेताओं पर कमीशनड धारावाहिक के प्रस्ताव दूरदर्शन को प्राप्त नहीं हुए।

(घ) प्रसारण प्रत्येक मामले पर लिए गए अन्तिम निर्णय और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

स्थानीय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

[अनुवाद]

1806. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय/क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में और अधिक कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण को रोकने का है;

(ख) क्या नेटवर्क/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समय के सम्बन्ध में दूरदर्शन के क्षेत्रीय/स्थानीय केन्द्रों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र पहले से ही प्रादेशिक भाषाओं में बहुत से कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और वे भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों की वास्तविक अवधि साधनों, जनशक्ति, तकनीकी सुविधाओं और प्रसारण समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ख) और (ग) जी, हां। सभी केन्द्र प्राप्तःकालीन प्रसारण, राष्ट्रीय कार्यक्रम और विभिन्न नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रसारण के अलावा अपने शेष प्रसारण समय में जो भिन्न-भिन्न केन्द्रों में अलग-अलग होता है, प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

विद्युत निगम द्वारा संस्थापना व्यवस्था पर खर्च

1807. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधीन दिल्ली के विभिन्न विद्युत निगमों द्वारा संस्थापना व्यवस्था (मकान, किराया, नगर प्रतिपूरक और महंगाई भत्ते तथा अन्य सभी सुविधाओं सहित) पर कितने प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है;

(ख) इन निगमों द्वारा अपने कार्यालयों के लिए तथा राजधानी में अपने अधिकारियों के लिए पट्टे पर लिए गए आवासों के लिए कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है; और

(ग) उपरोक्त भत्ता (क) में उल्लिखित विभिन्न भत्तों और सुविधाओं के लिए किस दर पर मासिक भुगतान किया जा रहा है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नवत है :

निगम का नाम	स्थापना पर किए गए व्यय की प्रतिशतता (1990-91)	भुगतान की गई वार्षिक किराए की राशि (1990-91)	
		कार्यालय स्थल के लिए	आफिसर्स के लिए पट्टे पर लिए गए आवास
		(लाख रुपये में)	
1	2	3	4
एन० टी० पी० सी०	4.6	357	234

1	2	3	4
एन० एच० पी० सी०	8.55	112	46
एन० पी० टी० सी०	28.00	6.63	0.70
पी० एफ० सी०	0.64	164.95	8.16
आर० ई० सी०	1.5	17.51	3.04

(ग) इन निगमों द्वारा मकान किराया भत्ता, नगर आपूर्ति भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों के रूप में जिस राशि का भुगतान किया जाता है, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

1	2
1. महंगाई भत्ता	वर्कमैन के लिए प्रतिमाह 559.35 रुपए की दर से तथा पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के लिए प्रतिमाह 605.55 रुपए की दर से।
2. मकान किराया भत्ता	मूल वेतन का 30% की दर से लेकिन किराए की रसीद प्रस्तुत न किए जाने पर इष्टतम देय राशि प्रतिमाह 1000 रुपए की दर से।
3. नगर आपूर्ति भत्ता	पर्यवेक्षकों तथा कार्यपालकों के लिए 100 रुपए की दर से, वर्कमैन के लिए मूल वेतन का 6% बशर्ते प्रतिमाह यह राशि 1000 रुपए से अधिक न हो।
4. मध्याह्न भोजन (लंच) परिदान	80 रुपए प्रतिमाह की दर से।
5. शिक्षण भत्ता	अधिकतम दो बच्चों के लिए (12वीं श्रेणी तक के लिए) अधिकतम 60 रुपए प्रतिमाह प्रत्येक बच्चा, बशर्ते प्रत्येक बच्चे के मामले में प्रारम्भिक 30 रुपए की राशि का भुगतान कर्मचारी द्वारा स्वयं किया जाए।
6. धुलाई भत्ता	जिन कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है, उनको प्रतिमाह 22 रुपए की दर से।
7. परिवहन भत्ता प्रतिपूर्ति	800 रुपए प्रतिमाह की दर से (वरिष्ठ इन्जीनियरों से उप-प्रबन्धकों तक के लिए, 900 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रबन्धकों और इससे ऊंचे पद के लिए।

1	2
	स्कूटर कार्यपालकों के मामले में 300 रुपए प्रतिमाह की दर से, पर्यवेक्षकों के मामले में 225 रुपए प्रतिमाह की दर से, कार्मिकों के मामले में 140 प्रतिमाह की दर से ।
	मोपेड कार्यपालकों के लिए 160 रुपए प्रतिमाह की दर से, पर्यवेक्षकों के लिए 115 रुपए प्रतिमाह की दर से, वर्कमैन के लिए 90 रुपए प्रतिमाह की दर से । जिनको परिवहन सम्बन्धी प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की गई है इनके लिए परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता । कार्यपालकों के लिए 75 रुपए प्रतिमाह की दर से पर्यवेक्षकों के लिए 60 रुपए प्रतिमाह की दर से वर्कमैन के लिए 50 रुपए प्रतिमाह की दर से ।
8. बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि	ऐसे कर्मचारी जिनकी प्रतिमास वेतन की राशि 2500 रुपए से अधिक नहीं है इनको 8.33% की दर से बशर्ते ईष्टतम राशि 1600 रुपए का भुगतान किया जाएगा । अन्य के मामलों में 2500 रुपए की दर से ।
9. विद्युत उत्पादन सम्बन्धी प्रोत्साहन	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार वास्तविक विद्युत उत्पादन के आधार पर ऐसे कर्मचारी जोकि मूल वेतन+महंगाई भत्ता के रूप में 2500 रुपए से अधिक प्राप्त करते हैं, इनके लिए अधिकतम 372 रुपए प्रतिमाह, जो कर्मचारी मूलवेतन+महगाई भत्ता के रूप में 2500 रुपए प्रतिमाह से अधिक प्राप्त नहीं करते हैं इनके लिए अधिकतम 425 रुपए प्रतिमाह ।
10. समाचार पत्र तथा व्यावसायिक साहित्य के लिए प्रतिपूर्ति	कार्यपालकों के लिए 50 रुपए की दर से प्रतिमाह ।
	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
1. महंगाई भत्ता	एसपीपीसी रिपोर्ट के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी मूल वेतन का 60% लेकिन 3500 रुपए के मूल वेतन तक के लिए । वेतन का 38% बशर्ते 3500 रुपए से 6000 रुपए के बीच मूल वेतन के लिए न्यूनतम 1785 रुपए ।

1	2
	वेतन का 33% बशर्ते 6000 रुपए से अधिक मूल वेतन वाले के लिए न्यूनतम 2280 रुपए ।
	ऐसे कर्मचारी जोकि औद्योगिक महंगाई भत्ते की पद्धति के अनुरूप महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं :
	975.95 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निर्धारित महंगाई भत्ता :
	450 रुपए से 1445 तक का वेतन श्रेणी ।
	निर्धारित महंगाई भत्ते की दर स्लैब सिस्टम के आधार पर 83 रुपए से 390 रुपए बोर्ड स्तर के अधिकारियों (फक्शनरीज) के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता 605.55 रुपए प्रतिमाह की दर से ।
2. मकान किराया भत्ता	एचपीसीसी की सिफारिशों के अनुसार दर
	मूल वेतन का 30% लेकिन 1250 रुपए से अधिक नहीं
	आई० डी० ए० पद्धति के आधार पर
	मूल वेतन का 30%
3. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	एचपीसीसी की सिफारिशों के अनुसार दर
	1999 रुपए तक के मूल वेतन के लिए 75 रु०, 2000 रु० से अधिक के लिए 100 रुपए ।
	आई० डी० ए० पद्धति के आधार पर दर
	मूल वेतन का 6% बशर्ते अधिकतम 100 रुपए ।
4. मध्याह्न भोजन (लंच) चाय सम्बन्धी आर्थिक सहायता	एचपीसीसी की सिफारिशों के अनुसार दर 147 रुपए प्रतिमाह ।
	आई० डी० ए० पद्धति के आधार पर दर 147 रुपए प्रतिमाह ।
5. धुलाई भत्ता	एचपीसीसी की सिफारिशों के अनुसार दर
	आई० डी० ए० पद्धति के आधार पर दर
	25 रुपए प्रतिमाह
6. परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता	एचपीसीसी की सिफारिशों के अनुसार दर
	2000-3500 के वेतनमान तक के पर्यवेक्षकों को 8 कि०

1	2
	मी० तक के लिए 30 रुपए और 8 कि० मी० से अधिक के लिए 40 रुपए की दर से परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता का भुगतान किया जा रहा है । **आई० डी० ए० पद्धति के आधार पर दर** 8 कि० मी० से कम दूरी पर आवास करने वालों के लिए 45 रुपए, 08 कि० मी० से अधिक दूरी के लिए 55 रुपए ।

7. परिवहन भत्ता	क्रम सं०	किस प्रकार की वाहन प्रयोग गई	वेतन	दर
	1.	कार के अनुरक्षण हेतु	वेतनमान रु० 3000-4500 और उससे अधिक	450 रु०
	2.	स्कूटर के अनुरक्षण हेतु	मूल वेतन 3000 रु० और इससे अधिक	175 रु०
	3.	स्कूटर के अनुरक्षण हेतु	मूल वेतन 3000 रु० और इससे कम	150 रु०

निगम के परियोजनाओं/यूनिटों द्वारा भुगतान किए जा रहे विभिन्न भत्ते :—

आई० डी० ए० पद्धति के तहत कर्मचारी	एचपीसीसी की सिफारिशों के तहत कर्मचारी
1. रात्रि पारी भत्ता	
रात्री पारी प्रति ड्यूटी के लिए 2.50 रु० की दर से ।	—
2. धुलाई भत्ता	
20 रु० प्रतिमाह की दर से	—
3. परियोजना/अन्वेषण कार्य सम्बन्धी भत्ता	
मूल वेतन का 12%	

वेतनमान	दर
1999 रु० तक	225 रु०
2000-2999 रु०	300 रु०
3000 रु० और इससे अधिक	375 रु०

1	2
आई० डी० ए० पद्धति के तहत कर्मचारी	एचपीसीसी की सिफारिशों के तहत कर्मचारी
4. पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति तथा शरद मौसम भत्ता	
ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र भत्ता (एचसीए) शरद मौसम भत्ता (डब्ल्यु० ए०)	
1000 मी० और इससे अधिक — मूल वेतन का 3% बशर्ते अधिकतम 50 रु० — मूल वेतन का 3% बशर्ते अधिकतम 30 रु०	शरद मौसम, पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ते के स्थान पर समेकित रूप से पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता निम्न दर से देय :—
1500 मी० और इससे अधिक — मूल वेतन का 4% बशर्ते प्रतिमाह अधिकतम 75 रु० — मूल वेतन का 4% बशर्ते प्रतिमाह 60 रु०	वेतनमान — दर 2000 से कम — 120 रु० 2000 से अधिक — 150 रु०
5. विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता	
ब्यौरा उपबन्ध (1) में दिया गया है	विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते से सम्बन्धित दर का ब्यौरा उपबन्धों में दिया गया है।
6. विशेष ड्यूटी भत्ता	
तीसरे सी० पी० सी० वेतनमान के मूल वेतन का 25% बशर्ते अधिकतम 400 रु०	मूल वेतन का 12.5% बशर्ते अधिकतम 1000 रु०
7. नॉन-प्रेक्टाईसिंग भत्ता	
—	वेतनमान — दर रु० 3000 से कम — 600 रु० ,, 3000 से अधिक लेकिन 3700 रु० से कम — 600 रु० 3700 रु० और इससे अधिक — 900 रु०
8. पोस्ट ग्रेजुएशन भत्ता	मान्यता प्राप्त पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा-धारी चिकित्सा अधिकारियों को 100 रु० प्रतिमाह।

1			2
			मान्यता प्राप्त पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों 200 रु० प्रतिमाह ।
9. विशेष शिक्षा सहायता			
(क) विशेष शिक्षा सहायता :			
प्राथमिक कक्षा	प्रति बालक 15 रु० प्रतिमाह	प्राइमरी सैकेंडरी और हायर सैकेंडरी हेतु	प्रति बालक 50 रु० प्रतिमाह
सैकेंडरी तथा हायर सैकेंडर	20 रु०		
आई० डी० ए० पद्धति के तहत कर्मचारी		एच० पी० सी० सी० सिफारिशों के तहत कर्मचारी	
(ख) ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति			
कक्षा छठी, आठवीं	प्रति बालक 5 रु० प्रतिमाह	कक्षा 10 और उससे कम	प्रति बालक 20 रु० प्रतिमाह
कक्षा नवीं	प्रति बालक 6 रु० प्रतिमाह	कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं	प्रति बालक 25 रु० प्रतिमाह
कक्षा दसवीं	प्रति बालक 7 रु० प्रतिमाह	विकलांग तथा मानसिक रूप से विकृत बालक	प्रति बालक 50 रु० प्रतिमाह
कक्षा ग्यारहवीं	प्रति बालक 8 रु० प्रतिमाह		
मानसिक रूप से विकृत बालक	प्रति बालक 20 रु० प्रतिमाह		
(ग) छात्रावास सम्बन्धी आर्थिक सहायता			
प्रति बालक 60 रु० प्रतिमाह		प्रति बालक 150 रु० प्रतिमाह	
(घ) स्थानांतरण पर पुस्तक खरीद के लिए आर्थिक सहायता			
प्राथमिक कक्षा		प्रति बालक 20 रु० प्रतिमाह	
सैकेंडरी कक्षा		प्रति बालक 40 रु० प्रतिमाह	
हायर सैकेंडरी		प्रति बालक 60 रु० प्रतिमाह	

औद्योगिक महंगाई भत्ता पद्धति के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी विशेष प्रतिपूरक भत्ता

संशोधन से पूर्व विशेष प्रतिपूरक (दुर्गम क्षेत्र) भत्ता (तैनाती के स्थान पर निर्भर करते हुए)	1-8-83 को यथा संशोधित विशेष प्रतिपूरक (दुर्गम क्षेत्र) भत्ता (तैनाती के स्थान पर निर्भर करते हुए)
1	2
(1) मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 40 रु० प्रतिमास	(1) मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत
(2) मूल वेतन का 20 प्रतिशत और अधिकतम 160 रु० प्रतिमास	(2) मूल वेतन का 12 प्रतिशत और अधिकतम 125 रु० प्रतिमास
(3) मूल वेतन का 20 प्रतिशत और अधिकतम 160 रु० प्रतिमास	(3) 800 रु० तक — मूल वेतन का 12 प्रतिशत 801 रु० तथा अधिक — मूल वेतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 200 रु०/मास
(4) मूल वेतन का 30 प्रतिशत और अधिकतम 240 रु० प्रतिमास	(4) मूल वेतन का 20 प्रतिशत
(5) 260 रु० तक — 35 रु० प्रतिमास 261 से 650 रु० — मूल वेतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 70 रु०/मास 651 और अधिक — 100 रु० प्रतिमास	(5) 530 रु० तक — 50 रु० प्रतिमास 531 से 1099 रु० — वेतन का 12 प्रतिशत और अधिकतम 90 रु०/मास 1100 और अधिक — 120 रु० प्रतिमास
(6) 260 रु० तक — 40 रु० प्रतिमास	(6) 530 रु० तक — 55 रु० प्रतिमास

	1		2	
	261 से 650 रु०	— वेतन का 20 प्रतिशत और अधिकतम 85 रु० प्रतिमास	531 से 1099 रु०	— वेतन का 12 प्रतिशत और अधिकतम 100 रु० प्रतिमास
			1100 रु० और अधिक	— 120 रु० प्रतिमास
(7)	260 रु० तक	— 40 रु० प्रतिमास	(7) 530 रु० तक	— 55 रु० प्रतिमास
	261 रु० और अधिक	— वेतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 120 रु० प्रतिमास	531 रु० और अधिक	— वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 55 रु० प्रतिमास
	टिप्पणी : विशेष प्रतिपूरक (दुर्वम क्षेत्र) भत्ता (तैनाती के स्थान के आधार पर), अन्वेषण भत्ते (जहां स्वीकार्य हो) सहित 1-7-86 से देय हैं ।			
(8)	260 रु० तक	— 50 रु० प्रतिमास	(8) 530 रु० तक	— 65 रु० प्रतिमास
	261 रु० से 650 रु०	— वेतन का 25 प्रतिशत और अधिकतम 100 रु० प्रतिमास	531 रु० से 1099 रु०	— वेतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 125 रु० प्रतिमास
	651 रु० और अधिक	— 120 रु० प्रतिमास	1100 रु० और अधिक	— 140 रु० प्रतिमास
(9)	260 रु० तक	— 70 रु० प्रतिमास	(9) 530 रु० तक	— 90 रु० प्रतिमास
	261 रु० से 650 रु०	— वेतन का 35 प्रतिशत और अधिकतम 120 रु० प्रतिमास	531 रु० से 1099 रु०	— वेतन का 20 प्रतिशत और अधिकतम 150 रु० प्रतिमास
	651 रु० और अधिक	— 150 रु० प्रतिमास	1100 रु० और अधिक	— 185 रु० प्रतिमास
(10)	260 रु० तक	— 100 रु० प्रतिमास	(10) 530 रु० तक	— 125 रु० प्रतिमास
	261 रु० से 650 रु०	— वेतन का 50 प्रतिशत और अधिकतम 150 रु० प्रतिमास	531 रु० से 1099 रु०	— 180 रु० प्रतिमास
	651 रु० और अधिक	— 200 रु० प्रतिमास	1100 रु० और अधिक	— 250 रु० प्रतिमास

टिप्पणी : विशेष प्रतिपूरक भत्ता हेतु विकल्प देने वाले कर्मचारी परियोजना भत्ता एवं पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।

केन्द्रीय सरकार की महंगाई भत्ता पद्धति के सम्बन्ध में एचपीपीसी रिपोर्ट के अन्तर्गत शामिल कर्मचारी

क्षेत्र	विशेष प्रतिपूरक (दुर्गम क्षेत्र) भत्ते की दरें		
	2000 रु० से कम मूल वेतन	2000 रु० और अधिक परन्तु 3000 रु० से कम मूल वेतन	3000 रु० तथा अधिक मूल वेतन
1	2	3	4
1. हिमाचल प्रदेश			
जिला चम्बा का पांगी उप-प्रभाग	350	500	650
जिला चम्बा की भरमौर तहसील	—वही—	—वही—	—वही—
जिला लाहौल एवं स्पीति	—वही—	—वही—	—वही—
जिला किन्नौर	—वही—	—वही—	—वही—
रोहड़ू तहसील का दोदरा-क्वार क्षेत्र	—वही—	—वही—	—वही—
जिला शिमला में पंडरावीज एवं अपरावीज के परगना, मुनिश की ग्राम पंचायतें, रामपुर तहसील के देरकली एवं काशापत्त	—वही—	—वही—	—वही—
जिला कुल्लू में पंडरावीज के परगना	—वही—	—वही—	—वही—
जिला कांगड़ा में पालमपुर उप-प्रभाग के छोटा भंगल तथा बड़ा भंगल क्षेत्र	—वही—	—वही—	—वही—

1	2	3	4
2. उत्तर प्रदेश			
धारचुला	350	500	650
मल्ला दारमा, जोशीमठ और भटवाड़ी विकास ब्लॉक (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय को छोड़कर)	—वही—	—वही—	—वही—
3. त्रिपुरा	275	400	525
4. मिजोरम			
(मिजोरम का सम्पूर्ण आईजोल जिला)	225	300	375
5. मणिपुर	225	300	375
6. हिमाचल प्रदेश			
मण्डी जिले में चाचीओट तहसील का जनजहेली ब्लॉक	225	300	375
जिला शिमला की चौपाल तहसील	—वही—	—वही—	—वही—
जिला सिरमौर का ट्रांस-गिली ट्रैक्स	—वही—	—वही—	—वही—
जिला चम्बा की चुराह तहसील	—वही—	—वही—	—वही—
जिला चम्बा की चम्बा तहसील की कुनर पंचायत तथा बेलाज परगना दोहनिक टाऊन	—वही—	—वही—	—वही—
हिमाचल प्रदेश			
शिमला शहर तथा इसके उपनगर (मशोबरा, धल्ली, तारादानी, कसंबती, जटोग तथा टूटू)	275	400	525

1	2	3	4
7. जम्मू तथा कश्मीर			
पुंछ तथा रजोरी टाउन और इन दोनों जिलों में सुन्दरबनी एवं अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पुंछ एवं रजोरी जिलों के क्षेत्र	225	300	375
जम्मू तथा कश्मीर			
कथुना जिले में हियाबत बानी, लोही मलबार तथा मचौडी	350	500	650
जिला ऊधमपुर में दूदू बसन्तगढ़, लेंडरभामाग इलाका थाकराकोटे, नगोटे	—वही—	—वही—	—वही—
जिला ऊधमपुर की महोर तहसील में कियासी साइड से अरनास तक क्षेत्र और कम्बान साइड से गोइल तक क्षेत्रों को छोड़कर महोर तहसील के सभी क्षेत्र	—वही—	—वही—	—वही—
जिला लेह के ओयम तथा नोबरे की किस्तवार तहसील में पेडर एवं नियाबत नोगांव इलाके	—वही—	—वही—	—वही—
बारामूला जिले के समग्र गुरेज-नियाबत, तंगधर उप-प्रभाग और केरान इलाके	—वही—	—वही—	—वही—
8. उत्तर प्रदेश			
सीमावर्ती उत्तरकाशी चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में ऊपर कॉलम दो में दिए क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्र जिनमें उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय शामिल हैं, परन्तु पिथौरागढ़ जिले की चम्पावत तहसील शामिल नहीं है।	225	300	375
9. अंडमान तथा निकोबार का समग्र क्षेत्र	60	80	100

राष्ट्रीय विद्युत संचारण निगम

मकान किराया भत्ता		मूल वेतन का 30%
नगर प्रतिपूर्ति भत्ता		वेतन का 6% और अधिकतम 100 रु०
कार्यपालकों को स्वीकार्य आवासीय लीज	:	वेतनमान की अधिकतम सीमा का 40%
कार्मिकों के लिए मासिक सवारी खर्च प्रतिपूर्ति	:	90-140 रु०
सुपरवाइजरों के लिए	:	115-225 रु०
कार्यपालकों के लिए	:	160-300 रु० (स्कूटर/मोटरसाइकिल) 800-900 रु० (कार)

विद्युत वित्त निगम

(1) मकान किराया भत्ता

मकान किराये का भुगतान वेतन के 30% की दर से किया जाता है बशर्ते इसकी अधिकतम राशि 1000 रु० तक हो, चाहे इसके लिए किसी प्रकार के किराये की रसीद प्रस्तुत न की गयी हो। यदि किराये की रसीद प्रस्तुत की जाती है तो मकान किराये का भुगतान 30% की दर से किया जाता है बशर्ते इसके लिये कर्मचारी अपने वेतन की प्रारम्भिक राशि का 10% उसके द्वारा किराये पर लिये गये आवास के लिये किराये के रूप में भुगतान किया गया हो।

(2) नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान वेतन की 6% की दर से किया जाता है बशर्ते इसके लिये अधिकतम राशि 100 रु० हो।

(3) महंगाई भत्ता

सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित सूचकांक दरों के आधार पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। इस समय जिस दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कार्यपालक अधिकारियों हेतु	—	1443.90 रु०
गैर-कार्यपालक अधिकारी (वर्कमैन श्रेणी)	—	अनुबन्ध में बताए गए स्लैब के अनुसार निर्धारित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता : 559.35 रु०

महंगाई भत्ते के अलावा, 1-1-87 से वेतनमान में संशोधन किए जाने सम्बन्धी मामला संबित होने के कारण सरकारी आदेशानुसार, कार्यपालक तदर्थ आधार दर 1 एवं 2 प्राप्त कर रहे हैं।

(4) परिवहन सम्बन्धी आर्थिक सहायता

कार्यपालक	70 रु०	ऐसे कर्मचारियों के लिए जो मासिक निर्धारित परिवहन प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
गैर-कार्यपालक (वर्कमैन श्रेणी)	50 रु०	

निगम की नीति के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने कार्यालय के कार्य के लिए परिवहन रखा हुआ है इन कर्मचारियों द्वारा व्यय की गई राशि की मासिक आधार पर निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है। इस सम्बन्ध में दरें निम्नवत हैं :

कार के अनुरक्षण हेतु

सहायक प्रबन्धक/उप-प्रबन्ध	600 रु०
उप-प्रबन्धक से उच्च पद	700 रु०

स्कूटर/मोटर साइकिल के अनुरक्षण हेतु

पर्यवेक्षक	175 रु०
वर्कमैन की श्रेणी में डब्ल्यू-5 से उच्च पद के कर्मचारियों के लिए	140 रु०
कार्यपालक	225 रु०

मोपेड़ के अनुरक्षण हेतु

कार्यपालक	125 रु०
पर्यवेक्षक	90 रु०
डब्ल्यू-5 ग्रेड से नीचे के पद के कर्मचारियों के लिए	70 रु०

निगम, कर्मचारियों द्वारा मध्याह्न भोजन के लिए खर्च की जा रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 80 रु० प्रतिमाह की राशि का भुगतान भी करता है।

नियत महंगाई भत्ता

(गैर-कार्यपालकों-कार्मिकों में लिए)

विद्यमान वेतन सीमा (रु०)	संशोधित वेतन सीमा (रु०)	1-1-87 से 31-12-87 (एआईसीपीआई 672 पर)	1-1-88 से 31-12-91
1	2	3	4
649 तक	1164 तक	108	208

1	2	3	4
650-699	1165-1214	110	210
700	1215	120	220
701-749	1216-1264	140	240
750-799	1255-1314	150	250
800-849	1315-1364	160	260
850-899	1365-1414	170	270
900-949	1415-1465	180	280
950-999	1465-1514	190	290
1000	1515	200	300
1001- 049	1516-1564	260	360
1050-1100	1565-1615	270	370
1101-1200	1616-1715	330	430
1201-1300	1716-1815	450	550
1301 और अधिक	1816 और अधिक	510	610

ग्राम विद्युतीकरण निगम

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की दरें निम्नानुसार है :—

महंगाई भत्ता

3500/रु० तक	60%	केन्द्रीय सरकार की दरों के अनुसार
3501 से 6000 रु० तथा अधिक	38%	—वही—
	33%	—वही—

मकान किराया भत्ता

मूल वेतन का 30%

नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

950 रु० से कम	30 रु०	केन्द्रीय सरकार की दरों के अनुसार
950 से 1499 रु०	45 रु०	—वही—
1500 से 1999 रु०	75 रु०	—वही—
2000 रु० तथा अधिक	100 रु०	—वही—

कश्मीर घाटी में अफगानी विद्रोहियों की घुसपैठ

1808. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीर्षस्थ काश्मीरी उग्रवादी पाकिस्तानी सैनिक गार्डों द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या पाकिस्तानी सेना कश्मीर के दोनों ओर के युवकों को प्रशिक्षण दे रही है;

(ग) क्या प्रशिक्षित अफगानी विद्रोही घाटी में चोरी छिपे घुस आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विद्रोही अफगानियों की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) पाकिस्तान ने कश्मीर के युवकों को शस्त्र तथा प्रशिक्षण देने के अलावा इन आतंकवादियों को अन्य संभार-तन्त्र सहायता भी दी है ।

अफगान आतंकवादियों के घाटी में घुसपैठ करने अथवा पाकिस्तानी सेना कार्मिकों द्वारा शीर्षस्थ कश्मीरी उग्रवादियों के अंगरक्षक के रूप में कार्य करने सम्बन्धी रिपोर्टों की कोई पुष्टि नहीं है ।

ईदगाह एक्सचेंज, दिल्ली के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

1809. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईदगाह एक्सचेंज, दिल्ली के अन्तर्गत एन०/ओ० वाई० टी०/जी० के लिए पंजीकृत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो 31 मई, 1986 तक एन०/ओ० वाई० टी०/जी० के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ईदगाह टेलीफोन एक्सचेंज में नॉर ओ० वाई० टी०/सामान्य श्रेणी में 31-5-1986 तक

पंजीकृत आवेदकों को 1991-92 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है।

बिहार में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

1810. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन के लोक आकाशवाणी प्रसारण सुविधाओं से वंचित रहते हैं क्योंकि रांची स्थित आवाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता कम है इसलिए यह उक्त क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां एक आकाणवाणी केन्द्र तथा एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हजारीबाग और डाल्टनगंज में एक-एक स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। हजारी बाग का स्टेशन चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। स्टेशन के परिचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्टाफ तैनात हो जाने पर इसे चालू किए जाने का कार्यक्रम है। डाल्टनगंज का रेडियो स्टेशन पूरा होने ही वाला है और इसे मार्च, 1992 तक तकनीकी रूप से तैयार करने का कार्यक्रम है।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, हजारीबाग में एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर लगाने का कार्यक्रम है और इसे 1992-93 के दौरान सेवा के लिए चालू करने की उम्मीद है।

कश्मीर मसले का राजनीतिक हल

1811. **श्री अवध कुमार पटेल** :
श्री गोविंदराव निकाम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके हाल के घाटी के दौरे के समय उनके द्वारा संविधान के ढांचे के भीतर इस समय के राजनीतिक हल के लिए आगे आकर बातचीत करने के आमंत्रण के प्रति कश्मीर के विभिन्न आतंकवादी दलों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है; और

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों की इस बेरुखी को देखते हुए कश्मीर मसले के राजनीतिक हल के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) राज्य में गड़बड़ी की स्थिति को ठीक करने के लिए बातचीत के प्रस्ताव का प्रमुख आतंकवादी गुटों द्वारा सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है।

आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बहुत कड़े उपाय अपनाकर, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले समर्थन के खिलाफ एक मजबूत जनमत तैयार करके तथा जनता की वास्तविक कठिनाइयों की ओर ध्यान देकर तथा आतंकवादी हिंसा से निपटने में जनता का सहयोग प्राप्त करके स्थिति से निपटने का प्रस्ताव है।

इस सम्बन्ध में, राजनीतिक नेताओं तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के ख्याती प्राप्त राजनीतिक दलों के व्यक्तियों की दिनांक 13-11-1991 को एक बैठक हुई थी।

चंडीगढ़ में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1812. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में समाविष्ट है।

विवरण

क्रम सं०	चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	किए जा रहे कार्य	विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ या हानि (लाख रुपयों में)		
1	2	3		4	
1.	चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम	लघु उद्योगों का विकास, लेवी/आयातित चीनी, चावल/की वसूली एवं वितरण होटलों/सामुदायिक केन्द्रों/कैफेटेरियों/क्लबों का प्रबन्धन सहित पर्यटन का विकास तथा उद्योग एवं पर्यटन के विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन ।	1988-89 लाभ 39.61 रु०	89-90 हानि 20.55 रु०	90-91 लाभ 5.00 रु०
2.	चण्डीगढ़ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जातियों के सदस्यों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, अनुसूचित जातियों के स्व-नियोजन हेतु उनको अग्रिम/ऋण/वित्तीय सहायता, अनुसूचित जातियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था तथा सबसिडी के जरिए आर्थिक सहायता ।	लाभ 4.50 रु०	लाभ 3.00 रु०	लाभ 1.00 रु०

1	2	3	4		
3.	चण्डीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड	बच्चों तथा महिलाओं का आर्थिक विकास एवं कल्याण, डेयरी फार्मिंग, सिलाई, कढ़ाई, रेडीमेड वस्त्रों तथा होजिरी व्यापार इत्यादि का व्यवसाय चुनने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को टेलरिंग तथा आशुलिपि/टाईपिंग में प्रशिक्षण ।	लाभ 2.00 रु०	लाभ 1.00 रु०	लाभ 1.00 रु०

चण्डीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान

1813. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है; और

(ग) इस निर्णय के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जंकव) : (क), (ख) तथा (ग) चण्डीगढ़ संघशासित क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1-4-1991 से पंजाब के वेतनमान अपनाने का निर्णय लिया गया है । चंडीगढ़ प्रशासन को वेतन नियमों को संशोधित करने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी करने की सलाह दी गयी है ।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम

[हिन्दी]

1814. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों और इसके अधिकृत पूंजी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम से सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु किसी व्यक्ति/वर्ग के लिए पिछड़ेपन के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पास 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी होगी ।

इसके उद्देश्य नीचे दोहराए जाते हैं :

(1) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना;

(2) पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को सरकार द्वारा समय-2 पर यथानिर्धारित ऐसी आय और/या आर्थिक मानदण्ड के अध्यधीन ऋणों और अग्रिमों के रूप में आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सहायता करना;

(3) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार तथा अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना;

(4) देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को चुनिंदा मामलों में, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकार/मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से, उस सीमा तक रियायती वित्त प्रदान करना जिस सीमा तक भारत सरकार द्वारा कम्पनी को बजट सहायता मन्जूर की गई है;

(5) स्नातक तथा उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण प्रदान करना;

(6) उत्पादन एककों के उचित तथा कुशल प्रबन्ध के लिए, वर्गों की तकनीकी तथा उद्यमी निपुर्णता के उन्नयन में सहायता करना;

(7) पिछड़े वर्गों के विकास सम्बन्धी कार्य से निपटने हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा पुनर्वित्त द्वारा वाणिज्यिक निधियां प्राप्त करने में राज्य स्तरीय संगठनों को सहायता करना;

(8) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए गठित सभी निगमों/बोर्डों, जहां तक ये पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं, के कार्य के समन्वय तथा मानीटरिंग के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करना; और

(9) पिछड़े वर्गों के विकास हेतु सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ाने में सहायता करना।

(ग) प्रस्तावित निगम पिछड़े वर्ग के निम्नलिखित लक्षित समूहों की सहायता करेगा :

(1) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों जैसाकि समय-समय पर योजना आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है; को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(2) सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित जो व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर तो हैं परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आय/आर्थिक मानदण्ड को पूरा करते हैं, उन्हें स्व-रोजगार योजनाओं तथा अन्य वित्तीय और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं के लिए सहायता दी जाए।

बिहार की कोयल-कारो विद्युत परियोजना को स्वीकृति

[अनुवाद]

1815. श्री पीयूष तोरकी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की कोयल-कारो विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) इस परियोजना में जलमग्न होने वाली कुल भूमि और वनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छूटने वाले वनों के बदले में वन रोपण के लिए किसी विकल्प वन क्षेत्र का चयन किया गया है; और

(घ) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए अर्जित भूमि का विवरण क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना हेतु जलमग्न किए जाने के लिए अपेक्षित कुल भूमि 19792 हैक्टेयर है जिसमें से 657 हैक्टेयर वन भूमि है।

(ग) जी, हां।

(घ) विस्थापितों के पुनर्वास हेतु अभी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। तथापि, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 893 हैक्टेयर गैर-वनभूमि नियत की गयी है।

चण्डीगढ़ में "ट्वाय ट्रेन" चलाना

1816. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में "लेजर वैली" में "ट्वाय ट्रेन" चलाने की योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) शहर में पार्कों और सड़कों के रख-रखाव की तुलना में इस योजना को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) प्रशासन ने सूचित किया है कि "लेजर वैली" में ट्वाय ट्रेन चलाने की कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) भाग को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सूरतगढ़ लघु पन-बिजली परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

[हिन्दी]

1817. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ लघु पन-बिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। सूरतगढ़ मिनी जल विद्युत परियोजना के 2-2 मेगावाट क्षमता वाले दो विद्युत उत्पादन यूनिटों को 28-6-91 को रोटेट किया गया था। इन यूनिटों को चालू वर्ष के दौरान, यूनिटों को चालू किए जाने सम्बन्धी शेष कार्यों को पूरा करने के लिए नहर को बन्द करना सम्भव होने पर, पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

12.00 बजे

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती वर्मा। (व्यवधान)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर) : महोदय, मैं एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बात सुनूंगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, आप कृपया मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती वर्मा के बाद आपको बोलने दिया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री अपने दल के सदस्यों से सदन में उचित व्यवहार करने के लिए कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको मैं बाद में अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्रियों और सचेतकों को अपने सदस्यों का सदन में उचित व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल में निम्नलिखित विषय संसद में रखना चाहती हूं। मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहती हूं कि गत 16 नवम्बर को झरिया विधानसभा उप चुनाव में जिला प्रशासन ही एक खास दल की तरह से चुनाव लड़ रहा था। जिला प्रशासन के संरक्षण में खुल कर बूथ कब्जा किया गया और बोगस मतदान हुए। दहशत के माहौल में वास्तविक मतदाता मत डालने गए ही नहीं। ...(व्यवधान)... पुलिस प्रशासन का यह हाल था कि मैं एक महिला सांसद होने के नाते आरक्षी अधीक्षक महोदय से, मतदान के दिन के लिए अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की लिखित रूप से मांग की, पर उन्होंने मेरे लिखित पत्र का कोई जवाब

देना उचित भी नहीं समझा सुरक्षा बल देने की बात तो दूर रही । जब मैं खुद मतदान केन्द्र सं० 117-118 पर जाकर अधिकारियों से बोगस मतदान की शिकायत की तो वहां तैनात अधिकारी ने भीड़ को मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया, पर मेरे प्रति अपार जन समर्थन के चलते वे इस काम में कामयाब नहीं हो सके । फिर भी मेरे ड्राईवर तथा कैमरा मैन को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारा । मैंने सम्बन्धित थाने में एफ० आई० आर० दर्ज करायी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक भी जगह-जगह जाकर स्थिति की सही जानकारी लेने की जगह पूरी तरह से प्रशासन के भरोसे बैठे रहे । चुनाव खत्म होने के बाद मैं खुद उनसे मिलने अतिथि गृह, जहां वह रह रहे थे, पर एक घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से वे अपने कमरे से निकल कर मुझसे मिलने आए और मेरी शिकायत को उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि प्रशासन तो किसी न किसी का पक्ष लेता ही है और इससे कोई खास अन्तर नहीं पड़ता ।

इन्हीं पर्यवेक्षक की निगरानी में मतगणना शुरू हुई, लेकिन वहां भी धांधली रोकने में वे असफल रहे, या फिर शायद रुचि नहीं ली । प्रशासन की चुस्ती का यह आलम था कि उत्पाशियों को भी अन्दर जाने से रोका जाने लगा । यहां तक कि मतगणना में चल रही धांधली को उजागर के प्रतिनिधि एवं छायाकार पकड़ने लगे तो उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक ने बड़े ही अपमानजनक ढंग से उन्हें "गेट-लॉस्ट" कह कर बाहर भगा दिया । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी इस प्रकार अनुमति नहीं दी जा सकती । कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहें ।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए । मतगणना तो बिल्कुल धांधलियों का काला इतिहास ही है । ऐसी मतपेटियों की भी गणना की गई···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात बहुत अधिक संक्षेप में कहनी चाहिए । आप इस तरह से जारी नहीं रख सकते । आपको वह सब भी नहीं पढ़ना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : मैं कुछ और बोलना चाहती थी ।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो बोलना है, बहुत संक्षेप में बोलिए ।

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं यह अनुरोध करूंगी कि इस पर बहस हो जाय । (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं, उस पर सदन में बहस कराई जाय ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज । (व्यवधान)

[अनुवाद]

@श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : महोदय, तमिलनाडु के भूतपूर्व गृह सचिव श्री नागराजन ने एक विवरण पत्र दिया है जिसमें···*··· एस० टी० टी० ई० काडर को, विशेषकर उनको जो पदमनभा नरसंहार में शामिल थे, एक प्रकार का संरक्षण प्रदान करने में···इसे गम्भीरता से लेना है। चूंकि एस० टी० टी० ई० का हाथ हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे होने का संदेह है, इसलिए केन्द्र सरकार को इस जानकारी पर अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे नेता की लिट्टे द्वारा नृशंस हत्या की गई थी और यह जानकारी काफी चिंताजनक है। मैं गृह मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की तुरन्त जांच करे।

श्री के० वी० तंग्कावालू (धर्मपुरी) : दो दिन पहले, तत्कालीन तमिलनाडु सरकार के भूतपूर्व गृह सचिव जी नागराजन ने त्रिची में माननीय मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष सपथ ली है और उसने तत्कालीन तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण कागजों की जानकारी दी है।···*··· इसका श्री वी० पी० सिंह की तत्कालीन केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है और उसने इसकी पुष्टि की थी···(व्यवधान) श्री नागराजन ने स्वयंमेव अपना वक्तव्य दिया है। शपथ पत्र में उन परिस्थितियों का स्पष्टतया वर्णन किया गया है जिनमें तमिलनाडु के तत्कालीन सचिव श्री नागराजन को हमारे महान देश के विरुद्ध देशद्रोही गतिविधियों में गृह सचिव के पद का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया गया था। विशेषकर, तमिलनाडु में जो शरणार्थी थे, उनको राज्यों में ठहरने की अनुमति प्रदान की गई थी। श्री पदमनभा, ई० पी० आर० एल० एफ० नेता, की हत्या की गई थी।···*

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है। कृपया बैठ जाइए। अब, नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा। यह पुलिस द्वारा रिकार्ड किए गए वक्तव्य से सम्बन्धित मामला है। यह एक न्यायालय में भी ग्राह्य नहीं है। सदस्यों को सदन में वक्तव्य देते समय इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री के० वी० तंग्कावालू : इस सम्मानित सदन की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वक्तव्य मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिकार्ड किया गया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० वी० तंग्कावालू : रहस्योद्घाटनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि···*···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, आप कृपया एक ऐसा वक्तव्य दें जो स्वीकार किया जा सके।

श्री के० वी० तंग्कावालू : यह वक्तव्य सरकार में एक अत्यधिक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दिया गया था और उसका देशद्रोही गतिविधियों में हाथ था। और तदन्तर, उन्हीं ताकतों ने हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की हत्या की थी। इसे इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। मैं माननीय

@ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के आंग्ल अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मन्त्री से एक व्यक्तव्य देने और अपराधियों को पकड़ने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता हूं। पहले एक अन्य घटना थी जिसमें बारे में एस० आई० टी० ने बताया है कि अपराधियों में से एक को गिरफ्तार किया गया था, मरने के लिए बाध्य किया गया था···(व्यवधान)

इस मामले में जो लोग शामिल हैं उनको मरने नहीं दिया जाना चाहिए और उन ऐसे व्यक्तियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो इस मामले से सम्बद्ध हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए और उन्हें इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें दिए जा रहे सभी वक्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, भूतपूर्व सचिव···

अध्यक्ष महोदय : नारायणन जी, वक्तव्य सावधानीपूर्वक दीजिए।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, उसने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया···।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात ऐसी है जो रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए, तो मैं उसे रिकार्ड में नहीं जाने दूंगा।

श्री पी० जी० नारायणन : लिट्टे की घुसपैठ के सम्बन्ध में चूक कार्यों के लिए···* जिम्मेदार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में वक्तव्य नहीं दिया जा सकता जो न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

श्री पी० जी० नारायणन : यह न्यायालय में लम्बित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो स्वयं का बचाव करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामला महत्वपूर्ण है। समाचारपत्र में कुछ आया है। सदस्यों का इस पर उत्तेजित होना निश्चित है। साथ ही यह मंच भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंच के समक्ष विषय लाने के लिए नियम निर्धारित है। आपको इसे नियमों के अंतर्गत ही उठाना होगा। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को परेशानी में नहीं डालना चाहिए जो यहां उपस्थित नहीं है। इसे सरकार और जांच के लिए जटिलताएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इन परिसीमाओं में आपको वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करता हूं। फिर भी मैं यह कह रहा हूं कि यदि आपका वक्तव्य रिकार्ड में नहीं जा सकता तो मैं इसकी जांच करूंगा और इसे रिकार्ड से बाहर रखूंगा।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, श्री नागराजन द्वारा न्यायालय में दिए गए वक्तव्य के अनुसार, लिट्टे काडर शरणार्थियों में मिलकर तमिलनाडु में आये थे। जब कानून लागू करने वाले

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्राधिकारी ने बताया···*···कि यदि शरणार्थियों को बिना रोक-टोक तमिलनाडु में आने दिया गया तो इससे राज्य में कानून और व्यवस्था की एक गंभीर स्थिति पैदा हो जायेगी···*··· उसके बाद ई० पी० आर० एल० एफ० नेता श्री पदमनाभ···

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया आरोप जो सदन में उपस्थित नहीं है रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री पी० जी० नारायणन : वास्तविक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया···*···अब हमारी गतिशील नेता पुरनची थलैव के नेतृत्व में ए० डी० एम० के० सरकार द्वारा तमिलनाडु में सत्ता संभालने के बाद कानून और व्यवस्था को बहाल किया गया है। वे अब यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार 'टाडा' का दुरुपयोग कर रही है। यह सत्य नहीं है। यह पूर्णतया असत्य है। तमिलनाडु में हमारी सरकार 'टाडा' का सही उपयोग कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी यहां आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको एक वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान की थी।

श्री पी० जी० नारायणन : श्री नागराजन के वक्तव्य से हम यह जान सकते हैं कि श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए कौन उत्तरदायी है। तमिलनाडु की जनता श्री राजीव गांधी के असली अपराधियों को भली-भांति पहचानती है। जिस किसी ने भी अपराध किया है और जिस किसी ने भी सत्ता का दुरुपयोग किया है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कानून को अपने रास्ते चलने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह जो तमिलनाडु का मामला है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए है, मैं उनसे मांग करता हूं कि आप एक कमीशन इंक्वायरी बिठाइए, सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में और 1980 से लेकर के, पिछले 11-12 साल में, जो वहां एक नया पंजाब और कश्मीर बनने वाला है, उस सम्बन्ध में आप जांच करवाइए। अध्यक्ष जी, आपको मालूम होगा कि जब हम लोग इस तरफ थे और आज के प्रधान मन्त्री उस समय विदेश मन्त्री थे तो वे श्रीलंका गए थे। 1983 में कालिंग अटेन्शन में मैंने एक प्रश्न किया था कि हम अपने देश में खालिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो तमिलस्तान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं।···*···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह रिकार्ड में है। मैं तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं। आप उससे इंकार कैसे कर सकते हैं ?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : यह पूर्णतया गैर जिम्मेदाराना है। इसे हटा दिया जाना चाहिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आप सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं उसका अपना महत्व है। ये दो संप्रभुता सम्पन्न देशों से सम्बन्धित मसले हैं। आपको काफी सतर्क रहना चाहिए। ऐसी किसी चीज का उद्धरण देना आवश्यक नहीं है जो हमारे सम्मुख नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यहां पर नेशनल फ्रन्ट के एक आदमी को एन्टी नेशनल करार दिया जा रहा है। एक्स-चीफ मिनिस्टर को एन्टी नेशनल करार दिया जा रहा है। होम सेक्रेटरी के द्वारा···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंग्कावालू (धर्मपुरी) : आपके अपने गृह सचिव ने यह बताया था। हमने यह नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जिस भूतपूर्व होम सेक्रेटरी की तरफ से फार्मर होम सेक्रेटरी का हवाला दिया जाता था, मैं यह जानना चाहता हूं कि फार्मर होम सेक्रेटरी पहले क्या थे, उसी फार्मर सेक्रेटरी ने आज से दस दिन पहले डी० एम० के० की सरकार को सर्टिफिकेट दिया। आज वही फार्मर होम सेक्रेटरी उसका विरोध कर रहे हैं। वहां पर वर्तमान सरकार "टाडा" का दुरुपयोग करके फार्मर होम सेक्रेटरी को टैरोराइज करके जानबूझकर पर्दा डालना चाहती है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंग्कावालू : 'टाडा' का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है। 'टाडा' का प्रयोग सही प्रयोजन हेतु किया जाता है। (व्यवधान)

श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी (पेरियाकुलम) : मेरे मित्र सदन को गुमराह कर रहे हैं। वह मामले की सही स्थिति को नहीं बता रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं एक ही बात बोलता हूं। मेरी आदत दो जुबान की नहीं है। दो जुबान वाले दूसरे लोग हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आप सरकार को डायरेक्ट करें कि सरकार सीटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के साथ इंस्वायरी कमीशन बैठाए और जिनका भी लिट्टे के साथ तालमेल हो, उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, देश की एकता और अखण्डता के

साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं यहां पर मांग करता हूं कि एक फुल-फलेज्ड डिसकशन किया जाए जिससे ए० आई० डी० एम० के० और कांग्रेस का पर्दा बेनकाब हो जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैंने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं एक-एक करके सबको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय हाल ही में प्रेस में छपी खबरें काफी परेशानी पैदा करने वाली रही हैं। जबकि आपने उस निर्देश के साथ पूर्ण सहमति जताते हुए कि इन मामलों में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा उन लोगों के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए जो अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं हैं और यहां विशेषरूप से एक दल जो पहले उस राज्य में सत्ता में नहीं था और इस सदन में एक प्रधान विरोधी दल हुआ करता था, आज यहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है—समय के ऐसे कोण पर, हमें अपने कथन के प्रति काफी सावधान रहना है। लेकिन, इसके साथ ही साथ, हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई ए०डी०एम०के० बनाम डी०एम०के० अथवा कांग्रेस पार्टी बनाम राष्ट्रीय मोर्चा का भी प्रश्न नहीं है; ऐसा बिल्कुल नहीं है; यह उससे भी गम्भीर प्रश्न है। और यहां एक ऐसा राज्य है जहां, जो कुछ हम अपने एक-दो उत्तरी राज्यों में घटित होते देख रहे हैं, उस खतरे की फिर से पुनरावृत्ति हो सकती है। बहुत गम्भीर प्रकृति की उग्र रूप की हिंसा तथा उग्रवाद जो देश की एकता एवं अखंडता को भंग कर रही है, उसे विभाजित कर रही है, वहां बढ़ सकती है। अतः, हमारे लिए यदि हम स्वतन्त्ररूप से चर्चा करना चाहते हैं तो इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना उचित होगा।

सर्वप्रथम, मैं सरकार से चाहूंगा कि वह अपने बयान के साथ सामने आए कि इस बारे में सरकार का सुस्पष्ट मूल्यांकन क्या है क्योंकि मैं ओरोपों में विश्वास नहीं करता हूं। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसी पार्टी से सम्बन्धित हूं जिसने वी० पी० सिंह की सरकार को अपना समर्थन दिया था। और जब स्थिति खराब होने लगी तो उस समय हम उनको महसूस कर सके, हम देख सके कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, और हम उन लोगों में से थे जो प्रधानमन्त्री के पास गए और उन्हें बताया कि यह एक ऐसा मामला है उस पर तुरन्त अंकुश लगाया जाना चाहिए। हमने उन्हें बताया कि जब हम आपकी सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं तो आपको उन गतिविधियों पर निर्वाचन करना चाहिए क्योंकि उनका सम्बन्ध भी मोर्चा सरकार से है और इसलिए उनकी गतिविधियों को बेरोकटोक जारी नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन, इसके साथ ही साथ यदि इसकी जांच होती है, यदि कोई न्यायिक आयोग बिठाया जाता है तो बिठाया भी जाना चाहिए और फिर मैं श्री पासवान की इस बात

से भी सहमत हूं कि न्यायिक आयोग को केवल उसी अवधि की जांच नहीं करनी चाहिए जिसके दौरान श्री करुणानिधि सत्ता में थे, बल्कि इसे उस समय से उन सभी घटनाओं की जांच करनी चाहिए जब से लिट्टे ने इस देश की अखण्डता को भंग करने के एक बहुत ही खतरनाक स्रोत के रूप में उभरना शुरू किया था।

हम देश की अखंडता के प्रति चिंतित हैं; हमें इस पार्टी अथवा उस पार्टी की आलोचना करने से कोई मतलब नहीं है। अतः, मेरी सरकार से दलील है कि वह न्यायिक आयोग के गठन की सम्भावना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे जिससे कि सारे कांड की जांच हो सके, जो सदन में आकर कम से कम हमें यह सूचित करे कि दिए गए विभिन्न बयानों से उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं—जो कुछ कहते हैं कि पुलिस को दिए गए, कुछ कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस बात से सभी सहमत हैं कि यह एक गम्भीर मामला है। लेकिन जो बात मुझे अखर रही है, वह यह है कि जिस मामले पर विधान सभा में चर्चा की जानी चाहिए, उस पर यहां चर्चा की जा रही है। और एक राज्य के एक ऐसे भूतपूर्व मुख्यमन्त्री के विरुद्ध खुले रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं; उनके बचाव के लिए मुझे इस पर आपत्ति है। एक अन्य बात भी मुझे अखर रही है कि जब किसी व्यक्ति को 'टाडा' के अन्तर्गत हवालात में रखा गया हो, तो माना जा सकता है कि उसने कोई बयान पुलिस के ही समक्ष दिया होगा।

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंकाबालू : पुलिस के समक्ष नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी मुकदमे की सुनवाई के अन्तर्गत नहीं ? (व्यवधान)

श्री के० वी० तंकाबालू : प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक विस्तृत शब्दशः रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रही है। स्पष्टरूप से, यह उस राज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है। वे इस सूचना को लीक करने, इस बयान को लीक करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं जो साधारणतया किसी को भी उपलब्ध नहीं होगी। (व्यवधान) ऐसा प्रतीत होता है कि श्री करुणानिधि की गिरफ्तारी के लिए किसी भी तरह से कोई मामला गढ़ा जा रहा है; जो इस देश में एक बहुत ही खतरनाक मिसाल होगी और जो बहुत बदतर किस्म का राजनैतिक बदला होगा; और कुछ नहीं।

यदि कोई व्यक्ति दोषी है, तो उसे दंड मिलना चाहिए। हम उसका समर्थन करने नहीं जा रहे हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए लेकिन यह समुचित प्रकार से होना चाहिए न कि उस तरह से जैसे यह सब किया जा रहा है। इसकी सम्पूर्ण जांच होनी चाहिए। इसकी मांग की गई है और हम उसका समर्थन करते हैं। और यह जांच विस्तृत रूप से होनी चाहिए; उस मामले के पक्ष में नहीं जिसे वे लोग तैयार करना चाहते हैं। जिस तरह से इसे ए० आई० ए० डी० एम० के० द्वारा उठाया जा रहा है और जिस प्रकार उसे कांग्रेस का कुछ समर्थन प्राप्त हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि ऐसा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जा रहा है और इसलिए इसे सदन के भीतर उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० देवी प्रसाद पाल ।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैंने एक सूचना दी है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं जानना चाहता हूं कि 29 नवम्बर को जब एक औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया गया था तो पश्चिम बंगाल सरकार के गृह सचिव ने कैसे एक निदेश जारी किया कि उस दिन सभी कारखाने बन्द रहेंगे तथा बन्द को सफल बनाने के लिए वामपंथ से सम्बद्ध सभी कारखाने भी उस दिन बन्द रहेंगे । इस प्रकार का निदेश कैसे दिया जा सकता है । यहां मेरे पास वह पत्र है । पश्चिम बंगाल सरकार सत्ता में होने के कारण किस प्रकार इस तरह की अराजकता को उकसा सकती है । मैं समझ सकता हूं कि एक राजनीतिक दल ऐसी सभी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है । लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने सत्ता में रहते हुए भी गृह सचिव के माध्यम से एक निदेश जारी किया था, जो मेरे पास यहां है और मैं इसे यहां दिखा रहा हूं, कि उस दिन सभी कारखाने बन्द रहेंगे । ऐसी स्थिति है । मैं इसे पटल पर रख रहा हूं तथा गृह मन्त्रालय एवं केन्द्र सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि कैसे विधिवत स्थापित कोई सरकार लोगों के साथ इस प्रकार की अराजकता में शामिल हो सकती है । पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है तथा राज्य में, और विशेषरूप से उस राज्य में, अराजकता की स्थिति को भड़का रही है । मैं इस बात को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह गैरकानूनी है और यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि सरकार इस तरह गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कोई कार्य करे । मैं गृह सचिव के निदेश को सभा पटल पर रख रहा हूं**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं । आपको नियमों का पालन करना होगा । श्री सैफुद्दीन चौधरी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । अब मैंने श्री सैफुद्दीन चौधरी को बुलाया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उनकी अन्दरूनी लड़ाई है । 'इंटक' ने हड़ताल में हिस्सा लिया । वह उनके खिलाफ हैं । वह सुव्रतो मुखर्जी के ग्रुप के खिलाफ हैं । वह सिद्धार्थ राय के ग्रुप से सम्बन्ध रखते हैं । वह विधि मन्त्री बनने की आशा कर रहे हैं । **(व्यवधान)**

डा० देवी प्रसाद पाल : मेरा सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल अथवा किसी भी श्रमिक संघ संगठन से नहीं है । **(व्यवधान)***

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**चूंकि अध्यक्ष महोदय के बाद में आवश्यक अनुमति नहीं दी, पत्र/दस्तावेज को सभापटल पर रखा गया नहीं माना गया ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हमेशा श्रमिकों के विरुद्ध बोलते हैं । यह उनका रिकार्ड है, एक श्रमिक विरोधी व्यक्ति ! वे कभी भी किसी श्रमिक के पक्ष में नहीं बोले, हमेशा उनके विरुद्ध बोलते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवी प्रसाद पाल, अब बैठ जाइए । मैं समय के बाद दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं । कृपया बोलने का मौका लें और सुन्दर भाषण दें । आपस में न उलझें ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र करने के लिए अपना अवसर लेना चाहता था लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में एक तुच्छ मामले का जिक्र किया गया है कि गृह सचिव ने श्रमिकों द्वारा बन्द रखने हेतु निदेश जारी किए, मैं इसे पूरी तरह अस्वीकार करता हूं और यह कहता हूं कि यह माननीय सदस्य का मनगढंत वक्तव्य है । **(व्यवधान)**

इनका इस स्वचालित बन्द, जिसे देश के सभी भागों और पश्चिम बंगाल के हजारों श्रमिकों और लोगों का समर्थन प्राप्त था, को बदनाम करने का इरादा था । मैं यह स्पष्ट करता हूं कि पश्चिम बंगाल में हमें जनविरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए श्रमिकों को संगठित करने के लिए किसी परिपत्र की आवश्यकता नहीं होती ।

महोदय, मैं जिस मामले को उठाना चाहता था वह यह है कि सैकड़ों सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता और बुद्धिजीवी देश में सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विरुद्ध अपनी चिन्ता प्रकट करने के लिए संसद के इर्दगिर्द मानव-कड़ी बना रहे हैं । हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी बीते इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, जबकि इन बुद्धिजीवियों ने देश के लिए, देश की एकता के लिए अपनी चिन्ता का विद्वतापूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है । हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के बुद्धिजीवी इस संकट के बारे में अत्यधिक चिन्तित हो रहे हैं और उनकी इच्छा है कि देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता पर अंकुश लगे ।

श्री राम विलास पासवान : मैं भी उनका समर्थन करता हूं । **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री देवी प्रसाद पाल ने आपको रेडियोग्राम की एक प्रति दी है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, सभा पटल पर पत्र रखने के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत : यह तुच्छ नहीं है । यह गम्भीर मामला है । रेडियोग्राम में एक विशिष्ट निदेश है कि सभी कारखानों को बन्द कर दिया जाए···**(व्यवधान)**

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री और राष्ट्रीय नेता डा० फारूक अब्दुल्ला पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हमला किया गया था···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, यह समाचार फ्री प्रैस जौया संसार, **इन्दौर समाचार** और लोक स्वामी समाचार-पत्र छपा है। इन सभी समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि इन्दौर प्रैस क्लब के प्रवेश द्वार पर उनका घेराव किया गया था और उनकी कार की खिड़की और शीशों को तोड़ दिया गया था। यह उनकी जान के लिए एक षड्यन्त्र था। वे इस षड्यन्त्र से बाल-बाल बचे। वे 'जैड' श्रेणी सुरक्षा के अन्तर्गत आते हैं। 28-1-1991 को राज्य सरकार की दिल्ली पी० सी० आर० से इन्दौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उनके दौरे के बारे में एक सन्देश भेज दिया गया था देखिए एम० आर० संख्या 3732···(**व्यवधान**) सभी हिन्दी के समाचार पत्रों, फ्री प्रेस अंग्रेजी दैनिक और इन्दौर प्रैस क्लब के संक्षिप्त विवरण के अनुसार सात पत्रकार घायल हुए थे जिनमें से एक की कलाई टूट गई थी और घायलों का उपचार करवा दिया गया था। पत्रकारों ने इस घटना की निन्दा करते हुए प्रस्ताव पारित किया था और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह में भाग लेने से बहिष्कार करने के लिए पहले ही वक्तव्य जारी कर दिया था।

महोदय, मैं गृह मन्त्रालय को यह बताना चाहता हूं कि डा० फारूक अब्दुल्ला के लिए सुरक्षा प्रबन्ध करने में मध्य प्रदेश सरकार ने चूक की है। मैं चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करे और यह पता करे कि राष्ट्रीय नेता के विरुद्ध वास्तव में क्या षड्यन्त्र रचा गया था। मैं यह भी चाहता हूं कि उस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया जाना चाहिए जिसने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती थी। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जानी चाहिए और हमें यह जानकारी मिलनी चाहिए कि इन्दौर के प्रैस क्लब में उस दिन वास्तव में क्या घटना हुई थी···(**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : यह घटना पहली नहीं है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि इसे पुनः दोहराया जाए।

श्री दिग्विजय सिंह : यह तीसरी घटना हुई है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको किसी अन्य मुद्दे पर बोलने की अनुमति दूंगा, इस पर नहीं। अब श्री हरि किशोर सिंह।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, आपने इजाजत दी है इसलिए मैं सदन में एक बहुत अहम सवाल उठाना चाहता हूं। कल एअर इण्डिया के जहाज में काफी बड़ा बम मिला है जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर काफी बड़ा प्रश्न-चिन्ह लगाता है। सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में, इसका काफी महत्व है। चूंकि यह एअर इण्डिया के जहाज में बम मिलने की घटना है, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी सदन में इस घटना पर अविलम्ब वक्तव्य दें। मेरी जानकारी है कि एअर इण्डिया के जहाजों में अब सामान ले जाया जाता है तो पहले उसकी एक्स-रे मशीनों द्वारा जांच करायी जाती है। सिर्फ दो एअरलाइंस में ही इस तरह की व्यवस्था है कि सामान को जहाज पर चढ़ाने से पहले एक्स-रे मशीनों से सामान की सुरक्षा जांच की जाती है—एक पान आम है, जिसका नाम अब बदलकर डेल्टा हो गया है और दूसरी एअर इण्डिया है। इनमें सामान चढ़ाने से पहले उसकी जांच एक्स-रे मशीनों से करायी

जाती है। इतनी बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद जहाज में कैसे बम चला गया जबकि दूसरी ओर हम पार्लियामेंट के सदस्यों की भी सुरक्षा जांच की जाती है। मैं आपके माध्यम से वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते इसे डिटैक्ट कर लिया वरना बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाता। मेरी मांग है कि सारी सुरक्षा व्यवस्था की नये सिरे से जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि इस लैप्स के लिए कौन जिम्मेदार है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने सुना है कि सुरक्षा व्यवस्था का, शीघ्र ही इंटरनेशनल एअरपोर्ट अथौरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है। मन्त्री जी मैं आपको कुछ सिखा तो नहीं सकता, मगर जानकारी जरूर देना चाहता हूं क्योंकि आप भी शीघ्र ही सोवियत संघ जा रहे हैं। कहीं आपके साथ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में कोताही न हो। आप शीघ्र ही एक डैलीगेशन के साथ जाने वाले हैं इसलिए आपको पहले से आगाह करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

इसलिए यह आवश्यक है कि सारी घटना की, सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वे इस बारे में स्टेटमेंट कर रहे हैं। मैंने उन्हें 5.00 बजे स्टेटमेंट करने की इजाजत दी है। इसलिए आप थोड़ा सा बोलकर बैठेंगे, तभी मैंने आपको एलाव किया है। लम्बी बहस नहीं करनी है।

श्री हरि किशोर सिंह : स्टेटमेंट पर चर्चा तो हो नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आपने वैसे ही बड़े अच्छे ढंग से ध्यान आकर्षित कर दिया है। इसके अतिरिक्त मन्त्री जी स्टेटमेंट करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर स्टेटमेंट पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा कैसे हो सकती है, वह बाद में देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० कृष्णस्वामी (वन्डिवाशी) : तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के उपक्रम समुचित रूप से कार्य करें। हाल ही में भारी वर्षा के कारण इस निगम का कार्य ठप्प पड़ गया है जिसके कारण ऊर्जा की कमी हो गई है और उससे हानि हुई है।

संयंत्र में ऊर्जा के फेल हो जाने के कारण दूसरी ऊर्जा इकाई में प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए के उत्पादन का घाटा होता है। अनुमानों के अनुसार ऊर्जा की कमी के कारण औद्योगिक घाटा 40 गुना अधिक होगा। दूसरे शब्दों में प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान लगाया गया है।

ऊर्जा के फेल हो जाने के कारण बहुत से उद्योगों को बन्द करना पड़ा है और कृषि के कार्य भी नहीं किए जा सके हैं। यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में से एक है और हमने कई करोड़ रुपए की मशीनरी आयात की है। मैं समझता हूं कि कुछ मशीनरी जो जल में डूब गई थी, सदा के लिए कार्य नहीं करेगी।

यह घटना कार्य के स्तर को अपेक्षित स्तर तक बनाए रखने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए गैर-जिम्मेदाराना कार्यों के कारण हुई है। उन्हें माला रूपी नहर की उपयुक्त ढंग से देखभाल करनी चाहिए थी और उन्हें कीमती मशीनरी को जलमग्न होने से बचाने के लिए कम से कम पानी को तत्काल बाहर निकालने के उपाय करने चाहिए थे···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दी है और आप एक लम्बा विवरण दे रहे हैं।

श्री एम० कृष्णस्वामी : सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण राष्ट्र को अरबों रुपए की हानि हुई है। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह इस मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त करे ताकि दोषी अधिकारियों का पता चल सके।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक एवं प्रसिद्ध मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की गत 28 सितम्बर, 1991 को सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गयी। हत्या के 17 दिन पहले स्व० श्री नियोगी राष्ट्रपति महोदय से मिले थे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और अपनी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की थी। हत्या में नामजद अभियुक्त अभी भी खुले-आम घूम रहे हैं। चूंकि यह सभी बड़े उद्योगपति हैं, इसलिए उन्हें कुछ बड़े राजनेताओं, मध्य प्रदेश शासन तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। श्रीमान, हत्या के बाद स्व० नियोगी के घर में 6 अक्तूबर को एक ऐसा टेप मिला है जिसमें उनका अन्तिम भाषण टेप है। उसमें उन्होंने कुछ पूंजीपतियों का नाम लेते हुए यह साफ आरोप लगाया है कि वे लोग उनकी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी की हत्या के सम्बन्ध में आप क्या यहां चर्चा कर सकेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उनकी हत्या के बाद से 7 हजार लोग वहां गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने 4 तारीख को गिरफ्तारी दी थी, आज परिस्थिति यह है कि उनके,···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया। आप बैठ जाइए। ऐसे मैटर यहां नहीं उठाए जाते।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे काम चलेगा। क्या इतने पुराने मामले उठाए जाएंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो कहना है वह कह दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उन पिछड़े इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां बिजली की कमी के कारण लोगों का जीवनस्तर दिनोंदिन नीचे गिरता जा रहा है। आश्चर्य का सवाल है कि सिंगरौली क्षेत्र, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा पावर काम्पलेक्स कहा जाता है, इसके बावजूद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में जो जनसंख्या के आधार पर योजना बनाई है कि बिजली की मद में इतना-इतना जनसंख्या के आधार पर खर्च होगा, उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना-कितना खर्च हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया पावर मिनिस्टर ध्यान दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले पावर कंसलटेटिव कमेटी में भी मैंने यह सवाल उठाया था, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कंसलटेटिव कमेटी में क्या होता है, वह यहां नहीं बोलते।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसमीशन लाइन उपलब्ध न होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रांसमीशन लाइन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है ? जनसंख्या के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जितना खर्च होना चाहिए वह खर्च हुआ है या नहीं और यदि नहीं हुआ है, तो अभी तक यह खर्च क्यों नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? यह उत्तर सदन में आना चाहिए और इसके बारे में पूरी बहस होनी चाहिए।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, करीब 2 करोड़ लोग बुनकर व्यवसाय से संलग्न हैं। आज सम्पूर्ण देश में बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। चूंकि देश में सूत के भाव अत्यधिक बढ़े हुए हैं और कपड़े का मार्केट में उठाव नहीं हो रहा है इसलिए मास्टर वीवर, बुनकर और उन पर आश्रित परिवार फाकाकशी कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है, तो सरकार राहत कार्य खोलती है। मुझे आश्चर्य है कि न तो प्रदेश की सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने कोई ऐसे राहत कार्य खोले हैं जिनसे इन बुनकर परिवारों का उदरपोषण हो सके और जो यह अनिश्चितता की स्थिति बन चुकी है, उसे समाप्त किया जा सके। अत सरकार से निवेदन है कि एक स्थायी योजना के तहत जैसा कि पूर्व में घोषित किया गया है कि प्रत्येक पावरलूम मजदूर को 20 हजार रुपया ऋण दिया जाएगा, वह भी अभी तक नहीं मिला है, इस ऋण को तुरन्त दिलाकर, इन बुनकर परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का निदेश दें।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में संथाल परगना और छोटे नागपुर के चौदह जिलों में इस साल वर्षा नहीं हुई है और सरकारी रिपोर्ट है कि 35 प्रतिशत धान की रोपनी हुई है। अभी तक कम से कम पांच लाख आदमी काम की तलाश में नागालैंड, मिजोरम, आसाम और बंगाल जा चुके हैं। अभी तक सिर्फ दो-तीन लाख रुपए जिले में रिलीफ के लिए दिए हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार की ट्राईबल एरिया के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी होती है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि चोदह जिलों में राहत सामग्री पहुंचाएं और अपनी तरफ से उस इलाके के लिए स्पेसीफिक ऐलोकेशन देकर लोगों को भूख से मरने से बचाएं।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मैं भारत सरकार का ध्यान बरवाड़ी, मुगलसराय सवारी गाड़ी की ओर खींचना चाहता हूं। यह ऐसी सवारी गाड़ी है जो आदिवासी इलाके से होकर डालटेनगंज, जपला, डोरी, सासाराम होकर मुगलसराय रुक जाती है। इस गाड़ी में यात्रा करने वाले गरीब, आदिवासी पत्तल, लकड़ी बेचकर अपना जीवन-यापन करते हैं। छोटे-छोटे व्यापारी वाराणसी से अपना व्यापार करते हैं, उनकी जीविका का एकमात्र यही साधन है। यह गाड़ी मुगलसराय आकर रुक जाती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न इस समय नहीं उठाए जाते हैं। आपको चांस दिया है तो कोई अच्छी बात बताइए।

श्री राम प्रसाद सिंह : इस गाड़ी में यात्रा करने वाले हजारों यात्री मुगलसराय से टैम्पो आदि से वाराणसी जाते हैं जिससे उनको काफी कठिनाई होती है और अपव्यय भी होता है। अगर इस गाड़ी को वाराणसी तक चला दिया जाता तो यात्रियों को इतनी कठिनाई न होती और वे रुपयों की लूट से बच सकते थे। छोटे-छोटे व्यापारियों को व्यवसाय करने में सुविधा हो सकती थी।

[अनुवाद]

श्री चिन्नास्वामी श्रीनिवासन (डिंडिगुल) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए प्रति महीना एक लाख टन चावल की आवश्यकता है। तथापि, केन्द्रीय पूल से इस राज्य का चावल का वर्तमान आवंटन केवल 81,000 टन है। हाल ही में केन्द्र ने इस राज्य को सूचना दी है कि दिसम्बर से चावल के कोटे में और कटौती करके उसे 65,000 टन कर दिया जायेगा। आबंटन में इस अत्यधिक कटौती से उचित मूल्य की दुकानों में वैकल्पिक चावल की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। महोदय, हाल ही में बाढ़ ने तीन लाख हैक्टेयर धान की फसल को नष्ट कर दिया है जिससे चावल के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। अतः कुल मिलाकर राज्य को चावल के वर्तमान कोटे का आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें कटौती करने की नहीं। सरकार को सदन को तत्काल आश्वस्त करना चाहिए कि तमिलनाडु में आम जनता के हित में वह चावल के कोटे में और कटौती नहीं करेगी।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, अंडमान तथा मुख्य भूमि के बीच की नौवहन सेवाएं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के लिए जीवनाधार हैं। पिछले दो वर्षों से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोग यात्री नौवहन सेवाओं के अभाव में काफी परेशान हैं ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप चेयरमैन हैं, आपकी सरकार है। आप सदन में यह प्रश्न उठाने के बजाय मन्त्री महोदय से बात क्यों नहीं करते ?

श्री मनोरंजन भक्त : हाल ही में एम० वी० निकोबार नाम का एक जहाज अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा प्राप्त किया गया था तथा यह मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच चल रहा है। मुझे पता चला है कि भारत सरकार का अन्य प्रयोजनों के लिए अंडमान यात्री सेवा से यह यात्री जहाज

वापिस लेने का विचार है। इसीलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार यात्री जहाजों को वापिस न ले अन्यथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को बहुत अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, श्री भक्त का समर्थन करते हुए मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम वे सब प्रश्न उठा रहे जिन्हें कि हम इलैक्ट्रानिक मीडिया का दुरुपयोग कहते हैं। पिछले शुक्रवार की औद्योगिक हड़ताल के बाद दूरदर्शन पर श्रम मन्त्री का वक्तव्य दिया गया था तथा यह बहुत ही स्पष्ट था कि हड़ताल के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। मन्त्री महोदय इस सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के विरुद्ध इस देश के नौकरी पेशा वर्ग के वीरतापूर्ण संघर्ष की निन्दा करते हुए जानकारी दे रहे थे जिससे यह प्रकट होता है कि इस मीडिया अर्थात् प्रेस सूचना ब्यूरो को सरकारी तन्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यदि कोई उचित सूचना देनी है तो मजदूर संघों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल मंत्री महोदय को ही सरकार का दृष्टिकोण देने के लिए इस मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तथा यह भी कि दूरदर्शन पर गलत जानकारी दी गई, उन्हें जिसे देने का साहस सदन में नहीं था। अतः हम इस देश में सत्ता दल की सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया के दुरुपयोग का विरोध करते हैं। यह कुछ और नहीं है अपितु इस देश के पेशेवर लोगों का अपमान है। हम इसका विरोध करते हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार ऐसा नहीं करेगी···(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : हड़ताल के कारण अभी भी कुछ गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बंडारु दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी गोदावरी जिले में पेन्नूमुंडा गांव में दुर्गा नाम की महिला को नंगा कर दिया गया··· व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। आपको उस समय बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस समय यह प्रश्न मत उठाइए। मन्त्री महोदय के लिए उत्तर देना सम्भव नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने महिला सदस्य को अनुमति नहीं दी थी। आप बाद में बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पुखराज मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के अभाव में जो भीषण अकाल की स्थिति बनी हुई है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिमी

राजस्थान का पूरा इलाका रेगिस्तानी इलाका होने के कारण से जब-जब पानी का अभाव हो जाता है तो वहां के सारे इलाकों में काश्तकारों का जीवन दुर्लभ हो जाता है, मवेशियों को बाहर भेजना पड़ता है और अकाल के कारण चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच जाती है। राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और राहत कार्य भी खोल रही है, लेकिन इतने बड़े इलाके के अन्दर जब तक केन्द्र की ओर से कोई विशेष मदद नहीं दी जाएगी तब तक स्थिति का मुकाबला करना कठिन है। मेरा निवेदन है कि एक ओर राजस्थान केनाल के काम को द्रुत गति से मदद देकर पूरा कराया जाए और दूसरी ओर मचानिया बिजलीघर में सोलर बिजली का काम जो पिछले दो साल से प्रयास करने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा कराया जाए। बिजली के अभाव में काश्तकारों के आगे बहुत कठिन समस्या पैदा हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों समस्याओं को हल किया जाए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र में एक विधान सभा क्षेत्र सुकाहाबाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है, वहां पर आए दिन गाड़ियों की सर्विस 15-20 मिनट की होने के कारण हर वक्त पुल बन्द होने से हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे विषय यहां नहीं उठाये जाते हैं। आप टाइम का मिसयूज कर रहे हैं।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि मरीज की नाजुक हालत होते हुए भी वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया जिससे वह असमय ही मृत्यु का काल बन गया और महिलाओं के डिलीवरी केस भी समय पर न पहुंच पाने के कारण बिगड़ गए। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या को देखते हुए बजाय पुल के ओवर ब्रिज बनवाने की अनुमति देने की कृपा करें जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को इस संकट से छुटकारा मिल सके।

[अनुवाद]

श्री कोडुकीलुनील सुरेश (अदूर) : महोदय, केरल में पिछले चार महीनों के दौरान लगभग सौ काजू फैक्टरियां कच्चे काजू की कमी के कारण बन्द हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं तथा वे भुखमरी तथा अन्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वास्तव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा विशेषकर सेलम जिला—जोकि काजू फैक्टरियों का केन्द्र है—में पिछले वर्ष काजू का उत्पादन बहुत कम था। केरल में पिछली सरकार राज्य में कच्चे काजू को इकट्ठा करने में पूर्णतः असफल रही है। अतः कर्मचारी बहुत ही दयनीय स्थितियों का सामना कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा केरल की राज्य सरकार को कच्चा काजू आयात करने की अनुमति दे तथा इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबन्धों को समाप्त करे ताकि कच्चे काजू का आयात किया जा सके। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शेख नाराबन सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, बिहार का उमरपुर दियारा और उमरपुर दियारा पश्चिमी नौबरार त्रिवेदी एवार्ड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चला गया था। उसमें 5000 के

करीब किसान बसते हैं जोकि दूसरे की जमीन पर घर बनाकर रहते हैं। बिहार सरकार के अन्तर्गत जब तक वह गांव था, बिहार टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक उसका खातियाना बना था और उन लोगों को बटाईदारी का हक दिया गया था लेकिन त्रिवेदी एवार्ड के मुताबिक जब वह लोग उत्तर प्रदेश में चले गए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका बटाईदारी का हक समाप्त कर दिया और फिर से उन्होंने पर्चा बनवाना शुरू किया। फिर जब हुकमरान जमीन पर गए तो उन लोगों का घर बना हुआ और बटाईदारी का हक उनका पाया तो उतको पर्चा मिल गया है लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर इलाके में गए हुए थे और वहां के लोगों से उन्होंने वायदा किया है कि जो इनके पर्चे बने हुए हैं, मैं इन्हें रद्द करा दूंगा।

मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वहां 5000 गरीब किसान बटाईदार रहते हैं और वह जमानेदराज से रहते हैं और उनके नाम से दो-दो सरकारों ने, बिहार टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक और उत्तर प्रदेश के टीनेन्सी एक्ट के अन्दर खातियात बन चुका है इसलिए मैं भारत सरकार से, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खातियानी हक की रक्षा की जाए। अगर भारत सरकार रक्षा नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस गवर्नमेंट के अख्तियार में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के० तुलसिऐया वांडायार (तंजावुर) : महोदय, तंजौर में कोर्ट रोड के पार मुख्य रेल पटरी पर एक पुराना पुल है। यह पुराना उपरिपुल 50 वर्ष पहले बनाया गया था जोकि अब भारी परिवहन को वहन करने के लिए काफी कमजोर पड़ चुका है। तंजौर तमिलनाडु का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है तथा प्रतिदिन हजारों लोग परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा इस पुल का इस्तेमाल करते हैं।

यह समझा जाता है कि कुछ समय पहले एक नया पुल बनाने के लिए केन्द्र द्वारा कुछ धनराशि मंजूर की गई थी। किन्तु कुछ कारणों से पुल निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रयोजन के लिए पहले से मंजूर की गई धनराशि का आबंटन करके नए पुल का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

श्री सानीपल्ली गंगाधरा (हिन्दुपुर) : महोदय, कल विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। भारत में समाचारपत्रों के मुख्य समाचारों के अनुसार हाल ही में यह देखा गया कि भारत में लगभग दस लाख एड्स के रोगी हैं। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी यह मत है कि भारत में स्थिति बहुत ही भयभीत कर देने वाली है। भारतीय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बिलकुल भी विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि इसकी निगरानी भौगोलिक रूप से फैली हुई है तथा आमतौर पर जनसंख्या के वर्ग तक सीमित है।

भारत जैसे देशों में जहां जनसाधारण की स्वास्थ्य प्रणाली खराब स्थिति में है तथा जहां अधिकतर स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों तथा कार्मिकों द्वारा नियमित स्वच्छता तथा छूत नियन्त्रण प्रक्रियाओं की उपेक्षा की जाती है, छूत के मुख्य स्रोत हस्पताल तथा क्लीनिक हो सकते हैं।

एड्स से सम्बन्धित स्वास्थ्य शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब होने से बचने और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सचेत रखने में जिम्मेदारी देती है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सभी बातें नहीं बतानी हैं आपको अपनी स्वतः की बात कहनी चाहिए।

श्री सानीपल्ली गंगाधर : वे डाक्टर जिन्हें एच० आई० वी० छूतग्रस्त लोगों को देखना होता है, वे अपने उत्तरदायित्व से दूर भाग रहे हैं जैसाकि एक प्रमुख सरकारी संस्थान में हुआ है।

अभी तक सरकारी अनुक्रिया इसपर नजर रखने से इसका पतालगाकर तथा इसके रोगियों को पृथक रखकर इसके फैलने पर नियन्त्रण लगाने की रही है।

यहां तक कि अपने तीन दृष्टिकोणों में अधिकारी इस रोग से ग्रस्त लोगों का रोग कम करने के बजाय उन्हें राज्य द्वारा चलाए जा रहे उपचार गृहों में अलग-अलग रखते हैं जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचता है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे देश में इस भयानक रोग का सामना करने के लिए स्पष्ट नीति लेकर सामने आए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाना चाहता हूं।

इस समय उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिल मालिकों से मध्यस्थता करके 45 रुपए क्विंटल रखा है लेकिन यह सूचना मिल रही है कि मालिकान कहते हैं कि हम 45 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम नहीं देंगे। किसान गन्ना गिराने जाते हैं तो उसे जो पर्चियां मिलती हैं तो उन पर गन्ने का दाम नहीं लिखा जा रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। किसान कहते हैं यदि हमारी पर्चियों पर 45 रुपया गन्ने का दाम नहीं लिखा जाएगा तो हम गन्ना नहीं गिराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 45 रुपया दाम देना उचित है तो मैं भारत सरकार से, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को यह हिदायत दिलवाई जाए कि वह 45 रुपए क्विंटल गन्ने की कीमत पर्चियों पर लिखें और 45 रुपए प्रति क्विंटल दिलवाने के लिए भारत सरकार व्यवस्था करे।

यह बहुत महत्व का प्रश्न है और इसमें लाखों-करोड़ों किसानों का मामला है इसलिए मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं।

13.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे, श्री सीताराम केसरी।

अल्पसंख्यक आयोग की 1 अप्रैल, 1986 से 31 मार्च 1987 आदि तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1986 से 31 मार्च, 1987 की अवधि तक के नौवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   (दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   (तीन) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 796/91]

भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1991

[अनुवाद]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 8ख के उप-धारा (3) के अन्तर्गत 17 अगस्त, 1991 के भारतीय राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 466 में प्रकाशित भारतीय विद्युत (संशोधन-एक) नियम, 1991 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 797/91]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये बातें कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जा रही हैं।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस दूरसंचार (राजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम, 1991

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत 5 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 568 के अन्तर्गत प्रकाशित भारत तिब्बत सीमा पुलिस दूरसंचार (राजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम, 1991 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 798/91]

*कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

13.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14 बजे तक स्थगित हुई।

14.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन पश्चात 2.06 म० प० पर पुन समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में नियम 377 के अन्तर्गत मामले को लिया जाएगा। श्री काशीराम राणा।

(एक) गुजरात के सूरत, भरूच और वालिया क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए वहां अतिरिक्त वाणिज्यिक औद्योगिक पाईप गैस आवंटित करने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है जोकि इस भारत भूमि-फॉल प्वाइण्ट से बहुत ही नजदीक स्थित है। इसकी 1.0 एम० सी० एम० डी० गैस की आवश्यकता की अपेक्षा भारत सरकार ने 0.3 एम० सी० एम० डी० गैस देने का वायदा किया है। गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड जोकि एसोसिएट सैक्टर के अन्तर्गत हैं, नगर की सम्पूर्ण औद्योगिक/वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण नेटवर्क के लिए पूर्णत: सुसज्जित है।

यदि केन्द्रीय सरकार 0.7 एम० सी० एम० डी० गैस की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने का वायदा करे तो उपरोक्त आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। 1.00 एस० सी० एम० डी० की कुल मांग को भारत सरकार को दिए गए राज्य सरकार के ज्ञापन में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड ने पाइप द्वारा अंकलेश्वर और भड़ौच शहरों की गैस की आपूर्ति करना प्रारम्भ कर दिया है। हम योजना के अन्तर्गत 30000 परिवारों एवं भड़ौच जिले के वालिया क्षेत्र के आसपास के उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है। पाईप द्वारा गैस सप्लाई के अन्तर्गत भड़ौच जिले के मध्य 600 जनजातीय पिछड़े परिवारों को शामिल करना भी एक अद्भुत बात होगी और जनजातियों द्वारा खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ियों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से वन-संसाधनों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। हम विस्तार योजना के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त सी० एन०

डी० गैस की आवश्यकता होगी। भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख सी० एम० डी० गैस की पूर्ति करने का वायदा करने पर गुजरात गैस कम्पनी लिमिटेड पिछड़े क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने के लिए तैयार है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि सूरत, भड़ौच और वालिया की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त गैस का आवंटन किया जाए।

[हिन्दी]

(दो) बिहार में धनहा में चीनी मिल लगाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र बैठा (बगहा) : बिहार राज्य के बगहा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत धनहा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 लाख क्विंटल प्रति वर्ष गन्ना होता है लेकिन वहां पर एक भी चीनी मिल नहीं है। पूर्व में वहां का गन्ना उत्तर प्रदेश मिल लिया करता था, लेकिन गत साल से उसने भी खरीदना बन्द कर दिया है जिसके कारण वहां के कृषकों को आधी से भी कम कीमत पर मिल मालिकों के हाथ गन्ना बेचना पड़ता है।

धनहा में एक चीनी मिल की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव बिहार सरकार ने बहुत पहले केन्द्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है तथा वहां के कृषकों की हालत गम्भीर होती जा रही है।

अतः सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देनें की कृपा करें कि पूर्व जैसा इस साल भी धनहा क्षेत्र का गन्ना खरीदे। तथा केन्द्र सरकार यथाशीघ्र धनहा में चीनी मिल की स्थापना की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

(तीन) केरल तट रेखा के बारे में समुद्र-कटाव रोधी परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री थाइल जॉन अंजलोज (अलेप्पी) : केरल की समुद्र तट परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है। राज्य का तटवर्ती क्षेत्र जोकि 560 कि० मी० लम्बा है वहां पर समुद्र कटाव की आशंका बनी रहती है। इस राज्य की जोकि प्रायद्वीप के अग्रछोर पर है भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की होने के कारण केरल राज्य को विशेष प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। राज्य का तटवर्ती क्षेत्र बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और तट के बहुत ही नजदीक तक आवासों का निर्माण कार्य किया गया है। प्रतिवर्ष मानसून के दौरान सैकड़ों परिवारों को तट कटाव के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कटाव को रोकने से सम्बन्धित दूसरे चरण की परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि समुद्र कटाव रोकने की परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृत प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(चार) तमिलनाड़ में उत्पादित टैपियोका का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 120-150 रुपए प्रति बोरा निर्धारित करने की आवश्यकता

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : भारत में केवल तमिलनाडु और केरल में ही कसावा की खेती की जाती है और तमिलनाडु में इसकी खेती सबसे अधिक होती है। धर्मपुरी और सेलम जिलों में इसकी प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। तमिलनाडु में 25 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। कसावा कंद यद्यपि खाने योग्य होता है परन्तु इसका ज्यादातर कलफ तैयार करने के काम में प्रयोग किया जाता है। कलफ टिक्कियों का निर्यात किया जाता है और इससे काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। किन्तु कसावा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाते हैं। तथापि, उत्पादकों को इन्हें बहुत ही कम दामों पर बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में आई बाढ़ के कारण भी उन्हें मजबूर होकर इसे बेचना पड़ा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करें और इसका न्यूनतम सरकारी मूल्य 120 रु० से 150 रु० प्रति बोरा निर्धारित करें और कसावा उत्पादकों की रक्षा करें।

[हिन्दी]

(पांच) सेवा काल के दौरान विकलांग होने वाले सशस्त्र सेना कर्मियों के मामले में निवृत्ति लाभों के लिए पात्रता की शर्तों में ढील देने की आवश्यकता

श्री भुवन चन्द्र खान्डूड़ी (गढ़वाल) : देश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैनिक सेना से विकलांगता एवं अन्य कारणों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार द्वारा इन भूतपूर्व सैनिकों को लगातार 15 वर्षों तक की सेवा पूरी न करने के कारण पेंशन नहीं दी जा रही है। इन सेवामुक्त होने वाले सैनिकों में कई ऐसे होते हैं जिन्होंने 10 से 14 साल तक की सेवा की है और सैनिक कार्य के दौरान ही यदि वह अपंग या घायल हो गया तो उसे बिना पेंशन के घर भेज दिया जाता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के हजारों आवेदन-पत्र रक्षा मन्त्रालय को प्राप्त होते हैं किन्तु उन्हें यह कहकर निरस्त कर दिया जा रहा है कि 15 साल की पूरी सेवा नहीं की है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल से ही इस प्रकार के हजारों भूतपूर्व सैनिकों के पत्र मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सेवानिवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन प्रकरण पर पुनर्विचार कर संशोधन किया जाए। सेवानिवृत्त होने पर यह भूतपूर्व सैनिक सिविल सेवा के योग्य भी नहीं रह जाते हैं। सैनिक पुनर्वास केन्द्रों से भी इन सैनिकों को आसानी से पुनः रोजगार नहीं मिल पाता है।

अतएव भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि इन सैनिकों के लिए 15 साल की नियमित सेवा के बजाए इसे कुछ वर्ष कम कर दिया जाए अथवा इन सैनिकों को सेवामुक्त करने से पूर्व उन्हें सरकारी मन्त्रालयों अथवा प्रतिष्ठानों में पुनः रोजगार दिए जाने की गारण्टी दी जाए ताकि जो लोग सेना में नौकरी के दौरान शारीरिक तौर पर अयोग्य हो गए हों इन भूतपूर्व सैनिकों की आजीविका चल सके।

14.15 बजे

मेघालय के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प और प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री एम० एम० जैकब द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांविधिक संकल्प को लेते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदन से अनुरोध करता हूं कि हम संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए मुझे कुछ और समय दिया जाए क्योंकि मैं मेघालय के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो कभी भी आ सकती है। कल मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि दोनों ही पक्ष अपना-अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं इस सम्बन्ध में सच्चाई जानना चाहता हूं अतः मैं कुछ और समय चाहता हूं। और मैं बहुत जल्दी ही सभा में पुनः उपस्थित होऊंगा। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस पर किसी भी दिन सुविधानुसार चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन इससे सहमत है ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, आज सुबह ही सरकार ने विपक्ष को यह बताया था कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने का इन्तजार कर रहे हैं इसलिए वे हम सांविधिक संकल्प को कुछ समय बाद लेंगे। अब मैं देख रहा हूं कि इस संकल्प को दूसरे सदन में पारित किया जा चुका है। मैंने नोटिस दिया है और सी० पी०आई० के मेरे अन्य सहयोगियों ने भी अन्य संकल्प के संबंध में नोटिस दिया है जो कि सांविधिक संकल्प नहीं है परन्तु जिसमें राष्ट्रपति जी को भेजे जाने एवं उनसे अनुरोध करने से सम्बन्धित है कि वर्तमान परिस्थितियों में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को निरस्त किया जाए। इन दोनों को एक साथ ही किया जाना चाहिए था। और यदि इसे स्थगित रखा जाता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा भी स्थगित रखा जाएगा। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि बीच में कुछ इस तरह की स्थितियों के समाचार आए थे जिनमें सदस्यों की खरीद-फरोक्त हो सकती थी। और मैंने मेघालय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा दिया वक्तव्य भी पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि केन्द्र मेघालय में यू० यू० पी० जी० को सरकार बनाने की अनुमति नहीं देगा यदि कांग्रेस नहीं है तो विधान सभा भंग हो जाएगी। ये वक्तव्य क्षुब्ध करने वाले हैं अतः मैंने मन्त्री जी को इससे अवगत करा दिया था और मुझे आशा है कि सरकार इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगी—अर्थात विधान सभा को भंग करना अथवा इसी तरह का कुछ और।

मैंने सरकार को अपने विचार से अवगत कर दिया था कि इस प्रकार की स्थिति में संविधान सरकार को राष्ट्रपति शासन स्वयं रद्द करने की शक्ति देता है और इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है विशेषकर से सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि चार विधायकों के बारे में अध्यक्ष का निर्णय गलत है और चारों विधायक मतदान करने के पात्र हैं। इसलिए अगर सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन स्वतः रद्द कर दिया होता तो यह अच्छी बात होती। इसे दो या तीन दिन के लिए प्रास्थगित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसे लम्बे समय के लिए प्रास्थगित नहीं करना चाहिए। इस बीच आप राज्यपाल से वहां की राजनीतिक स्थिति

के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन रद्द करके वहां पूर्व यथास्थिति बनाई जाए। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सरकार सदन में दोबारा आश्वासन दे कि सदन को भंग नहीं किया जाएगा और सरकार सदन में आकर वही करेगी जो करना चाहती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : माननीय मन्त्री ने अभी सदन को सूचित किया कि सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है। हम यह नहीं जानते कि यह रिपोर्ट राज्यपाल स्वतः ही भेज रहे हैं या केन्द्र ने इसे मंगाया है। वह जानकारी हमें नहीं दी गई है, हम अपने दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत हैं जिसमें हमने होते हुए राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि वह 11 अक्तूबर की घोषणा को रद्द करें जिससे विधान सभा का सामान्य कार्य पुनः शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो। हम इस विषय पर सभा में बोलना चाहते हैं।

जैसा श्री आडवाणी ने कहा कि सरकार कुछ समय लेना चाहती है लेकिन किसलिए, यह मैं नहीं जानता, केवल इसके कि वह रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे विचार से रिपोर्ट आने में इतना अधिक समय नहीं लगेगा। इसके लिए एक या दो दिन काफी है। यदि मन्त्री महोदय हमें आश्वासन दें कि इसे केवल कुछ दिनों के लिए ही टाला जाएगा और इस सप्ताह अर्थात गुरुवार अथवा उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा तो मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं।

लेकिन मेघालय में कुछ घटनाएं हो रही हैं। हम नहीं चाहते कि वहां पर किसी प्रकार की खरीद फरोख्त या बेईमानी को बढ़ावा दिया जाए या इसमें ढील दी जाए जिससे अभिप्रेरित घटनाएं घट सके। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वह हमें बताएं कि यह रिपोर्ट क्या है और यह क्यों जरूरी हो गया है कि राज्यपाल अब दूसरी रिपोर्ट दें। उन्हें हमें पक्की तरह आश्वस्त करना चाहिए कि इस मामले पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा। उस शर्त पर हम इन्तजार कर सकते हैं।

श्री एम० एम० जैकब : मैं श्री आडवाणी और श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव से सहमत हूं जिन्होंने अभी अपने विचार प्रकट किए। यह हमारी मंशा नहीं है कि हम लम्बा खींचें। मैं सदन में जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लाने की कोशिश करूंगा—चाहे तो संसदीय कार्य मन्त्री इसके लिए इसी सप्ताह का समय निर्धारित कर सकते हैं।

दूसरे, सदन में पारित होने के बाद जिस अन्य कारण से मैंने इसे इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं कहना चाहता हूं कि जब दूसरे सदन ने इसे पारित किया था तब वहां की स्थिति कल से भिन्न थी। सरकार बनाने के लिए दावा करने की स्थिति नहीं थी। मेरे पास राज्यपाल की नवीनतम रिपोर्ट स्पष्ट है कि वहां सरकार बनाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर संख्या में हैं। इसलिए सामान्य रूप में वहां सरकार के गठन की सम्भावना नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह रिपोर्ट कब आई ?

श्री एम० एम० जैकब : 9 अक्तूबर को। उसके बाद राज्यपाल ने कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा। इसलिए हम राज्यपाल की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विधान सभा के जिन चार सदस्यों को माननीय अध्यक्ष ने मतदान में हिस्सा लेने से अलग कर दिया था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया और उस निर्णय के अनुसार यह हो गया कि दल-बदल कानून के तहत भी माननीय अध्यक्ष के दिए गए निर्णय की संरक्षा ली जा सकती है और उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन चार माननीय विधायकों को किसी भी कार्यवाही में हिस्सा लेने देने का जो माननीय अध्यक्ष का आदेश था, उस पर स्थगन आदेश पारित कर दिया था। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन चार सदस्यों को एक पक्ष में लेने के बावजूद वहां के राज्यपाल का कहना है कि दोनों पक्ष में अभी बहुमत नहीं है और स्थिति विशेष में वहां नयी सरकार का बनाया जाना सम्भव नहीं है। उन्हें लेकर ऐसा कहते हैं या निकालकर कहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद की यह तस्वीर है मतों की गणना का झगड़ा अभी चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मामले को स्थगित कर दिया है।

अब हम विधायी कार्य पर विचार करेंगे।

14.25 बजे

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि हम सभी जानते हैं कि सभी निर्धारितियों के लिए समान लेखा वर्ष के रूप में वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) का प्रावधान करने के लिए 1987 में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया था। वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लेखा वर्ष को आयकर अधिनियम में यथा उपबन्धित लेखा वर्ष के समवर्ती बनाने के लिए तदनुसार 1988 में परिवर्तन किया गया। यह परिवर्तन बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के माध्यम से किया गया। तथापि, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56(एस) में अन्तर्विष्ट सहकारी-बैंक सम्बन्धी संगत उपबन्धों को उस समय संशोधित नहीं किया जा सका, चूंकि मामला तब जांचाधीन था। इसका परिणाम यह हुआ कि सहकारी बैंकों को इस समय वर्ष में दो बार अपने खाते बन्द करने पड़ते हैं और उनकी लेखापरीक्षा करवानी पड़ती है। पहले बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा

56 के खण्ड (एस) के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए जुलाई-जून की अवधि के लिए और दूसरी बार आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर देयता का निर्धारण करने के उद्देश्य से अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए ।

हमने अब इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक और सम्बद्ध अन्य एजेन्सियों से परामर्श करते हुए आवश्यक जांच पूरी कर ली है । विधेयक में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सहकारी बैंकों ने लेखा वर्ष में परिवर्तन करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56(एस) में संशोधन करने का प्रावधान है । संशोधन करने के पश्चात, सहकारी बैंकों के लेखा वर्ष को वर्तमान जुलाई से जून की अवधि से बदलकर अप्रैल-मार्च करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी । इससे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, और वित्तीय संस्थाओं के लेखा वर्ष में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकेगी । इससे सहकारी बैंकों द्वारा अपने खाते दो बार बन्द करने और उन्हें लेखापरीक्षित कराने की वर्तमान अनिवार्यता, खत्म हो जाएगी । जैसाकि हमने 1988 में किया था, एक लेखा अवधि को सुविधापूर्वक बदलकर दूसरी लेखा अवधि बनाने की दृष्टि से भी परिवर्तित लेखा वर्ष के लिए तुलन-पत्र तैयार करने, लाभ और हानि और अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए एक प्रशासनिक आदेश जारी करके उपयुक्त प्रावधान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करने हेतु इस विधेयक में व्यवस्था है ।

मैं विधेयक पर सभा द्वारा विचार किए जाने हेतु समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे ।

संशोधन सं० 1, श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 24 फरवरी, 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए ।" (1)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन सं० 2, श्री दाऊदयाल जोशी उपस्थित नहीं । संशोधन सं० 4, प्रो० रासा सिंह रावत ।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 26 फरवरी, 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए ।" (4)

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन सं० 7 श्री भोगेन्द्र झा—उपस्थित नहीं । संशोधन सं० 8, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—उपस्थित नहीं । अब, श्री वेंकटगिरि गौडा बोल सकते हैं ।

श्री वेंकटगिरि गौडा (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इस संशोधन में बैंकीय वर्ष की अन्तिम तिथि बदलने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि यह परिवर्तन बेहतर के लिए नहीं है। आज की तारीख तक तुलन-पत्रों का तैयार किया जाना, लाभ-हानि लेखों ऋण आकलन, अग्रिम, जमा खातों और नकदी स्थिति इन सभी कार्यों को किया जा रहा है। आप की तारीख तक बैंक कर्मचारी, जनता, जमाकर्ता और ग्राहक सभी प्रसन्न हैं। इस समय तक निश्चितता भी बनी हुई है। इससे निश्चित रूप से बैंक अपनी कार्य योजनाएं उचित ढंग से बना सकते हैं। विधेयक में इस विनियमन में संशोधन करने की व्यवस्था की गयी है। यह विधेयक 30 जून को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भिक भाग में इन शब्दों को प्रतिस्थापित करके संशोधन करना चाहता है : "अथवा उस ऐसी तिथि को समाप्त होने वाली बारह माह की अवधि की समाप्ति पर जिसे केन्द्रीय सरकार इस बारे में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करे।" यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो बैंकीय वर्ष की अन्तिम तिथि के बारे में कोई निश्चितता नहीं रहेगी। बैंकीय वर्ष उस ऐसी तिथि को समाप्त होने वाली 12 माह की अवधि की समाप्ति पर बन्द होता है जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। किसी अवधि की समाप्ति की तारीख जून, जुलाई अथवा किसी कलेन्डर वर्ष के किसी माह की अन्तिम तिथि हो सकती है। बैंकीय वर्ष की समाप्ति तिथि अथवा प्रारम्भ तिथि से बैंककारी क्षेत्रों में भ्रम और व्यावसायिक क्षेत्रों में अनिश्चितता पैदा होती है। इसी कारण से मैं प्रस्तावित संशोधन का विरोध करता हूं। बैंकीय वर्ष की समाप्ति 30 जून को होने सम्बन्धी वर्तमान विनियमन बिलकुल ठीक है और इसे वैसा ही रखा जाना चाहिए। यह संशोधन उचित नहीं है। यह बेहतर परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसी कारण से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह विधान नुकसानदायक नहीं है तथा सहकारी बैंकों के वित्तीय/खाता वर्ष को बदलने हेतु है और फिर उसे व्यावसायिक बैंकों के अनुरूप बनाना इत्यादि। निसंदेह बैंकिंग वर्ष, सभी बैंकों में एक होना चाहिए, चाहे वह व्यावसायिक बैंक हों, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हो या अन्य कोई बैंक हों। इस तरह से यह विधेयक बिलकुल ही नुकसानदायक नहीं है। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मामले में देरी क्यों हुई। माननीय मन्त्री जी देरी के लिए चाहे कोई भी कारण क्यों न दें, इस सम्बन्ध में विलम्ब मेरी समझ से बाहर है। यह कोई समझ आने वाली बात नहीं है। 1988 में जब व्यावसायिक बैंकों के लिए संशोधन किया गया था तो इसे भी तभी कर देना चाहिए था। महोदय, इस तरह से इस संशोधन के लिए कोई आपत्ति भी नहीं रहती। इसका स्वागत है क्योंकि यह बैंकों के क्षेत्र में समानता एवं एकरूपता लाता है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। महोदय, और फिर यह हमें बैंकिंग क्षेत्र पर साधारण चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है।

मैं, बैंकिंग वर्ष के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। मुझे मतिभ्रम हो गया है कि हमारे यहां इतने सारे प्रकार के वर्ष क्या होने चाहिए। हम पाते हैं कि हमारी प्रणाली में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा आने वाले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। एक और वर्ष है जिसे कैलेन्डर वर्ष कहते हैं जोकि सारे विश्व में 1 जनवरी को शुरू होता है तथा दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होता है। दूसरा एक वर्ष है शैक्षिक वर्ष, जो जून अथवा जुलाई से अगले ग्रीष्मावकाश तक होता है। फिर एक और कृषि वर्ष खेती के मौसम में और सहकारी वर्ष जो जून अथवा जुलाई से अप्रैल या मई तक होता है। खरीद का वर्ष 1 नवम्बर या अक्तूबर से शुरू होता है जो हर राज्य में अलग होता है। मेरे विचार से सभी को एकीकृत नहीं किया जा सकता है परन्तु कुछ को एकीकृत किए जाने के अवसर

हैं। मैंने पहले भी सदन में प्रश्न किए थे तथा टिप्पणियां की थीं कि वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष की अवधि जो 1 अप्रैल से शुरू होती है तथा 31 मार्च को समाप्त होती है, वह कतई भी ठीक नहीं है उसे भी बदलना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या आपने श्री प्रणब मुखर्जी के समय में, एल० के० झा समिति के बारे में सुना था।

श्री श्रीवल्लभ पात्रिग्राही : जी हां, झा समिति ने वर्तमान वित्तीय वर्ष को जारी रखने की सिफारिश की थी। अन्तिम रूप से उनका यही मत था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष चलते रहना चाहिए। श्री एल० के० झा ने अपने विवेक से वर्तमान वित्तीय वर्ष जारी रखने की हिमायत की होगी, परन्तु मेरे अपने विचार से मानसून की स्थिति क्या कृषि क्षेत्र के भविष्य आदि को देखते हुए इसे बदलना चाहिए। महोदय, जैसाकि आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि उत्पादन पर आधारित है। चूंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि घटक को अलग छोड़ा नहीं जा सकता है, जोकि सबसे बड़ा घटक है। ब्रिटिश शासन काल में, भारत के बजट को मानसून पर जुआ खेलना कहा जाता था। खैर, अब तो अंग्रेजों को गए भी चार दशक से ज्यादा हो गए हैं। उसके बावजूद भी, कोई प्रभावशाली संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आए हैं। संभवतः, भारत के बजट को मानसून पर जुआ खेलने वाला कहने की अभी तक प्रासंगिकता है। इसकी आज तक भी प्रासंगिकता है। हमारी दो तिहाई से अधिक या 60 प्रतिशत भूमि को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है आदि-आदि। इसलिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष के बारे में नए सिरे से ध्यान दे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से राज्यों में मानसून जुलाई से अक्तूबर तक ज्यादा प्रभावी रहता है। राज्यों में बजटीय प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाती है। हमारी नौकरशाही प्रणाली में समग्र प्रक्रिया सहित इन सारी चीजों को निचले स्तर तक पहुंचते-पहुंचते एक महीना लग जाता है। जब तक वित्तीय वर्ष में सही विकास कार्य शुरू होते हैं तब तक मानसून शुरू हो जाता है, तथा सारे कार्य को नवम्बर तक स्थगित रखना पड़ता है। इसलिए, विकास कार्य को सच्ची लगन तथा गम्भीरता से करने के लिए केवल छह या सात महीने का समय रहता है अर्थात नवम्बर से मार्च तक। तब हम क्या करते हैं ? कार्य को पूरा करने तथा आवंटित धनराशि को पूरा खर्च करने के लिए, सारे काम बहुत जल्दी बाजी में किए जाते हैं। परिणामस्वरूप काफी फिजूल खर्ची भी हुआ है। अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वित्तीय वर्ष को उपयुक्त ढंग से बदलें ताकि हमें विकास कार्य के लिए ज्यादा समय मिल सके। इसे अक्तूबर से किया जा सकता है। बजट प्रक्रिया तथा अन्य कागजी कार्यवाही इस समय तक हो जाए तथा मानसून के अन्त तक असल विकास कार्य भी शुरू किया जा सकेगा और हमें इस कार्य को करने के लिए 10 महीने का समय मिल जाएगा।

अब मैं बैंकिंग व्यवस्था पर आ रहा हूं। जहां तक प्राथमिक सहकारी बैंकों की बात है, मैंने यह देखा है कि इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 30 जून 1981 तक, प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1028 है। परन्तु मुझे यह भी पता चला है कि वित्तीय रूप से कमजोर तथा रुग्ण बैंकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। 31 मार्च 1991 तक इस प्रकार के प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 230 है। यह बड़ी ही परेशानी वाली बात है। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने श्री एस० एस० मराठे, सदस्य, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी जिसे प्राथमिक सहकारी बैंकों की स्थापना तथा सोसायटी को बैंकों में परिवर्तित करने की वर्तमान नीतियों का पुनरीक्षण करना

था। मैं इस विशेषज्ञ समिति की प्रगति जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी रिपोर्ट उपलब्ध है। यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंकों को धनी लोगों का क्षेत्र माना जाता रहा है। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद इस प्रवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। पिछले दो दशकों में इन व्यावसायिक बैंकों ने अपनी बड़ी अच्छी स्थिति प्रदर्शित की है। इसके साथ-साथ उनको कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। वे अब राष्ट्रीयकरण के 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन दिनों बैंकों के निजीकरण की काफी चर्चा हो रही है। जब वित्त मन्त्री जी ने कहा कि बैंकों का निजीकरण नहीं हो सकेगा तब कहीं जाकर यह चर्चा शान्त हुई।

भारतीय बैंकिंग की सफलता को, विशेषकर सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में, तीसरी दुनिया के देशों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय बैंकों द्वारा सामाजिक तथा विकास के क्षेत्र में किया गया प्रयोग अपने आप में अनूठा माना जा रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण सामाजिक तथा विकास के मामलों को अच्छा बढ़ावा मिला है।

बैंकों से देश के आर्थिक विकास में भी अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। बैंक ऋण मेले लगाते रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में गरीब लोगों को फायदा मिला। यह ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि आपसी सहयोग नहीं था तथा बैंकों की धनराशि का दुरुपयोग भी हुआ। इस सम्बन्ध में आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहिए थीं।

चार या पांच वर्ष पहले जब श्री एम० डी० तिवारी वित्त मन्त्री थे, तो उन्होंने अपने बजटीय भाषण में बताया था कि देश के हर कोने में कम से कम एक व्यावसायिक बैंक होगा जो उस क्षेत्र की सम्पूर्ण ऋण की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। मेरे विचार से यह कई क्षेत्रों में अभी तक एक प्रस्ताव ही बनकर रह गया है। कुछ क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में गलत प्रतिस्पर्धा है जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है। मैंने कुछ स्थानों में आश्चर्यजनक स्थिति देखी है। हालांकि दूरदराज के क्षेत्रों में बोलंगीर स्थलों में आंचलिक ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जोकि उड़ीसा के तीन जिलों बोलंगीर, संबलपुर और सुन्दरगढ़ में कार्य कर रहा है, किन्तु इसके लिए जगह नहीं दी गई थी। लोगों ने उस बैंक का बहिष्कार करने का निश्चय किया क्योंकि वह सन्तोषजनक नहीं है और वे भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक की शाखा की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार की स्थिति कुछ क्षेत्रों में सहकारी बैंकों में भी देखने को मिल रही है। इसलिए, उन सहकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए काफी कुछ करना होगा। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ स्थानों पर जैसे सम्बलपुर, झारसुगुडा रोड़ पर स्थित सासोन में प्राधिकारियों और मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि वहां बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक के बजाय भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक की शाखा को खोला जाए।

इसके कई कारण हैं। पहले यह प्रस्ताव था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कुछ अर्थक्षम वाणिज्यिक बैंकों में समेकित कर लिया जाए। इस विषय में मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। मैंने सदन में इस मुद्दे को उठाया था और उस समय वित्त मन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण ने साफ शब्दों में

बताया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कुछ अर्थक्षम वाणिज्यिक बैंकों में समेकित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय बैंकों के साथ यह समस्या है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ बैंकों में तुलन-पत्र और लाभ हानि के ब्यौरे वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर नहीं दिखाते। इस विषय में किए गए अध्ययन से विदित हुआ कि बैंककारी विनियमन अधिनियम में कई खामियां हैं जिनका उचित अध्ययन कर उसमें सुधार करना चाहिए।

बैंकों में जालसाजी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार अशोध्य ऋण में भी वृद्धि हो रही है जो आज एक लाख दस हजार करोड़ रुपए पार कर गई है, जो अपने आपमें आश्चर्यजनक राशि है।

यह विधेयक सीमित उद्देश्य के लिए है। यह सीमित उद्देश्य सभी बैंकों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष/लेखा वर्ष में एकरूपता लाने के लिए है। मैं इसका समर्थन करता हूं। स्थिति का लाभ उठाते हुए बैंकों में जो भी हो रहा हो मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आगे और समय बर्बाद न करके सुधारात्मक कदम उठाए जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जोकि उपयोगी हो सकती है, एक घंटा तीस मिनट का समय दिया गया है। कांग्रेस दल को 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 19 मिनट, जनता दल को 9 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 6 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 मिनट, तेलगुदेशम पार्टी, अन्नाद्रमुक, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, को दो मिनट, एक मिनट और सभी छोटे दलों को मिलाकर तीन मिनट का समय दिया गया है। यह आपकी जानकारी के लिए है कि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में पहले भाग ले लिया है को अन्य सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिए। इसीलिए समय के आबंटन के बारे में बताना मैंने आवश्यक समझा। श्री मुमताज अंसारी।

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन इसे सीमित उद्देश्य के लिए सदन में लाया गया है। विधेयक पर बोलने से पूर्व में बैंकिंग प्रणाली की पृष्ठ-भूमि में जाना चाहूंगा कि यह बैंकिंग प्रणाली क्यों अस्तित्व में आई।

सर्वप्रथम जब वस्तु विनियमन असफल हो गई तो मुद्रा अस्तित्व में आई। लेकिन जब मुद्रा विनियमन में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा तो यह बैंकिंग प्रणाली अस्तित्व में आई। लेकिन फिर बैंकिंग प्रणाली ने देश में अनावश्यक रूप से कई जमा ऋण योजनाएं बनाई और जब यह कार्य-नियन्त्रण से बाहर हो गया इस बैंकिंग प्रणाली विनियमन की आवश्यकता महसूस हुई जिसके परिणाम-स्वरूप 1949 में बैंककारी विनियमन अधिनियम को प्रभावी बनाया गया अथवा संसद ने इसे पारित किया। अब यह बैंकिंग प्रणाली आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसने व्यापारिक संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक वाणिज्यिक संगठन है। लेकिन इसके साथ-साथ इसका सम्बन्ध एक बहुत ही नाजुक चीज अर्थात् धन से है। यह केवल धन से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि इसने सारे देश में कई ऋण योजनाओं को जन्म दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिए। बैंकों के विनियमन से

पूर्व यह गैर-सरकारी लोगों के हाथ में था जो कि बैंकिंग कारोबार चलाते थे और जिससे कई समस्याएं पैदा हुईं। इसके फलस्वरूप बैंककारी विनियमन लाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि बैंकिंग प्रणाली को कतिपय महत्वपूर्ण नियमों और विनियमों तथा नीतियों अथवा सिद्धांतों, जो निर्धारित किए गए हैं, को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए।

सर्वप्रथम देश की बैंकिंग प्रणाली को जनता की जमा राशियों के द्वारा सृजित निधियों की रक्षा व सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। बैंक प्रणाली द्वारा स्थापित समस्त निधियों की यही स्थिति नहीं है। जनता की जमा राशियों द्वारा जो निधि सृजित की जाती है वह इन बैंकों के पास सुरक्षित रहनी चाहिए। अतः यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि जब तक बैंकों में निधि सुरक्षित नहीं होगी तब तक लोग बड़ी मात्रा में बैंकों में धन जमा नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ इस धनराशि के साथ न्याय होना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, मैं कहूंगा कि जमा ऋण अनुपात को इस आधार पर और अधिक न्यायोचित होना चाहिए कि जिस स्थान या राज्य से इसे प्राप्त किया जा रहा है उसे भी थोड़ा बहुत न्याय अवश्य मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, बिहार में, जहां से मैं आया हूं, हम पाते हैं कि जमा ऋण अनुपात काफी कम है। यदि 100 रुपए जमा कराए जाते हैं तो 40 से 45 रु० का निवेश लाभ होता है। अतः, इस प्रकार का जमा ऋण अनुपात भी बहुत ही आपत्तिजन्य है क्योंकि यदि निवेश से कोई लाभ नहीं है अथवा उस राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश नहीं किया जा रहा है, तो उस राज्य का अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हो सकता है।

बैंकों पर जरूरतमन्द अथवा पिछड़े या उपेक्षित क्षेत्रों को अनुदान या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी दायित्व है। अतः, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी इस बैंकिंग प्रणाली को फलने-फूलने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे बिहार, या उड़ीसा अथवा अन्य राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में, जहां विकास कार्य बीच में ही छोड़ दिए गए हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप निवेश नहीं किया जा रहा है अथवा बैंक अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं और बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंक नहीं हैं, अपनी शाखाएं नहीं खोल रहे हैं। इसलिए, बैंकों से यह भी अपेक्षित है क्योंकि अर्थव्यवस्था की भी यही मांग है जिसे बैंकों को पूरा करना चाहिए।

इसी तरह, खतरे के कतिपय नानारूप भी होंगे क्योंकि जब भी बैंक निवेश करते हैं तो वे एक प्रकार का खतरा ही मोल लेते हैं। इसलिए, वह खतरा भी देश के किसी एक भाग अथवा राज्य में केन्द्रित न होकर तर्क संगत आधार पर पूरे देश में व्याप्त होना चाहिए और मात्रा भी सही होनी चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो देश का सन्तुलित विकास नहीं हो सकता।

इसी प्रकार, कतिपय सेवाएं भी हैं और बैंकों का यह सेवा लक्ष्य भी होना चाहिए। कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं। केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकों की स्थापना नहीं की गई है। इसलिए, बैंकों को इन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखकर कार्य करने होंगे। दूसरी ओर, इसमें कतिपय राष्ट्रीय हित की बातें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

15.00 बजे

लेकिन, बैंकिंग प्रणाली काफी संवेदनशील है और यह अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय बिन्दु बन गया

है। इसलिए, राष्ट्रीय हितों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए, बैंकों को ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को ऋण या अग्रिम या वित्तीय सहायता दी जा रही है, क्या वे उसके हकदार हैं या नहीं, क्या उनका व्यवसाय ठीक चल रहा है, क्या वे राष्ट्रहित के विरोधी हैं अथवा नहीं। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इसी तरह, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले, हम पाते हैं कि वहां भी कतिपय कठिनाइयां, अनाचार और पूरे न किए गए उद्देश्य थे। राष्ट्रीयकरण से पहले, हम यह भी देखते हैं कि यह बैंकिंग प्रणाली समाज के धनी वर्ग के हाथों मे केन्द्रित हो गई थी। इसी प्रकार, ज्यादातर बैंक, कुछ खास, बड़े शहरों में थे। हम देखते हैं कि अब देश के कोने-कोने में, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शाखाएं खुल गई हैं। अब फिर हम यही देखते हैं कि ऐसी एक विचारधारा पनप रही है जिसके अनुसार हमारी सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है अथवा बैंकों को निजी तौर पर व्यक्तियों को सौंप देना चाहिए। इससे कतिपय ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले थीं। अतः, हम सरकार की इस विचारधारा का विरोध करते हैं। इसके साथ ही, सरकार देश में विदेशी बैंकों और उनकी शाखाओं को निमन्त्रण दे रही है। यह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकर अथवा घातक सिद्ध होगा और इसलिए इस विचारधारा पर भी नियन्त्रण लगाना चाहिए।

इस विधेयक के सम्बन्ध में, विरोध योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप वर्ष के सम्बन्ध में एकरूपता लाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि पिछला वर्ष सभी बैंकों के मामले में वही और एक समान होना चाहिए। यदि इसे '31 मार्च' के रूप में लिया जाता है तो सभी बैंकों में यह 31 मार्च होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो लेखा परीक्षा अथवा आयकर उपबन्धों के सम्बन्ध में यह काफी सम्भाव्य एवं व्यवहार्य होगा। इसके साथ ही साथ, यह भी ध्यान रखा जाए कि सहकारी बैंकों के संदर्भ में यदि हम पिछले वर्ष अथवा लेखा वर्ष अथवा इसे जो कुछ भी कहा जाए, में परिवर्तन करते हैं तो उन सभी राज्यों के जहां सहकारी बैंक ठीक से काम कर रहे हों के परामर्श के बिना यह अनुचित होगा। आपको लेखा वर्ष अथवा पिछले वर्ष के परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ भी परामर्श करना चाहिए। यदि आप उन कतिपय राज्यों अथवा कतिपय सहकारी बैंकों से, जिन्होंने लेखा प्रणाली के सम्बन्ध में कतिपय मानदण्ड और स्तर अपनाए हैं, परामर्श नहीं लेते, तो स्वाभाविक है उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि लेखा वर्ष अथवा पिछले वर्ष के सम्बन्ध में किसी प्रकार की एकरूपता लाने से पहले, राज्य सरकारों अथवा सहकारी निकायों अथवा ऐसे बैंकों के प्रबन्धन से परामर्श किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग रेगुलेशन में जो संशोधन का प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। यह प्रान्तीय राज्य विधान सभाएं भी अपने-अपने को-आपरेटिव सैक्टर में इस प्रकार का संशोधन कर सकती थी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि केन्द्र से किया जा रहा है। जो मौलिक प्रश्न है, वह प्रश्न हमें इस पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। अब ऐसा समय आया है कि जबकि हमें आमूलचूल बैंकिंग पद्धति के बारे में विचार करना चाहिए।

हमने राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीयकरण के साथ ही अपेक्षाएं सारे राष्ट्र की बनीं। अब कम से कम यह बैंकिंग पद्धति साधारण व्यक्ति, किसान, मजदूर और दलित के लिए लाभकारी होगी। परन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीयकरण की जगह सरकारीकरण हुआ और इस कारण से हुआ कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो पहले था वह और बढ़ गया। एक बैंक आफ महाराष्ट्र में 122 करोड़ रुपए का स्कैन्डल हुआ। इस प्रकार से आज स्थिति यह है कि बीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो रहा है। राष्ट्रीयकरण और राजनीतिकरण की वजह से बैंकों के बड़े-बड़े मेले लगाए गए। उन मेलों के अन्दर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना वोट बढ़ाने के लिए बिना किसी प्रकार का ध्यान दिए हुए करोड़ों रुपया लुटा दिया। उसका नतीजा यह है कि बीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं। बारह पब्लिक सैक्टर बैंक्स ऐसे हैं जो लगभग बन्द होने के कगार पर हैं। एक यूनाईटेड कामशियल बैंक में 128 करोड़ रुपए का नुकसान है। बैंकों के बड़े-बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके चेयरमैन और राजनीतिक नेता मिलकर के करोड़ों रुपया जो साधारण व्यक्ति डिपाजिट करवाते हैं, उसमें वृद्धावस्था में जीवनभर की मेहनत के पश्चात प्रोविडेंट फंट की रकम आती है फिर जमा करवाते हैं और कई विधवाएं भी जमा करवाती हैं तो इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोगस, स्पुरीयस इण्डस्ट्री के अन्दर किसी भी रूप में उनको एडजस्ट कर दिया जाता है जिसके कारण आज हमारी बैंकिंग इण्डस्ट्री बहुत बड़े क्राइसिस में है। इसकी ओर हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी को नई उमंगों, नए जोश, नए क्षितिज, नए अरमान, नयी आकांक्षाओं, नयी महत्वकांक्षाओं और तथाकथित लिबरेलाइजेशन और मोनू मसानी की संस्कृति को लेकर आए हैं। वह चाहते हैं कि राष्ट्र में नयी औद्योगिक नीति और नयी वित्त नीति हो। तो कम से कम जो बैंकों के अन्दर भ्रष्टाचार है, जो लूप होल्स हैं उनको प्लक करने के लिए मैं निवेदन करूंगा।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी बात है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जो बजट के समय लगभग सभी दलों की ओर से कही गई थी कि फिक्सड डिपाजिट के ऊपर इनकम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 2500 रुपये करने की योजना है उसके कारण साधारण आदमी और कर्मचारी जमा कराने से कतरायेगा। इससे बैंकों में फिक्स्ड डिपाजिट्स कम हो जायेंगे। आज स्थिति यह है कि लोग बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट जमा नहीं करा रहे हैं और जमा वाले वापस ले रहे हैं। इसके भी आदेश दिए जा रहे हैं कि जो वापस ले रहे हैं उनकी जांच की जाए और उनके नाम भेजे जायें और उसके बाद इनकम टैक्स रेड कराने का इन्तजाम किया जाये। यह बहुत बड़ा दुरुपयोग है इस प्रकार से वित्तीय स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है। मैं चाहूंगा देर से आए दुरुस्त आये, वित्त मन्त्री को चाहिए कि बैंकों में फिक्स्ड डिपाजिट के ऊपर 2500 रुपए की सीमा पर टैक्स सोर्स का जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दें। ताकि कम से कम राष्ट्र के अन्दर अधिकतर बैंकों की स्थिति सुधारी जा सके।

यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में ग्रामीण बैंक बहुत बड़ी तादाद में हैं। उनका सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। उस सम्मेलन के अन्दर यह तय किया गया कि इस राष्ट्र के अन्दर रूरल बैंक्स का अखिल भारतीय स्तर के ऊपर एक रूरल बैंक आफ इण्डिया का निर्माण किया जाए। इस समय रूरल बैंकों की 196 इकाइयां हैं जो अलग-अलग हैं। उसके कारण उनका विकास नहीं हो सकता है। न बैंकिंग इण्डस्ट्री का विकास होता है और न उनके कर्मचारियों को लाभ मिलता है और न ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। इसलिए रूरल बैंक आफ इण्डिया अखिल भारतीय स्तर पर गठित किया जाए, यह मेरी आपसे प्रमुख मांग है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया था। उसका एवार्ड हुआ था उसके अनुसार जितने रूरल बैंक के कर्मचारी थे उनको अन्य

कमर्शियल बैंकों के अनुसार समान वेतन, समान सुविधायें और उसी प्रकार का क्रेटेगराइजेशन का आदेश दिया था। आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रेड्डी ने सोच समझकर एवार्ड दिया उसकी पालना करने के लिए गत दो सत्रों में बहस होती रही। अन्ततोगत्वा भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि उसकी पालना की जायेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसकी पालना के अन्दर आज यह प्रयास किया जा रहा है कि शाब्दिक रूप से पालना की जावे, लेकिन सब्स्टांसवे में जो एक चपरासी है, जो क्लर्क है या साधारण अधिकारी है उसको जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा वित्त मन्त्री से कि वह रूरल बैंक के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल का जो एवार्ड हुआ है उस एवार्ड की मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह से पालना करायें ताकि देश के लाखों ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को लाभ मिल सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो समिति बनाई गई थी उस समिति को हमारे वित्त मन्त्री ने यह कहकर बनाया था कि यह समिति बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ आमूलचूल परिवर्तन के बारे में कुछ करेगी। यह समिति श्री दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में बनी थी। इस समिति का मुख्य काम था कि परिवर्तन के बारे में, कुछ फंडामेंटल, डायनमिक विचार रखेगी। मैं चाहूंगा कि इस सत्र में उस कमेटी की रिपोर्ट पर बहस की जाए और उसे यहां प्रस्तुत किया जाए और उसकी पालना के अन्दर उचित कदम उठाए जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सारे राष्ट्र के अन्दर बैंकिंग इण्डस्ट्री के राष्ट्रीयकरण अथवा प्राइवेट बैंकिंग कार्यों को छोड़कर जो साधारण आदमी या उपभोक्ता है उसको कितना लाभ होता है यह देखा जाए। उपभोक्ता के बारे में मौलिक तौर से और फंडामेंटल तौर से यह सोचा जाए कि बैंकिंग कस्टमर को लाभ किस में होगा। आज यह हो रहा है कि देश के 10-20 औद्योगिक घराने जो पहले नम्बर पर हैं उनको करोड़ों रुपए के रूप में रकम दी जाती है और उसके पश्चात् उसकी वसूली नहीं की जाती। राष्ट्रीयकरण के बाद भी आज वही स्थिति है। अतः हम इस बीमारी का निदान नहीं कर सके, आज उस व्यवस्था के अन्दर शोषण किया जाता है साधारण उपभोक्ता का।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बैंकिंग इण्डस्ट्री के अन्दर यह जो कमेटी बनी है, यह कमेटी इसके बारे में अपनी रिकमंडेशन देते समय उपभोक्ता के हित को प्रमुख रखकर अपनी रिकमंडेशन दे ताकि इस देश के अन्दर एक स्वस्थ बैंकिंग इण्डस्ट्री का कार्य हो सके।

[अनुवाद]

*श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। अतः मैं इस विधेयक का सहृदय स्वागत करता हूं। कई बैंकों में अब हम देखते हैं कि कार्यकारी निदेशकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे ऐसे बैंकों के कार्य में विलम्ब होता है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दें। और इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए तत्काल कदम उठायें।

आज हम यह भी नोट करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के प्रभावी तरीके से कार्य करने के

*मूलतः तमिल भाषा में दिए गए भाषण का अनुवाद।

लिए कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण बैंकों के कार्यकरण में विलम्ब होता है। इसका प्रत्यक्ष रूप से कृषि करने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे उन ऋण सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते जो उनके उत्थान के लिए बनाई गई हैं। अत: मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों में लिपिकीय रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें। ऐसे पदों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध लोगों से ही भरा जाना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए पृथक भर्ती बोर्ड बनाने पर विचार करे।

सभी बैंकों, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रत्येक जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए। मैं विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि उत्तर अर्कोट अम्बेडकर जिले के मुख्यालय, वेलोर में भारतीय स्टेट बैंक का कोई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है। इससे विलम्ब होता है और सम्पूर्ण जिले में फैली बैंक की शाखाओं की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इन कार्य सम्बन्धी विलम्बों से बचने के लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन लोगों को कतिपय रियायतें और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो राष्ट्रीकृत बैंकों में अपना धन जमा करते हैं। उदाहरण के लिए 25,000 रु० से अधिक जमा राशि पर प्रतिवर्ष लगभग 2500 रु० कर लगता है। और जमाराशि और अर्जित ब्याज पर यह कर स्त्रोत से काट लिया जाता हैं। इसके परिणामस्वरूप, अन्ततः राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत कम राशि जमा होती है। यदि इस राशि को गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा किया जाता तो प्राप्त होने वाले कर की स्त्रोत से कटौती नहीं की जाती। इसके कारण हमारे राष्ट्रीकृत बैंकों में बहुत कम राशि जमा होती है। इसी के साथ गैर-सरकारी बैंक अधिक धन जमा कर सकते हैं। वे जमा राशियों में वृद्धि कर सकते हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए कर-छूट की सीमा बढ़ा देना बेहतर होगा जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदते हैं। उसके पश्चात् स्लाटिड स्लैब हो सकते हैं जिनके आधार पर अगले 20,000 रुपयों पर 50 प्रतिशत कर की छूट होनी चाहिए। राष्ट्रीय बचत पत्रों पर 40,000 रु० तक पूंजी निवेश करने पर 40 प्रतिशत कर की छूट होनी चाहिए। जब कभी भी बैंक कर्मचारियों की शिकायतें सामने आयें तो उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक क्षेत्र के कर्मचारी अपनी उपेक्षा और असन्तुष्टि के कारण हड़ताल न करें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए।

हमारा विश्वास है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता से लोगों को लाभ होता है। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अधिकांश लोगों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिलना चाहिए। यदि आवश्यक हों तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समितियों में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया था और अनेक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। माननीय वित्त मन्त्री को इस गौरवमय सभा में यह स्पष्ट रूप से यह

बताना चाहिए कि हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा जी द्वारा विचारित उत्साही निर्णायक कार्यवाही के कार्यान्वयन के प्रति हम वचनबद्ध हैं।

इसी के साथ उस संशोधन विधेयक जिसका कि मैं स्वागत करता हूं, पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1991 में यह प्रस्ताव किया गया है कि लेखा वर्ष को एक समान बनाया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सरकार ने ऐसा न केवल लेखा प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किया है बल्कि हमारे देश में सहकारी बैंकों के कार्य में सुधार लाने के उद्देश्य से भी किया गया है। मूल प्रश्न यह है कि क्या इससे हमारे देश में सहकारी बैंकों के कार्यकरण में सुधार होगा ? हमारे देश में सहकारी बैंक न केवल आर्थिक विकास के लिए एक यंत्र के रूप में कार्य करते है बल्कि एक ऐसे यन्त्र के रूप में भी कार्य करते हैं जो हमारे देश में जीवन के लिए नई मानसिक शान्ति लायेगा; ऐसी नई मानसिक शान्ति, जो हमारे देश के लोगों के मन में नया विश्वास विकसित करेगी। हमारे देश के सबसे अधिक पददलित वर्ग के लोग, मजदूर, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, छोटे किसान—ऐसे सभी अन्य लोग जिन्होंने हमारी सभ्यता का निर्माण किया है, उन्हें सभ्यता का फल नहीं मिल पाया है। वे उपेक्षित वर्ग के लोग हैं यह उनके लिए है कि सम्पूर्ण सहकारी आंदोलन और सहकारी बैंक ग्रामीण स्तर पर, खण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर स्थापित किया जाए।

अब यदि हम सहकारी बैंकों के कार्य को देखें तो मालूम होगा कि हमें अशोध्य ऋण की बहुत बड़ी राशि है।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

15.24 बजे

लेकिन वे सभी अशोध्य ऋण गरीब किसानों द्वारा नहीं लिए गए हैं बल्कि वे बड़े ऋणियों, जिनके पास पर्याप्त धन है, द्वारा लिये जाते हैं। इन्हीं बड़े लोगों ने इस यन्त्र का दुरुपयोग किया है।

मेरे पास जो आंकड़े हैं उससे यह पता चलता है कि कृषि ऋण और आदान वितरण में सहकारी बैंकों का शेयर धीरे-धीरे कम हो रहा है। वे काफी संख्या में उपभोक्ता ऋण और कृषि विपणन जैसी उपभोक्ताओं की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सीमित भूमिका निभा रहे हैं। वे निरन्तर कम ऋण दे पा रहे हैं। कारोबार कम हो रहा है और अधिक बकाया राशि पड़ी हुई है।

उधार लेने वाले सदस्यों की प्रतिशतता जो 1960-61 में 55 प्रतिशत थी 1988-89 में कम होकर 26 प्रतिशत हो गई और कृषि ऋण में सहकारिता का हिस्सा जो 1970-71 में 77 प्रतिशत था वह 1989-90 में कम होकर 45 प्रतिशत रह गया। लेकिन शेयर पूंजी में सरकार की भागीदारी लगातार बढ़ रही है जो 1965-66 में 9 प्रतिशत थी वह 1988-89 में बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गई।

महोदय, यदि हमारे विभाग में आंकड़े हैं, तो मैं सरकार से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा

हूं कि क्या सरकार उन उद्देश्यों के प्रति ईमानदार है, जिनके लिए ये बैंक स्थापित किए गए थे? क्या सरकार ईमानदारीपूर्वक यह सोचती है कि देश में सहकारिता के दर्शन का विकास होना चाहिए ? मेरे दिमाग में सभी प्रकार की शंकाएं हैं । शंकाएं इसलिए हैं क्योंकि जैसाकि मैंने पहले कहा है, वसूली मुख्यत: लघु किसानों से की जाती है। फिर, आंकड़ों से मैं पाता हूं कि 10,000 रुपए तक की जमाराशि जो सामान्तया: गरीब लोगों से आती है, वह कुल जमाराशि का 66 प्रतिशत होती है । ये लोग ही इन बैंकों की तिजोरी में अधिक अंशदान करते हैं, लेकिन जहां तक ऋणों और अग्रिम धन का सम्बन्ध है उनके हित का ध्यान नहीं रखा जाता है और इन लोगों को उससे लाभ नहीं मिलता है । फिर उन लोगों का दृष्टिकोण भी होता है जो प्रबंध चलाते हैं । यहां सरकार की अन्तर्ग्रस्तता का प्रश्न आता है । सरकार को एक दिशा देनी चाहिए उसे यह देखना चाहिए कि इन सरकारी बैंकों का प्रबन्ध उचित ढंग से हो । महोदय, सहकारी बैंकों के कार्यचालन में हम यह देखते हैं कि वही पुरानी प्रक्रिया, साम्राज्यवादी देन, लाल फीताशाही और पक्षपात की प्रथा, ये सभी बातें उसी तरह जारी है । यदि सरकार ईमानदारी से हमारे देश में सहकारी बैंकों का विकास करना चाहती है तो उसे इस आन्दोलन से सम्बन्धित व्यक्तियों को शामिल करना पड़ेगा । ग्राम दस्तकार, सबसे गरीब, भूमीहीन मजदूर जिनके लाभ के लिए निम्नस्तरीय सरकारी बैंकों की स्थापना की गई है, उन व्यक्तियों को प्रबन्ध का एक हिस्सा होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । महोदय, हम प्राय: प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करते हैं। इस मामले में भी मेरे विचार से सहकारी बैंकों के सभी स्तरों में लाभभोगियों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें सक्षम, स्वीकार्य और लाभदायी बनाया जा सके । अन्यथा यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता ।

महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, चूककर्ता मुख्यतया बड़े ऋण लेने वाले होते हैं। इसलिए, क्या मैं सरकार से यह बताने का अनुरोध कर सकता हूं कि क्या इन बड़े ऋण लेने वालों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है । यदि ऐसा किया जा सकता है, तो इस आन्दोलन का विकास किया जा सकता है ? इन संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग किया जा सकता है और चूक और बुरे ऋण के मामलों को कम किया जा सकता है । इस प्रकार हम इस समस्या का अच्छे ढंग से समाधान कर सकते हैं ।

मुख्य कमियां ये हैं कि सदस्य सहकारी बैंकों से विलगाव अनुभव करते हैं । कोई एकता संगठन नहीं है । आधार स्तरीय सहकारिताएं जो सदस्यों से प्रत्यक्ष सम्पर्क में हैं, वे अव्यवहार्य और अदक्ष हैं। नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग से सम्बन्धित नीति और अन्य सम्बद्ध पक्षों पर भी सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

मेरे दिमाग में एक शंका है । सरकार आमतौर से वक्तव्य देती है—कम-से-कम, मैंने ऐसा समाचारपत्रों में देखा है—कि वे बैंकों को मिलाने पर विचार कर रहे हैं । मैं यह नहीं जानता कि क्या ऐसा सहकारी बैंकों के मामले में भी किया जाएगा । उस मामले में, वह उद्देश्य जिसके लिए सहकारिता आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, वह समाप्त हो जाएगा । सरकार को उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए । अन्यथा, समस्त सहकारिता क्षेत्र को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि मुझे समानता लाने में कोई आपत्ति नहीं है । लेखाओं में एकरूपता होनी चाहिए । लेकिन फिर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सहकारी बैंकों के कार्यचालन को देखें तथा इसमें सुधार करें और इसे इस ढंग से चलाएं ताकि लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचे जिनके लिए

ये प्रारम्भ किए गए थे। योजना आयोग की भूमिका जीवन के नए दृष्टिकोण, जीवन के नए दर्शन का विकास करना है और वह लक्ष्य इस आन्दोलन के द्वारा प्राप्त किया जाना है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरु) : सभापति महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में लेखा वर्ष में परिवर्तन करने के लिए बैंककारी लोक वित्तीय संस्था प्रकाम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था। वे सहकारी बैंकों को इस बैंकिंग प्रणाली में लाना चाहते हैं और वे वर्ष समाप्ति, वित्तीय वर्ष को अन्य बैंकों के साथ 31 मार्च करना चाहते हैं। इस विनियमन से लेखा उद्देश्यों या सभी व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए एकरूपता लाने में सहायता मिलेगी। लेकिन सामान्यतया सिद्धान्त रूप से, इस प्रक्रिया का अनुसरण करने में न ही तो अधिक आपत्तियां और न ही समस्याएं होनी चाहिए।

लेकिन कतिपय बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाना है जैसे कि मौसमी आवश्यकताएं या मौसमी उद्योग जिन पर चीनी उद्योग और अन्य प्रणालियों की तरह विचार किया जाना है। बैंकों को उन अपेक्षाओं का अनुसरण करना है।

इस तरह के अवसर पर, जैसाकि अन्य लोगों ने उल्लेख किया है, मैं बैंककारी प्रणाली और इसे लोगों के लिए अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करना चाहिए, के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। विशेषकर लघु उद्योगों और अन्य इकाईयों के लिए, अधिक उदारीकरण होना चाहिए। इस पद पर कई लोगों ने विशेष अनुरोध किया है। वर्तमान ब्याज दरों को, जो काफी अधिक है, भी कम किया जाना चाहिए ताकि ये उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी हो सके और उनमें उत्पादन और दक्षता को बढ़ाया जा सके। बैंकिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, चाहे यह राष्ट्रीयकृत क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, लोगों और उद्योगों की अधिक दक्षता से सेवा करना होना चाहिए और यह होना चाहिए कि ये सभी रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशों तथा प्राथमिकताओं का पालन करें चाहे यह उद्योग का मर्म क्षेत्र हो, कृषि हो, लघु स्तरीय उद्योग या निर्यात अभिमुखी हो। इसके साथ ही, उन्हें प्रतियोगिता दोनों क्षेत्रों में रखनी चाहिए। अन्यथा, अदक्षता और भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। यदि यह आवश्यक भी हो, तो आपको अधिक शाखाएं, अधिक प्रतियोगी देने चाहिए ताकि यह रिजर्व बैंक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता और दक्षता में वृद्धि कर सकें।

यहां तक कि उन मामलों में भी जहां प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसाकि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में हुआ है, किसानों के वर्तमान लक्षणों को पुनः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उनको नए ऋण प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे और भागें फसलें उगा सकें और जीवित रह सकें।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मामले में हमने अनेकों बार देखा है कि प्रतिबन्धों के कारण वे ग्रामीणोन्मुखी, कृषि-उन्मुखी और विकास योजनाओं जैसे मुर्गी-पालन, मछली पालन और डेयरी, जोकि इस देश के भ्रष्टाचार और मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और जिनका आधार कृषि है, का वित्त-पोषण भी नहीं कर पाते हैं। मुझे विश्वास है कि बैंकिंग प्रणाली इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ओर वे उतना ही ध्यान देंगे जितना वे बड़े उद्योगों की ओर दे रहे हैं।

जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने कर की स्लोत पर ही कटौती करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है, यद्यपि वित्त मन्त्री ने यह कहते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि 22000/- रुपए तक कर मुक्त होंगे और

छूट सम्बन्धी अन्य प्रावधान भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जमाकर्ताओं को सही ढंग से जानकारी और शिक्षा नहीं दी जाती है और जो सामान्य निवेशकर्ता अपनी जमा पूंजी बैंकों में जमा करते हैं, अब अपनी जमा-राशि वापिस निकाल रहे हैं। अनेक लोग भ्रमित हैं। यह स्रोत पर कर कटौती का कार्य लोगों को शिक्षित करने के पश्चात् कुछ अधिक प्रावधान करके किया जाना चाहिए था और बैंकों को भी यह प्रक्रिया और सरल बनाने और लोगों को यह समझाने में अधिक रुचि लेनी चाहिए कि यह किस सिद्धान्त पर किया जा रहा है। अन्यथा बैंक जमा पूंजी कम होगी और अधिक पूंजी वापिस निकाली जाएगी और स्वाभाविक रूप से बैंक वित्त-पोषण और कठिन होगा और इससे उद्योग और कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा अधिक ब्याज दर और पूंजीगत प्रतिबन्धों के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि आप प्रारम्भिक स्तर पर ही उपयुक्त मार्गदर्शी कदम नहीं उठाते और उपचारात्मक उपाय नहीं करते तो इससे बजट पर उत्पादकर और बिक्रीकर राजस्व पर भी बोझ पड़ेगा। यह मुद्दा महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। मैंने इस बात का पहले भी विभिन्न अवसरों पर उल्लेख किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस मामले की उपेक्षा की गई और सम्भवतः बैंकों ने इसका सही अनुपालन नहीं किया है।

जिस एक अन्य महत्वपूर्ण बात का मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि बैंक केवल धनराशि जमा करने और ऋण देने के लिए ही नहीं होते। उनके पास काफी विशेषज्ञता होनी चाहिए। प्राथमिकताओं के आधार पर आप जिस क्षेत्र के लिए मार्गनिदेश देना चाहते हैं, आपके लोगों को जाकर जनता को ऋण का उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें चाहे कृषि हो, लघु स्तर के क्षेत्र हों अथवा बड़े स्तर के क्षेत्र हों, के सम्बन्ध में प्रत्येक चरण पर मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों—चाहे यह विपणन हो अथवा कोई उत्पाद की किस्म का मामला हो उचित दिशा-निर्देशन करना चाहिए और यदि आप इन बातों का अनुसरण कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि बैंक जिन उद्देश्यों हेतु खोले गए हैं, उन्हें पूरा कर सकेंगे और राष्ट्र को इससे लाभ मिलेगा और मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री जी इन एहतियातों पर ध्यान देंगे और लोगों की सेवा में अपेक्षित कार्य करेंगे।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है यह विधेयक सहकारी बैंकों के वर्तमान लेखा वर्ष को जुलाई से जून के स्थान पर आयकर अधिनियम, 1961 की आवश्यकताओं के अनुसार अप्रैल से मार्च करके समान वित्तीय वर्ष करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करता है। इस उद्देश्य हेतु धारा 56 को संशोधित किया जाना है। 1988 में, सरकार ने एक बहुप्रयोजनीय अधिनियम पारित किया था जिसमें एक ही अधिनियम में 13 अधिनियमों को संशोधित किया गया था। उस समय, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों का वित्तीय वर्ष परिवर्तित किया गया था, लेकिन सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष में परिवर्तन नहीं किया गया था। इसे अब परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। मेरे विचार से समूची सभा को इस कदम का समर्थन करना चाहिए। इससे लेखा वर्ष में एकरूपता आ जाएगी।

सहकारी क्षेत्र ने पिछले 100 वर्षों में विशेषकर मार्च, 1961, के पश्चात् जब इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाया गया उल्लेखनीय कार्य किया है।

भारत में शहरी सहकारी बैंकों की एक विशिष्ट पहचान है, विशेष रूप से एक ऐसा स्वरूप जिसमें व्यक्तिनिष्ट सेवा प्रदान की जाती है और वे राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे

हैं। मैं अपना भाषण भारत में सहकारी बैंक—आंदोलन तक ही सीमित रखूंगा। सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि उनके 60 प्रतिशत अग्रिम प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाते हैं। कुछ बैंकों ने तो प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य में कमजोर वर्गों को 25 प्रतिशत अग्रिम देने के उप-लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लिया है।

जून, 1969 में, 925 सहकारी बैंक थे। आज हमारे यहां 1100 से अधिक बैंक हैं जिनकी 3400 शाखाएं हैं, यद्यपि इनमें से तीन-चौथाई से भी अधिक बैंक एकल-शाखा वाले बैंक ही हैं। सहकारी बैंकों में शाखा विस्तार नीति के सम्बन्ध में एक बड़ा मामला है।

महोदय, सहकारी बैंकों द्वारा निभाई गई विशेष भूमिका के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें कतिपय रियायतें देता है। विशेष रूप से, इन बैंकों को आवधिक जमा राशियों और बचत पर एक प्रतिशत अधिक ब्याज दर प्रदान करने का विवेकाधिकार मिला हुआ है। हाल ही में, इसे कतिपय मामलों में कम करके आधा प्रतिशत किया गया है। मेरे विचार से इन सहकारी बैंकों द्वारा निर्वाहित की जाने वाली भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह एक अच्छा कदम नहीं है। इसे संशोधित करके एक प्रतिशत ही किया जाना चाहिए, जैसाकि यह पहले था।

दूसरे, भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिए जाने वाले 53 प्रतिशत सी० आर० आर० और एस० एल० आर० लाभ की तुलना में शहरी बैंकों को 28 प्रतिशत अथवा इसके लगभग ही सी० आर० आर० और एस० एल० आर० देता है। इसे जारी रखा जाना चाहिए। मेरे विचार से इसे 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने का हाल ही में प्रयास किया गया था। इसे 30 प्रतिशत की दर पर रखा जाना चाहिए अथवा इसे और घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशिष्ट सहकारी बैंक जिनकी कार्यचालन पूंजी 25 करोड़ रु० से अधिक थी, उन्हें वित्त पोषण करने की अनुमति भी दी गई। यह एक अच्छा कदम है। इसमें और भी वृद्धि की जानी चाहिए। यद्यपि, सहकारी बैंक कुल मिलाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे 230 बैंक हैं जिन्हें रुग्ण और कमजोर श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 40 बैंकों को परिसमाप्त किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो सांविधिक निरीक्षण होता है, वह सभी बैंकों के मामले में नहीं किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों में से केवल 500 बैंकों का निरीक्षण किया है। इसे मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, समूचा वित्तीय क्षेत्र और देश की बैंक प्रणाली सरकार की समीक्षाधीन है। नरसिम्हा समिति ने अभी ही सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने यह भी सुना है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सम्बन्ध में विश्व बैंक ने कुछ अतितत्काल सुझाव प्रस्तुत किए हैं। समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि विश्व बैंक यह चाहता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को दिए जाने वाले राजसहायता प्राप्त ऋण में कटौती की जाए। विश्व बैंक हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि बैंकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए जिससे अन्तत: इनका निजीकरण हो जाएगा। विश्व बैंक हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि ब्याज दरें बाजारोन्मुखी होनी चाहिए। वह यह भी चाहता है कि सी० आर० आर० और एस० एल० आर० में कटौती करके इसे 30 प्रतिशत से भी कम किया जाए। विश्व बैंक यह भी चाहेगा कि हम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पुन: सारिणीबद्ध करें तथा सम्पन्न किसानों और सम्पन्न लघु उद्योग एककों को इससे अलग करें और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने में दो वर्षों में 20% तक कटौती

करें। वे यह भी चाहेंगे कि हमारे पास वित्तीय रिपोर्ट तथा सन्तुलन पत्र, आदि की एक सुस्पष्ट विधि हो। हम इनमें कुछ बातों पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, तथाकथित सम्पन्न किसानों जैसे मुद्दों को पृथक करने की बात पर सहमति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार निजीकरण भी कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सबसिडी प्राप्त ऋणों की, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लक्षित समूहों को दिया जाते हैं, जारी रखना होगा।

सहकारी बैंकों के लिए भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सितम्बर में श्री एस० एस० मराठे के सभापतित्व में एक समिति का गठन किया था। समिति को अपनी रिपोर्ट अगले चार माह में देनी है। इसके लिए इससे और अच्छा समय नहीं हो सकता है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली की पुनरीक्षा लम्बे समय से निलम्बित पड़ी है। मराठे समिति से वर्तमान नियामक तन्त्र की जांच करने को कहा गया है; महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे विकसित सहकारी बैंकिंग प्रणाली वाले राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाने की आवश्यकता तथा विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न नीति को भी अपनाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कहा गया है। मैं प्राथमिक सहकारी ऋण सोसाइटियों को पूर्ण-रूपेण विकसित सहकारी बैंकों का दर्जा दिए जाने की नीति पर भी विचार करूंगा। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटियां हमारी ग्रामीण ऋण प्रणाली की रीढ़ हैं। भारत में करीब 1.3 लाख कृषि ऋण सोसायटियां हैं जो 96 प्रतिशत गांवों में तकरीबन छः करोड़ सदस्यों को धन का प्रबन्ध करा रही हैं तथा इनके दायरे में करीब 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती है। इनमें से कुछ सोसायटियां वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यह आवश्यक है कि उन्हें शहरी सहकारी बैंको के स्तर तक पूरी तरह से पदोन्नति प्रदान की जाए।

पूंजीकरण की उपयुक्तता का भी प्रश्न है। तथा ऊर्ध्वगामी-पुनरीक्षा की आवश्यकता को मराठे समिति द्वारा देखा जाना है। सहकारी बैंकों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को जारी रखने के लिए सहकारी बैंकों के कार्यकरण हेतु मेरे पास कुछ सुझाव हैं।

सर्वप्रथम, अपेक्षाकृत अधिक सफल सहकारी बैंकों द्वारा यह मांग की गई है कि शाखाओं का विस्तार किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में जहां सहकारी बैंकों के पैर मजबूती से जम गए हैं और बहुत सफल रहे हैं, को शाखाओं का विस्तार करने की अनुमति न देकर, बहुत कड़ाई बरती है। शाखाओं के विस्तार को लेकर एक उदार नीति अपनाने की आवश्यकता है। एक मांग और भी है, जो जायज भी है, कि अन्य राज्यों में भी शाखाओं को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए—उस राज्य के अतिरिक्त, जहां बैंक का मुख्यालय स्थित है। इससे निश्चय ही उन राज्यों में भी सहकारी बैंकों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी जहां ये बैंक नहीं हैं—विशेष रूप से उत्तर भारत। निश्चिय रूप से मैं सिफारिश करता हूं कि मराठे समिति को ही उन विकसित राज्यों के लिए भिन्न नीतियों को देखना चाहिए जिनके पास विकसित सहकारी बैंकिंग सुविधा है।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र द्वारा एक बहुत ही उचित और सही मांग यह की जाती रही है कि कुछ बड़े बैंकों को मर्चेन्ट बैंकिंग लीजिंग फाइनेन्स, म्युचुअल फन्ड्स, उद्यम पूंजी, पोर्ट फोलियो प्रबन्धन के क्षेत्रों में भी पदार्पण करने की अनुमति प्रदान की जाए। एक मांग यह भी है कि उन्हें 'बिल डिसकाउन्टिंग' तथा 'फैक्टरिंग सर्विसेज' और 'लोन सीन्डीकेशन' के क्षेत्र में भी जाने की अनुमति दी जाए। यह

बहुत ही न्यायोचित मांग है और इन सहकारी बैंकों के विकास में वृद्धि करने हेतु इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

कमजोर बैंकों को अधिक सफल तथा मजबूत बैंकों में विलय की अनुमति देने की आवश्यकता है। कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों में विलय की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कि कमजोर बैंकों को संकट से उबारा जा सके। कुछ प्राथमिक सहकारी ऋण सोसायटियों को पूर्णरूपेण शहरी सहकारी बैंकों का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

इस समय केवल, 38 महिला सहकारी बैंक हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति एक जिले के लिए केवल एक महिला बैंक की ही व्यवस्था करती है। मेरे विचार से यह भेदभावपूर्ण है, विशेष रूप से उन राज्यों के प्रति जहां सहकारी बैंक काफी विकसित अवस्था में हैं। इनकी विशेष रूप से सतारा तथा सांगली जिलों में कोई आवश्यकता नहीं है। कई स्वयंसेवी समूहों से महिला सहकारी बैंकों को खोलने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की इस वर्तमान नीति की एक जिले के लिए केवल एक ही महिला बैंक होना चाहिए पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

बेहतर कामकाज सुनिश्चित करने, बैंकों में वित्तीय अनुशासन बढ़ाने तथा और अधिक उत्तर-दायित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में कतिपय कड़ाई बरते जाने की आवश्यकता है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश बैंकों, विशेष रूप से शहरी सहकारिताओं में, एक मुख्य समस्या यह है कि उनके तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि विवरण सही वित्तीय स्थिति को प्रकट नहीं करते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम बैंकों को बुरे या अनिश्चित ऋणों तथा सरकार की 'सिक्यूरिटीज' के विपणन मूल्य के लिए दोनों उपबन्धों को गोपनीय रखने की अनुमति प्रदान करता है। और बैंक नियमित रूप से ब्याज तथा लौटाए गए अनिश्चित और बुरे ऋणों से हुई आय को दर्शाते हैं जिससे कि लाभोत्पादकता में वृद्धि की जा सके। वार्षिक वित्तीय विवरण के सम्बन्ध में लेखो को तैयार करने के स्तर में कड़ाई का जो अभाव है उससे उन्हें 'विन्डो-ड्रेसिंग' तथा 'टेलर-मेड' लेखा आंकड़ों के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में 'हेल्थ कोड' प्रणाली को लागू किया है। इसे शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया है। लेकिन 'हेल्थ कोड' प्रणाली का सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है जिससे तुलन-पत्र की 'विन्डो-ड्रेसिंग' की सम्भावना न रहे। सहकारी बैंकों के मामले में न्यूनतम पूंजीकरण को एक लाख रु० से बढ़ाकर 20 या 25 लाख रु० तक किए जाने की आवश्यकता विचारणीय है। वर्तमान सीमा एक लाख रुपए है।

महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वास्तव में काफी सफल रहा है। सम्पूर्ण विकासशील राष्ट्रों में इसे एक सफल उदाहरण बताया गया है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों—ऋण निकासी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ना, शाखा नेटवर्क में विस्तार करना तथा बचत कार्य को अधिकाधिक गतिशील बनाना—की पूरी तरह से प्राप्ति की गई है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट से—जो पहले ही वित्त मन्त्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है—सदन को भी अवगत कराएं। मुझे विश्वास है कि वे समिति के सुझावों पर विचार करने में थोड़ा समय लेंगे लेकिन समिति का जो भी सुझाव है, उस पर देश भर में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और सदन को भी रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए। इसे गोपनीय

नहीं रखा जाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ महसूस न करायें कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को खुश करने के लिए इस सदन की पीठ पीछे कुछ किया जा रहा है।

मैं एक बार पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शहरी सहकारिता बैंकों की प्रोन्नति के कार्य हेतु कुछ सुझावों पर विचार करे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता क्योंकि यह विधेयक इस आशय से अधिनिकारक है कि यह केवल सहकारी बैंकों के लेखा-वर्ष में कुछ परिवर्तन करने के सम्बन्ध में है। लेकिन मैं इस विधेयक से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह विस्तृत प्रचार किया जा रहा है कि सरकार बैंकों का निजिकरण करने के लिए सहमत हो गई है। समाचार-पत्र की रिपोर्ट में, जो आज भी प्रकाशित हुई है, कहा गया है कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने कुछ शाखाएं खोलने की इच्छा रखते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक घरानों के द्वारा निजि बैंक खोलने के प्रस्तावों के पक्ष में विचार कर रहा है। देश ने जो बैंक के राष्ट्रीयकरण की नीति स्वीकार की है इससे उसके पूर्णतः विपरीत होगा। सरकार के लिए यह सुअवसर है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार बैंकों के निजिकरण के लिए क्यों इच्छुक है। प्रेस में दूसरा समाचार यह भी है कि सरकार विदेशी बैंकों का विस्तार करने के लिए सहमत हो गई है और भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश में विदेशी बैंकों की लगभग 200 शाखाएं खोलने के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रहा है। यह देश की वर्तमान नीति के भी विपरीत होगा और यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हितों प्रति पूर्वग्रहजनित होगा। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं क्या ये नीतियां सरकार के विचाराधीन हैं अथवा नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के बारे में है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैंने अनेक अवसरों पर कहा है कि सरकार का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के निजिकरण का विचार नहीं है और मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : क्या सरकार का नए निजि बैंकों को खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

श्री चित्त बसु : विदेशी बैंकों का विस्तार कैसे किया जाएगा और उन्हें नई शाखाएं खोलने की अनुमति कैसे दी जाएगी ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में विदेशी बैंक पहले से ही विद्यमान हैं और यदि कुछ विदेशी शाखाएं वर्तमान नीति के अन्तर्गत आती हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा एवम् उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : दूसरे प्रश्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे ? ऐसा समाचार है कि कुछ बड़े औद्योगिक घराने निजि बैंक खोलना चाहते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न तो मेरे सामने है और न ही भारतीय रिजर्व बैंक के सामने है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसे प्रस्तावों पर वैसे विचार किया जाएगा ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में निजि क्षेत्र के बैंक पहले ही विद्यमान हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती। निजि क्षेत्र के बैंक तो हैं, लेकिन विगत अनुभव यह बताता है कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद इन्हें सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। वास्तव में आज के राष्ट्रीयकृत बैंकों को हमने दो खेपों में प्राप्त किया है। प्रथमत: राष्ट्रीयकरण किया गया था और तब, जब बैंक आकार में बड़े हो गए—उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में लाने हेतु अलग से एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस बार, क्या ऐसा ही विचार है अथवा क्या आप विदेशी क्षेत्र को, जितना सम्भव हो सके, बिना किसी सीमा के, विस्तार करने हेतु अनुमति प्रदान करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : इस प्रकार की बहस नहीं होनी चाहिए। श्री चित्त बसु खड़े हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या आप निजी क्षेत्र के बैंकों को फलने-फूलने की अनुमति देना चाहते हैं और इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ?

श्री चित्त बसु : मैं यह भी चाहता हूं कि मैं जो मुद्दे उठाने जा रहा हूं उनमें से वित्त मन्त्री महोदय कुछ को स्पष्ट करें। ये नरसिम्हन समिति रिपोर्ट से सम्बन्धित हैं। आज के समाचारपत्र में अथवा कल के समाचार-पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि यह रिपोर्ट सरकार को 20 नवम्बर, को प्रस्तुत की गई थी और समाचार पत्र में यह भी कहा गया है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के साथ चर्चा करने हेतु वाशिंगटन भेजी गई है। मेरे पास अधिकारियों के नाम भी हैं; परन्तु उनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को जब तक विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं कर लिया जाता, तब तक संसद के समक्ष नहीं रखा जा सकता। यह शर्म की बात है। मुझे पता नहीं कि यह बात सत्य है अथवा नहीं। यदि यह बात सत्य है, तो क्या सरकार सभा में आज यह स्पष्ट करेगी कि यह सही नहीं है और कि यह अन्यथा प्रेरित है।

यह भी कहा गया है, जैसाकि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता विश्व बैंक की सिफारिशों के बारे में बता रहे थे कि विश्व बैंक ने सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र में अग्रिमों में कमी की जानी चाहिए। वर्तमान में यह 40 प्रतिशत है। यह विश्व बैंक की सिफारिश है। क्या सरकार उस सिफारिश को स्वीकार करेगी ? विश्व बैंक की अन्य सिफारिश भी है। मुझे बताया गया है कि वे चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या में कमी की जानी चाहिए जिनकी इस समय संख्या 28 है। वे चाहते हैं कि इनमें कमी करके इन्हें 10 अथवा 12 कर देना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रही है ? प्रस्ताव है कि यहां तीन स्तरीय बैंकिंग प्रणाली होनी चाहिए। जो भी हो, यदि सरकार इन प्रश्नों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

मैं सरकार का ध्यान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की ओर खींचना चाहता हूं। सरकार की ओर से भी कतिपय प्रस्ताव है। आप इन बैंकों द्वारा निभाई गई भूमिका को जानते हैं। इस देश में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर० आर० बी०) का विशिष्ट स्वरूप यही है कि ये ग्रामीण लोगों के बहुत करीब हैं और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अथक कार्य किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

को उनके समर्थक बैंकों के साथ मिलाने के प्रस्ताव दिए गए है। एक प्रस्ताव यह भी किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्य बैंकों के सहायक कार्यकर्ता के रूप में बनाया जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या को कम करने के लिए एक प्रस्ताव यह है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य के किसी विशेष बैंक में विलय कर दिया जाए। एक अन्य प्रस्ताव यह भी है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा समर्थित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय एक समर्थक बैंक के अधीन राज्य स्तर के किसी एक बैंक में कर दिया जाए।

16.00 बजे

महोदय, मैं भी यही विचार रखता हूं और मैं सोचता हूं कि यह हमारे देश में सभी बैंक कर्मियों का विचार है कि इन ग्रामीण बैंकों की स्थापना विशेष रूप से कृषि के विकास हेतु, ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। इसकी अपनी एक अलग पहचान है और यदि सरकार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय उनके समर्थक बैंकों - वाणिज्यिक बैंक—में करने का निर्णय लेती है तो इन बैंकों के उद्देश्यों को धक्का लगेगा तथा कृषि विकास में रुकावट आएगी।

मैं चाहता हूं कि सरकार बैंकों की ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करे जिससे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुशल कार्य संचालन के लिए एक विकल्प—एक व्यावहारिक विकल्प—तैयार किया जा सके।

ट्रेड यूनियनों से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ट्रेड यूनियनों का सुझाव यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके समर्थक बैंकों से अलग कर देना चाहिए; उनका विलय राज्य स्तर की किसी एक इकाई में कर देना चाहिए; राज्य स्तर की इकाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार के निगम अथवा संघ के अधीन कार्य करना चाहिए; और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह ढांचा 'सेल' अथवा 'जी० आई० सी०' आदि से मिलता-जुलता होना चाहिए।

अतः, मैं एक बार पुन सरकार से आग्रह करता हूं कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जोकि हमारे देश के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। के वर्तमान ढांचे को न हुए।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति, महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1991 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जोकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए लाया गया है।

मैं विधेयक का सामान्य रूप से स्वागत करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि लेखा वर्ष एक समान होना चाहिए, यदि यह एक ही दिन हो तो यह आयकर, लेखा कार्य, उत्पाद-शुल्क आदि में सहायक होगा। अतः इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं, यद्यपि मुझे कुछ बातों पर बोलना है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू नया वर्ष शुरू होने के दिन के बारे में है।

माननीय सदस्य, श्री पाणिग्रही—अभी वह सदन में उपस्थित नहीं है—ने कहा है कि 1 अप्रैल

अथवा लेखा वर्ष की समाप्ति—31, मार्च—भारतीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जैसाकि सभी जानते हैं कि भारत में—भारतीय परम्पराओं के अनुसार—सभी प्रकार के वाणिज्यिक कार्यों के लिए नया वर्ष अथवा नया वित्तीय वर्ष दीवाली के पहले दिन से शुरू होता है। अतः, मेरा सुझाव है कि सरकार को लेखा कार्य के दृष्टिकोण से हर जगह एक ही दिन रखना चाहिए और वह 1 अप्रैल के बजाए दीवाली का पहला दिन होना चाहिए, जिसका हमारे कृषि और वाणिज्यिक वर्ष में महत्व भी है। लेखा वर्ष के लिए वही उचित अवधि है। हां, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आप जानते हैं 1 अप्रैल क्या है। यह 'मूर्खों का दिन' होता है। यह वाकई में एक हास्यास्पद चीज है। जब हमारे पास दिवाली का दिन है तो इसे हम 'मूर्खों के दिन' से क्यों प्रारम्भ करें ? सरकार कतिपय नीतियों में परिवर्तन करती रही है और मेरा सुझाव है कि इस सरकार को कम से कम इसमें भी परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को अंग्रेजी परम्परा वाली तिथि 1, अप्रैल को जारी रखने के बजाए, उसे बदलकर लेखा वर्ष की शुरूआत दिवाली से करनी चाहिए। (व्यवधान) दिवाली का मतलब दिवाली के दिन से है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रतिवर्ष यह एक ही दिन नहीं होता है।

श्री राम नाईक : प्रतिवर्ष, नए वर्ष पर, दीवाली का दिन आता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन लेखा वर्ष के लिए, आपको एक ऐसा दिन चाहिए जो हर वर्ष एक समान हो।

श्री राम नाईक : एक समान दिन है। सदन में हमारे रोज के कामकाज में भी भारतीय दिनों को लिखा जाता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या इसका मतलब यह है कि आप अपने वर्ष को, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में, 365 दिन से ज्यादा और साथ ही साथ कम भी करना चाहते हैं ?

श्री राम नाईक : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि आप चांद्र-दिवस का अनुसरण करते हैं, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं।

श्री राम नाईक : मैं समझता हूं कि आपको भारतीय कैलेंडर देखना सीखना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं सीख लूंगा।

श्री राम नाईक : भारतीय कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : हमने केवल एक ही कैलेंडर बनाया है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं इस पर से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आज, चांद्र-कैलेंडर में, केवल एक दिन जो दिवाली का दिन है। हम जानते हैं कि अगली दिवाली 365 दिन में नहीं आएगी।

यही मेरा प्रश्न है। (व्यवधान) सभी चांद्र-कैलेंडरों में, एक वर्ष में 365 दिन से ज्यादा होंगे, दूसरे वर्ष में 365 दिन से कम होंगे। इस प्रकार की समस्या का आप कौनसा समाधान प्रस्तुत करते हैं?

श्री राम नाईक : ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसकी तुलना अंग्रेजी कैलेंडर के साथ कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं 365 दिनों से तुलना कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : वह अंग्रेजी कैलेंडर है। एक महीने में 30 दिन होते हैं। सभी को चैत्र, वैशाख, आदि महीनों के बारे में पता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वास्तव में खेद है। आप इतना भी नहीं जानते हैं। (व्यवधान) दिवाली हर वर्ष आती है। (व्यवधान) यह सूर्य और चांद की गति के अनुसार एक ही दिन पड़ती है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह बात ठीक है।

श्री राम नाईक : जहां तक दिवाली का सम्बन्ध है, यह समान दिन पर ही पड़ती है। लेकिन यदि आप क्रिश्चियन कैलेंडर से तुलना करेंगे तो इसमें भिन्नता मिलेगी। यह वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : दिनों की संख्या में अन्तर होता है।

श्री राम नाईक : सदन का समय बर्बाद करने की बजाय, मैं बाद में सदन के बाहर इसे आपको समझा दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें बाहर लाबी में समझा दीजिएगा।

सभापति महोदय : उन्होंने अपनी बात कह दी है। आपने अपनी बात कह दी है। कृपया आगे शुरू कीजिए।

श्री राम नाईक : महोदय, मुझे उनका समर्थन मिल रहा है। यदि मैं 'भारतीय' शब्द का प्रयोग करता हूं, तो निश्चय ही वे इसका विरोध करेंगे। मैंने यही आशा की थी। इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। (व्यवधान) ये व्यवधान मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं कि 'भारत' शब्द भी उनके लिए एक अभिशाप है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब आप वास्तव में विषय से परे हट रहे हैं आप उत्तेजित हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी ये दोनों बातें कभी समाप्त नहीं होंगी। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर बोलें।

श्री राम नाईक : लेकिन मैं उन्हें सुनने की स्थिति में हूं। कुछ भी हो, मुझे पता है कि ऐसे

लोग भी हैं जो 'मूर्खों का दिन'—1, अप्रैल—का समर्थन करते हैं। वे उसे चाहते हैं; उन्हें इसे रखने दीजिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

अतः यहां दो बातें हैं। अब, सहकारिता वर्ष, विभिन्न राज्यों में मौजूदा सहकारिता अधिनियमों के अनुसार, 1 जुलाई से शुरू होता है तथा 30 जून को समाप्त होता है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य यही है कि सभी सहकारी बैंक भी अपना लेखा वर्ष 31, मार्च को समाप्त करें। यही वह उद्देश्य है जिसके लिए यह संशोधन लाया गया है। इस संशोधन की वजह से कामकाज की दोहरी प्रणाली विकसित होगी।

मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस दोहरी प्रणाली की ओर आकर्षित करता हूं। ऐसा कैसे होता है ? यद्यपि, इस मूल अधिनियम को दिसम्बर, 1988 में पारित किया गया था, फिर भी पिछले तीन वर्षों में, कई राज्यों ने अब तक अपने सहकारिता वर्ष में परिवर्तन नहीं किया है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं। महाराष्ट्र में सहकारिता वर्ष, 1 जुलाई को शुरू होता है तथा 30 जून, को समाप्त होता है। उस सहकारिता अधिनियम के विनियमों का पालन करने के लिए मुझे अपना लेखों को 30 जून को अवश्य ही समाप्त कर देना चाहिए और बैंककारी अधिनियम अथवा आय-कर अधिनियम का पालन करने के लिए मुझे अपने लेखों को 31 मार्च को बन्द करना होता है। उसका मतलब हुआ कि मुझसे एक ही प्रकार के कार्य को दो अवसरों पर करने की अपेक्षा होती है।

अब मैं इसका विरोध करता हूं। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो इसे 31 मार्च कीजिए तथा इसे पूरे भारत तथा सभी राज्यों के लिए कीजिए। इस समय उन राज्यों के सम्बन्ध में क्या किया जाता है, जिनके सम्बन्ध में हमने संशोधन नहीं किया है। आप कहेंगे कि जहां तक बैंककारी अधिनियम का सम्बन्ध है, हम उसमें संशोधन कर रहे हैं तथा राज्यों के सहकारी अधिनियमों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है। हमने 1988 का अधिनियम पारित होने के बाद लगभग चार और पांच वित्त मन्त्रियों को देखा है तथा उस समय श्री एस० बी० चव्हाण वित्त मन्त्री थे। राज्यों द्वारा लेखा वर्ष में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में हमारे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।

हम इस संशोधन अधिनियम को उस उपबन्ध के साथ पारित करेंगे जिसके लिए मैंने संशोधन दिया है तथा मेरा उपबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित राज्य अपने सहकारी वर्ष में परिवर्तन नहीं करते तब तक उस विशेष राज्य पर यह अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि कुछ राज्य सहकारी वर्ष में परिवर्तन करेंगे। वहां नए संशोधन से लाभ हो सकता है तथा उन राज्यों में जहां अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया, भारत सरकार को ऐसे राज्यों को सहकारी वर्ष में परिवर्तन करने के लिए राजी करना चाहिए तथा जैसे ही इसमें परिवर्तन होता है तो यह अधिनियम उस विशेष राज्य में लागू कर दिया जाना चाहिए, जिसने यह परिवर्तन कर लिया है। इससे एक ही प्रकार के कार्य के लिए दो बार आवश्यक लेखे नहीं बनाने पड़ेंगे। इसमें प्रयासों की पुनरावृत्ति होगी और प्रयासों की पुनरावृत्ति का अर्थ है बैंकों का और अधिक धन तथा श्रम घण्टों का व्यर्थ करना। अतः मेरा यह सुझाव है जिसके सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी उत्तर देते समय समुचित ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह है कि क्या यह केवल सहकारी बैंकों पर लागू होगा। मेरा अनुरोध है कि सभी

सहकारी सोसायटियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आवास, उपभोक्ता आदि के सम्बन्ध में सहकारी सोसायटियों का भी लेखा वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला होना चाहिए। यदि हम केवल बैंकिंग प्रयोजन के लिए इसमें परिवर्तन करते हैं तो अन्य सहकारी गतिविधियों का क्या होगा। सहकारी लेखा वर्ष में एकरूपता होनी चाहिए। बैंकिंग तथा आयकर आदि में सभी जगह एकरूपता होनी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को सभी राज्यों को सभी सोसायटियों के लिए अपना लेखा वर्ष परिवर्तन करने के लिए राजी करना चाहिए, न केवल बैंकों को अपना लेखा वर्ष 31 मार्च, को समाप्त करना चाहिए अपितु सभी सोसायटियों को भी ऐसा ही करना चाहिए, यदि सरकार को इसे दिवाली के दिन आरम्भ करने का मेरा सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस प्रणाली को उचित रूप से कार्य करना चाहिए। यदि एक बार यह प्रणाली उचित रूप से कार्य करना आरम्भ कर देती है तो आप इस प्रकार के सहकारी बैंकों के लिए क्या करेंगे? महाराष्ट्र से आए श्री चह्वाण ने कई बातें कहीं हैं तथा मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि सहकारी बैंक बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंक यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं वहां ये संसाधनों का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। वे अधिक से अधिक जमाराशि इकट्ठी कर रहे हैं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा अधिक जरूरतमन्द लोगों को ऋण दे रहे हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने ऋण मेले लगाए थे। मैं उसके संबंधी में टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि सभी इस सम्बन्ध में जानते हैं। किन्तु सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों के लोगों को दिए गए ऋणों की वसूली राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों की वसूली से अधिक है। मुझे अन्य राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। किन्तु मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि महाराष्ट्र में सहकारी बैंक वसूली के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंक से काफी बेहतर हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं अपनी गलती ठीक करना चाहूंगा। किन्तु मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के सहकारी बैंक के सम्बन्ध में अपनी जानकारी के अनुसार मैं इस विशेष बात पर गलत नहीं हो सकता। अतः आपको सहकारी बैंकों को अवश्य प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां पर पहले से ही सहकारी बैंक हैं, वहां आप राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोल रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि आपको उन सहकारी बैंकों को अवश्य ही प्रोत्साहन देना चाहिए जो उचित रूप से कार्य कर रहे हैं, जो शेयरधारियों को अच्छे परिणाम दे रहे हैं तथा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कम से कम इस प्रकार से बैंकों को अधिक से अधिक सहकारी शाखाएं खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरी यह मांग है।

इसी के साथ मैं एक बार पुनः यह सुझाव देना चाहूंगा कि नया वर्ष दीवाली से आरम्भ किया जाए। इसके साथ-साथ सहकारी बैंकों पर अपना लेखा वर्ष बदलने के लिए तब तक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए जब तक कि राज्य सहकारी अधिनियम में परिवर्तन किया जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने का प्रयोजन सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों के बीच एकरूपता लाना है। सहकारी बैंक जैसाकि आप जानते है, पहले कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थें। तब उनके लेखा वर्ष की तारीख दूसरी थी। अब सरकार लेखा वर्ष की तारीख में एकरूपता लाने पर विचार कर रही है। मुझे इस परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में काम कर रहे सहकारी बैंकों के

कार्यकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। जैसाकि पहले ध्यान दिलाया जा चुका है कि बहुत से राज्यों में बल्कि पूरे देश में सहकारी बैंकों के क्रियाकलापों का ह्रास हो रहा है। तथा इन सरकारी बैंकों का कार्यकरण अधिक से अधिक दफ्तरशाही वाला होता जा रहा है। यह दफ्तरशाही वाला इस अर्थ में बन रहा है कि बहुत से राज्यों मे, उदाहरण के लिए मेरे अपने ही राज्य में सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कोई नियमित निदेशक मण्डल नहीं है। बोर्ड अधिकारी वर्ग द्वारा चलाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह सहकारी बैंक नहीं है; बल्कि यह सरकार द्वारा चलाया जा रहा बैंक है। इसकी वजह से सहकारी बैंक के स्वयंमेव विकास मे हानि पहुंचती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ राज्यों मे हो सकता है सहकारी बैंक ठीक से कार्य कर रहे हैं। किन्तु अब अच्छा मौका है।

16.17 बजे

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

कि सरकार के विभिन्न राज्यों में सहकारी बैंकों के कार्यकरण के सम्बन्ध में मूल्यांकन करना चाहिए।

सहकारी बैंकों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, इस बारे में सामान्य मार्गनिर्देश होने चाहिए। यह मेरा पहला मुद्दा है।

मेरी दूसरी बात यह है कि सरकार को लेखा वर्ष की तारीख में परिवर्तन करना चाहिए जैसा कि श्री राम नाईक द्वारा सुझाव दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि अब आप पीठासीन हैं। किन्तु यदि राज्य सरकारें इससे सहमत नहीं होती तथा यदि वे अपने सम्बन्धित सहकारी सोसायटी अधिनियमों में संशोधन नहीं करती, तो क्या होगा ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : उस मामले में सरकार का क्या विचार है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अन्त में मैं वित्त मन्त्री से कहूंगा कि वे उन सब बातों के बारे में जो बैंकों के निजीकरण के संबन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं, के बारे में आज एक वक्तव्य दें। बैंकों का निजीकरण, जैसाकि माननीय मन्त्री द्वारा बताया गया है, वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। किन्तु क्या सरकार नए निजी बैंकों को अनुमति देने पर विचार कर रही है ? मैं एक बात और जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार उन गैर-सरकारी बैंकों के बारे में भी वही नीति जारी रखेगी, जब वे सरकार द्वारा निर्धारित एक विशेष सीमा पर पहुंच जाते हैं। यदि वह सरकार द्वारा स्वीकृत नीति है तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आगे और राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। यदि नहीं, तो क्यों ? यदि गैर-सरकारी बैंकों को सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो उससे और उलझनें उत्पन्न होंगी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण के अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीयकरण के अच्छे परिणाम मिले हैं। वित्त मन्त्री जी को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि वह बैंकों का निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं तथा वे इन गैर-सरकारी बैंकों

को सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें नए गैर-सरकारी एकाधिकारियों को भी बैंक खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये मुद्दे हैं जिन पर वित्त मन्त्री जी को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए। इससे समाचारपत्रों में इस प्रकार के प्रकाशित होने वाले समाचार बन्द हो जाएंगे। यदि वित्त मन्त्री जी ऐसा नहीं करेंगे तो वे ऐसे समाचारों के किसी भी तरीके का सहारा लेकर समाचारपत्रों में प्रकाशित करेंगे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विवादास्पद विधेयक नहीं है। इसका बहुत ही सीमित प्रयोजन है कि लेखा वर्ष को समरूप बनाया जाए। 1988 में एक अधिनियम बनाया गया था कि पूरे विश्व को स्वीकार्य लेखा वर्ष निर्धारित करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों का लेखा वर्ष निर्धारित किया जाए। किसी प्रकार सहकारी बैंकों को छोड़ दिया गया था। अतः उस विसंगति को समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

माननीय सदस्य, श्री राम नाईक जो इस समय पीठासीन हैं, ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिया है कि लेखा वर्ष दीपावली के दिन से आरम्भ किया जाना चाहिए। इस वर्ष दीपावली 5 नवम्बर को थी। मैं समझता हूं कि पिछले साल यह 7 नवम्बर को थी। यह विधेयक लेखा वर्ष को एक समान बनाने के लिए लाया गया है और यदि हम आपका सुझाव स्वीकार कर लेते हैं तो मैं नहीं जानता कि लेखा वर्ष की गणना किस प्रकार की जाएगी। निस्सन्देह हम वर्ष की गणना कर सकते हैं किन्तु फिर इसमें समरूपता नहीं होगी। आखिर हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व से जुड़ी हुई है। हम केवल यह नहीं कह सकते कि हमारा देश एक अलग देश है।

इस देश के नागरिक के रूप में मुझे आपके द्वारा कही गई एक बात के बारे में बहुत अफसोस है। कृपया मुझे गलत मत समझना। 'भारत' पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है। मैं भी दक्षिण से आया एक 'भारतीय' हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस महान देश के इतिहास का अध्ययन करें। हमारे देश में भिन्न-भिन्न धर्म तथा भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं। केवल हमारी संस्कृति ही इस महान देश को एक-दूसरे के साथ जोड़ती है। यदि आप ऐसे समय पर, जबकि देश कठिन समय से गुजर रहा है गलत सन्देश देते हैं तो इससे पूरे राष्ट्र के समक्ष एक गलत तस्वीर आती है।

भारत का संविधान "इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा", से शुरू होता है। यदि आप संविधान सभा में उस विशेष खण्ड पर हुई चर्चा को देखेंगे तो आप इसके सदस्यों द्वारा व्यक्त किए विभिन्न विचारों को पढ़कर आश्चर्यान्वित होंगे। एक प्रस्ताव था कि "इण्डिया राज्यों का संघ होगा"। दूसरा प्रस्ताव था कि "भारत राज्यों का संघ होगा"। फिर एक समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि "भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा" या "इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा" अन्त में स्वविवेक से उन्होंने यह निर्णय लिया कि "इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा"।

अब मैं उन समस्याओं की तरफ आता हूं जिनका कि हमारे देश को सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक है आम आदमी की गरीबी। हम उनके साथ न्याय कैसे कर सकते हैं ? मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व न्यायधीश श्री लोढा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ और अधिक न्याय कर सकते थे। उन्होंने ऋण मेलों की यह कहकर शब्दशः आलोचना की थी कि वहां बैंक कर्म-

चारियों और राजनीतिज्ञों के बीच कोई सांठगांठ है। यह उनके राज्य में हुआ होगा लेकिन मेरे राज्य केरल में मुझे कहना चाहिए कि यह पहला अवसर था जब समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं का आनन्द लेने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। उनको 500 रुपए से 5000 रु० तक की राशि की गई थी। मैं वित्त मन्त्री जी से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि इन ऋणों का वापिस भुगतान करने की दर क्या है और उन पर अभी कितनी राशि बकाया है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष अशोध्य ऋण की कितनी राशि बट्टे खाते में डाली जाती है। इस जानकारी को संसद में भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मैं नहीं जानता कि ऐसी जानकारी को गुप्त क्यों रखा जाता है। प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि किसके खाते पर कितनी राशि बट्टेखाते में डाली गई है और वे कौन से लोग हैं जिनको इससे लाभ होता है।

महोदय, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है, इसलिए, मैं उन सभी पहलुओं पर नहीं जा रहा हूं।

'निजीकरण' शब्द से इस सभा में काफी भ्रम उत्पन्न हुआ है। मुझे कहना चाहिए कि विरोधी पार्टी इस मामले पर भी जान-बूझकर राष्ट्र को बार-बार गलत सन्देश दे रही है। यहां तक कि इस सभा में भी इस सत्र में छः बार से अधिक बार यह वक्तव्य दिए गए थे कि बैंकों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन कुछ वरिष्ठ सदस्यों का इन प्रैस रिपोर्टों द्वारा अधिक मार्गदर्शन किया गया था, न कि उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों द्वारा। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि बार-बार गलत सन्देश भेजा जा रहा है। एक पुराना सिद्धान्त है कि यदि एक झूठ को सौ बार दोहरा दिया जाए तो वह सच बन जाता है। कृपया उसको दोबारा मत दोहराओं और देश के लिए समस्याएं उत्पन्न मत करो। मुझे याद है जब प्रधान मन्त्री धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने इस सभा में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि बैंकों के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन उसी दौरान यह भी कहा था कि बैंकों के कार्य की स्टाईल शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। बैंकों को अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। बैंकों का लाभ वास्तव में कमजोर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। अतः, बैंकों के कार्य-निष्पादन में जनहित के लिए परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। एक मुद्दा जिसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है वह यह है कि 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नीति निदेश केरल में यह एक वास्तविक समस्या है। हम जानते हैं कि केरल एक अधिक आबादी वाला राज्य है। बैंकिंग नेटवर्क भी वहां तुलनात्मक रूप से व्यापक है। लेकिन ऋणों का भुगतान प्रायः विभिन्न बैंकों की कार्य शैली में परिवर्तनों और प्रबन्धक के दृष्टिकोण और अन्त में इसके लिए बनाए गए विधान पर निर्भर करता है, हम चाहे कोई भी निदेश दें, हम चाहे कोई भी परिवर्तन करें; अन्त में परिणाम निम्न स्तर पर उसी विशेष प्रबन्धक पर निर्भर करते हैं। यदि वह निर्णय ले लेता है, तो गरीब आदमी को धन प्राप्त हो जाएगा। यदि वह धन नहीं देना चाहता है, तो इस पृथ्वी पर कोई भी उसे धन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं बीमार और लघु एककों की एक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। मैं वहां की 100 इकाइयों के मामले जानता हूं। कुछ बैंकों में बैंक प्रबन्धक या नीचे के स्तर के कर्मचारी बहुत असहायक हैं। 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' के कारण इन लघु इकाइयों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरे विचार से हमें इस मामले पर पुनः सोचना चाहिए और कम से कम केरल राज्य के सम्बन्ध में इस 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' को छोड़ देना चाहिए।

मैं सहकारी बैंकों के कार्यकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस पर मैं माननीय

श्री लोक नाथ चौधरी के साथ पूर्णतया सहमत हूं। यह उचित है कि हम एक समान लेखा वर्ष बनाने के लिए एक विधान बना रहे हैं। सहकारी बैंकों में कम से कम स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए विधान बनाने की सम्भावना पर भी विचार कीजिए।

केरल के सम्बन्ध में यदि मैं एक प्रश्न करूं तो मुझे उसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा। मैं वित्त मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे केरल सरकार से यह जानकारी मंगवाएं कि एल० डी० एफ० के शासन के दौरान सरकार द्वारा कितने निर्वाचित सहकारी बैंकों और कितनी सहकारी समितियों को बर्खास्त किया गया था और कितनों का प्रशासन सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया था। यह सब अवर सचिव रैंक का एक अधिकारी कर रहा है वह गरीब लोगों और लघु बीमार यूनिटों की बात नहीं मानता। गरीब जनता और छोटे रुग्ण एकक उसमें कुछ नहीं कर सकते।

अतः, मैं यह अनुरोध करूंगा कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कम से कम राज्य सरकार का कोई कानून होना चाहिए और निर्वाचित समितियों को राज्य सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।

सहकारी आन्दोलन ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में विकास का आधार है। अतः, मैं आशा करता हूं कि सहकारी बैंकों को सभी सम्भव प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिसमें भूमि बन्धक बैंक भी शामिल हैं।

लघु एवं छोटे स्तर के औद्योगिक क्षेत्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्य-पूंजी अथवा पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है। अतः, केवल सहकारी बैंक ही उनकी एकमात्र आशा हैं। इसलिए, सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जाने चाहिए। उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एकसमान नीति बनाने के लिए एक विधान बनाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, इस विधेयक में बहुत कुछ कहने को नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो एक-आधा सुझाव आपकी तरफ से आया है जैसे आप सरकारी बैंक का कलैंडर इअर बदल रहे हैं, क्या बजट का कलैंडर इअर टू इअर नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट फाइनांस एण्ड इनवैस्टमेंट कम्पनीज दुनिया भर के लाइसेंस लेकर गांव-गांव में खोल रही हैं, उससे छोटी-छोटी बचत करने वाले लोग धोखे में उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। उसका उपयोग कुछ बड़े लोग करने के बाद उनका सारा पैसा लूटकर उन कम्पनियों को समाप्त कर देते हैं, इसके बारे में भी गम्भीरता से विभाग को सोचना चाहिए। इसकी पूरी फेहरिस्त कि किन-किन प्राइवेट फाइनांस कम्पनियों को लाइसेंस रिजर्व बैंक की ओर से मिला है, इसके बारे में सदन के भीतर एक पूरी जानकारी मुकम्मिल तौर पर देनी चाहिए। लाइसेंस देने के बाद कितने दिन काम करने के उपरांत वह इनवैस्टमेंट कम्पनीज अपने आपको दिवाला बोलकर लोगों का

पैसा लूटकर समाप्त हो गई, इसका ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह की इनवैस्टमेंट कम्पनियों को आगे अधिक लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। इसको किसी भी तरह डिसक्रेज किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट है तो सरकारी बैंकों में होता है कि 30 तारीख को जो क्लोजिंग इअर होता है, उसी दौरान सारा बकाया जमा होता है और उसी दौरान उसके अगेंस्ट लोन डिसबर्स किया जाता है, इसके बारे में एक रेगुलेशन आपकी तरफ से जाना चाहिए कि जो अन्तिम तारीख कर्ज जमा करने की हो, ऋण वितरण की वही तारीख नहीं होनी चाहिए। एक महीने या दो महीने बाद भी एडवांस दिया जा सकता है। ऐसा सरकारी बैंकों को एक निर्देश जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना जो चली है, उसको सरकारी बैंकों के जरिए किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक दुश्वारी गांव के अन्दर यह है कि जो वैसी आपदा आती है, उसके तहत पूरे जिले में कितना नुकसान हुआ है, उसका इलाका विशेष आता है, फिर उसे बीमा योजना के तहत किसान की क्षति-पूर्ति होती है जिससे बहुत कम क्षति-पूर्ति किसान की होती है और वह व्यापक पैमाने पर नहीं हो पाती है। मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों के जरिए इस काम को किया जाए और सहकारी बैंकों की उस शाखा की एरिया हो, उसके हिसाब से क्षति का आकलन करके किसान की फसल बीमा योजना को संचालित किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके साथ-साथ जिन जिलों के लिए अग्रणी बैंक खोले गए हैं, शैड्यूल बैंक जिनको कहते हैं, उनको अपने कारोबार के हिसाब से नई शाखा खोलने में तमाम दुश्वारियां पैदा होती हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक तक दौड़ना पड़ता है। रिजर्व बैंक अपनी तरफ से लाइसेंस देने के लिए तमाम औपचारिकतायें पूरी करवाता है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जो अग्रणी बैंक हैं, उनको अपने जिले में अपनी शाखायें खोलने के बारे में विशेष छूट और सुविधाएं होनी चाहिए। यदि वे इसे खोलना चाहें तो यह छूट उनको दी जाए।

इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ क्योंकि समय बहुत कम है, अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री शरत् चन्द्र पटनायक। आपका नाम जिस समय पुकारा गया, उस समय आप नहीं थे। आप अपना भाषण अब पांच मिनट में समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : सभापति महोदय, मैं यह विधेयक लाने के लिए वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। यह न केवल बैंकिंग क्षेत्र में एकरूपता लाएगा बल्कि इससे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों की सही तस्वीर भी उपलब्ध होगी।

चूंकि ग्रामीण भारत का मुख्य आधार कृषि है, जो मौनसून पर निर्भर करती है तो इससे सहकारी बैंकों का कार्य भी प्रभावित होता है। भारत में बैंक प्रणाली कार्योन्मुखी होनी चाहिए और इसका संरचनात्मक रूप से और कार्य-वार नवीकरण किया जाना चाहिए। मैं नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट के लिए मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। आशा है कि सरकार इसकी सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्यवाही करेगी।

कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास नकद राशि बहुत अधिक नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए हैं लेकिन उड़ीसा के बोलंगीर जिले के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बहुत कम है। भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय जिसे बोलंगीर में कार्य करना चाहिए था, वह सम्बलपुर में कार्यरत है जो वहां से 140 कि० मी० दूर है। बिन किसी विलम्ब के स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भी बोलंगीर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। बोलंगीर में भारतीय स्टेट बैंक और ओवरसीज बैंक की भी शाम की शाखा खोलने के प्रस्ताव में शीघ्रता लाई जानी चाहिए।

इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब मेरे पास तीन नाम हैं। उनमें से प्रत्येक को अपनी बात तीन मिनट में समाप्त कर लेनी चाहिए। केवल तभी हम चर्चा को समय पर समाप्त कर सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं कोशिश करूंगा कि दो मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूं।

यह बिल, एक कोआपरेटिव ईयर है, उस कोआपरेटिव ईयर को बदलने के लिए है। मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों यह 30 जून की तारीख पहले तय की गई थी उसके पीछे क्या तर्क था? मेरी जानकारी है कि गांवों में किसानों को सहकारिता ऋण की वसूली भी 30 जून तक की जाती है और उसी बीच में फसल आती है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह नहीं होना चाहिए, मैं समर्थन कर रहा हूं कि परिवर्तन होना चाहिए लेकिन मोहन सिंह जी ने जो कहा है, वह ज्यादा अच्छा है कि न केवल बैंकिंग ईयर, बल्कि वित्तीय वर्ष भी पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक होना चाहिए।

दूसरा मैं वित्त मन्त्री जी से इसी अवसर पर यह अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी दो तीन बातें हैं, जिनमें से एक तो क्रेडिट और डिपाजिट रेश्यो है और जिससे क्षेत्रीय विषमता इस देश में बढ़ी है, खास तौर पर हमारे प्रान्त बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या असम के इन इलाकों में जो क्रेडिट और डिपाजिट रेश्यो है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, वह कम है, इस बारे में वह ज्यादा जानते हैं, खासतौर से वित्त राज्य मन्त्री जी तो जरूर जानते हैं। हम कहते हैं कि इस सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए कि इतना असन्तुलन न हो। दूसरा जो लैंडिंग रेट है, वह अब 30 हो गया है। आदमी कोई जमा करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 13 परसेंट सूद बैंक देते हैं लेकिन कोई छोटे उद्योग के लिए, व्यापार के लिए बैंक से पैसा लेता है तो वह 18 से 25 परसेण्ट पर सूद लेते हैं और इस पर आपने डेढ़ परसेंट सरचार्ज और लगा दिया है। अब उद्योग का विकास कैसे होगा, बहुत सी इण्डस्ट्रीज सिक हो रही हैं, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि 30-30 परसेंट ब्याज दर पर छोटे उद्योगपतियों को, लघु उद्योगपतियों को, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को लोन लेने को मजबूर होना पड़ रहा है तो इससे चीजें और ज्यादा महंगी होंगी ही। आप महंगाई दूर करना चाहते हैं और अब केवल 28 दिन रह गए हैं...

सभापति महोदय : आप समय ले रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से बहुत

नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस समय भी निवेदन किया था जिस समय वह बजट पेश कर रहे थ, उनको इस सदन को और देश को यह गारण्टी, यह आश्वासन देना पड़ेगा कि अमेरिकन बैंकिंग और इंश्योरेंस को इस देश में पनपने नहीं देंगे। यह आश्वासन मैं विशेषतौर से चाहता हूं।

प्रो० राजा सिंह रावत (अजमेर) सभापति महोदय, बैंककारी (संशोधन) विधेयक, 1991 का उद्देश्य बहुत सीमित है। जैसाकि विभिन्न वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जो वित्तीय वर्ष समाप्ति माना जाता है, वह सहकारी बैंकों के ऊपर भी लागू किया जाए, ताकि आयकर की दृष्टि से वह सुविधाजनक हो। मैं इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक वर्ष का सारा कारोबार जनवरी से दिसम्बर तक होता है तो हम केवल पाश्चात्य देशों की नकल करके 31 मार्च की तारीख हर बात में रख देते हैं, इसके बारेमें मन्त्री जी को गम्भीरता से चिंतन करना चाहिए। क्या व्यवहार में जनवरी से लेकर दिसम्बर तक का समय नहीं हो सकता है? इसलिए इस दृष्टि से इस पर चिन्तन बहुत आवश्यक है।

सहकारी बैंकों के बारे में भी आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। सहकारी बैंक नियमों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाए हुए और वहां की विधान सभाओं के द्वारा जो अधिनियम बनते हैं, उनके आधार पर उनका गठन हुआ है। ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार एक कानून बना देगी और राज्य सरकार जब तक अपने कोआपरेटिव रूल्स के अन्दर तदनुसार संशोधन या परिवर्तन नहीं लाएगी, अपने विधान सभाओं के माध्यम से, तब तक उन सहकारी बैंकों के ऊपर जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च का करना चाहते हैं, वह किस प्रकार से तुरन्त प्रभावी होगा। इसके बारे में आपको थोड़ा समय उनको और देना पड़ेगा अथवा आपको संक्रमणकालीन समय रखना पड़ेगा, जब तक कि वे राज्य अपनी-अपनी विधान सभाओं में कोआपरेटिव बैंक्स कानून में परिवर्तन लाकर सहकारी बैंकों के ऊपर लागू नहीं कर देते हैं, तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा।

सहकारी बैंकों के कार्य के बारे में भी थोड़ा केन्द्रीय सरकार को ध्यान रखना है। विशेषकर गांवों के अन्दर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनके कर्मचारियों के माध्यम से ऋण आदि देने का काम सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन वहां पर भी पिछले दो-तीन वर्षों से उनको विभिन्न प्रकार के आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। उस समय के जो तत्कालीन वित्त मन्त्री थे, उनसे बातचीत के बाद उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन उन्होंने दिया था और उस बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हो गया था। उसके पश्चात जो निर्णय कार्यान्वित होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्मचारी हैं और ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में वेतनमान व अन्य दूसरी बातों को लेकर जो भेदभाव है, वह भी दूर नहीं किया गया है। ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें।

मैं एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। जो केन्द्रीय स्तर पर हो और राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण बैंक हो। इनके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय, विभिन्न अंचलित बैंक और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले बैंक हों। एक बात मैं यह भी चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था, वह उद्देश्य प्रारम्भिक वर्षों में तो सफल हुआ, लेकिन फिर धीरे-धीरे बैंकों की कार्यक्षमता में, बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के काम के तरीके में और उनकी सेवा करने की भावना में बहुत कमी आई है। वहां पर एक प्रकार से लालफीता-

शाही, नौकरशाही फनपती जा रही है। इसलिए जब तक ये बैंक निजी हाथों के अन्दर थे, तब तक उन बैंकों की सेवा करने के तरीके बहुत अच्छे थे और ये बैंक राष्ट्रीयकृत होने के बाद कुछ वर्षों तक बहुत अच्छे रहे, लेकिन धीरे-धीरे वहां ट्रेड यूनियन्स प्रभावशाली हो गई और काम में रुकावट पैदा होनी शुरू हो गई। मेरे साम्यवादी बन्धु मुझे क्षमा करेंगे, उन्होंने हर बात के अन्दर, चाहे अच्छा काम भी हो, अपना झण्डा ऊंचा कर देते हैं और बैंक कार्य में रोड़ा पैदा कर देते हैं। बैंकों के विकास में एक प्रकार से बाधा उपस्थित कर देते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप उन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन बैंक की जो सेवायें हैं, उन सेवाओं के अन्दर व्यवधान नहीं होना चाहिए। ग्रामीण लोगों को या उपभोक्ताओं को राहत और सुविधाएं व सेवायें आसानी से मिलनी चाहिए। हालत यह है कि बैंक के कर्मचारी कार्य करने से पीछे हटते हैं। जो बैंक मैनेजर हैं या प्रबन्धक हैं, वे किसी भी कर्मचारी को कहने से डरते हैं। कर्मचारी उनसे अनुशासनहीनता करते हैं और उन अनुशासनहीन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों शिकायतें हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें।

हमारे माननीय सदस्यों ने चिट-फण्ड कम्पनी के बारे में भी कहा है। प्राइवेट चिट-फण्ड बैंक रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करके अपना कारोबार शुरू करते हैं। उनके पास लाखों-करोड़ों रुपया भोले-भाले लोगों का जमा हो जाता है और कुछ वर्षों के बाद वे सारा रुपया खाकर चले जाते हैं। एक लक्ष्मीचन्द बग्गाजी एण्ड कम्पनी हैं, इस कम्पनी ने अजमेर के अन्दर, गुजरात के अन्दर और विभिन्न नगरों के अन्दर लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। तीन-चार वर्षों तक कारोबार चलाया। यह कम्पनी बम्बई की है और तीन-चार वर्षों के बाद यह कम्पनी गायब हो गई। जिन-जिन लोगों ने उस कम्पनी में पैसा जमा कराया था, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि मन्त्री जी इस ओर भी ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण शाट्ये प्रभू (पणजी) : मैं, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि, मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि लेखा वर्ष चाहे 31 मार्च हो या 31 दिसम्बर, अथवा 30 अक्टूबर हो, इसका निर्णय करने से पूर्व अच्छी तरह सोच लिया जाना चाहिए क्योंकि यदि 31 मार्च होता है, तो शीघ्र ही जून में मौनसून शुरू हो जाता है इसलिए और कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं इस सम्मानित सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि शहरी सहकारी बैंक वास्तव में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां चुनाव नहीं होते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां चुनाव नियमित होते हैं। अंशधारक बड़े ही उत्साह के साथ चुनाव में भाग लेते हैं। वहां पर हमारी तरह ही चुनाव लड़े जाते हैं। वैसे भी रिजर्व बैंक ने जो समिति बनाई है वह निश्चित रूप से सारे मामले पर विचार करेगी। मैं अनुभव करता हूं कि वह समिति इन सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश अवश्य करेगी।

आज सहकारी बैंक समय की मांग हैं। मैं गोवा का एक उदाहरण दूंगा। सारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 60,000 शाखाएं हैं जबकि शहरी सहकारी बैंकों की केवल 3400 ही शाखाएं हैं। गोवा

एक ऐसी जगह है, जहां बहुत सारे बैंक हैं। परन्तु इसका परिणाम देखिए। गोवा में राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1400 करोड़ रुपया जमा है, लेकिन उन्होंने ऋण के रूप में केवल 450 करोड़ रुपया ही वितरित किया है जबकि शहरी सहकारी बैंकों ने 7 से 80 प्रतिशत तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण दिया है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक 1987 में शुरू किया गया था तथा 1989 में इसने फोन्डा में एक शाखा स्थापित की। आज उनके पास 10 करोड़ की जमा राशि है, जबकि बैंक ऑफ इण्डिया तथा केनरा बैंक दोनों की ही जमा राशि 10 करोड़ अब तक नहीं है तथा उन्हें इस राशि तक पहुंचने के लिए शायद कई और महीने लग जाएं यद्यपि वे वहां पर 10-15 सालों से हैं।

सहकारी बैंकों को प्रोत्साहन, दो कारणों से मिलना चाहिए, पहली बात यह है कि अंशधारक उसी क्षेत्र के होते हैं। अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भी उसी क्षेत्र से होते हैं और सभी लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। यदि वास्तव में ही लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो वे लोग 24 घंटे के भीतर ही पैसा प्राप्त कर लेते हैं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में कई महीनों लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने मुख्यालय से स्वीकृती लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, कई राष्ट्रीयकृत बैंकों को घाटा भी हो रहा है। अत:, मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर ध्यान दें तथा सहकारी बैंकों को जितना प्रोत्साहन दिया जा सके दें ताकि सारे देश में सहकारिता का आन्दोलन फैल सके। यदि आप सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करते हैं, तो बड़े पैमाने पर, गरीब, देहाती, किसान तथा अन्य सभी लोगों को अधिकाधिक लाभ मिलेगा तथा विकास भी वास्तव में बहुत भारी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अम्मा जोशी (पुणे) : सभापति महोदय, यह जो बैंक इयर बदलने का प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, उसका स्वागत करना चाहिए, इसके साथ-साथ जो भी अपेक्षाएं हमने यहां प्रस्तुत की हैं, उनकी तरफ भी शासन को गम्भीरता से सोचना चाहिए। बैंकिंग पद्धति की क्षमता के बारे में जो आर्गुमेंट्स यहां पर दिए जा रहे हैं, कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज, कोआपरेटिव मिल्क सोसायटीज और इसी तरह की अन्य कोआपरेटिव संस्थाओं के बारे में हर प्रांत में नियमों में बदलाव करने और उनको लागू करने की आवश्यकता है। इस बारे में सदन में जो सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में शासन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, जिन सहकारी बैंकों को इन नियमों से हम मदद कर रहे हैं, इसी तरह से और भी क्षेत्र हैं, जिनके बारे में नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये बातें इस सदन में अनेक बार लाई गई हैं और परिवर्तन करने के लिए विनती की गई है, लेकिन अभी तक शासन ने इस बारे में पहल नहीं की है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

फिक्स्ड डिपोजिट्स के बारे में पिछली दफा भी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट पर जो टैक्स लगाया गया है, इससे सहकारी बैंक दुविधा में पड़ जाएंगे। सहकारी बैंकों को इससे क्षति होगी और डिपाजिट्स निकाले जाएंगे। उस समय वित्त मन्त्री जी ने मुझे बीच में टोका था और कहा था कि ये डिपाजिट्स कहां जाएंगे। आज यहां मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार डिपाजिट्स में वृद्धि होने के बजाय 10 परसेंट विथड्रावल ज्यादा हुआ है और यह एक-दो महीने की ही बात है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि शासन इस नियम पर पुनरविचार करे।

सहकारी बैंकों की मदद करने के लिए यह बिल लाया गया है, इससे सहकारी बैंकों को मदद मिल सकती है, इसलिए इन सुझावों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां अभी बैंक नहीं हैं। इस देश में कई स्थानों पर लोगों को 10-10 किलोमीटर जाने पर बैंक मिलता है। इसलिए जिन इलाकों में बैंक खुलवाने की व्यवस्था करें।

इसी तरह से बैंकों में जो भ्रष्टाचार हैं, उनको अभी तक चैक नहीं किया गया है। आज भी गांवों में जो किसान-मजदूर लोन लेना चाहते हैं, उनमें उनको 10 परसेंट रिश्वत देनी पड़ती है। जहां तक मुझे जानकारी है और जिसको राजीव जी ने भी स्वीकार किया था कि 100 रुपए में 15 रुपए ही गांवों तक पहुंच पाते हैं, 85 परसेंट इधर-उधर रह जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बैंक में जो भ्रष्टाचार है, उसपर भी रोक लगाने की कोशिश करें। अभी रावत जी ने कहा कि इस देश में ट्रेड यूनियन बहुत अधिक हो गई हैं इसलिए बैंक में भ्रष्टाचार फैल गया है। इससे बैंकों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। देहात में और जंगलों में लोग पूजा करते थे तब भी भ्रष्टाचार नहीं था। जब राम सब जगह पर थे तो तब भी नहीं था। जिस दिन से आपने राम को मस्जिद में बांध दिया तबसे बैंकों में भ्रष्टाचार फैल गया है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस कुर्सी पर राम बैठा है।

श्री तेज नारायण सिंह : मैंने नाम नहीं लिया। देश में ट्रेड यूनियन की बढ़ोत्तरी हुई है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और अत्याचारों को मुकाबला करने के लिए न कि भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए···(व्यवधान) जिस इलाके में बैंक नहीं हैं वहां पर बैंक खुलवाया जाए। जिस इलाके में रुपया जमा होता है तो उस इलाके के विकास के लिए कम से कम पचास परसेंट उस इलाके को देना चाहिए। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का विशेषकर न्यायमूर्ति गुमानमल लोढ़ा, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही, श्री मुमताज अन्सारी, श्री जीवरत्नम, प्रो० चक्रवर्ती, श्री रामय्या, श्री पृथ्वीराज चव्हाण, श्री चित्त बसु, श्री राम नाईक, श्री लोकनाथ चौधरी ए० चारलेस, श्री पटनायक, श्री एम० एम० सिंह, श्री हरि किशोर सिंह, प्रो० रासा सिंह रावत, श्री हरीशनारायण, श्री प्रभु झांट्ये, श्री अन्ना जोशी तथा अन्य मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने इस छोटे से विधान में सक्रिय भाग लिया जिसमें हम एक सरल सा संशोधन कर रहे हैं, जोकि सहकारी बैंकों में सुधार लाएगा।

जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अन्य सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने आयकर कानून के अनुसार अपने लेखा वर्ष को पहले ही सन् 1988 में बदल लिया है। केवल इन सहकारी बैंकों के मामले में यह नहीं बदला गया क्योंकि कुछ परामर्श तथा विचारण किए जाने थे। रिजर्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से हमारा परामर्श पूरा हो चुका है और हम अब इसे कर रहे हैं।

हमसे यह पूछा गया है कि मामले में देरी क्यों हुई, यह पहले ही क्यों नहीं किया गया ? इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1988 मे जब दूसरे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को आयकर अधिनियम 1961 के अनुरूप लाया जा रहा था तब हमने इस मामले के लिए भी प्रयत्न किया था तथा एक साल बाद पिछली सरकार ने दिसम्बर, 1990 में मन्त्रिमण्डल के स्तर पर यह निर्णय भी लिया था कि एक विधान भी लाया जाए । परन्तु एक या दूसरे कारण से विधान नहीं लाया जा सका । मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि हम विधान लेकर आए हैं ।

जहां तक सभी कामों के लिए एकसमान वर्ष का प्रश्न है, यह एक अलग प्रश्न है, जिसपर इस सभा में तथा कई और जगहों पर भी पहले चर्चा हुई है। इस मामले पर एल० के० झा समिति ने गहराई से विचार किया था तथा अन्ततः सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस समय तो इसके परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा जब कभी भी परिवर्तन किया जाएगा वह सभी के लिए प्रभावी रहेगा ।

इस समय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आयकर नियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष तथा एक पिछला वर्ष होता था । पिछला वर्ष कोई भी हो सकता है । वह दिवाली, दशहरा या वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है । इसने ही समस्याएं खड़ी की थीं और हम लोग पूरे भारत में कर निर्धारकों के लिए एक ही लेखा वर्ष तथा कर निर्धारण वर्ष करना चाहते थे ।

17.00 बजे

इसीलिए 1987 में संशोधन लाया गया और उस संशोधन के फलस्वरूप सभी एक ही श्रेणी में हैं । लगभग सभी सहकारी संस्थानों मे इसे स्वीकार कर लिया है । परन्तु जहां तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, एक कठिनाई थी ओर इसे दूर किया जाना चाहिए । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई मुश्किल नहीं होगी । कई ऐसे राज्य हैं जैसे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक··· जहां सहकारी कानून को संशोधित नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय : श्री रामेश्वर ठाकुर । नागरिक उड्डयन तथा परिवहन मन्त्री, श्री माधवराव सिंधिया को 5 बजे एक वक्तव्य देना है । अब वे वक्तव्य देंगे ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं कुछ ही मिनटों में पूरा कर लूंगा ।

सभापति महोदय : 5 बजे वक्तव्य देना है । आप बाद में बोलना । मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद आप जारी कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी कई और बातें तथा प्रश्न होंगे । कृपया वक्तव्य दे देने दो ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं अध्यक्षपीठ के कहने के अनुसार चलूंगा ।

———

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

5.01 म० प०

दिल्ली हवाई अड्डे पर 1-12-1991 को एयर इण्डिया उड़ान-111 में पाया गया विस्फोटक यन्त्र

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : पहली दिसम्बर, 1992 को मद्रास से नई दिल्ली तथा लन्दन होते हुए न्यूयार्क को ए० आई० उड़ान संख्या-111 बोइंग-747 प्रात: 0705 बजे नई दिल्ली पहुंची। विमान में मद्रास से 21 कर्मीदल के सदस्यों सहित 76 यात्री और एक शिशु था। इनमें से, 12 यात्री नई दिल्ली में उतर गए। नई दिल्ली में लगभग 0745 बजे तक 4 शिशुओं सहित 334 यात्री और कर्मीदल के नए 22 सदस्य विमान में चढ़े। इस प्रकार उड़ान में कुल 394 यात्री, 5 शिशु और कर्मीदल के 22 सदस्य थे।

2. इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, जब गैली में खान-पान ट्रालियां रखी जा रही थीं, एक पी० बी० सी० का थैला पाया गया। चूंकि वह सन्देहास्पद लगा, अत: ड्यूटी पर तैनात ए० आई० सुरक्षा कर्मी सचेत किया गया जिसने तत्काल विमान से पी० बी० सी० बैग को हटाकर उसे उस स्थल से दूर ले जाने के लिए हाई लिफ्ट ट्रक में रखा। सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित किया गया और और एयरपोर्ट पर स्थित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का बम्ब निपटान दस्ता तत्काल उस स्थल पर पहुंचा।

3. यंत्र की जांच करने में उसमें निम्नलिखित मदें अन्तर्निहित पाई गईं :

1. एक 9 वाल्ट बैट्री।
2. पाइरो टेकनिक सबस्टांस।
3. एक टार्च बाडी।
4. तारों के साथ जुड़ा एक इलेक्ट्रानिक सर्किट।
5. 100 मि० ली० की एक बोतल जिसमें तरल पदार्थ था जिसमें पेट्रोल की सी गंध थी।
6. एक शेविंग क्रीम कैन जिसमें ऐसा पदार्थ था जो एल० पी० जी० जैसी गंध देता था।

4. विस्फोटक विशेषज्ञों द्वारा यंत्र को निष्क्रिय कर दिया गया।

5. लगभग 0830 बजे तक विमान पर चढ़े यात्रियों को सुरक्षापूर्वक उतार दिया गया। विमान को दूरस्थ स्थान पर ले जाया गया।

6. इस मामले की पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

7. इस बीच, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के आयुक्त को कहा गया है कि वह निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का जो उल्लंघन हुआ हो उसके स्वरूप और व्यापकता की जांच करें और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जो अतिरिक्त उपाय किए जाने अपेक्षित हों, उनकी सिफारिश करे।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : महोदय, माननीय अध्यक्ष ने···(व्यवधान)

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता।

श्री हरि किशोर सिंह : कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष ने सुझाव शून्य काल के दौरान दिया है कि वह देखेंगे कि इस वक्तव्य पर किस प्रकार चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, चर्चा का मतलब यहां यह है कि आप दूसरे तरीके से चर्चा उठा सकते हैं। अब प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं सहमत हूं आप इस पर चर्चा होने दीजिए। यह बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसके लिए सूचना दें जिससे अध्यक्ष महोदय इस सूचना का निरीक्षण कर निर्णय ले सकें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री रामेश्वर ठाकुर अपना उत्तर जारी रखेंगे।

17.04 बजे

[अनुवाद]

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक—जारी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, मैं बता रहा था कि कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने सहकारी बैंकों के लेखा वर्ष जुलाई-जून से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिए हैं। ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं—कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, बिहार, गोवा आदि।

मैं माननीय सदस्य श्री राम नाईक और अन्य सदस्यों को एक बात साफ कहना चाहता हूं जिन्होंने संशोधन के माध्यम से और अन्य तरीकों से यह मुद्दा उठाया है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें उन राज्यों से निवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपने लेखा वर्ष में परिवर्तन किया है कि इस संशोधन को सदन में प्रस्तुत करने दिया जाए। उनका हर साल एक समान लेखा वर्ष होगा जो 31 मार्च को समाप्त होगा। अन्य राज्यों, जिन्होंने अब तक लेखा वर्ष नहीं बदला है, को कोई परेशानी नहीं होगी। यह बाध्य नहीं है। वे हर साल आयकर के प्रयोजनार्थ 31 मार्च को समाप्त होने वाले

वर्ष के लिए अपने लेखे तैयार कर रहे हैं। अर्थात वे दो लेखे तैयार कर रहे हैं—एक 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का और दूसरा 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष का। ऐसा करने के लिए वह स्वतन्त्र है। मुझे विश्वास है कि यह उनके लिए उचित है कि वह इनका पालन करे और अपनी विधान सभाओं में जाएं—जो इस प्रकार का कानून बना सकती हैं और ऐसा कर सकती हैं। इससे राज्य कानून के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका जैसाकि न्यायमूर्ति गुमान मल लोढा ने उल्लेख किया है क्योंकि यह केन्द्रीय कानून है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है और जिसे हम यहां कर रहे हैं।

देश में बैंकों और बैंकिंग ढांचे के बारे में सामान्य रूप से कुछ और सुझाव दिए गए हैं। वास्तव में ऐसे मामलों में बैंकों तथा सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की गई है। हम सभी जानते हैं कि बैंकों ने सराहनीय कार्य किया है और राष्ट्रीयकरण के बाद उन्होंने अपना कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया। वर्ष 1969 में कुल 8,268 शाखाएं थीं जिनमें से 1,832 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थी। यह संख्या अब बढ़कर 59,986 हो गई है जिसमें 35,049 ग्रामीण शाखाएं हैं और उनमें जमा राशि भी 4,646 करोड़ रु० से बढ़कर 1,92,541 करोड़ रु० हो गई है। इसी प्रकार ऋण राशि भी 3,669 करोड़ रु० से बढ़कर 1,16,301 करोड़ रु० हो गई है। इस प्रकार थोड़े समय में बैंकों का काफी विस्तार हुआ है। पूरे ढांचे को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं के इसके अन्दर कतिपय कमियां हैं और इनका पता लगाया गया है। सरकार उनसे अवगत हैं, माननीय वित्त मन्त्री सदन में पहले ही बता चुके हैं कि हम तथा बैंकिंग क्षेत्र, बैंकों की ग्राहक सेवा सहित हर दिशा में इसके कार्य निष्पादन में सुधार लाने की और इस बैंक व्यवस्था को अधिक उत्पादक, कार्यकुशल और लाभकारी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और यही समय की मांग है तथा माननीय वित्त मन्त्री ने इसके लिए पहले ही सदन में आश्वासन दे दिया है।

जहां तक राज्य सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, (सहकारी बैंकों के) हमारे पास सहकारी बैंकों का भी जाल है। इनकी संख्या 28 से बढ़कर 30 हो गई है, जिसकी 625 शाखायें हैं और जिनकी प्रदत्त पूंजी 21,273 करोड़ रु० है और इन में जमाराशि 5,883 करोड़ है तथा 6,833 करोड़ रुपए ऋण दिया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय सहकारी बैंकों की संख्या में भी वृद्धि हुई हैं। यह बढ़कर 49 हो गई है जिनकी 10,801 शाखायें हैं और जिनकी प्रदत्त पूंजी 8229 करोड़ रु० है, जमा राशि 9,338 करोड़ रुपए है तथा ऋण राशि 10,685 करोड़ रुपए हैं। सहकारी बैंकों की व्यवस्था प्रणाली में भी जटिलतायें हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं जहां आम सहकारी संस्थायें अच्छी तरह से काम कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमजोर क्षेत्र है जहां सहकारी प्रणाली ने ठीक से काम नहीं किया है और सहकारी बैंक भी उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और यही वह प्रणाली है जिसमें खामियां हैं। उनके अनुरोध पर विशेष समितियां गठित की गई थीं और नरसिंहम् समिति की नवीनतम रिपोर्ट, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, की सरकार ने जांच कर ली हैं और सरकार निश्चित रूप से यथाशीघ्र समिति की मूल सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी जिससे देश की बैंक प्रणाली सुदृढ़ की जा सकें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या आप नरसिंहम् समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम दूसरे दिन इस रिपोर्ट की जांच कर रहे थे। माननीय वित्त मन्त्री ने पहले ही घोषणा की है कि इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद सरकार निश्चय करेगी कि इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाएगा या सभा पटल पर रखा जाएगा।

17.09 बजे

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जहां तक ग्रामीण बैंकों के बारे में दिए गए कुछ अन्य सुझावों का सम्बन्ध है, वे सामान्य रूप के हैं। श्री चित्त बसु जी और अन्य सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। हमारे पास ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क है—196 बैंकों की 40,555 शाखायें हैं, जिनमें जमा राशि 4,733 करोड़ रुपए हैं और ऋण की राशि 3,599 करोड़ रुपए है। बैंक प्रारम्भ में ठीक कार्य करते हैं लेकिन हम देखते है कि कई भागों में, कुछ बैंक ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं और उनमें कतिपय खामियां पहले से ही हैं। अतः इसमें सभी दिशाओं में सुधार की आवश्यकता है। यह एक प्रश्न है कि क्या उनको प्रायोजक बैंक के साथ जोड़ा जाए, क्या उनको, जैसाकि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, एपेक्स बैंक के साथ जोड़ा जाए अथवा हमारे पास अलग एपेक्स बैंक, स्वतन्त्र बैंक होना चाहिए जिसके साथ ये सब शाखायें जुड़ी होनी चाहिए। और इस एपेक्स बैंक के द्वारा उन बैंकों के विषय इन शाखों को बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए उन्हें इनके साथ जोड़ा जा सकता है। इन मामलों पर सरकार विचार कर रही है और माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों और विभिन्न स्रोतों से आए सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी और इस सम्बन्ध में निर्णय किए जायेंगे।

अन्य सदस्यों द्वारा, विशेषकर ऋण-निक्षेप अनुपात के सम्बन्ध में, कई अन्य सुझाव भी लाए गए हैं। यह सच है कि जैसाकि श्री मुमताज अंसारी ने कहा है, बिहार राज्य में तथा पंजाब सहित कुछ अन्य राज्यों में ऋण-निक्षेप अनुपात बराबर नहीं है। ये ऐसे मामले हैं जहां कई बातें हैं। दूसरा, जमा-निक्षेप अनुपात बढ़ाने की दृष्टि से उन परियोजनाओं को सहायता देने हेतु अर्थक्षम परियोजनाओं और बैंकिंग क्षेत्र को आगे लाना राज्य सरकार की पहल है। राष्ट्रीय नीति पूर्णतः स्पष्ट है कि निक्षेप के द्वारा एकत्रित की गई लगभग 60% धनराशि का राज्यों में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में ऐसा किया गया है। कुछ क्षेत्रों में, ऐसा नहीं किया गया है। इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं।

कुछ ही दिन पहले मैंने इस माननीय सदन में ब्याज की दर के बारे में भाषण दिया था। जैसा कि मैंने कहा है, अक्तूबर में रिजर्व बैंक ने जमा राशि पर दर में एक प्रतिशत वृद्धि की थी और विभिन्न श्रेणियों में ऋणों पर 1½ प्रतिशत की वृद्धि हमने की है। दोनों तरफ न्यूनतम सीमा में वृद्धि की गई है। सीमा से परे, पहले भी उनको स्वतन्त्रता थी और अब भी है कि वे विभिन्न प्रकार के ग्राहकों, विभिन्न प्रकार के निर्धारितियों, परियोजना की अर्थक्षमता और विभिन्न अन्य परियोजनाओं, जिन पर सामान्यतः बैंकरों द्वारा ध्यान रखा जाता है, को ध्यान में रखते हुए उन्हें ब्याज की कतिपय अतिरिक्त दर लगाने का अधिकार है। यह कोई नया मसला नहीं है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है।

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, सरकार ने पहले ही उचित ध्यान दिया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए, व्यवधान न करें। ऐसा न कीजिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक बड़ी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, कुछ भेदभाव अवश्य होना चाहिए अन्यथा, आप बैंकिंग प्रणाली को अर्थक्षम कैसे बनाएंगे। आप कृपया देखिए, जब तक हम यह 7½ प्रतिशत या 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत ब्याज पर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी परियोजनाओं

के लिए, कुछ अधिक ब्याज की दर ली जाती है। बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बैंकिंग प्रणाली ही को जाता है।

जहां तक स्रोत पर कटौती का प्रश्न है, माननीय वित्त मन्त्री ने इसका उल्लेख दूसरे दिन कर दिया है। मेरे विचार से उसे आगे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह उनके लिए जो कर न देने वाले निर्धारित हैं, उनको केवल इस आशय का पत्र देना होता है। उनके मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस प्रणाली में, कतिपय ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बैंकों में जमा राशि हैं और उन पर कर नहीं लगता। उन पर कर लगाना आवश्यक है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यदि कोई कठिनाइयां हैं, तो इनकी बैंकिंग प्रणाली द्वारा जांच की जा रही है और सरकार उचित समय पर निर्णय करेगी।

पिछड़ापन और पिछड़े क्षेत्रों के लिए बैंक शाखाओं का एक जाल है। निश्चय ही जब नई शाखाएं खोली जाती हैं तो उन क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है जहां कम शाखाएं हैं और नई शाखाएं खोली जा रही हैं और वह नीति जारी है।

सरकार कतिपय अन्तर्निहित कमियों से अवगत है। उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है माननीय वित्त मन्त्री निजीकरण के आधारभूत मुद्दे पर पहले ही उत्तर दे चुके हैं और मुझे उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। मेरे विचार से, इस सम्बन्ध में कोई शंका अथवा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए न्यूयार्क बैंक की रिपोर्ट भेजी गई है और कुछ अधिकारी वहां गए हैं -- यह तथ्यात्मक नहीं है, पूर्णतया गलत है। यह सही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम गुणों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और सरकार की नीति के अनुसार निर्णय लेते हैं। हमारे अपने देश में, हमारे अपने विभाग में विशेषज्ञ हैं और माननीय संसद सदस्यों ने भी, हमेशा योगदान किया है, उनके पास योगदान देने का अवसर होगा, और इसलिए, इस तरह की बात, यदि कभी कोई आधाररहित समाचार किसी समाचार-पत्र में दिया जाता है, तो वरिष्ठ सदस्यों को इसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं (व्यवधान) हम सदैव कठिनाई का अनुभव करते हैं। सातवीं योजना में 93% हमारा अपना धन था। यह 2,20,000 करोड़ रुपए की काफी बड़ी योजना है। आठवीं योजना में इसके 7 लाख से भी अधिक होने की संभावना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने मेरी यूनिट की सहायता का वचन दिया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : नहीं-नहीं, यह आठवीं योजना में हमारी अपनी धनराशि का 90% से अधिक नहीं होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने मेरी यूनिट की सहायता करने का वचन दिया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने नहीं, नहीं कहा है। अब आप 'हां' कह रहे हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हां या नहीं प्रश्न नहीं है। हमें यथार्थ निर्णय करना है। हमें अनुचित रूप से पक्षपाती नहीं होना चाहिए। यह वरिष्ठ सदस्यों से मेरा अनुरोध है।

सभापति महोदय : आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री हरि किशोर सिंह : हम सदैव विषयनिष्ठ नहीं होते हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : हम विषयनिष्ठ नहीं हैं, वही खेद की बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता के आदमी भी यहां हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : कलकत्ता के आदमी भी यहां हैं। प्रश्न यह नहीं है। कलकत्ता के आदमी नहीं जायेंगे। राष्ट्रीय हित सदैव सबसे ऊपर रहना चाहिए और सरकार राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखने का ध्यान रखेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस विचारार्थ प्रस्ताव पर संशोधन हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सहकारी बैंकों के लिए नई शाखाएं स्वीकृत नहीं की जा रही हैं और मैंने यह सुझाव दिया था कि उस नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खुल रही हैं। सहकारी बैंकों के लिए, नई शाखायें स्वीकृत नहीं की जा रही हैं। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ? सरकार उस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : रिजर्व बैंक ने इस नीति पर गुणों के आधार पर निर्णय किया था। सहकारी बैंक शाखाएं और अन्य शाखायें, सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। आप वर्तमान शाखाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई सुझाव आए हैं। निश्चित रूप से नई शाखायें खुलनी चाहिए लेकिन इस नेटवर्क में वर्तमान शाखायें जिसके बारे में मैंने ब्यौरा दिया है, उनको सुदृढ़ किया जाना है। अधिकांश सदस्यों द्वारा उस पर मुख्यतया ध्यान केन्द्रित किया गया था।

जहां तक नई शाखाओं का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से उन्हें जहां आवश्यक हो और जहां भारतीय रिजर्व बैंक यह सोचे कि नई शाखाओं के लिए उचित आधार है, वहां नई शाखाएं खोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : विधेयक पर विचार के लिए, श्री गिरधारी लाल भार्गव, और प्रो० रासा सिंह रावत के संशोधन हैं कि उक्त विधेयक 26 फरवरी, 1992 तक राय जानने के लिए, इसे परिचालित किया जाना चाहिए। मैं पहले इन दोनों संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

मैं अब श्री गिरधारी लाल भार्गव और प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा रखे गए विचार प्रस्ताव पर संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 1 और 4 मतदान के लिए सभा में रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं विचार करने के लिए प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगा।

खण्ड-2—1949 के अधिनियम 10 की धारा 37 में संशोधन

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2—

पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार तब तक संक्रमण को सुगम बनाने के लिए आदेश जारी नहीं करेगी जब तक संबंधित राज्य सहकारी बैंकों पर यथा लागू अपने सम्बन्धित सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार लेखा वर्ष में परिवर्तन का उपबन्ध नहीं करता है।" (3)

मैं मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं। उसने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि उन राज्यों के लिए कोई समस्या नहीं होगी जिन्होंने जुलाई से बदलकर जून को अपनाया है।

माननीय मन्त्री ने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि ऐसे राज्यों, जिन्होंने नई प्रणाली नहीं अपनाई है, को कोई हानि नहीं होगी और न कोई समस्या होगी।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह संशोधन सभी सहकारी बैंकों के लिए है जिनमें वे राज्य सम्मिलित हैं जहां वर्ष में जून-जुलाई से परिवर्तन करके मार्च करने के लिए विधान पहले ही पारित किया जा चुका है इसलिए यह सभी राज्यों पर लागू होने वाला खंड है। जिन राज्यों ने इसमें परिवर्तन नहीं किया है उन्हें अब कोई कठिनाई नहीं होगी। वे जब भी चाहें परिवर्तन करने के लिए स्वतन्त्र हैं ताकि उन्हे दो लेखे न बनाने पड़ें।

जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, यह कानून सभी सहकारी बैंकों के लेखा वर्ष को 31 मार्च करने के सम्बन्ध में है और इस प्रकार वे अपनी आयकर विवरणी फाइल करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए जहां पर अब यह नहीं है उनको कोई बाधा नहीं होगी। वे इसे करने के लिए स्वतन्त्र हैं और इसे वे कर सकेंगे। उन पर ऐसा करने के लिए इसमें दबाव नहीं डाला गया है।

श्री राम नाईक : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन और स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या 3 अनुमति से वापस लिया गया

प्रो० रासा सिंह रावत : पेश नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

17.23 बजे

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब अगले विषय को लेगी । श्री मनमोहन सिंह विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी, (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 रुग्ण और सम्भावित रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का समय से का पता लगाने के विचार से अधिनियमित किया गया था । तदनुसार, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को जो जनवरी, 1987 में गठित किया गया था, ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में जहां रोकथाम, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता थी, में तेजी से निर्धारण किए जाने और इन्हें तीव्रता से अथवा प्रासंगिक रूप से लागू करने हेतु बृहत्तर शक्तियां प्रदान की गई हैं । औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण भी गठित किया गया था और यह अप्रैल, 1987 में अपना कार्य करने लगा ।

यह अधिनियम वर्तमान में सरकारी औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होता। इसके परिपेक्ष्य में, सार्वजनिक क्षेत्र की वे औद्योगिक कम्पनियां जो रुग्ण हैं किन्तु उनका पुनरुद्धार किया जा सकता है और इसके साथ-साथ जो दीर्घकाल से रुग्ण हैं और उनमें सुधार नहीं किया जा सकता है, इस विधेयक की परिधि में नहीं आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के भागों की निरन्तर जीवनक्षमता के लिए यह अहितकर रही है। निष्कर्ष के रूप में, अधिनियम के प्रावधानों को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू करना वांछित है ताकि ऐसी औद्योगिक कम्पनियों में, उनके पुनरुद्धार अथवा पुनर्वास योजनाओं को अमल में लाने हेतु अथवा उन्हें सुसंगत बनाने हेतु, जैसा भी बोर्ड आवश्यक समझे, ओ० वि० पु० बो०को सौंप दिया जाए। इसके अनुरूप यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर दिया जाए जिससे ऐसी सरकारी कम्पनियों को उस धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में दी गई "कम्पनी" की परिभाषा में शामिल किया जा सके।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा विधेयक पर विचार करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

फिर कुछ संशोधन हैं और मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पेश करने जा रहे हैं।

श्री भगवान शंकर रावत : उपस्थित नहीं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपस्थित नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपस्थित नहीं।

प्रो० रासा सिंह रावत : उपस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह : उपस्थित नहीं।

श्री वासुदेव आचार्य : उपस्थित नहीं।

श्री मदन लाल खुराना : उपस्थित नहीं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात आरम्भ करूं, मैं आदर के साथ एक दया की अपील करता हूं। अब 5.30 म० प० बजने को हैं, कल आप इस महत्वपूर्ण विषय में कल सबसे पहले चर्चा आरम्भ करने के सुझाव पर विचार करेंगे ?

सभापति महोदय : यह नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह काम न करने की स्वतन्त्रता चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नहीं समझता कि यह सम्भव है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, ठीक है।

महोदय, विधेयक के लक्ष्यों में, खण्ड 3 में तकनीकी रूप से एक बहुत ही साधारण संशोधन किया जा रहा है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को इस विधेयक की परिधि में लाया जाना है और जिन्हें वित्त मन्त्री महोदय ने 'सरकारी औद्योगिक उपक्रम' के नाम से पुकारा है। जैसाकि इसके पेश किए जाने के समय मेरे दल के नेता और मेरे द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि प्रस्तावित विधान का हम स्वागत नहीं कर रहे है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि यह हमें स्वीकार्य है। हमारा दृष्टिकोण दल के नेता के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था और इस बात को हम फिर दोहराते हैं कि विधेयक में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसका हम सरकार की औद्योगिक सोच और दर्शन का समर्थन करते हैं। हम इसका समर्थन केवल इसलिए नहीं करते हैं कि यह पूर्व की नेहरूवादी परम्परा को छोड़ देने और पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देने के बारे में है—जो अब संगत नहीं है—बल्कि इस कारण से समर्थन करते हैं कि हमारा विश्वास है कि वित्तीय, आर्थिक और भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों, सभी के विषय में सोचते हुए यह परिवर्तन वास्तव में आवश्यक है। वास्तव में सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है, ये वही प्रस्ताव हैं जिनका भाजपा बहुत ही लम्बे समय से समर्थन करती आई है।

5.28 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकारी औद्योगिक उपक्रमों अथवा कल तक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम से जाने जाने वाले उपक्रमों को औ० वि० पु० बो० की परिधि में लाया जा रहा है, कुछ आरम्भिक टिप्पणियां हैं कि दोनों सुव्यवस्थित और नियमित अवस्था में हैं। जो बात सुव्यवस्थित नहीं है अथवा जहां हमें स्थिर नहीं होना है वह वर्तमान दशा है, उदाहरण के रूप में, केवल सांख्यिकीय सीमा में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की दशा जानना आवश्यक है कि ऐसी कितनी इकाइयां हैं अथवा इनमें कितने धन का अपव्यय हुआ है अथवा वर्तमान में कितनी रुग्ण हैं अथवा कितनी इकाइयां अन्तिम छोर पर खड़ी हैं? अन्तिम छोर पर पहुंच चुकी इकाइयों की संख्या, जैसाकि वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है उद्धार किए जाने से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन सारी संकल्पना के कुछ पहलू हैं जिनका मैं आरम्भिक स्थिति में उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं।

मेरा विचार यह है कि आर्थिक भूगोल स्थिर कारक नहीं है, भारत का आर्थिक भूगोल स्थिर नहीं है। और एक बड़ी भूल इस रुचिकर वाक्यांश के आधार पर कार्य करने की है इस बहकाने वाले वाक्यांश की कि सचालन की ऊंची उड़ानें राज्यों का काम है। इसलिए, बिना विभाग लगाए अथवा इस पर विचार किए बिना, राज्य इस बात पर विचार किए बिना कि भूमि में क्या परिवर्तन हो रहे हैं अथवा बिना भूमि के अथवा राज्यों को इसमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में सोचे बिना राज्यों का निश्चित आर्थिक भूगोल पर सदा के लिए प्रभुत्व हो जाएगा। और एक बार प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर यह हमेशा के लिए स्थायी बन जाएगा जोकि दोषपूर्ण है जैसाकि दुर्भाग्यवश यह बहुत ही अमंगलकारी रूप में हमारी दहलीज की सीढ़ी पर पहुंच चुका है। मेरे विचार से दूसरी बड़ी भूल जो हुई वह यह थी कि वे समझते रहे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां स्वनिर्माण से पुनर्जिवित होने की क्षमता रखती हैं। मेरा सविनय निवेदन है कि यह स्पष्ट रूप से गुमराह करने वाली और न सम्भल पाने योग्य आर्थिक मूर्खता है। मैं यह कहता हूं कि जब संकल्पना सम्बन्धी आधार अमान्य, शून्य हो जाता है, तो ऐसे में इसके ऊपर आप अस्थायी रूप में भी ढांचे का निर्माण नहीं कर

सकते हैं फिर चाहे जहां तक सरकारी उपक्रमों, औद्योगिक उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हमने जो प्रयास किए हैं उनको सदैव के लिए छोड़ भी क्यों न दें।

तीसरा प्रश्न जो मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय के साथ बांटना चाहूंगा वह यह कि—जब कभी भी मैं उनके साथ आर्थिक विचारों का आदान-प्रदान करता हूं तब मुझे ऐसा करने में बहुत अधिक हिचकिचाहट होती है और मुझे पहले भी यह कहने के अवसर भी प्राप्त हुए हैं किन्तु यह शिक्षा की प्रक्रिया है क्योंकि जब भी वे हस्तक्षेप करते हैं, तो कम से कम मेरे लिए यह एक शैक्षिक प्रक्रिया होती है और वह यह कि वर्तमान स्थिति एक स्वायत्ततापूर्ण, स्वयं शुद्धिगत आर्थिक नाटक नहीं है। वह सुस्थापित किए गए आर्थिक और प्रबन्ध सिद्धान्तों से बाहर नहीं है। यह पिछले चार दशकों की धारणा सम्बन्धी थोथी उक्तियों और बेतुके कार्य का पूर्ण रूप से पूर्व सूचनीय उत्तर है। इस प्रकार से, यह किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं है और यदि मैं यह कहते हुए गलती पर नहीं हूं तो तब मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार ने इस विधान के द्वारा जो उपाय पेश किए हैं वे लम्बे समय से विलम्बित उपाय हैं। हमें स्वयं इन उपायों के मामले में भी कुछ कठिनाइयां हैं जिनके बारे में मैं एक क्षण के बाद बोलूंगा। अन्यथा मैं अनुभव करता हूं कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। फिर भी यह एक अन्य नेहरूवादी विचारधारा ही है जिसे अब समाप्त किया जा रहा है। समस्या यह है कि सरकार इस शव को जलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहती क्योंकि अब यह धारणा बन चुकी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अब स्वयं लावारिस लाश की तरह बन चुकी हैं और इनका अब कोई भी दावेदार नहीं है। इसीलिए उनके अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित कठिनाई जो वास्तव में मेरी प्रथम कठिनाई है कि सरकार क्या करने जा रही है क्योंकि कुल मिलाकर हम चार विस्तृत पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। जब इस विधान विशेष को हम देखते हैं, तो सरकारी औद्योगिक उपक्रमों, जैसाकि अब इन्हें वित्त मन्त्री महोदय द्वारा वर्गीकृत किया गया है, जो पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, हम सभी इनके कार्यकरण की समग्रता के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। हम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की क्षमता और अक्षमता को भी स्वयं इस कार्य हेतु आलिप्त करके भी देखते हैं। इसलिए, हम दोबारा से भी अन्तर्ग्रस्त होकर, इस बात की क्षमता की ओर देख रहे हैं जिससे कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से इनका पुनरुद्धार अथवा पुनर्वास किया जा सके। और अन्तिम रूप से, हम उन श्रमिकों के पुनर्वास, पुन स्थापना के महत्वपूर्ण पहलू को देखते हैं जोकि सुधारी जा रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों में फालतू अथवा आवश्यक नहीं घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन, धारणा गतरूप से मैं अनुभव करता हूं कि सरकार गलती पर है न केवल इसलिए क्योंकि इस सम्बन्ध में न केवल मेरे नेता माननीय श्री एल० के० आडवाणी महोदय ने अपने संक्षेप हस्तक्षेप में उस दिन कहा था, बल्कि सैद्धान्तिक रूप में, मैं अनुभव करता हूं कि सरकार द्वारा कपट किया जा रहा है। उन्होंने निष्कपट रूप से अपनी पूर्व की गलतियों को नहीं माना है। जैसाकि अपनी पूर्व की गलतियों को स्पष्ट रूप से नहीं माना गया है, इसीलिए सुझाया गया रास्ता स्पर्शीय और अस्थायी दोनों हैं। ये महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाने हैं उन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम से लिए जा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा है। प्रत्यक्ष रूप से अथवा आपकी अपनी जिम्मेवारी से, जो यह स्वयं-साक्षी भी है, कार्य क्यों नहीं किया जाता? माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा सरकारी औद्योगिक इकाइयों में से कुछ तो असाध्य रूप से रुग्ण है। और यदि वे असाध्य रूप से रुग्ण हैं, तो उनको औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजना या प्रेषित करना, उनके उपचार हेतु दवा देना नहीं है। और जोकि स्वय-साक्षी है और जो स्वयं-साक्षी असाध्य रूप में रुग्ण है, उसे औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण

ब्यूरो को संप्रेषित मात्र कर देना इनका उपचार नहीं है। औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड इन्हें विचार अथवा कार्यवाही के किसी अतिरिक्त आदानों को ला पाने में सक्षम नहीं बना पाएगा जिससे कि इन्हें अरुग्ण बनाया जा सके अथवा इन्हें पुनर्जिवित ही किया जा सके।

मैं एक क्षण में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की क्षमताओं और अक्षमताओं के बारे में चर्चा करूंगा। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के संदर्भ में एक शब्द कहता हूं। मुझे औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यकरणों की समीक्षा करने का अलग से अवसर मिला और वास्तव में यह प्रतिवेदन पहले ही सरकार को प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा विश्वास है कि औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड इस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त कारणत्व है और एक अपर्याप्त साधन है। मेरा मानना है कि औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है, यह इस कार्य को अपने हाथ में लेने हेतु तकनीकी और वित्तीय रूप से सीमित है और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की इस उद्देश्य हेतु सारी प्रक्रिया, कार्य में समय गंवाने वाली बात है। इसलिए, इन सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को इसे सौंपने से, जोकि वास्तव में धन गटकने वाले ही हैं—जो आपके और मेरे धन को गटक रहे हैं—हम समस्या का समाधान करने की बजाय हम समस्या का स्थायीकरण अथवा अधिकारी— तंत्रीकरण करने जा रहे हैं।

एक और जिस मुद्दे को मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि सरकारी औद्योगिक उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रुग्णता वास्तव में अधिक है। लेकिन यह केवल अधिक ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है जिसका उत्तर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो के पास भी नहीं है, वह इनकी कार्य-प्रणाली है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माणबोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की कार्य-प्रणाली में सुधार नहीं करने जा रहा है। औ० और वि० पु० बोर्ड सरकारी औद्योगिक उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की रुग्णता प्रबन्ध की रुग्णता, प्रबन्धकीय तकनीकों की रुग्णता का इलाज करने की स्थिति में नहीं है। औ० और वि० पु० बोर्ड के पास निश्चित रूप से इन बीमारियों के लिए कोई उत्तर नहीं है।

सरकार ने पूर्ण आर्थिक सुधार हेतु जो भी कार्य हाथ में लिए है, उन उपायों की पूर्णता के अंश के रूप में, मेरा विचार है कि कुछ शब्द कहना सम्बद्ध और आवश्यक होगा। हमारा यह मानना है— जसवन्त और मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि ये आर्थिक सुधार जैसाकि सरकार सोच रही है अपरिहार्य हैं और यह कि वे अटल हैं और माननीय वित्त मन्त्री महोदय और माननीय प्रधानमन्त्री महोदय के सुझावों और उनके द्वारा निष्कपट रूप से यह कहने के लिए कि ये सुधार उपाय अपरिहार्य हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। किन्तु यही काफी नहीं है। क्योंकि विद्यमान और इसके साथ-साथ किए जाने वाले अन्य उपाय, जोकि अतिआवश्यक भी हैं, उन्होंने अपनी प्रभावोत्पादकता और उनकी आवश्यकता के विषय में हमें संतुष्ट नहीं किया है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को आदर सहित कहना चाहूंगा कि सुधार का तर्क सुधार की तात्कालिकता का तर्क, जिसका प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, उसका समर्थन उस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जब पूरे गांव में आग लग जाए, तो कुंआ खोदने का वक्त नहीं रहता है।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : आपने आग लगा दी।

श्री जसवन्त सिंह : आप पिछले चालीस साल से लगा रहे हैं। अब तक आग को बुझाने के लिए···(**व्यवधान**)···

श्री मुरली देवरा : आप कैरोसिन डाल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, चालीस साल से लगा रहे थे और कहते हैं कि हमने···(**व्यवधान**) ···मैं तो तरीका बता रहा था, आग बुझाने में हाथ बंटा रहा था। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

महोदय, मैं अत्यन्त गम्भीर होकर यह बात कह रहा हूं कि निस्संदेह, आर्थिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुधारों का राजनैतिक प्रबन्ध करना है और यह शायद इसलिए है कि सरकार को सुधार के राजनैतिक प्रबन्धन पर संकोच महसूस हो रहा है और इसीलिए उसे इस प्रकार परस्पर विरोधी वक्तव्य देने पड़ रहे हैं।

मैं स्वीकार करता हूं कि एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में जैसाकि इस सरकार द्वारा किया गया है, राजनीतिक प्रबन्ध की प्रणाली जोकि दो तरफा है, वह कार्य नहीं करेगी। इतने अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार का राजनीतिक प्रबन्ध कोई यातायात को नियन्त्रित करने जैसा कार्य तो है नहीं। इसे यातायात के सिपाही के कार्य के समान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह अधिक व्यापक तथा अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस मुद्दे के विस्तार में जाए बिना, जिसे मैं सरकार को यह सुझाव देते हुए छोड़ता हूं कि इस समय ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं; इसमें विश्वास की भावना अन्तर्निहित नहीं है, और क्योंकि इसमें यह भावना नहीं है, इसमें बिना किसी औद्योगिक विवाद के देश में पूरे दिन की हड़ताल कराने की बात की जा रही है। अर्थात् क्योंकि आर्थिक सुधार राजनीतिक प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है। मजदूर वर्ग को इसकी आवश्यकता के बारे में पर्याप्त रूप से बताया जाना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व को सादरपूर्वक खड़ा होना चाहिए तथा विगत में की गई गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और यह कहना चाहिए, 'ये गलतियां हैं तथा यदि आप उन पर दृढ़ रहते हैं तो ये अनर्थकारी हैं।" ये बातें हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। यह अधिक अच्छा होगा, अधिक ईमानदारीपूर्ण होगा, तथा अधिक विश्वासोत्पादक की जाने वाली कारंवाई होगी।

एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मामला है, जोकि राजनीतिक प्रबन्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण मामला है और वह है नौकरशाही की प्रक्रिया में सुधार का प्रबन्ध करना। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यहां सरकार बहुत ही निराशाजनक ढंग से असफल हो रही है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि "नौकरशाही प्रक्रिया में सुधार का प्रबन्ध" से मेरा क्या तात्पर्य है। महान् शक्ति जो पिछले वर्ष कार्य कर रही थी, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों के द्वारा—चाहे वह वाणिज्य मन्त्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, या कोई भी मन्त्रालय हो—ऐसी शक्ति थी जो कह सकती थी 'हां', तथा और अधिक महत्वपूर्ण बात कह सकती थी 'नहीं'। पक्ष लेना परमार्थ हो गया और उस महान शक्ति का अन्त हो गया। किन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का पक्ष लेने से इन्कार करना भ्रष्टाचार को जन्म देता है।

अब मैं दो बातों के बारे में कहता हूं जोकि हो चुकी हैं। पहली बात तो यह है कि उदारीकरण, विकेन्द्रीकरण और विनियमन समाप्त करने सम्बन्धी आर्थिक सुधार का समझदारीपूर्ण एवं सही फैसला सिद्धान्त रूप में ले लिया गया है। लेकिन जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि देश के राजनीतिक नेतृत्व

के बजाय नौकरशाही में साथ-साथ, तदनुरूपी और सौहार्द्रपूर्ण सुधार जोकि तत्काल और द्रुतगति से किए जाने चाहिए थे नहीं हो पा रहे हैं।

अतः आपने इस शक्ति को सरकार के 'हां' या 'नहीं' के दो खण्डों में अन्तरित कर दिया है। एक नौकरशाही है और दूसरा पर्यावरण मन्त्रालय है। मैं पूर्ण गम्भीरता से यह निवेदन करता हूं कि सरकार के ये दोनों विभाग भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए हैं और प्रत्येक इस चीज को जबरदस्ती रोकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। जब आप कतिपय गति से चलना चाहते हैं तो नौकरशाही यह समझती है कि 'नहीं' कहने की शक्ति उनके हाथ से जा रही है और फिर वह इसके साथ ही जमी रहती है। पर्यावरण मन्त्रालय को 'नहीं' कहने का अवसर मिलता है और वह भी 'नहीं' कहने की शक्ति के साथ कायम रहते हैं। क्यों? इस 'नहीं' कहने की शक्ति से केवल अत्यधिक भ्रष्टाचार ही होता है जो मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया उस पर विचार करो। मैं अपने अच्छे मित्र दक्षिण मुम्बई के माननीय सदस्य की तरह उद्योगपति नहीं हूं।

मुझे यह जानकारी दी गई है कि यद्यपि आपने कहा है कि अग्रिम लाइसैंस दिए जाएंगे, लेकिन अग्रिम लाइसैंस देने के लिए भी अलग फार्म होता है। आपने कुछ फार्मों के स्थान पर दूसरे फार्म निर्धारित किए हैं। अग्रिम लाइसैंस प्रदान करके आप सम्पत्ति के सृजन, रोजगार सृजन और सम्पत्ति सृजन की प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते हैं ताकि देश समृद्ध हो सके और प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो सके। लेकिन सैद्धान्तिक रूप से कुछ फार्मों को हटाने के पश्चात आपने इसे प्रस्तुत किया है और अब आपका कहना है कि अग्रिम लाइसैंस प्राप्त करने के लिए एक आवेदन-पत्र देना पड़ेगा। एक आवेदन-पत्र के स्थान पर दूसरा आवेदनपत्र लाया गया है। मुझे यह भी जानकारी दी गई है—मैं नहीं जानता कि मैं इसमें सही हूं अथवा नहीं—कि यदि आपको एक लाइसैंस की आवश्यकता नहीं है तो आपको आवेदन करना पड़ेगा और यह कहने के लिए एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ेगा कि आपको लाइसैंस की आवश्यकता नहीं है। एक पेपर के स्थान पर अनिवार्य रूप से अन्य पेपर बदलना वास्तव में विनियमन समाप्त करना अथवा उदारीकरण नहीं है। इसमें मैं गलती पर हो सकता हूं। दक्षिण मुम्बई से आए माननीय सदस्य मेरी बात अगर गलत है तो इस सम्बन्ध में सही स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक की प्रक्रिया को ही लें। मेरे विचार से मैंने यह बात पहले भी उठाई थी। व्यापार नीति बहुत पहले से तैयार की गई थी। आप सफल नहीं होंगे—मुझे ऐसा कहते हुए क्षमा करना—जब तक आप भारतीय रिजर्व बैंक की प्रक्रिया में साथ-साथ और शीघ्रता से सुधार नहीं लाते हैं और अपनी उत्पादशुल्क प्रक्रिया में सुधार नहीं लाते हैं। तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि हमने अपनी व्यापार नीति पर विचार किया है और इसलिए इसका अनुसरण किया जाएगा। उनके पास अनुसरण करने के लिए समझ नहीं है। यदि आगे नहीं तो उनको साथ-साथ अनुसरण करना चाहिए। मैं पूर्ण गम्भीरता से यह निवेदन करता हूं। निःसन्देह स्वयं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा समय का सही अनुमान लगाया जाता है। लेकिन वस्तुतः दो अवमूल्यन करने के पश्चात यदि हमारी यह स्थिति होती है जिसमें हवाला दरें मोटे तौर पर रुपए की कम की गई कीमत से 25 प्रतिशत अधिक होती हैं, तो कहीं न कहीं कुछ गलत है।

दक्षिण मुम्बई से मेरे माननीय मित्र पुनः इस विषय—हवाला दरें पर मुझे अधिक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मुझे जानकारी दी गई है कि इस समय हवाला में डालर की दर 40 रु० से अधिक है; और यदि ऐसी स्थिति रही तो मैं इस खतरे को महसूस कर रहा हूं कि रुपए का मूल्य गिरकर लगभग 50 रुपए का एक डालर हो जाएगा तथा पौंड और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। इसका यही औचित्य

हो सकता है कि हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को रद्द कर रहे हैं क्यों हवाला 'फेरा' को निरर्थक बना रहा है। और यदि किसी भी तरह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को वास्तव में निरर्थक बनाया जा रहा है तो फिर हम, क्यों इस कानून पर डटे हुए हैं, जोकि निरर्थक तथा अप्रभावी दोनों हैं? यह अपरिहार्य है और आपको इस दिशा में जाना ही होगा।

सदन का कुछ समय लेते हुए मैं एक या दो उदाहरण देना चाहता हूं। हम एकाधिकार को तोड़ने की बात क्यों करते हैं? उदाहरण के लिए सरकारी औद्योगिक उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकाधिकार क्यों है? एस० टी० सी० को जो एकाधिकार प्राप्त है उसका सम्भावित आर्थिक औचित्य क्या हो सकता है? उदाहरण के तौर पर, एस० टी० सी० द्वारा पुरानी डिप्लोमेटिक कारों को अच्छी मुनाफे पर बेचने का जो एकाधिकार प्राप्त है, उसका क्या औचित्य हो सकता है? एम० एम० टी० सी० को धातुओं का व्यापार करने का एकाधिकार क्यों है? आप ये सब ला सकते हैं और आप दूसरी जगहों पर एकाधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। आप राज्य एकाधिकार पर क्यों अडिग हैं जोकि एकाधिकार कायम रखी हुई है। मुझे बताया गया है कि आई० टी० डी० सी० कार्यकुशलता में आधी भी दक्ष नहीं है परन्तु उसको अब ऊंचा दर्जा है। जबकि एयरपोर्ट लांज तथा रेस्टोरेन्ट जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए पर्यटन एवं नागर विमानन मन्त्रालय निविदाएं मंगाता है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : शुल्क मुक्त दुकानें।

श्री जसवन्त सिंह : वे उन निविदाओं के लिए अच्छा मूल्य देते हैं और आई० टी० डी० सी० नहीं, नहीं चिल्लाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा बरीयता व्यवहार क्यों किया जाता है? आप निजी क्षेत्र के उद्योग के साथ बरीयता व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के साथ भी बरीयता व्यवहार्य नहीं किया जाना चाहिए। वे बहुत अकुशलता से चल रहे हैं। मैं ज्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी कार्यनीति, और प्रबन्ध सम्बन्धी सिद्धांतों के बारे में, मैं संक्षेप में बोल चुका हूं।

मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं यहां मुख्य चिन्ता की बात है। यहां हमारे विधान में एक बड़ा दोष है—रुग्ण सरकारी उपक्रम, तथा रुग्ण सरकारी इकाईयां। यह एक केन्द्रीय विधान है। केन्द्रीय सरकार इसे ला रही है। केन्द्र के विभिन्न राज्यों में स्थित उपक्रमों की स्थिति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः हमारे पास संघीय सरकार के सरकारी उपक्रमों की रुग्णता के बारे में जानकारी होती है। क्या सरकार ने संघ सरकार के विभिन्न राज्यों के सरकारी क्षेत्र के एककों अथवा तथाकथित सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की रुग्णता का विश्लेषण किया है और क्या हमें प्रभावित करने वाली रुग्णता की व्यापकता के बारे में माननीय वित्त मन्त्री जी संसद को जानकारी देने पर विचार करेंगे कि जहां तक संघीय एककों का प्रश्न है इनकी रुग्णता की व्यापकता मुद्रा के रूप में कितनी है। वसूली अथवा उपचारात्मकता के रूप में कितनी है और संघ के विभिन्न राज्यों के एककों की रुग्णता की व्यापकता और इसमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि कितनी है? महोदय, यह वास्तव में अत्यधिक चिन्ता का विषय है। संघीय सरकार ने नई औद्योगिक नीति और विनियमन को समाप्त करने और उदारीकरण की पैकेज योजना की घोषणा की है। मैं यह देखता हूं कि नौकरशाही में सुधार के लिए मुझे संघ के राज्यों से अर्थव्यवस्था के बारे में साथ-साथ और समान कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं रही है। मैं अत्यधिक चिन्ता के साथ वित्त मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि यहां से हम विधान द्वारा सुधार लाने का कोई भी प्रयास क्यों न करे लेकिन जब तक संघ की राज्य सरकारें

उस सुधार का सौहार्दपूर्ण अनुसरण नहीं करती, केन्द्रीय सरकार की भावना के साथ कार्य नहीं करती और साथ-साथ आगे नहीं बढ़ती तब तक संघ के राज्यों के अन्यन्त्र कोई संघ सरकार नहीं होगी और केन्द्रीय सरकार एक टांग पर एक रिक्तता में ही कार्य कर रही होगी। केवल यह कहा गया है कि हम जो विधान यहां बना रहे हैं, उससे देश के औद्योगिक और आर्थिक रुग्णता का उपचार मिल जाएगा और राज्यों को जहां वे हैं वहीं रहने दिया जाए। जब तक राज्य सरकारें इसी भावना से अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए प्रेरित नहीं होती तब तक मुझे महोदय आशंका है कि हमारी अर्थव्यवस्था के सम्मुख और गम्भीर समस्या रहेगी। मैं विनम्रता के साथ अपनी इस आशंका से केन्द्रीय मन्त्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि जब तक हम इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आएगा। हम समस्या के केवल एक छोटे से भाग को ही ले रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से श्रमिकों के पुनर्वास और जब सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के रुग्ण सरकारी उपक्रमों के सुधार की बात होती है तो इसकी क्या भूमिका होती है, के बारे में मैं बहुत शीघ्र स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि जिस शब्दावली से इस समय हम चिपके हुए है, वह बहुत ही अनुपयुक्त शब्दावली है। लेकिन यह सरकार द्वारा ही प्रतिपादित समस्या हैं। मैं यह भी सोचता हूं कि निर्गमन नीति शब्द बहुत ही अनुपयुक्त शब्द है। आप श्रमिकों से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह बहुत ही उपयुक्त अभिव्यक्ति है।

श्री बसवन्त सिंह : इसका उपयुक्त होना इस बात पर निर्भर करता हैं कि आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह देखता हूं कि यह एक अनुपयुक्त शब्द है। किसी भी नीति सम्बन्धी सुधार में श्रमिकों की छंटनी का घटक नही हो सकता। इस शब्दावली के चयन की अनुपयुक्त स्थिति के कारण, हम अब एक मानसिक द्वन्दता की स्थिति में फंस गए हैं। मैं यह अनुरोध करता हूं कि श्रमिकों के पुनर्वास के सम्बन्ध में पूर्ण सुधार के भाग के रूप में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट और बोधगम्य रूप से रखने के साथ, हम इस छंटनी नीति और श्रमिक पुनर्वास के सम्बन्ध में यह जो कुछ सुझाव देती है अथवा गलत सुझाव देती है, की द्वन्दता में फंस जाएंगे।

मैं केन्द्रीय मन्त्री जी को तीन या चार विस्तृत बातों का सुझाव दूंगा। जैसाकि मैं किसी नीति का ढ़ांचा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, अत: ये केवल उस नीति के समस्त योग के कुछ आधार मात्र होगे। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक इन्हें नहीं किया जाता है, तब तक हमें बहुत गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि हम एक-पक्षीय रूप से औद्योगीकृत पश्चिमी देशों की अवधारणा अथवा सिद्धांतों को लागू करते हैं तो यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी। भारत आपको उसी रूप में निर्भर नजर आएगा, जिस रूप में आप इसे देखेंगे। आप कह सकते हैं कि यह एक गरीब देश है अथवा गरीब देश नहीं है। लेकिन नि:सन्देह यह गरीबों का देश है। यह कहना बड़ा आसान है कि हमें जिस बात की आवश्यकता है वह है केवल बाजार की ताकतों के मन्त्र पर पुन: बल देना। परन्तु ऐसा नहीं है। जब 350 मिलियन भारतीय बाजार की ताकतों से बाहर हैं तो न तो यह सरकार के लिए और न ही इस सम्बन्ध में किसी अन्य के लिए इस बात को दोहराना और यह कहना ही पर्याप्त है कि बाजार की ताकतें सबका ध्यान रखेंगी। उन 350 मिलियन भारतीय लोगों के लिए राज्य एक आवश्यक तत्व है और राज्य के हस्तक्षेप से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता है। लेकिन, महोदय, कुछ पूर्वापेक्षाएं भी हैं। राज्य का हस्तक्षेप केवल उसी राज्य द्वारा किया जाना है जो इस कुशल है, जो लोगों के प्रति सहानु-

भूमि रखता है, जो अपनी जनता का ख्याल रखता है और जो वह कहता है उसे करने की क्षमता रखता है। गत 40 वर्षों का अनुभव हमें बताता है कि भारत राज्य केवल अकुशल, निष्ठुर तथा अपनी जनता के प्रति केवल लापरवाहपूर्ण ही नहीं है बल्कि वास्तव में यह भ्रष्ट तथा निर्दयी है। अतः जब तक इस स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तब तक उन 350 मिलियन भारतीय लोगों की स्थिति, जो बाजार की शक्ति के बाड़े से बाहर हैं; में मात्र बाजार की शक्तियों को प्रवर्तित कर देने भर से सुधार नहीं हो सकता है।

मैं केन्द्रीय मन्त्री से इस बात का ध्यान रखने के लिए कहूंगा कि आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में जो लोग अधिशेष या अतिरिक्त कर्मचारी हों उन्हें रोजगार तथा आय की सुरक्षा से थोड़े से समय के लिए भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे, हमारे विचारों और कार्यों में सम्भावित बेरोजगार लोगों की व्यक्तिगत मर्यादा के लिए करुणा एवं चिन्ता झलकनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या आप सोचते हैं कि वे 350 मिलियन भारतीय लोगों का एक हिस्सा हैं?

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, नहीं। वे 350 मिलियन लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। मैं अब औद्योगिक श्रम की बात कर रहा हूं। मैं विशेष रूप से इस बारे में बात कर रहा हूं। मैं केवल, अपने विचारों के अनुसार, कुछ आधारभूत बातों की ओर इंगित कर रहा हूं जिन्हें सरकार के नीति-निर्धारण में हावी होना चाहिए। वे 350 मिलियन लोग संगठित श्रम के दायरे में भी नहीं आते हैं। यहां तक कि यदि हम सरकार के झूठे एवं अविश्वसनीय आंकड़ों पर भी भरोसा करें, तो भी उन 350 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त रूप से खाने को भी नहीं है। वे, अवश्य ही, इससे वंचित हैं।

हम उस श्रम के बारे में बात कर रहे हैं जो इन सरकारी उपक्रमों में सुधार की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रभावित होने वाला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे लोग गरीबी की रेखा से नीचे हो जाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह : यदि उन्हें फालतू समझकर रोजगारहीन किया गया तो। अतः मैं जो कुछ सरकार से कह रहा हूं वह यह है कि सर्वप्रथम उनका ध्यान रखा जाए तथा दूसरा यह है कि हमारे विचारों एवं कार्यों में इन सम्भावित बेरोजगार लोगों की व्यक्तिगत मर्यादा के लिए करुणा एवं चिन्ता झलकनी चाहिए। इसीलिए, मैं इसे आवश्यक समझता हूं तथा हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि सरकार ने उनके पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डालर का ऋण लिया है। लेकिन हम कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। बाईं ओर बैठे मेरे साथी इस पर गम्भीर रूप से चिन्तित हैं और मैं उनकी इसकी चिन्ता का सम्मान करता हूं, हालांकि अन्य पहलुओं पर मैं सिद्धान्त रूप में उनसे भिन्न मत रखता हूं लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उनके विचारों का सम्मान नहीं करता हूं। मैं उनके विचारों तथा उनकी धारणाओं का बहुत सम्मान करता हूं जिसने उनके पूर्ण सार्वजनिक जीवन को प्रेरित किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन आप सरकार से सहमत हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं सरकार से भी जब आवश्यक महसूस करता हूं तो सहमत होता हूं।

इसीलिए हम कहते हैं कि 500 मिलियन डालर का ऋण एक ऐसा कार्य है जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जब तक आप यह नहीं बता देते कि इस 500 मिलियन डालर ऋण का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है तब तक हम इस पर पूर्णरूपेण सहमति नहीं जता सकते हैं। उस नीति के संघटक क्या है ? (व्यवधान) हमारी समूल चिन्ता आर्थिक रूप से उत्पादक तथा मानव-गरिमा से युक्त होनी चाहिए और भारत में मौजूद जनशक्ति की अमूल्य पूंजी को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के प्रति होनी चाहिए। सभी कदम ऐसे उठाए जाएं जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न लोगों का दुख सीमित करे। फालतू अथवा अस्थायी रूप से फालतू किए गए कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए उन्हें अन्य रोजगार क्षेत्रों में प्रशिक्षित अथवा पुनः प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अथवा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

18.00 बजे

मैं माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री जी से इन विभिन्न कदमों को उठाने का आह्वान करता हूं। संसद में मेरा अनुभव यही रहा है कि जिन लोगों को सत्ता प्राप्त है तथा जिन्हें ओहदा मिला हुआ है उन लोगों के लिए ऐसे सभी कदमों का विरोध करना एक सामान्य सी बात है जिनसे वे अथवा उनके राजनैतिक हित एवं प्रणाली सुरक्षित रहती हो। मुझे विश्वास नहीं होता है कि संसद के स्वरूप में इतना आमूल परिवर्तन हो गया है कि बेहतरी के लिए दिए गए सुझावों को तुरन्त स्वीकार कर लिया जाएगा। मुझे यह बात भी पूर्णतः नहीं जंचती कि कल के केन्द्रीयकरण के देवता समझे जाने वाले, अर्थ-व्यवस्था की बागडोर सम्भालने वाले लोगों—जिन्हें पूजने के लिए हमसे हमेशा कहा गया—का स्थान अचानक बाजार की शक्ति के आज के देवताओं द्वारा लिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि केन्द्रीयकृत अर्थव्यवस्था भारत के सन्दर्भ में पूरी तरह से मर चुकी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आजकल भगवान की जगह शैतान ले रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : यह मैं नहीं जानता। वह एक अज्ञेयवादी विचारधारा है जिसके बारे में मेरे अच्छे मित्र ने पहले ही कहा है। लेकिन ऐसे में न तो वे देवता हैं और न ही शैतान।

अतः, महोदय, इससे पहले कि आप बाजार की शक्ति के इस नए देवता को प्रतिष्ठापित करें, कृपया यह सुनिश्चित करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह प्रत्यक्ष निर्दयता, उन 350 मिलियन लोगों को जो बाजार की शक्ति के घेरे से बाहर हैं, अथवा उन श्रमिकों, जो इन 350 मिलियन लोगों में जुड़ने वाले हैं, को मिटा न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल मंगलवार, 3 दिसम्बर, 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

18.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1991/11 अग्रहायण, 1913 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, देहली।